द्वादश माला, खंड 5, अंक 37

बुधवार, 5 अगस्त, 1998
14 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री रामलाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 37, बुधवार, 5 अगस्त, 1998/14 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-6
राज्य सभा से सन्देश	6-7
याचिका का प्रस्तुतीकरण	7
जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव	7-89, 93-98, 104-127, 131-240
श्री मदन लाल खुराना .	7
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	10-14
श्री पी॰ शिव शंकर	14-38
श्री राम जेठमलानी .	38-50
श्री इन्द्रजीत गुप्त	50-58
डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी	58-77
श्री बसुदेव आचार्य . .	80-89
श्री लालू प्रसाद . .	93-98
श्री सत्य पाल जैन .	104-116
श्री राजेश पायलट . .	116-123
श्री आर॰ मुथैया . . .	131-143
श्री मुरासोली मारन	144-162
डा॰ एम॰ तम्बी दुरई . . .	162-163
श्री भगवान शंकर रावत	167-172
श्री अजीत जोगी . .	172-187
श्री प्रभुनाथ सिंह . .	187-192
श्री आरिफ मोहम्मद खां	192-196
श्री सी॰पी॰ राधाकृष्णन	196-205
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन .	205-211
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा .	211-213
श्री शैलेन्द्र कुमार . . .	213-215
डा॰ सी॰पी॰ ठाकुर	215-218

विषय	कालम
श्री के॰एस॰ राव	218–227
श्री रामदास आठवले	227–228
श्री बासवराज पाटील सेडाम	228–230
श्री वारकला राधाकृष्णन	230–236
श्री सी॰ गोपाल	236–240
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	38
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	89–92, 127–131
(एक) निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण उपाय	
श्री रामकृष्ण हेगड़े	89–92
(दो) जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति	
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज	127–131
नियम 377 के अधीन मामले	98–104
(एक) जम्मू में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चमन लाल गुप्त	98–99
(दो) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और आगरा में टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार लाये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	99
(तीन) गुजरात में बनासकांठा में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	99–100
(चार) उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में अमराहट पम्प केनाल चरण-II को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कमल रानी	100
(पांच) हिमाचल प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी	100–101
(छः) देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	101
(सात) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनकर्त्ताओं को बैंकों द्वारा पर्याप्त सहायता दिया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
श्री एस॰ अजय कुमार	101–102
(आठ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नबीनगर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	102

विषय		कालम
(नौ)	उड़ीसा में कृषि कार्यों में सहायता के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को निदेश दिये जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन सेठी .	102
(दस)	ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा . .	102-103
(ग्यारह)	नौवीं योजना के दौरान सोनापुर-केनिंग रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	103
(बारह)	दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	103-104

लोक सभा

बुधवार, 5 अगस्त, 1998/14 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी मेजर जनरल राबर्ट जी. विलियम्स के दुखद निधन की सूचना देनी है।

मेजर जनरल आर.जी. विलियम्स 1991-96 के दौरान एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दसवीं लोक सभा में मनोनीत किए गए थे।

श्री विलियम्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख रूप से भाग लिया था और उन्होंने विभिन्न रक्षा संस्थानों में दायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। उन्हें 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' से भी विभूषित किया गया था।

एंग्लो भारतीय समाज के एक अग्रणी प्रतिनिधि श्री विलियम्स विभिन्न एंग्लो भारतीय संगठनों से संबद्ध थे। उन्होंने एंग्लो-भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए सतत् प्रयास किए।

मेजर जनरल आर.जी. विलियम्स का निधन 80 वर्ष की आयु में 16 जुलाई, 1998 को नई दिल्ली में हुआ।

हमें इस मित्र के निधन का गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1456/98]

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1457/98]

[अनुवाद]

नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई) :

(1) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि ट्रेनिंग आफ

हाईवे- इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1458/98]

31, मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित समीक्षा की एक प्रति

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1459/98]

[अनुवाद]

भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम और कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इनके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1460/98]

(3) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपुर्यक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1461/98]

(5) (एक) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1462/98]

राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री बन्डारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राजघाट समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) राजघाट समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1463/98]

(3) (एक) राजघाट समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि कमेटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1464/98]

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1465/98]

(3) (एक) नहेरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1466/98]

(5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1467/98]

पूर्वाह्न 11.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिवः महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ कि राज्य सभा 4 अगस्त, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 अगस्त 1998 की बैठक में पारित किए गए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 अगस्त, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 4 अगस्त, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा अपनी 4 अगस्त, 1998 की बैठक में पारित किए

गए राज्यपाल (उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 1998 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1998 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 अगस्त, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं मतदाता फोरम द्वारा सुझाई गई कतिपय सिफारिशें समाविष्ट करके चुनाव प्रक्रिया में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार रोकने के लिए तात्कालिक सुधार करने की आवश्यकता के बारे में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एच.आर. खन्ना, और वोटर्स फोरम फाउन्डेशन ऑफ इंडिया के अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किये जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव रखता हूं :

> "कि यह सभा 31.7.1998 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार करे।" ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, कृपया मुझे एक अत्यंत गंभीर मामले को उठाने की अनुमति दी जाएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, दलों के नेताओं की बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था सीधे जैन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : मैं इन कागजात को सभा पटल पर रख रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज शून्यकाल नहीं है। आप कागजात कैसे रख सकते हैं? यह प्रक्रिया नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि मैं आपको अपनी बात रखने की अनुमति दे सकूं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कल कहा था कि आज ले करने की परमिशन देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल देंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[**ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآدآباد)** : اسپیکر صاحب، اتر پردیش میں مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں۔... (مداخلت)]

अध्यक्ष महोदय : कल सबको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जयपाल रेड्डी जी, आपको कल बोलने का मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर जी अब आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : यह प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था। इसलिए सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परन्तु श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी इस समय उपस्थित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : श्री राम जेठमलानी जी से मेरा अनुरोध है कि वे चर्चा शुरू करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया हस्तक्षेप न करें। मैं आपको कल अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी आ चुके हैं इसलिए अब वे चर्चा शुरू कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, यह बात आपके नोटिस में लानी है

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اسپیکر صاحب، یہ بات آپ کے نوٹس میں لانی ہے۔]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय बरबाद न करें। माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा आज नहीं। अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, उनके हाथ काट दिये गये हैं और उन्हें गोली से मार दिया गया है।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اسپیکر صاحب، ان کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے ہیں اور انہیں گولی سے مار دیا گیا ہے۔]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय गृह मंत्री जी को बोलने के लिए बुला चुका हूं। मैं श्री आडवाणी जी को बोलने के लिए बुला चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे कल एश्योरेंस दिया था कि आप ले कर सकते हैं। आपने परमिशन दी थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, आपने मुझसे वादा किया है। आपके वादे का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति कल दूंगा आज नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन के संबंध में नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, मैं आरम्भ में क्षमा याचना करना चाहूंगा कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका और मेरे सहयोगी ने औपचारिक रूप से वह प्रस्ताव रख दिया जिसके द्वारा इस सदन में जैन कमीशन की अंतिम रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर भारत सरकार की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उस पर हम चर्चा कर सकेंगे। मै सदन के सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनकर, सरकार को जो कहना होगा, कल अंत में कहूंगा। मैं आरम्भ में इतना ही कहना चाहता हूं कि...

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। मेरे सामने इन्क्वायरी कमीशन एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है:

[अनुवाद]

> "आयोग के सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात :
>
> (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति तलब करना
>
> (ङ) गवाह या दस्तावेजों की जांच के लिए समादेश जारी करना; और
>
> (च) अन्य कोई मामला जो विहित किया जाए।"

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी यहां 1991-96 में इस संबंध में बहस हुई थी...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? कृपया नियम उद्धृत करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो डाकूमेंट्स दिये हैं...*(व्यवधान)* जो अंतिम रिपोर्ट दी हुई है ...*(व्यवधान)* इस सदन को मिसगाइड करने के लिये है...*(व्यवधान)* मैं अंडर रूल 376 बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय नियम 376 के अंतर्गत किसी भी माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जब 1991-96 में कांग्रेस सरकार थी, जस्टिस जैन ने डाकूमेंट्स मांगे थे जो नहीं दिये गये...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, जब डाकूमेंट्स नहीं दिये गये तो यह अंतिम रिपोर्ट कैसे हो सकती है, यह अंतरिम रिपोर्ट हो सकती है। इनके लायर, इनके कौंसिल ने कहा था कि हमें डाकूमेंट्स नहीं दिये है। यह जस्टिस जैन के सामने कहा गया था

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, कृपया बैठ जाइए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है; श्री रावले जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, श्री आई.के. गुजराल सरकार के समय...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री आई. के. गुजराल सरकार के रिमार्क्स थे। मैं इस रिपोर्ट की कापी के मुताबिक बता रहा हूं :

[अनुवाद]

इसलिए आयोग ने अपने अध्ययन के लिए सरकार से यथाशीघ्र अपेक्षित फाइलें प्रस्तुत करने के लिऐ कहा है।

[हिन्दी]

यह कम्पलीट रिपोर्ट कैसे हो सकती है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न व्यर्थ है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले जी, कृपया बैठ जाइए। आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : ये सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। यह स्पष्टीकरण मांगने का समय नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं केवल यही पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझे बोलने के लिए बुलाएंगे अथवा नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह स्पष्टीकरण का समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे अब बुलाएंगे क्योंकि की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में मेरा नाम लिया गया है? मैं समझता हूं कि अब मुझे बुलाना सही और न्यायोचित होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : महोदय, मैं आपसे आपके कक्ष में मिला था।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष आकर इसपर चर्चा कर सकते हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इस समय मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार श्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या जिन परिस्थितियों में हुई, उसको इतिहास का एक काला अध्याय मानती है और एक बहुत ही दुखद घटना देश के लिए मानती है। इस सरकार ने जो अभी तक कार्रवाई इस संदर्भ में हुई, अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनको प्रॉसीक्यूट करके उनको दंडित करवाने के लिए, उस संदर्भ में डैसिग्नेटेड कोर्ट की फाईंडिंग्ज को मानकर, स्वीकार करके, उसके आधार पर इस कमीशन की रिपोर्ट को देखा है। इस कारण मै आपके सामने बड़ी मुक्तता से कह सकता हूं। किसी भी प्रकार का बंधन सरकार पर नहीं था, इस जैन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, सिवाय एक के, और वह बंधन यह था, मर्यादा यह थी कि हम ए.टी.आर. में ऐसी कोई बात न लिखें या कहें कि जिसके कारण डैसिग्नेटेड कोर्ट ने जिन 26 लोगों को दंडित किया है, उनको फांसी की सजा सुनाई है, जो शायद क्रिमिनल इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होगी कि एक व्यक्ति की हत्या के लिए 26 लोगों को फांसी की सजा होगी।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : एक व्यक्ति नहीं, वे देश के नेता थे। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी भी व्यक्ति की हत्या हो तो यह दुखद बात है, लेकिन देश के एक इतने ऊंचे व्यक्ति जो कि सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे, देश के प्रधान मंत्री रहे और जिनके बारे में हिन्दुस्तान के बहुत सारे लोग यह भी सोचते होंगे कि वे इसके बाद फिर प्रधान मंत्री बन जाएंगे, उनकी हत्या हो जाए तो यह एक असाधारण बात है। उस असाधारण बात के असाधारण महत्व को पहचानकर हमने सोचा कि इस मामले में अगर जैन कमीशन बनाया गया सत्य को खोजने के लिए, उसने जितनी छानबीन की और उसके संदर्भ में जितनी सिफारिशें की, सामान्यतः हमें उनकी सिफारिशें माननी चाहिए। अगर कोई अपवाद हो सकता है तो केवल उनके बारे में जहां हमको लगा कि यह सिफारिश अगर हमने मानी तो उसके कारण डेसिग्नेटेड कोर्ट की फाइंडिंग्ज अपसैट हो सकती हैं। मैं केवल यह छोटी सी भूमिका सदन के सामने रखता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जो भी सच्चाई है, जो भी सत्य है, वह सत्य षड्यंत्र के रूप में देश के भीतर किसी को अपने अंदर अलिप्त करता है या देश के बाहर किसी शक्ति को उसमें लाता है। हम किसी के बारे में भी निःसंकोच होकर सदन की इच्छा को पूरी करना चाहेंगे। इस मामले के प्रति यह सरकार का रवैया है। बाकी मुझे विश्वास है कि जब चर्चा होगी तो चर्चा में अनेक सुझाव आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा क्योंकि उसकी आलोचना सामान्यतः इधर-उधर से हुई है, उस सदन में हुई थी कि ऑपरेटिव पार्ट के नाते इसका फॉलो अप क्या होना चाहिए। इस प्रकार का एक जूडीशियल कमीशन बैठाया जाए, कई सालों तक परिश्रम करके वह कुछ तथ्य खोजे और कुछ सिफारिशें करे तो उन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कौन सी एजेंसी खड़ी की जाए, इसके बारे में कुछ अलग प्रकार के मत प्रकट किये गये है। एक सुझाव आया कि एक और कमीशन बैठा दीजिए। इस सरकार को लगा कि एक और कमीशन बैठाना उपयुक्त नहीं होगा और इसीलिए जो भी बॉडी होगी, वह कोई जूडीशियल कमीशन न होकर एक एक्जीक्यूटिव इन्वेस्टीगेटिंग बॉडी होनी चाहिए।

श्री भजनलाल (करनाल) : इंडिपेंडेन्ट होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इंडिपेंडेन्ट का क्या अर्थ है, यह मैं नहीं जानता। वह कोई समझाए तो मैं समझ लूंगा।

श्री भजनलाल : वह आपको बता देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो आप बतायेंगे वह मैं जरूर समझूंगा। अभी तक हम यह मानते थे कि जो भी एजेंसी बनाई जाए, जिसको कह सकते हैं कि उसे स्टैट्यूटरी सैंक्शन चाहिए और उसको एम्पावर्ड होना चाहिए आबीट्रिरीली 4 प्रमुख लोगों को हमने ढूंढ लिया और उनको बैठा दिया कि आप तहकीकात करिये -- यह नहीं चलेगा। इस पर विधायी स्वीकृति होनी चाहिए। यह स्टैट्यूटरी सैंक्शन को ध्यान में रखकर केवल मात्र क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन नहीं है। जैन कमीशन की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों में से कई पहलू निकलते हैं आपराधिक जांच के अलावा, इसीलिए हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनीटरिंग एजेंसी (एम.डी.एम.ए.) उसे नाम दिया है। यह एक पृष्ठभूमि है जो इस अवसर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाकी जो भी सदन की राय हमारे सामने आयेगी, सरकार उसका प्रत्युत्तर देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> "कि यह सभा 31.7.1998 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार करें।"

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, एक विश्व विख्यात व्यक्ति काल के गाल में समा गए हैं, यह एक ऐसी युवा शक्ति थी जिसने 1988 में नाभिकीय हथियारों के धीरे धीरे समाप्त करने का एक सार्थक प्रस्ताव प्रस्तुत करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रस्ताव का अब तक कोई विकल्प नहीं था। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करके उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए सुनाम कमाया। मेरे विचार में यह कहा जाना चाहिए कि इस कायरतापूर्ण हत्या ने एक सुप्रसिद्ध खुले

[श्री पी॰ शिव शंकर]

व्यक्तित्व को बरबाद कर दिया है और भारतीय परिदृश्य को अंधकारपूर्ण बना दिया है। इस हत्या के तुरंत बाद दो आयोगों की स्थापना की गई थी।

पहले आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश ने की थी। दूसरे आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने की थी। चाहे वर्मा आयोग हो अथवा जैन आयोग, इनकी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें आईं। मेरे लिए सभी पक्षों पर इतने कम समय में विस्तारपूर्वक चर्चा करना संभव नहीं है। परन्तु, बहरहाल, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर न केवल इस सभा बल्कि राष्ट्र द्वारा भी गौर किए जाने की आवश्यकता थी।

मेरे विचार से, न्यायाधीश वर्मा से लेकर न्यायाधीश जैन की हाल ही की रिपोर्ट तक सभी रिपोर्टों में एक अटूट कड़ी है। वर्मा आयोग का गठन केवल दो पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। एक पहलू था - "क्या हत्या को रोका जा सकता था? इस संबंध में चूक और कर्त्तव्य पालन न करना"। दूसरा पहलू था तंत्र में खामी, जिस के कारण हत्या हुई"। इस समय मुझे उन ब्यौरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, जो काफी बड़ी है, उन घटनाओं से संबंधित है जिनके कारण हत्या हुई थी। अंतिम रिपोर्ट दो पहलुओं से संबद्ध है। पहला भाग मुख्यतः हत्या से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भाग षडयंत्र पक्ष से संबंधित है।

मैं केवल उन्हीं पक्षों पर संक्षेप में चर्चा करूंगा जिनपर वर्मा आयोग में चर्चा की जा चुकी है जिससे यह कहा जा सके कि जैन आयोग ने उस पृष्ठभूमि में क्या निर्णय लिया था। मैं रिपोर्ट से उद्धृत नहीं करना चाहता क्योंकि अगर उद्धरण आवश्यक है तो मैं अलग से दे सकता हूं। मैं केवल पृष्ठ और पैराग्राफ संख्या का उल्लेख करूंगा।

वर्मा आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है आसूचना ब्यूरो और गृह मंत्रालय लगातार यह महसूस कर रहा था कि एस.पी. जी. सुरक्षा हटाए जाने के बाद श्री राजीव गांधी को दी गई सुरक्षा अपर्याप्त थी। आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 17 और पृष्ठ 40 से यही निष्कर्ष निकलता है। इसके अलावा, न्यायाधीश वर्मा ने यह पाया कि राजीव गांधी के निकटस्थ क्षेत्र तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं था। इस क्षेत्र के सुरक्षात्मक नियंत्रण में कमी थी।

यह पृष्ठ 68 में लिखा गया है। मैं केवल संदर्भ दे रहा हूं ताकि माननीय गृह मंत्री जो इसका अध्ययन कर रहे हैं उन पृष्ठों पर ध्यान केन्द्रित करके यह पता लगा सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

पृष्ठ 67 पर वर्मा आयोग ने यह कहा है कि आसूचना पूरी तरह विफल हो गई थी। पृष्ठ 63 पर आयोग ने यह टिप्पणी की है 21 मई, 1991 के अपराह्न 8 या 8.30 बजे पुलिस अधिकारियों को यह स्पष्ट हो चुका था इस जनसभा में राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल असंतोषजनक है और इसके बावजूद 10 बजे के बाद तक कुछ भी नहीं किया गया था जब वे सभा को सम्बोधित करने के लिए वहां पहुंचे। पृष्ठ 76 पर आयोग कहता है कि यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि इसमें "केन्द्र सरकार की ओर से भी कमी रही है"। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। पृष्ठ 81 पर आगे चलकर आयोग ने यह कहा है कि एस.पी.जी. सुरक्षा दायरा हटा लेने के बाद राजीव गांधी की निकटतम सुरक्षा के लिए सही वैकल्पिक सुरक्षा देने में केन्द्र सरकार असफल रही। उक्त सुरक्षा की आवश्यकता महसूस किए जाने और आसूचना ब्यूरो द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता जतलाए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने 30 जनवरी, 1990 के अपने निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसा किया। आयोग का यह एक गंभीर निष्कर्ष है। पृष्ठ 82 पर आयोग ने यह उल्लेख किया है कि तमिलनाडु सरकार पूरी तरह विफल रही थी। आयोग आगे कहता है कि तमिलनाडु पुलिस का आसूचना स्कन्ध भी उसी प्रकार विफल रहा है जैसेकि तमिलनाडु पुलिस उस अवसर पर नजदीकी घेरे में सुरक्षा उपलब्ध कराने में विफल रही, पृष्ठ 82 पर आयोग कहता है कि आसूचना ब्यूरो सारी खुफिया जानकारी प्रदान करने में विफल रहा।

और पृष्ठ 107 पर आयोग अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हत्या को टाला जा सकता था किंतु तमिलनाडु पुलिस की कर्तव्य पालन में चूक के कारण ऐसा नहीं किया जा सका जो कि सन्निकट सुरक्षा के लिए नियुक्त थी, परिणामस्वरूप, तमिलनाडु सरकार, गृह मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार को समान रूप से इस गलती को स्वीकार करना होगा। यह आगे कहता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्निकट सुरक्षा के लिए किसी समुचित विकल्प के प्रावधान के बिना विशेष संरक्षा ग्रुप (एस.पी.जी.) सुरक्षा वापस लेने का परिणाम यह हुआ कि खतरे में बिना किसी कमी के सुरक्षा के स्तर में कमी कर दी गई। न्यायमूर्ति वर्मा आगे पाते हैं कि आसूचना ब्यूरो द्वारा तमिलनाडु पुलिस बल की आसूचना सहायता में कमी और अध्याय 16 में उल्लिखित अन्य कमियां ही हत्या के संभावित कारण थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन अनेक निष्कर्षों के बावजूद राष्ट्र यह नहीं जानता है कि उन निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है। यह पता नहीं है कि इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या नहीं या आसूचना प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई या नहीं, हमने तो अपना नेता खो दिया है। मैं, स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहाता हूं कि हमारी किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की संदिग्धता बनी रहे। तथापि हमारा स्पष्ट मानना है कि सत्य सामने आए। हम सत्य की खोज में हैं। जैन आयोग जिसे जांच का दायित्व दिया गया था उसे सर्वत्र दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह इसकी तह में नहीं पहुंच सका। वास्तव में हमें भी इस बात की चिंता है। इस तथ्य के बावजूद कि आयोग ने वास्तव में सात साल तक काम किया फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। यदि कोई पूरे अंतरिम प्रतिवेदन और अंतिम प्रतिवेदन का अध्ययन करता है तो यह एक कुत्सित कहानी है, चाहे नौकरशाही हो या राजनीतिज्ञ, सत्तारूढ़ लोगों ने यह छाप छोड़ी है उन्हें नौकरशाही की सलाह के आधार पर विशेष रूप से लिए गए साक्ष्य के मामलों

में निर्णय लेने होंगे। जब गवाह के कठघरे में आए कुछ गवाहों के साक्ष्यों का और अन्य व्यक्तियों चाहे नौकरशाह हो या राजनीतिज्ञों के साक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया तो लगता है उन्होंने आयोग के समक्ष तथ्यों को बताने के बाजए उन्हें छुपाया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस पृष्ठभूमि में हम वास्तविकता जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में कुछ समय बाद में बोलूंगा किंतु मैं आयोग की जांच के समक्ष पैदा की गई अड़चनों का उल्लेख करूंगा। जैसा कि मैंने कहा मैं इस प्रतिवेदन पर पूर्णतः राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करना नहीं चाहूंगा।

मैं इस प्रतिवेदन को उस उद्देश्य की दृष्टि से देखना चाहूंगा जिसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी अर्थात् एक जांच अधिकरण के रूप में जिससे तथ्यों का पता लगाने और सत्य तक पहुंचने की अपेक्षा की गई थी। इस पृष्ठभूमि में मुझे बहुत दुख होता है कि 1991 से ही एक के बाद एक सरकारों ने इस तरीके से कार्य किया कि जैसा वे नहीं चाहते थे कि आयोग वास्तविक तथ्यों और सत्य का पता लगाए। इससे हमें दुख होता है और यह हमें एक ऐसी स्थिति में ला देता है जिससे हम पूर्णतः खिन्न हैं

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन श्री राजीव गांधी ने कार्यभार संभाला था उसी दिन से ऐसी स्थिति लगती थी और अंतरिम प्रतिवेदन के विभिन्न खंडों को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य और भीतरी दोनों शक्तियां खुश नहीं थी कि वे सरकार के प्रमुख रहें। जब मैंने 'भीतरी' कहा तो मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा कि शायद कांग्रेस पार्टी में भी कुछ शक्तियां खुश नहीं थे कि वे सरकार के प्रमुख रहें, इस बात के लगातार प्रयास किए गए थे कि उन्हें हटाया जाए और उनके स्थान पर किसी और को आसीन कराया जाए। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायाधीश के कुछ निष्कर्ष संभवतया हमारी पसन्द के अनुरूप न हों...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : न्यायमूर्ति जैन।

श्री पी. शिव शंकर : मुझे खेद है मैं न्यायमूर्ति जैन के बारे में कह रहा हूं न कि न्यायमूर्ति वर्मा के बारे में। किंतु इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि उन्होंने भारी प्रयास किया है। मुझे याद है जब मैं 1980 और 1982 के बीच जब मैं विधि मंत्री था तो इस पक्ष से शिकायतें की गई थी, "देखो न्यायाधीशों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नियुक्त किया जा रहा है," मेरा सदैव यह विचार रहा है और आज भी है कि एक न्यायाधीश की निष्ठा केवल संविधान के प्रति होनी चाहिए किसी अन्य के प्रति नहीं। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले में स्वयं के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता है तो वह न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं है, यह मैंने सभा पटल पर भी कहा है और मैं आज भी उस बात पर दृढ़ हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदा-कदा कतिपय असंयमित अभिव्यक्तियों के बावजूद न्यायमूर्ति जैन ने प्रसंशनीय कार्य किया है। हालांकि असंयमित अभिव्यक्तियां थोड़ी चिंता का विषय है तथापि उसे नजरन्दाज किया जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति को रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है हमें यह नहीं भूलना चाहिएं कि आयोग के समक्ष पहले गवाह ने 1996 में गवाही देनी शुरू की और पिछले पांच सालों में आयोग के समक्ष कई अड़चने थी। यद्यपि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किंतु उन्हें कुछ महत्व दिया जाना चाहिए है और साक्ष्य आरंभ होने के दो वर्ष के भीतर यदि वे अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट के इतने सारे खंड तैयार करते है तो उनमें कतिपय असंयमित अभिव्यक्तियों की संभावना रहती है। ऐसे में मानवीय भूल होगी ही और इसीलिए मेरा सोचना है कि उन्हें किसी प्रकार के पक्षपात का दोषी नहीं कहा जा सकता है।

महोदय, जैसा मैंने कहा हमारी रुचि पूर्णतः गैर राजनीतिक तरीके से सत्य को जानने की है, महोदय अंतरिम रिपोर्ट के खंड-7 में पृष्ठ 80-85 पर निम्नलिखित कहा गया है। मैं एक या दो पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस पर वर्मा आयोग ने भी विचार किया था

> "न्यायमूर्ति जैन कहते है, सुरक्षा के प्रश्न के बारे में यह पाया गया कि 9.12.1989 को अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध (रॉ) में कहा था कि श्री राजीव गांधी को खतरा काफी बढ़ा है। कारण यह था कि गांधी परिवार को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को पूर्वानुमान था कि राजीव गांधी की सुरक्षा में कमी हो जाएगी जिससे वे और सुभेद्य हो जाएंगे।"

इन रिपोर्टों के बावजूद कुछ भी नहीं किया गया । इसी तरह मैं अंतरिम रिपोर्ट के खंड संख्या 12 के पृष्ठ 69 से 75 आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आयोग कहता है:

> "कि बम्बई, मद्रास और जयपुर से आसूचना ब्यूरो का मूल्यांकन भी उसी तरह का था जैसाकि अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध (रॉ) ने पाया था।"

महोदय, दुर्भाग्यवश 'नीली पुस्तिका' (ब्ल्यू बुक) जिसमें उन व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में निर्देश है जिन्हें सर्वाधिक खतरा है, को श्री राजीव गांधी के मामले में कभी भी लागू नहीं किया गया। 'पीली पुस्तिका' (येलो बुक) में कुछ सेवानिवृत्त गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में निर्देश है जिन्हें उतनी कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसी सुरक्षा दी गई और उन्हें हत्यारों के क्रूर हाथों में छोड़ दिया गया।

अंतरिम रिपोर्ट के खंड 7 पृष्ठ 942—मै इस बात को आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं ताकि यह सभा और राष्ट्र कुछ तथ्यों के बारे में जान सके—में कहा गया है :

> "कि शिवरोसन ने हत्यारे दस्ते की अगुवाई की तथा 9 जून, 1990 को मद्रास में ईपीआर एलएफ नेता पद्मनाभन और 15 अन्य लोगों की हत्या के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था। न्यायमूर्ति जैन ने दोनों हत्याओं के बीच काफी समानता पाई। श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई जांच में पाया गया कि

[श्री पी॰ शिव शंकर]

पद्मनाभन की हत्या के बाद शिवरासन जाफना और नमिलनाडु के बीच आता जाता रहा था। वह दोनों मामलों में अभियुक्त था तथा छह अभियुक्त दोनों मामलों में एक ही थें।

महोदय, यदि आप मुझे खंड संख्या 6 का उल्लेख करने दें तो इसमें रोचक तथ्य हैं, इसको पढ़ने से पूर्व मैं एक और अन्य पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं, वह पहलू यह है कि 7-8 मई, 1991 की रात्रि को एक पूर्वाभ्यास किया गया। मद्रास में मैरीना में एक बैठक में, जिसे श्री वी.पी. सिंह ने संबोधित किया था, पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें शिवरासन पहली पंक्ति में बैठा था। धनु भी वहां थी और श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार पूरे दस्ते ने पूर्वाभ्यास किया। क्या यह कहा जा सकता है कि प्राधिकारी इससे अनभिज्ञ थे? यह चलता रहा, वह पहली पंक्ति में बैठा था। इन लोगों का पूरा दस्ता वहां था।

इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू, जिस पर हमें दुख होता है, यह है कि किसी भी नौकरशाह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में मैं गृह मंत्री को आगाह करना चाहता हूं। मैंने संपूर्ण की गइं कार्यवाही प्रतिवेदन का अध्ययन किया और मुझे यह लगा कि यह नौकरशाहों द्वारा स्वयं को बचाने के लिए की गई लीपापोती है। दुर्भाग्यवश, राजनीतिक प्राधिकारियों ने क्या किया। उस पर मैं अभी बोलूंगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्मा आयोग के सभी निष्कर्षों के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि जैन आयोग ने भी पूर्वाभ्यास सहित कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है, प्राधिकारियों को यह जानकारी नहीं थी कि किस की तैयार की जा रही थी? उन्होंने सारे मामले की अनदेखी क्यों की? यदि उन्होंने अनदेखी की तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? कार्यवाही क्यों नहीं की गई? उनमें से किसी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की गई?

यह मेरे लिए एक पहेली की तरह है। खंड 6, पृष्ठ 63 पर आयोग टिप्पणी करता है :

"ग्यारह माह की इस लम्बी अवधि के दौरान विशेष जांच दल द्वारा जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य एकत्रित किए गए कि शिवरासन और उनके दल के कुछ सदस्य समय समय पर तमिलनाडु आते रहे हैं। अन्य लिट्टे दल भी तमिलनाडु आते रहे हैं। शिवरासन को 13.4.1991 को अन्नानगर में भी देखा गया। वह 7 और 8 मई, 1991 की रात्रि को नन्दानम, मद्रास में श्री वी.पी. सिंह की बैठक में भी उपस्थित था। उस बैठक की वीडियो फिल्म बनाई गई थी। इस बैठक में आसूचना ब्यूरो के कार्मिक और तमिलनाडु सी.आई.डी. के कार्मिक भी अवश्य उपस्थित रहे होंगे।

पद्मनाभन की हत्या के बाद यदि समुद्र तट पर कड़ी चौकसी की जाती या समुद्र तट पर विशेष रूप से अवतरण स्थलों पर गश्त लगाई जाती तो शिवरासन, उसके दल और अन्य दलों के सदस्यों की गतिविधियां ध्यान में आती और यहां तक शिवरासन और उसके दल के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता था। स्थानीय आसूचना और केन्द्रीय आसूचना तंत्र को सभी अवतरण स्थानों विशेष रूप से धणमुगम स्थल, जहां पर शिवरासन और उनके दल के कुछ सदस्यों सहित लिट्टे काडर का आना जाना रहता था और ठहरते थे, के बारे में पूरी जानकारी थी। किंतु वस्तुतः ऐसे स्थानों पर कड़ी चौकसी नहीं रखी गई जिसके द्वारा उनकी गतिविधियों का पता लग सकता था।

आसूचना कार्मिकों द्वारा पूर्वाभ्यास की वीडियो कैसेटों को देखने पर उन्होंने वीडियो कैसटों को देखा है - श्री वी.पी. सिंह की बैठकों में शिवरासन और उनके दल की उपस्थिति का भी खुलासा किया है। किंतु ऐसा लगता है कि उनकी वहां उपस्थिति की जानकारी नहीं थी।"

यह उनकी दूर्भावना को स्पष्ट करता है। क्या वह उस समय कार्यवाही नहीं कर सकते थे? क्या वह उस समय सावधान नहीं रह सकते थे? क्या वह उन सब घटनाओं के बारे में नहीं जानते थे जो कि हाल ही में घटित हुई थी? महोदय, अंतरिम रिपोर्ट में इस मामले का भी उल्लेख किया गया है।

महोदय, विभिन्न आयोगों के बारे में संक्षेप में सभा को बताने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कि मेरे दल का संबंध है हमने रिपोर्ट पर अपनी सहमति दे दी है। रिपोर्ट के संबंध में हमारी कोई शंकाएं नहीं है। लेकिन की गई कार्यवाही रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करना हमारे लिए किसी भी तरह संभव नहीं था। मैंने यह देखा है कि अधिकारी वर्ग ने एक अच्छा काम किया है और मैं बाद में आपको यह भी बताऊँगा कि किस तरह से अधिकारी-तंत्र ने एक दूसरे विंग को, किसी न किसी प्रकार से बचाने की कोशिश की है। लेकिन राजनीतिक प्राधिकारियों ने क्या किया? राजनीतिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था। मैं यह समझाऊँगा। मुझे इस बात का दुख है।

इसके साथ ही, जो कुछ भी यहां माननीय गृह मंत्री ने कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे जिस बात का दुख है, वह यह है कि सरकार का पूर्णतः राजनीतिकरण हो गया था। यह और कुछ नहीं, बल्कि एक राजीनतिक निर्णय लिया गया है। आपने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की और आपने विपक्ष में विभाजन करवाने की कोशिश की है। जो कुछ भी मैं कहने की कोशिश का रहा हूं, मैं उसे प्रमाणित करके दिखाऊँगा। हमें इस बात का दुख है। हम चाहते थे कि आप इससे ऊपर उठते और आप केवल सत्य को जानने की कोशिश करते। की गई कार्यवाही रिपोर्ट में यह दृष्टिकोण अपनाया गया हैं जहां तहां की गई कार्यवाही रिपोर्ट बिना किसी कारण के आयोग को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। मैं इस बात को प्रमाणित करने जा रहा हूं। आप केवल नामजद न्यायालय पर ही पूर्ण विश्वास करते हैं। मै इस बात को स्वीकार करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी जब आप यह

कहते है कि जो कुछ भी कार्यवाही आप करते हैं अथवा जो टिप्पणी हम यहां करते हैं, उससे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके इस कथन में मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं यह टिप्पणी देने के लिए आपका आभारी हूं क्योंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया हैं लेकिन इसके बावजूद भी की गई कार्यवाही रिपोर्ट में दिए कुछ पहलुओं का हवाला देना पड़ेगा। चूंकि हमने आयोग की पूरी रिपोर्ट स्वीकार कर ली है इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए आयोग के निष्कर्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना बेकार हैं मेरे लिए इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना निरर्थक होगा। चूंकि मैं एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में कुछ गलतियां देख रहा हूं और मेरे विचार में यह हमें कोई दिशा नहीं दिखा रही है मेरा इशारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तथा उसके विभिन्न पहलुओं की तरफ है। इसमें आयोग द्वारा विभिन्न पहलुओं पर निकाले गए विभिन्न निष्कर्षों को भी शामिल किया जाएगा।

यदि आप की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में प्रथम पहलू को देखें तो सामान्य टिप्पणी की गई हैं और सामान्य टिप्पणियों में एक पहलु आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए संबद्ध दस्तावेजों के बारे में है। की गई कार्यवाही की रिपार्ट पढने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से लिए गए निर्णय के अनुसार ही चल रही है। आयोग की लगातार मांग करने पर विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। यह कुछ इस तरह से किया गया है कि प्रतीत हो कि सरकार सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहती है। यदि आप खंड-VI देखें तो आप पायेगें कि यह दायर किए गए दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट करता है।

श्री जफर सैफुल्लाह केबिनेट सचिव थे। मैं पृष्ठ 42 से पढ़ रहा हूं। मैं थोड़ी देर बाद अन्य पृष्ठों पर आऊँगा। पृष्ठ 42 पर श्री जफर सैफुल्लाह ने आगे एक बैठक में बयान दिया था जो कि इसलिए हुई थी कि प्रधानमंत्री के समक्ष विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था और विभिन्न मंत्रियों तथा एजेंसियों ने कहा था कि आयोग के पास ऐसे अनेक मामले थे जो कि ऐसी संवेदनशील प्रकृति के थे कि विशेषाधिकार का दावा किया जाना चाहिए। चर्चा के बाद, प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि समन्वय की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इस तरह के प्रश्नों को तीन श्रेणियों में रखना चाहिए।

पहली श्रेणी में विशेषाधिकार का दावा किया जाएगा लेकिन दस्तावेजों का अध्ययन करने और पार्टी को यह निर्देश देने में आयोग को कोई आपत्ति नहीं होगी कि आयोग के समक्ष पार्टी गोपनीयता बनाए रखेगी।

दूसरी श्रेणी में वह मामले होंगे जिनमें यहां तक कि आयोग द्वारा भी पूर्ण विशेषाधिकार का दावा किया जाएगा। यह नोट किया गया था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा जिसमें यह कहा गया था कि इसमें आयोग द्वारा दस्तावेजों का अध्ययन शामिल नहीं किया जाएगा।

तीसरी श्रेणी में वह मामले होंगे जो कि बहुत संवेदनशील थे, जिनमें दस्तावेजों की विद्यमानता से ही कड़ाई से इंकार कर दिया जाएगा। उनके अस्तित्व से ही इंकार कर दिया जाएगा। मैं इसी बात की गवाही देना चाहूंगा कि दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है। मैं हर बात के बारे में नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इससे अनेक बातों का खुलासा होता है। यह मेरे लिए कष्टदायी है। मुझे इस बात का दुख है और मैं बहुत दुखी होकर बोल रहा हूं।

क्या हम सच जानने की कोशिश कर रहे है? ऐसी अनेक बातें हैं जिनको मैंने जानबूझ कर छोड़ने की कोशिश की है आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला :

> "कोई फाइल थी जो कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से नदारद पाई गई। मैंने वह फाइल नहीं देखी।"

मैं उनका बयान पढ़ रहा हूं न कि आयोग का निष्कर्ष पढ़ रहा हूं।

> "एक फाइल थी जो कि प्रधान मंत्री के कार्यालय से नदारद पाई गई। मैंने वह फाइल नहीं देखी। उसकी पूरी तरह से खोज की गई लेकिन फाइल नहीं मिली। वह फाइल अब तक नहीं मिली है।"

तत्पश्चात्, मैं अनेक बातें छोड़ दूंगा। अनेक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है और अन्ततः इसके साथ साथ श्री सैफुल्लाह के विभिन्न वक्तव्यों के आधार पर आयोग पृष्ठ 53 पर कहता है कि –

> "यह कहना गलत है कि आयोग के विचारार्थ विषयों से संबद्ध सभी फाइलें और दस्तावेज आयोग को दिए गए थे। यह निष्कर्ष है। इस इस दिनांक के मेरे पत्र के तहत माननीय मंत्री जी से मांगी गई सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई थी। यह सूचना 24.5.91 को प्रधानमंत्री तथा अराफात की बैठक में दिनांक 29.5.91 के नोट के आधार पर मांगी गई थी जिस नोट में यह कहा गया था कि श्री यासर अराफात ने कहा था कि पी.एल.ओ. के पास कुछ सूचना है,...आदि आदि।"

अतः आयोग ने यह देखा कि जो सभी दस्तावेज मांगे गए थे, वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

श्री मोहन सिंह : उस समय गृह मंत्री कौन था?

श्री पी. शिव शंकर : मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं है कि गृहमंत्री कौन था। मेरा संबंध केवल दस्तावेजों से है। इसलिए मैंने कहा था कि वहां कोई भी था सच्चाई का पता चलना चाहिए। गृहमंत्री चाहे कोई भी था, अधिकारी चाहे कोई भी था, मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं है।

इसके बाद पृष्ठ 58 पर रिपोर्ट में कहा गया है:

> "जनता पर यह छाप डाली गयी है कि अनेक बार इससे पहले समय बढ़ाने के बावजूद आयोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने को कोशिश कर रहा है।"

अंतरिम रिपोर्ट में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है कि जांच कैसे की गई है, जांच के कार्य में किस तरह से रूकावटें

[श्री पी॰ शिव शंकर]

डाली गई थी, दस्तावेजों, सूचना, फाइलों और रिकार्डों को प्रस्तुत करने में कैसे गैर सहयोगी रवैया अपनाया गया था। यह सब पढ़कर बहुत घृणा होती है।

अतः दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में यह प्रथम टिप्पणी है हालांकि, निश्चय ही की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह पिछली सरकार के निर्णय को ही मानेगें जो कि दुर्भाग्यवश गलत है।

मध्याह्न 12.00 बजे

तत्पश्चात् इसे अंतिम रूप देने के संबंध में मैं, बिना विस्तार में जाए खंड 6, पृष्ठ 21 से 37 में आयोग के निष्कर्ष को प्रस्तुत करूंगा। अंत में, निष्कर्ष यह है कि अधिकारी तंत्र अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोग की नियुक्ति के साथ ही निरंतर कोशिशें की गई कि आयोग के कार्यों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसे बंद करना चाहिए। मैं जानबूझकर पूरी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां तक कि राजनीतिक प्राधिकरी भी इसमें शामिल हैं। हम क्या कर रहे है? ऐसे में आयोग क्यों नियुक्त किया गया था? इसे बंद करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। क्या हुआ है? मैं केवल एक निवेदन करना चाहूंगा जो कि मुझे पूर्णतः विचलित कर देता है।

श्री मुस्ताक अहमद नाम के एक वकील द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित का एक मुकदमा दायर किया गया था – श्री सोमनाथ चटर्जी इस बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। उच्च न्यायालय में आयोग को समाप्त करने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई थी और केन्द्र सरकार अभ्यर्थी थी। केन्द्र सरकार इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहती है। उच्च न्यायालय ने जनहित का यह मुकदमा खारिज कर दिया और केन्द्र सरकार ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की कि उच्च न्यायालय को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अनेक बातें है।...*(व्यवधान)* यह सब घटनाएं इस तरह से घटी। यही बात दो अन्य सरकारों के साथ भी हुई जो कि अब सत्ता में नहीं है। यदि मैं पढ़ना आरंभ करूं—किसी के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है—इससे चौका देने वाले रहस्योद्घाटन होते हैं। क्या हम सच की खोज कर रहे हैं? हम किस तरह का लोकतंत्र चला रहे हैं? यह झूठा लोकतंत्र क्यो हैं? यह आडंबर किसलिए है? सबसे अच्छी बात यह होगी इसे बंद कर दिया जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कुछ वक्तव्य पढ़े तो आप मानेंगे कि यह मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। यह हमारा रवैया रहा है। राष्ट्रपति अराफात से प्राप्त सूचना के प्रश्न पर यह तीन टिप्पणियां हैं जो कि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में आरंभ में दी गई हैं जिन्हें हम सामान्य टिप्पणियां कहते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सत्य के बावजूद कि 24 मई, 1991 को श्री अराफात ने प्रधानमंत्री को सूचना दी थी जिसको संबंधित मंत्रालयों द्वारा भी नोट कर लिया गया था, उस पर किसी ने विचार नहीं किया है। जहां तक कि श्री चन्द्र शेखर की सरकार का संबंध है मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूं क्योंकि उस समय वही काम चलाऊ सरकार थी। उसके बाद, किसी ने उस पर विचार नहीं किया। किसी ने उसकी जांच नहीं की। यदि आप देखना चाहें, मैं आपको खंड-III देने के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं श्री शिव शंकर से जानना चाहता हूं कि वह किसको सुना रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं सच की खोज में हूं। इसलिए, जो भी मेरे रास्ते में आएगा, यदि आप मेरे रास्ते में आते हैं तो आप को भी सुनना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : सरकार में कौन लोग थे? प्रधानमंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था? रिकार्ड क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए थे? हम यह जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे.कुरियन (मवेलीकारा) : हम केवल सच्चाई जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)* कौन उत्तरदायी है...*(व्यवधान)* सच्चाई सामने आनी चाहिए। बस यही हम चाहते है...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : यदि श्री येरननायडू मेरे रास्ते में आते हैं तो मैं भी उनके साथ वही व्यवहार करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री पी. शिव शंकर : इस मामले में मैं केवल् एक हवाला दूंगा क्योंकि जहां तक अराफात द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का संबंध है इसमें एक तरफ तो लब्ध प्रतिष्ठित वकील टिप्पणी नोट कर रहे हैं और दूसरी और गृह मंत्री से जुड़ा हुआ पहलू है यदि आप खण्ड III पृष्ठ 170 पर दृष्टि डालें तो वहां यह लिखा है "अतः मैं समझता हूं कि श्री अराफात द्वारा दी गई सूचना सही है और उसके आधार पर उपरोक्त दिये तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई कारण दिखाई देता है जिससे माना जाएं कि श्री यासर अराफात द्वारा दी गई सूचना अविश्वसनीय है। तथापि दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए यह सरकार पर निर्भर करता है कि यदि वह इस पर आगे कार्यवाही करती है वो एक उपाय करे अथवा ऐसी कार्यवाही करे जैसा वह उचित समझे।" यह अंतिम निष्कर्ष है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि किसी ने भी इस तथ्य की गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैंने इस निष्कर्ष पर थोड़ी चर्चा की है। पुनः पृष्ठ 91 से 93 में श्री यासर अराफात के मामले का हवाला दिया गया है और विस्तार से चर्चा की गई है।

तत्पश्चात् की गई कार्यवाही रिपोर्ट का दूसरा पहलू अंतिम रिपोर्ट के कार्य क्षेत्र पर आयोग की टिप्पणियां और इसके अंतरिम रिपोर्ट पर

इसका अपना स्पष्टीकरण है यहां एक समय अंतरिम रिपोर्ट में जिस पर सार्वजनिक टीका टिप्पणी हो रही है आयोग ने कहा है श्री राजीव गांधी की जिस ढंग से हत्या की गई थी वह लिट्टे के कार्य कर्ताओं तथा तमिलनाडु के तमिल के बीच गहरी सांठ गांठ के बिना संभव नहीं थी। यह बात आयोग ने कही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इसकी प्रशंसा करता और हर आम आदमी ने इसकी प्रशंसा की है। यदि आयोग ने सीधे स्पष्ट रूप से कहा होता क्षमा करना मुझे इसके लिए खेद है। यह मसौदा तैयार करने वाले की गलती हो सकती थी यह मुद्रण आदि की गलती हो सकती थी। आयोग ने स्पष्ट किया है और अब आयोग अपने आपको यह कहकर स्पष्ट कर रहा है कि इस अभिव्यक्ति को ऐसी किसी कल्पना अर्थ अथवा संवेदना का रूप नहीं दिया जा सकता जैसा कि इसे दिया गया है सभ्य व्यक्ति के रूप में हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए उन्होंने ठीक स्पष्टीकरण दिया हैं। मैं तो इससे और आगे जाकर बजाय इसके यह कहता हूं कि यदि वे यहां खेद व्यक्त करते तो हमारी नजरों में और राष्ट्र की नजरों में उनका और सम्मान बढ़ जाता।

इसके पश्चात् अन्य पहलू जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं वह आयोग की अंतिम रिपोर्ट की जांच के संबंध में इसकी अंतरिम रिपोर्ट हैं। यहां मैं सोचता हूं कि मुझे कहना चाहिए कि यह सरकार यही करना चाहती थी। उन्होंने दोनों रिपोर्टों की उन कुछ विशेष अंशों को लाने का प्रयास किया जहां विरोधाभास हैं। मैंने देखा था और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें केवल एक जगह, जहां निर्णायक साक्ष्य का हवाला दिया गया है उसके सिवाय इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जहां यह अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट में यह पहलू सामने आया है इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए तैयार हूं लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि वे आयोग को बुरे रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए अंतरिम रिपोर्ट में यह कहा गया है और अंतिम रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। जैसाकि मैंने कहा था कि पहले मामले में उन्होंने केवल यह कहा था कि यह एक षडयंत्र था जिसकी परिमित राजीव गांधी की हत्या के रूप में हुई और जिसके सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। अंतरिम रिपोर्ट में यही कहा गया है। और अंतिम रिपोर्ट में इस प्रकार कहा गया है "कि आयोग के समक्ष इस संबंध में कोई निश्चित अकाट्य साक्ष्य नहीं आया है जिसमें खालिस्तान के उग्रवादियों और लिट्टे में परस्पर सम्पर्क स्थापित हो सके। यहां वे थोड़ा सा भटक गए है जहां उन्होंने इसे निर्णायक तर्क माना है लेकिन उसे यह कह कर स्पष्ट किया जा सकता है कि वहां कोई निश्चित निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्हें कुछ प्रमाण मिले है इसे भी स्पष्ट किया जा सकता था। लेकिन इसके अलावा यदि बाह्य ताकतों के संबंध में आप प्रत्येक दूसरे पहलू को पढ़ें तो अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। अंतरिम रिपोर्ट में या अंतिम रिपोर्ट में तमिलनाडु में लिट्टे की साठगांठ और कोई और साथ ही अन्य बातों में भी कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बिना कारण 4-5 पृष्ठों में इसकी चर्चा क्यों की गई है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कार्यवाही के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है और वह है आयोग की छवि धूमिल करना।

जहां तक विशेष जांच दल पर टिप्पणियों का संबंध है वे विशेष जांचदल से भिन्न मत नहीं रखते हैं। सरकार ने अभिहित न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और अंत में उन्होंने कहा"

> "सरकार राजीव गांधी हत्याकाण्ड में दोषी पाए गए व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में सी.बी.आई. द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करती है जैसा कि अभिहित न्यायालय के निर्णय से पहले ही साबित किया जा चुका था"

लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ जिम्मेवार लोगों की पूरी छानबीन की। कई लोगों के नामों पर चर्चा की गई। जिन नामों पर चर्चा की गई उनमें महन्त सेवादास, चन्द्रास्वामी और अन्यों के नाम शामिल हैं। मैं उस पहलू पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं राजीव गांधी हत्याकाण्ड में संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा।

विशेष जांच दल द्वारा 41 व्यक्तियों के विरुद्ध मुदकमा चलाया गया और आयोग ने और 21 व्यक्तियों की पहचान की जिनके विरुद्ध जांच की जानी चाहिए थी। इन व्यक्तियों के संबंध में आयोग कहता है कि सरकार कहती है कि वे 19 व्यक्तियों को छोड़कर केवल दो व्यक्तियों की जांच करवाना चाहती है जिनके नाम श्रीमती जगदीशन और दूसरा श्री पदमनाभन है। इन दो को छोड़कर बाकी 19 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया है।

अंत में मैं एम डी एम ए पर आता हूं लेकिन इस पहलू के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप रिपोर्ट देखें तो आप पाएंगे कि विशेष जांच की गई थी। यह गलत है मेरे अलावा दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र दण्ड विधि के विशेषज्ञ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) के कालम में किसी को संदिग्ध व्यक्ति नहीं बताया गया है तो उनके विरुद्ध जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी जांच नहीं की गई थी। अतः उनके बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ये लोग कहां से आए? इसलिए मैंने कहा है कि यह की गई कार्यवाही रिपोर्ट नौकरशाहों द्वारा तैयार की गई है। विशेष जांच दल द्वारा इन 21 व्यक्तियों की भूमिका की जांच की गई गलत है। उनकी जांच नहीं की गई थी। प्रमाणों के अभाव के कारण इनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया था। यह भी गलत है उनका रिकार्ड अभिहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय ने विशेष जांच दल के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने धारा 319(1) के प्रावधानों को लागू भी किया था। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि इस प्रकार की कोई बात है जैसाकि जांच दल द्वारा टिप्पणी की गयी है तो वे इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। यह बिल्कुल गलत है। इसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और धारा 319 पर विचार करने का प्रश्न नही कहां उठता है? न्यायालय 319 पर तभी विचार करता यदि यह उनके ध्यान में लाया गया होता। किसी ने भी न्यायालय का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया। तो धारा 319 का प्रश्न ही कहा उठता है और उसके आधार पर आप आयोग के निष्कर्षों को

[श्री पी॰ शिव शंकर]

ठुकराना चाहते हैं। आज जांच नहीं हो रही है। धारा 319 के अंतर्गत यह जांच होनी चाहिए और यदि जांच के दौरान यह न्यायाधीश के ध्यान में लाई जाती तो तभी धारा 319 को लागू किया जा सकता था। अब जांच कहां हो रही है। आयोग के ध्यान में यह बात अभी आई है।

आप किस प्रकार इसे लागू करते हैं? यदि यह कहा गया है कि विशेष जांच दल ने इस पर विचार किया है, उसने न्यायालय के समक्ष सब कुछ प्रस्तुत कर दिया है और न्यायालय ने विचार करने के पश्चात् इसे अस्वीकार कर दिया है तो दलील यह है कि आप किस प्रकार श्रीमती जगदीशन और पदमानाभन को इसके अंतर्गत ला रहे हैं? सरकार कह रही है कि वह इनके विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहते है। महोदय, मैं आपका ध्यान खण्ड जांच की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरा खण्ड इन 21 व्यक्तियों के साक्ष्य के बारे में है। यदि आप कुछ लोगों की जांच करते हैं तो आपको पूरे तथ्यों का पता नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि हर एक व्यक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है यदि उदाहरण के लिए आप कथन के बारे में पढ़ते है, इस संबंध में आयोग का निष्कर्ष न केवल खण्ड 5 में विस्तार में दिया है बल्कि खण्ड चार में पृष्ठ 14 से 17 में भी कानधन के बारे में पूरी चर्चा है। खण्ड 6 में पृष्ठ 264 में भी कामधन का वर्णन हैं मैं केवल उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इतने कम समय में इस सब के बारे में पढ़ना मेरे लिए असंभव है मैंने पहले ही सदन का काफी समय ले लिया है और अभी मैं थोड़ा समय और लूंगा।

निक्सन के संबंध में पूरी पुस्तक के अलावा खण्ड 4 पृष्ठ 17 में बताया गया है। खण्ड 5 में केवल इन 21 व्यक्तियों के साक्ष्य दिये गए हैं यह पूरी पुस्तक संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका के बारे में हैं। मैं खण्ड 5 का पृष्ठ 119 पढ़ रहा हूं यह कहा गया है "आयोग के समक्ष जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उससे पता चलता है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो प्रथम दृष्टया किसी न किसी रूप में राजीव गांधी हत्याकाण्ड में शामिल थे परन्तु उनके नाम विशेष जांच दल सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में नहीं हैं। इनमें से अधिकांश संदिग्ध व्यक्ति महत्वपूर्ण है और लिट्टे पदानुक्रम में वरिष्ठ संवर्ग में आते हैं तथा ये व्यक्ति अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध साक्ष्य उन लोगों से किसी हद तक मिलते जुलते हैं जिनके विरुद्ध विशेष जांच दल सी.बी.आई. द्वारा मुकदमे चलाए गए हैं और जिन्हें अभिहित न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है। अन्य के मामले में जब उपलब्ध साक्ष्य से हत्याकाण्ड में उनकी संलिप्तता स्पष्ट उभरकर सामने होती है विशेष जांच दल/सी.बी.आई. द्वारा आगे जांच कराई जानी अपेक्षित थी और जहां भी आवश्यक हो अनुपूरक आरोप पत्र रखे जाने अपेक्षित थे। आयोग ने बड़ी सतर्कता से उन 41 दोषी व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने से स्वयं को अलग रखा जिनके सिद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गए थे। तथापि लिट्टे के उन महत्वपूर्ण कर्ताधर्ताओं और उनके सहयोगियों की भूमिका जांच करना आवश्यक है जिस पर मुकदमा नहीं चलाया गया था तथा जिनका हत्या में शामिल होने के प्रमाण विशेष जांच दल के ही रिकार्ड में मौजूद है।" आगे वह यह भी कहते है :

> "महत्वपूर्ण संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका को नीचे उजागर किया गया है। पूरी पुस्तक है और वे देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है।"

इसके बाद महोदय आप कृपया सिद्धांतों पर ध्यान दें। आयोग ने उनका उल्लेख इसी खण्ड में पृष्ठ 359 पर किया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं।

> "मैं भविष्यवाणी और गंभीर चिंतन के आधार पर जांच नहीं कर सकता था परन्तु उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले की जांच की थी और कतिपय गवाहों के बयानों को रिकार्ड किया था।"

इसके बाद उन्होंने कहा :

> "परन्तु उनकी जांच के दौरान, किसी भी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी थी क्योंकि वह किसी श्री थामस के इस संबंध में साक्ष्य को अस्वीकार कर रहे थे। इन पहलुओं पर आयोग के समक्ष जो कुछ भी सामग्री लायी गई उस पर आयोग ने विचार किया और कतिपय पहलुओं के संबंध में आयोग ने स्वयं की विशेष जांच दल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विशेष जांच दल ने गहन और व्यापक जांच की है और कुछ सरकारी अभिकरणों जैसे तट रक्षक, आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध, तमिलनाडु पुलिस और अन्य मंत्रालयों और विभागों की सहायता से दी गई समय सीमा के भीतर प्रशंसनीय कार्य किया है। फिर भी इसने स्वयं एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने मामले को लिट्टे तक ही सीमित रखा। इसके अनुसार एकत्रित किए साक्ष्य अपने आप में सही और पूरे हैं। किसी भी पार्टी द्वारा किन्हीं भी कारणों से फैलायी गई परिकल्पनाएं और अनिष्टकारी अटकलें, चाहे किसी भी हितों को साधने के लिए फैलायी गई हो, विशेष जांच दल की सत्यनिष्ठा को प्रभावित नहीं करते हैं और अपने अन्तर्विरोधी और विसंगतियों और तकहीनता के कारण रद्द हो जाते है।"

उन्होंने, मैं कहूंगा कि कुछ हद तक, विशेष जांच दल को बधाई देने का प्रयास किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मिथ्या आधार पर टिकी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मिथ्या आधार क्या है। सरकार कहती है "आयोग कोई अतिरिक्त साक्ष्य सामने नहीं लाया है।" मैं उनके सामने पूरी किताब, पूरा खण्ड V रखता हूं। वे इसे कृपया पढ़ें। उन्होंने बहुत सी सूचनाएं और साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसमें आगे लिखा है।

"इसीलिए के.पी. उर्फ कुमारन पद्मानाथन और श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन के मामले को छोड़कर अन्य किसी मामले में आगे कोई

कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इन दो मामलों में आयोग की बलपूर्वक की गई टिप्पणियों को देखते हुए सरकार ने इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की जानी है इसका निर्णय लेने का दायित्व बहु-अनुशासनिक निगरानी एजेंसी पर सौंपने का निर्णय किया है।"

इस प्रकार, इन दो व्यक्तियों के संबंध में, इस एजेंसी को निर्णय करना है आगे किस प्रकार कार्यवाही की जाए और इसमें यह बात नहीं है कि उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। यह किस प्रकार की की गई कार्रवाई रिपोर्ट है?

इसके बाद महोदय मैं नौसेना द्वारा बीच में प्राप्त किए गए संदेशों के अन्य पहलुओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय आपको इस मामले में जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें लिखा है :

> "नौसेना ने ऐसे कई संदेशों के बीच में पकड़ा उन गूढ़ संदेशों के सांकेतिक अर्थ को पढ़ने की कोशिश नहीं की गई और उनमें से कुछ संदेशों का सांकेतिक अर्थ तो आयोग के समक्ष ही पढ़ा गया। यदि इन संदेशों का सांकेतिक अर्थ समय पर पढ़ लिया होता तो यह बात स्पष्ट हो जाती कि इस युवा नेता को किस प्रकार का खतरा है।"

महोदय, यदि मैं आपके ध्यान में खण्ड IV पृष्ठ 34 की विषय वस्तु लाऊं तो आपको आश्चर्य होगा। हत्या के मात्र दो महीने पहले अर्थात् 1991 से बेतार संदेश प्राप्त होने शुरू हुए थे। इसमें आगे लिखा है :

> "आयोग के समक्ष रखे गए साक्ष्य यह दर्शाते है कि मार्च, 1991 से मद्रास और श्रीलंका स्थित लिट्टे के आसूचना स्कंध आपरेशनों के बीच बेतार संदेश का आदान-प्रदान हो रहा था। इन संदेशों को आसूचना ब्यूरों अनुषंगी, मद्रास द्वारा बीच में पकड़ा जा रहा था। फिर भी समय रहते इनके सांकेतिक अर्थ को पढ़ा नहीं गया था। उनका समय पर गूढ़ अर्थ नहीं निकाला गया था। उनके सांकेतिक अर्थ को, जिसे हत्या के बाद ही पढ़ा गया, पढ़ने पर पता चला कि इन संदेशों का श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए बनाए जा रही योजनाओं और तैयारियों से सीधा संबंध था। अन्तरोधित किए गए संदेशों का गूढ़ अर्थ, जैसाकि जांच ब्यूरो द्वारा दिया गया, इस प्रकार से है।"

उन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं उन पूरी बातों को पढ़ सकता हूं परन्तु समय की कमी के कारण मैं उनको पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा। इन संदेशों की कभी भी सांकेतिक भाषा को पढ़ा नहीं गया। वे मार्च, 1991 से आने शुरू हो गए थे और ये संदेश एकदम स्पष्ट थे। इनमें लिखा है :

> "क्या मद्रास में कोशिश करें या राजधानी में? यदि राजधानी में हो तो इसमें अत्याधिक प्रयास करने पड़ेगे और पर्याप्त समय की आवश्यकता पड़ेगी। यदि उसी तारीख पर कोशिश करनी है तो उत्तर दें।"

इस प्रकार के संदेश आते रहे थे और एक में गोलियों के हार की बात कही गई थी। खण्ड VI में गोलियों के हार का जिक्र किया गया है। यह वो संदेश है जो प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया है :

> "हम 18 जून, 1988 को आर. गांधी के स्वागत के लिए गोलियों को हार तैयार कर रहे हैं।"

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 1988 से लगातार संदेश प्राप्त हो रहे थे और दुर्भाग्यवश कोई भी उनका सांकेतिक अर्थ निकालने का प्रयास नहीं किया था। आयोग के समक्ष ही इनके सांकेतिक अर्थ का पता लगाया गया।

महोदय दूसरा पहलू विलम्ब और मामलों को रफा दफा करने से संबंधित है। मैं केवल एक संदर्भ दूंगा और इस मामले को यही छोड़ दूंगा। मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। खण्ड VI के पृष्ठ 21 से 37 पर मामलों को रफा दफा करने और पृष्ट 37 से 45 पर विलम्बों का वर्णन किया गया है।

इसके बाद एक अन्य पहलू और है जिसे, मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह टी. एन.आर.टी. के गठन से संबंधित है। यह एक ऐसा संगठन है जोकि कतिपय आतंकवादी तत्वों से बना था जो तमिलनाडु में उत्पन्न हुए थे जिन्हें प्रशिक्षण के लिए श्रीलंका भेजा गया था और वे वापस आए थे ताकि वे श्री राजीव गांधी की हत्या के कार्यों में सहायता प्रदान कर सके।

महोदय, यदि आप खण्ड IV को देखें तो पृष्ठ 7 से 11 तक टी.एन.आर.टी का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है और आयोग ने पाया कि "इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग संलिप्त है।"

जब इस मुद्दे को आयोग द्वारा उठाया गया तो यह की गई कार्यवाही रिपोर्ट क्या कहती है देखिए? इसमें लिखा है :

> "रविचन्द्रन उर्फ रवि और एम. सुसीन्द्रन उर्फ महेश ये टी.एन.आर.टी के सदस्य है और राजीव गांधी हत्याकांड के अभियुक्त हैं। उन्हें अभिहित न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया था"

सब कुछ यही है। आप अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ भी नहीं करना चाहते है। खण्ड IV के पृष्ठ 7 से 11 में कई लोगों का नाम उल्लेखित किया गया है। आप कुछ भी नहीं करना चाहते है, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। दो को दोषी पाया गया। इसीलिए आपने पल्ला झाड़ लिया।

यह आपकी की गई कार्रवाई रिपोर्ट है। महोदय, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं केवल एक पहलू को बताना चाहता हूं जिसमें आपने महन्त सेवादास और सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई व्यक्तियों के मित्र स्वामी, चन्द्रास्वामी के संबंध में उल्लेख किया है

[श्री पी॰ शिव शंकर]

...*(व्यवधान)* महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी स्वामी चन्द्रास्वामी नहीं होते है। इस बात से मुझे तकलीफ होती है इसीलिए मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। महन्त सेवादास के मामले में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है:

> "इस ज्ञापन में पहले जिस बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी मल्टी डिस्पिलनरी मोनिटरिंग एजेंसी का उल्लेख किया गया है वह इस मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए महन्त सेवादास प्रकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी।"

उसका तात्पर्य है कि आप आयोग और जो कुछ किया गया है उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। आप स्पष्ट क्यों नहीं हैं? आप स्वतंत्र मूल्यांकन क्यों करते हैं? आप उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते जो आयोग ने कहा है?

महोदय, जब चन्द्रास्वामी का प्रश्न आता है तो की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में कहा गया है :

> "सरकार आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करती है चन्द्रास्वामी की कथित अर्न्तग्रस्तता और सह-अपराधिता की आगे जांच की जानी चाहिए।"

मैं उससे सहमत हूं और उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। किंतु अनेक पहलुओं के बारे में यहां तक कि चन्द्रास्वामी के बारे में भी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में जांच करना नहीं चाहते हैं। यहां पर मैं की गई कार्यवाही में दोष पाता हूं। इसी तरह यदि आप इस प्रतिवेदन का पैरावार अध्ययन करते हैं - मुझे उन पैराओं का अध्ययन करने का समय नहीं मिला - तो आप पाएंगे कि कुछ पैरा छोड़ दिए गए हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैंने जाना कि उस पक्ष में बैठे कई मित्रों के भी चन्द्रास्वामी से घनिष्ठ संबंध हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : आपके पक्ष के लोगों उससे संबंध हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैंने पहले ही कह दिया है कि दोनों पक्षों के लोगों के उससे संबंध हैं। किंतु मूलतः वे आपके पक्ष से हैं ...*(व्यवधान)* क्या आप चाहते हैं कि मैं उनका नाम पढ़ूं? मेरे पास इस आयोग की रिपोर्ट है और मैं उन लोगों के नाम बता सकता हूं जो कि आपके पक्ष के हैं...*(व्यवधान)* मैं इसे आपको दूंगा।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : आपको वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें चन्द्रास्वामी के सहयोगियों के बारे में जानने का अधिकार मिले हम नहीं जानते कि उनके पास कौन जा रहा था और क्या हो रहा था? हम यहां केवल कुछ साधुओं को देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस सभा में कितने साधु और अर्द्ध साधु हैं।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, मुझे दुख इस बात का होता है कि आयोग के कुछ पहलुओं को की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में चर्चा करने से छोड़ दिया गया हैं। मैं गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने कहा है कि सत्य की खोज में वे कोई कसर नहीं छोड़ेगें। हम उसमें सहायता करेंगे। मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं। मेरे मित्र सहायता करने के लिए तैयार होंगे। वह पैरा कौन से हैं जिन्हें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में उन व्यक्तियों के बारे में, जो बहुत ही संदिग्ध तरीके से समाज में छाए हुए है, उल्लेख करने से छोड़ दिया गया है? अब इस संबंध में भी कुछ पैराओं में इन व्यक्तियों के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है किंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।

आप यह कहना क्यों नहीं चाहते कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं? आपने न तो यह कहा कि इस प्रतिवेदन को स्वीकार करते है और न यह कहा कि आप इस प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसे आधिकारिक रूप से अच्छी तरह तैयार किया गया है।

श्री पी. शिव शंकर : इसे अंतिम रूप दिया गया है, उन्होंने इसे अंतिम रूप दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

श्री पी. शिव शंकर : मैंने वह पहले ही कह दिया है, इस पहलू पर गौर किया जाना है और विचार किया जाना है ताकि सभी बातों का पता चले।

अंत में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं और जिसके बारे में मेरा विचार है कि मुझे यहां उपस्थित अपने मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए क्योंकि मुझे हर पहलू पर गौर करने का समय नहीं मिला। किंतु मैंने कुछ पहलुओं का अध्ययन किया हैं मैंने पाया कि इस पर सरकार को गौर करना आवश्यक है। यह बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी के बारे में है। की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 19 पर कहा गया है कि "केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी की स्थापना की गई है।" एक बात स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक भी नौकरशाह को लेकर जांच करने का प्रयास नहीं किया है। मैंने संपूर्ण की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को पढ़ने का प्रयास किया है। प्रयास यह रहा है कि किसी भी नौकरशाह या नौकरशाही संस्था को कभी भी दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया गया। इसके विपरीत इन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया गया, यदि ऐसा है तो बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन है। यह कहा गया कि इस एजेंसी में फेरा प्राधिकारी, सीमा शुल्क प्राधिकारी और अन्य लोग होंगे। दूसरे पक्ष के मेरे एक मित्र आपराधिक कानून के विशेषज्ञ हैं। वे इस बात से भली भांति परिचित है कि यदि सीमा शुल्क के किसी मामले की जांच की जानी है और यदि इसकी निगरानी केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है तो क्या यह न्यायालय में बाह्य होगा? यह एक ऐसा मामला है जिस पर मेरे मित्र को गौर करना होगा। यह ग्राहय नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन इस प्रकार की बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी

एजेंसी का क्या प्रयोजन है जबकि इस एजेंसी पर केन्द्रीय जांच की निगरानी हो? इसीलिए हम स्वतंत्र प्राधिकारी की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा प्राधिकारी हो जो लोगों में विश्वास जगाए। यह एक पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसमें कोई पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। जो भी प्राधिकारी हो किंतु वह व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राधिकारी होना चाहिए। यदि ठीक से याद किया जाए तो उच्चतम न्यायालय ने भी इसमें दोष पाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सतर्कता और कुछ अन्य प्राधिकारी को बैठक करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक कौन हो। इसीलिए हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी में एक स्वतंत्र प्राधिकारी अवश्य हो। यह बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी क्या करने जा रही है? यह श्री राजीव गांधी के हत्या के मामले में अभियुक्तों की सभी गतिविधियं। पर नजर रख रही है जो अभी फरार है 41 व्यक्तियों में से 26 के विरुद्ध दोष सिद्ध हो चुका है उनमें से कुछ फरार हैं। इसलिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। वे कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं और उनकी क्या गतिविधियां हैं? वे लोग फरार है। यह बात (क) में बताई गई है।

(ख) में बताया गया है, "उन व्यक्तियों की भूमिका और कार्यकलापों के विरुद्ध आगे जांच करना जिनके विरुद्ध यह निर्णय किया गया है।" इसका तात्पर्य क्या है? क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों के भावी कार्यकलापों की जांच करना है उनके पिछले कार्यकलापों की जांच करना है। इस बारे में अस्पष्टता व्याप्त है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अन्ततः केवल ये दो ही पहलू हैं जिन पर बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी को विचार करना है। यदि ऐसा है तो इन फरार व्यक्तियों में से जिन लोगों की गतिविधियों के बारे में जांच का निर्णय लिया गया है वे छह या सात या आठ व्यक्ति हैं।

शेष लोगों के बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी। तब विदेशी हाथ के संपूर्ण सिद्धांत या षडयंत्र के संपूर्ण सिद्धांत का क्या होगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक लीपापोती है, इसमें कुछ भी नहीं है। बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी मात्र एक कागज का बेकार टुकड़ा है। माननीय मंत्री जी आप स्वयं को केवल उन सात-आठ व्यक्तियों तक सीमित रखना चाहते हैं। वास्तविक सत्य कभी सामने नहीं आएगा। माननीय गृहमंत्री जी आपने अपनी आरंभिक टिप्पणी में जो कहा था उसके मद्देनजर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं आपने कहा है कि आप चाहते हैं सत्य सामने आए यदि आप सत्य का पता लगाना चाहते है तो तब क्या आप यह सोचते है कि ये निर्बन्धन इस प्रयोजन के लिए सहायक होगें? यह पूर्णतः लीपापोती है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसपर भरोसा किया जा सके।

मैंने कुछ सुझावों पर विचार किया। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि मैं क्या सुझाव दे सकता हूं। पहला सुझाव यह है कि जैन आयोग के समापन के प्रस्ताव से संबंधित फाइल का अध्ययन किया जाए। इस बारे में की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के खंड 6, पृष्ठ 44-45 में तथा जैन आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 21 से 36 में उल्लेख किया गया है। इसकी छानबीन करनी होगी। दूसरा सुझाव शिवरासन, शुभा, पोट्टूअभ्यन और एम. षणमुगम को गिरफ्तार करने में विफलता के बारे में है। यदि यह किया जाता तो यह षडयंत्र की गुत्थी सुलझा देता। इसका उल्लेख खंड तीन, पृष्ठ 170 पर किया गया है। तीसरा सुझाव हत्या में प्रयुक्त देशी विस्फोटक डिवाइस की सामग्री, निर्माण और स्त्रोत के बारे में है। न्यायमूर्ति जैन कहते है कि यदि जांच की जाती तो यह इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के बारे में पता चल जाता। इसका उल्लेख खंड चार, पृष्ठ 118 और 120 व की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 पर किया गया हैं। मैंने की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को देखा है। मुझे यह कहते खेद है, मैं इसके बारे में उल्लेख करता हूं। की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 में देशी विस्फोटक डिवाइस की सामग्री, निर्माण और स्त्रोत के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें वही कहा गया है जो आयोग ने कहा है। आयोग कहता है कि यदि जांच की जाती तो षडयंत्र में शामिल सभी व्यक्तियों का पता चल जाता, फिर यह कहता है कि पद्मनाभन की हत्या और श्री राजीव गांधी की हत्या को जोड़ने वाली अन्य समान विशेषताओं को देखते हुए यह संभावना और बलवती हो जाती है। इस बारे में एक अलग अध्याय में पहले ही चर्चा की गई है। यह आगे कहता है:-

> "अभिसाक्ष्य के दौरान श्री कार्तिकेयन ने विदेशी एजेंसी या व्यक्ति की संभावना को स्वीकार किया है..."

उस मामले की जांच कर रहे व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है न्यायमूर्ति जैन कहते है:-

> "कार्तिकेयन ने विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के अलावा किसी विदेशी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा लिट्टे को सामग्री आपूर्ति करने की संभावना को स्वीकार किया है।"

उस बारे में सरकार को क्या कहना है? टिप्पणियों में यह कहा गया है कि हत्या में प्रयुक्त देशी विस्फोटक डिवाइस की सामग्री और अन्य जब्त आग्नेयास्त्रों की विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक जांच की गई और उनसे संबंधित सभी साक्ष्य अभिहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें आगे कहा गया है कि देशी विस्फोटक डिवाइस के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री उदाहरणार्थ, विस्फोटक, गोलियां और बैटरी लिट्टे के पास उपलब्ध थी जिसे उनके निर्माण में काफी विशेषज्ञता प्राप्त है; इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से फारेंसिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया गया। इसलिए यह अच्छा है किंतु इसमें कुछ भी निहित नहीं है। मंत्री जी आप इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।

आयोग ने इस बारे में इतना कुछ कहा, किंतु आप इस बारे में कुछ भी करना नहीं चाहते है। इसीलिए देशी विस्फोटक डिवाइस की सामग्री, निर्माण और स्त्रोत के बारे में मैंने कुछ सुझाव दिए हैं ...*(व्यवधान)*

[श्री पी॰ शिव शंकर]

मैं अभी अपना भाषण समाप्त करूंगा। मुझे खेद है कि मैंने काफी समय ले लिया है। विचारणीय विषय के संबंध में न्यायमूर्ति जैन की राय में 21 व्यक्तियों में से 19 व्यक्तियों के बारे मे आगे जांच और अनुपूरक आरोप पत्रों की आवश्यकता है, इसका उल्लेख की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 18, 39 और 43; खंड पांच पृष्ठ 358 पर किया गया है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं केवल जांच के लिए कह रहा हूं यदि स्वतंत्र रूप से आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनमें से कुछ के संबंध में जांच नहीं की जानी चाहिए तो यह अलग बात है। माननीय गृह मंत्री जी मैं आपके निर्णय से निर्देशित होना चाहता हूं न कि आपके नौकरशाहों के निर्णय से जो उन्हें बचाना चाहते हैं। इस संबंध में काफी प्रयास किए गए है। मैं इस बारे में कई पृष्ठों को पढ़ सकता हूं। किंतु मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं। उन्होंने बहुत सारी बातों को छिपाने का प्रयास किया है। पद्मनाभन और श्री राजीव गांधी की हत्याओं के बीच संबंध, जिनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक साथ जांच की थी, के परिणामस्वरूप कुछ अभियुक्तों का पर अभियोग चलाया गया होता और कुछ व्यक्तियों का गवाहों के रूप में उल्लेख किया गया होता तथा टाडा की धारा 15 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाते। कृपया खंड चार, पृष्ठ 159-160 और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 37-39 को देखें।

दूसरा, 1988 के नौसैनिक अंतररोधन पर कार्यवाही करने में विफलता है। इसके लिए खंड चार पृष्ठ 35 व खंड छह पृष्ठ-3 और की गई कार्यवाही के पृष्ठ 43-44 देखें।

फिर पोट्टुअम्मन से शिवरासन को लिट्टे संदेश जिसे एस आई डी ने हत्या से दो माह पूर्व मार्च, 1991 में चेन्नई में पकड़ लिया था, झूठी दलील पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अथवा कार्यवाही करने में विफलता रहे कि आयोग को उपलब्ध कराए गए प्रतिलेख पर टिप्पणी की गई थी उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। कृपया खंड छह, पृष्ठ 62 और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का पृष्ठ 46 देखें।

अब चेन्नई शहर में लिट्टे के आने की बात है। इन बातों को राज्य सरकारों को जांच के लिए सौंप दिया गया है, की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 47 में आपने निर्णय किया है कि आप इसे राज्य सरकार को सौंप रहे हैं वह राज्य की मशीनरी की भूमिका पर टिप्पणी करे, किंतु इस मुद्दे को अभी तक उसे नहीं सौंपा गया है। बहु-आयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। कृपया खंड छह, पृष्ठ 63 और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को पृष्ठ 47 को दखें।

षडयंत्र की गुत्थी भारत में महत्वपूर्ण स्थानों पर लिट्टे के कट्टर कार्यकर्ताओं को तैनात करने से खुलने लगी। खंड एक, पृष्ठ 35 में आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है। इस मामले में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री राजीव गांधी के साथ यात्रा में हर समय कम से कम तीन वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारियों के रहने की आवश्यकता से संबंधित आदेश को लागू करने में विफलता। खंड एक, पृष्ठ 55-56 में आयोग का यह निष्कर्ष है, यह सरकार का निर्णय था और उसके बावजूद जब वे चेन्नई गए थे तो उनके साथ एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी के अलावा कोई नहीं था। ऐसा क्यों हुआ?

श्री रमेश दलाल के आरोपों में 1991 में चन्द्रास्वामी का नाम सुझाया गया है जिसकी अनदेखी की गई है। उस समय उसकी जांच की जानी चाहिए थी। किंतु जांच नहीं की गई थी। क्यों? इसकी विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है। यही बात खंड दो, पृष्ठ 202 में न्यायमूर्ति जैन भी कहते है।

पूर्व कैबिनेट सचिव श्री जफर सैफुल्ला साक्ष्य के दौरान कहते हैं कि 1991 में नौसेना और आसूचना ब्यूरो के अंतररोधन थे जिनका श्री राजीव गांधी की सुरक्षा से काफी संबंध था, यह उनका अपना वक्तव्य है। यह चिंता का विषय है। श्री चन्द्रास्वामी से सी.आई.ए. और मोसाद से सुदृढ़ संबंध थे, श्री सैफुल्ला ने यह बात खंड-दो, पृष्ठ 205, खंड तीन पृष्ठ 167-168 और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 57 में कही है।

यह कहने के बाद में केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रयास यह बताने का था कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पूरी तरह बकबक है। इस पर राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है। मैं उस एजेंसी से संतुष्ट नहीं हूं जिसक गठन का प्रस्ताव इस मामले की आगे जांच के प्रयोजन के लिए किया गया है। जैसाकि मैंने कहा है हमारी रुचि केवल सत्य में है। हम इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, मैं इस स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : आपने चालाकी से पृष्ठ 43 को छोड़ दिया है। यह मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं और अधिक लोगों के बारे में बात कर सकता हूं। मैंने पहले ही कह दिया है कि सभी जिम्मेदार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, आपको भी मौका मिलेगा, उस समय आप इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : हो सकता है श्री मुथैया की एक व्यक्ति में रुचि हो। मेरी रुचि सत्य जानने की है...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : आप लगभग डेढ़ घंटे तक बोल चुके हैं। क्या एक स्पष्टीकरण देने के लिए आप एक मिनट के लिए रूक सकते है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। उस समय आप इन बिन्दुओं पर बोल सकते है। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. मुथैया, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। जब आपको मौका मिलेगा आप इन बिन्दुओं पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : आप सत्य बताएं...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : सत्य कहने पर ही वे इसे राजनीतिक बनाना चाहतें हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

श्री पी. शिव शंकर : मेरी रुचि सत्य में है आप उस हर व्यक्ति के बारे में कहें जिसके बारे में प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। मैं गृहमंत्री ने जो कुछ कहा उसके लिए उनका आभारी हूं।

महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्राधिकारी इसकी जांच करे वह अलग प्राधिकारी हो और सच्चाई सामने आए। मुझे यही कहना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक टिप्पणी करनी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, कृपया पहले मेरी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के बारे में क्या हुआ?...*(व्यवधान)* कुछ लोग महिला आरक्षण विधेयक की हत्या करने का प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम अपने अच्छे मित्र श्री पी. शिवशंकर की मनोव्यथा और चिंता की प्रशंसा करते है। हम महान नेता की हत्या से उत्पन्न असह्य वेदना में शरीक होते हैं। हमने हमेशा कहा है कि इस मामले में सत्य उजागर किया जाना चाहिए।

इस देश में बहुत लोग है जो महिला आरक्षण विधेयक की हत्या के प्रयास से क्षुब्ध है इसलिए हमें भी इस मामले में एकजुटता दिखानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सभी वर्ग मेरे साथ होंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.53 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसाकि आज 5 अगस्त, 1998 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बिभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं ने निर्णय लिया था, जैन आयोग की रिपोर्ट पर बिस्तार से चर्चा करने के लिए सभा की बैठक आज 10 बजे तक की जाएगी। चर्चा कल 6 अगस्त, 1998 को 2 बजे तक समाप्त हो जाएगी ताकि शाम को सदस्यगण अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रस्थान कर सकें। आज और कल कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

अब श्री राम जेठमलानी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, आज रात को चूंकि बैठना हैं, इसलिए सभी मेम्बर्स, प्रैस, आफीसर्स और विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हम सब खा लेते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, इसलिए उन सबके लिए रात के भोजन की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए कुछ परिवहन बन्दोबस्त भी किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है।

अपराह्न 12.54 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किए जाने के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): अध्यक्ष महोदय, जबकि हम यह रिपोर्ट और की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं, जिसे मेरे मित्र श्री शिव शंकर जी ने पूर्णतः अनुपयोगी दस्तावेज कहा है, यह अपरिहार्य है कि हमारे जहन में 21 मई, 1991 के दुखद दिन की याद उभर आती है। हम उस याद से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्र ने एक समर्थ और कर्मठ नेता खो दिया है जो उन लाखों देशवासियों को मंत्रमुग्ध किए हुए था जो उसे बिना किसी आशंका के इस देश के भविष्य की आशा मानते थे।

[श्री राम जेठमलानी]

महोदय, उस महान व्यक्ति के साथ मेरे जो भी राजनीतिक मतभेद हों मेरे मन में उनके लिए काफी सम्मान और अपार स्नेह था और इसी स्नेह के कारण हमारे राजनीतिक मतभेद बने हुए थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज की कार्यवाही काफी हद तक राजनीति से हटकर है। इस चर्चा में किसी प्रकार का तर्क वितर्क अथवा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है।

मेरे मन में मेरे मित्र श्री शिव शंकर जी के लिए काफी इज्जत है। हालांकि वह और मैं भिन्न राजनीतिक ग्रुपों से सम्बद्ध है लेकिन जब कभी मुझे समस्या हुई, वे सहायता और सहयोग देने से पीछे नहीं हटे। फिर भी मुझे आशा है कि छोटी-छोटी बातों से हममें जो अन्योन्यता रही है उसका वे मुझे लाभ देंगे।

आइए आज हमें अपने राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर जो श्री शिवशंकर जी ने कहा है कि सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए अपना दिमाग लगाना चाहिए। मैं उन्हें केवल आश्वासन दे सकता हूं और मुझे आशा है कि वह मेरी और हमारी सरकार की ईमानदारी को स्वीकार करेंगे और मैं दृढ़ता से यह बात कहता हूं कि सरकार की ओर से सच्चाई को छिपाने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी। हम कुछ भी नहीं छिपाएगे। हम उन सब की जांच कराने के लिए तैयार हैं जिसकी आप जांच कराना चाहते हैं। हम युक्ति संगत संभावनाओं के दायरे में और जिसमें कुछ उपयोगी और ठोस परिणाम निकालने की संभावना हो, के दायरे में जांच करेंगे। मेरी बात सुनने और की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट इस प्रकार की क्यों है और जिन बातों की आप हमसे अपेक्षा करते थे वह हमने क्यों नहीं की है—से संबंधित कारणों के बारे में मेरा स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् आप हो सकता है अपनी राय बदल लेंगे लेकिन फिर भी मैं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के साथ चर्चा करने का स्वागत करता हूं जो कोई भी ऐसा सुझाव दे कि इस मामले में सत्य की खोज किस प्रकार की जा सकती है।

इस मामले की जांच विशेष जांच दल द्वारा की गइ थी। मैं उन लोगों में से एक नहीं हूं जो पुलिस और सी बी आई अथवा देश की किसी अन्य जांच एजेंसी का कायल नहीं हूं मैं बिना सोचे समझे उसकी प्रशंसा नहीं करता। उनके बारे में हर तरह का संशय होने के बावजूद में यह कह सकता हूं कि विशेष जांच दल ने इस मामले में बहुत ही बढ़िया काम किया है। लम्बे समय तक विस्तृत जांच करने के पश्चात् उन्होंने कुछ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए हैं। हो सकता है एक या दो को यहां और वहां गलत रूप से दोषी ठहराया गया हो। हो सकता है उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ी हुई हो। और उसमें कोई एक दो छूट जाएं लेकिन कुल मिलाकर विशेष जांच दल ने ऐसा काम किया है जिसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। विशेष जांच दल जिसने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये थे को निःसंदेह ऐसे साक्ष्य और सामग्री के आधार पर काम करना पड़ा जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वे इसे विधिक मान्य साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाएंगे। जैन आयोग के समक्ष ऐसी कोई उक्तबाधा नहीं थी। लेकिन अब पांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और दोषी व्यक्तियों की अपीलें न्यायालय में लंबित पड़ी हुई हैं। यह सभा मेरे साथ इस बात पर सहमत होगी कि हमें ऐसा कोई शब्द अथवा वाक्य अथवा बात कदापि नहीं कहनी चाहिए जिससे उस फैसले के निष्कर्ष पर किसी भी प्रकार बुरा प्रभाव पड़े।

मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि हमारे समक्ष अभियोजन उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाएंगे अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे और अपने व्यवसायिक योग्यता की सीमाओं में अभिहित न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखेंगे और अपराधी ठहराए गए और दी गई सजा को बरकरार रखेंगे।

अपराह्न 12.59 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

मैं श्री शिव शंकर द्वारा दी गई प्रशंसा को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक अनुभवीदण्ड अधिवक्ता हूं। जी हां, मैं हूं। मैंने 55 वर्ष फौजदारी न्यायालय में गुजारे हैं लेकिन मेरा विश्वास कीजिए मेरी राय पर विश्वास कीजिए कि यदि जो कुछ भी आप कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था अथवा ऐसा की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में प्रकट करना चाहिए था कि वे ऐसा करने जा रहे हो तो ऐसा करने से लंबित अपीले प्रभावित होती। मैं आपके साथ अथवा इस देश के किसी अन्य दण्ड अधिवक्ता के साथ अथवा इस सदन के इच्छुक किसी अन्य सदस्य के साथ जो भी इच्छुक हो इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं नहीं चाहता कि ये मामले सार्वजनिक रिकार्ड के मामले बन जाए। हम जानते है कि इस सभा में हम जो कुछ बोलते हैं उसका क्यों और क्या दुरूपयोग किया जा सकता है। मेरी राय में विशेष जांच दल ने सही पाया है कि लिट्टे ही मुख्य षडयन्त्रकारी थे लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग संस्थाएं और ग्रप भी थी जिन्होंने लिट्टे को ऐसा खतरनाक कार्य समपन्न करने के लिए उकसाया। उनका उद्देश्य लिट्टे के उद्देश्य से बिल्कुल भिन्न था। लेकिन अन्ततः षडयन्त्र करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य भारत के स्वरूपवान युवा राजनेता का खातमा करना ही था। उनके अंतिम उद्देश्य तो एक जैसे ही थे लेकिन उनके अन्य उद्देश्य अलग-अलग थे। लेकिन इस जघन्य कार्य करने के लिए उन्होंने एक दूसरे का इस्तेमाल किया।

महोदय, मैं भी सबकी तरह बात से सहमत हूं कि इस व्यापक षडयंत्र की जांच की जानी चाहिए। इस व्यापक षडयंत्र की कुछ शाखाएं विदेशों में हो सकती है तथा कुछ शाखाएं देश के भीतर भी होनी चाहिए लेकिन कुछ व्यक्ति और एजेंसियां इस देश के बाहर भी अवश्य होगीं। मैं नही समझता कि सी बी आई उसकी जांच कर सकी अथवा जैन आयोग उसकी जांच कर पाया।

मेरे मित्र श्री शिव शंकर जी सही नहीं है जब उन्होंने कहा कि हमने अपने दिमाग को उस यातना से हटा लिया है जिसने इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को हताश कर दिया है और इस जांच आयोग द्वारा

निकाले गए निष्कर्षों के अलावा भी बहुत कुछ बाकी है। यह नहीं कि विचारण न्यायालय गलत दिशा में था। विचारण न्यायालय ने ठीक ही अवधारण किया कि मुख्य षडयंत्रकारी और प्रत्यक्ष षडयंत्रकारी लिट्टे है कि उस षडयंत्र को कार्यान्वित करने वाले मुख्य व्यक्तियों को न्यायालय के सन्मुख अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन इसमें इस भावना से बचा भी नहीं जा सकता है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त हैं।

मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र श्री शिव शंकर ने इस दस्तावेज में एक पंक्ति पर अपना दिमाग लगाया है। मुझे विश्वास है कि इस पंक्ति पर इनकी नजर नहीं पड़ी है। कृपया पृष्ठ 32 के पैरा 7.73 को देखिए। इसमें कहा गया है -

> "इसलिए श्री राजीव गांधी हत्याकाण्ड में लिट्टे के पीछे विदेशी हाथ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बजाए इसके स्थिति यह और भी ठोस रूप में उभरकर सामने आई है..."

मैं बाकी सभी निष्कर्षों की तरह इस निष्कर्ष को भी स्वीकार करता हूं। आप कृपया की गई कार्यवाही रिपोर्ट को देखिए। इसमें कहा गया है -

> "सरकार ने आयोग की इस टिप्पणी को नोट कर लिया है और निर्णय लिया है कि विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय और आसूचना एजेंसियों के माध्यम से इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी।"

इस प्रकार के व्यापक षडयंत्र की जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। इसके लिए दूसरे तरीके अपनाए जाने की आवश्यकता होती है। मैं नहीं चाहता इस सभा को विश्वास में लिया जाए।

यह आवश्यक नहीं है यदि सभा सच्चाई का पता लगाने में हमारी सत्यनिष्ठा को स्वीकार करती है तो उसको सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे द्वारा इख्तियार किये जाने वाले उन तरीकों के प्रभावी होने की बात भी स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि हम और अधिक सच्चाई निकाल पाने में सक्षम होंगे या नहीं हो सकता है न हो और हम वहीं के वहीं रहे। लेकिन कृपया संदेह मत कीजिए हम भी सच्चाई का पता लगाने में उतने ही चिंतित है।

यह एक महान राजनीतिज्ञ अथवा महान राजनेता की हत्या का प्रश्न नहीं है। अन्ततः मैं तो इसे राष्ट्रीय क्षति कहूंगा और अधिक कहूं तो मैं इस राष्ट्रीय त्रासदी को दीनता की भावना की संज्ञा दूंगा। राष्ट्रीय हीनता इसलिए है कि हमारे इस शक्तिशाली देश में अपराधियों का झुण्ड आया सीमा पार की इतनी कुशलता से अपराध को अंजाम दिया और हमारी तैनात सभी जांच एजेंसियों और उपकरणों साजसज्जा की आंखों में धूल झोंक दी जिस पर हम करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इसी दीन भावना में मैं आहत हुआ हूं और इसी भावना से मुझे पीड़ा हो रही है।

इसलिए सबसे पहले मैं इस समस्या का हल निकालने का इच्छुक हूं कि इस राष्ट्र को इस प्रकार की त्रासदियों से किस प्रकार बचाया जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राष्ट्र को कोई और अधिक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए, विश्वास कीजिए कि हम सच्चाई का पता लगा रहे हैं। कम से कम हम सच्चाई का पता लगाने की गंभीरता से कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हम सच्चाई तक पहुंचने में सफल होंगे।

अगर मैं वे मौलिक सिद्धांत अपने मित्र श्री शिव शंकर जी को बता दूं जिनके आधार पर यह की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट बनाई गई है तो वे अपनी अधिकांश आलोचनाएं वापिस ले लेंगे।

मैं नौकरशाही का अधिक प्रशंसक नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि नौकरशाही का अधिकांश भाग इस देश की प्रगति की राह में अड़चन के अलावा कुछ नहीं है परन्तु मैं हर बात की निन्दा भी नहीं कर सकता। जहां तक इस की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट का संबंध है; इसके लिए मंत्रिमंडल जिम्मेवार है, मैं नहीं चाहता कि सारा दोष नौकरशाही या नौकरशाही के अज्ञात सदस्यों पर डालकर अलग हो जाऊँ। यह पूरे मंत्रिमंडल के विचार और दिमाग की उपज है न कि किसी एक मंत्री का। यद्यपि यह अनिवार्य है कि जिन्हें मंत्रिमंडलीय किस्म की सरकार का अधिक अनुभव है वे यह जानते होंगे कि कुछ लोगों का अधिक योगदान होता है और कुछ का कम। परन्तु अंततः जो कुछ भी सृजित होता है वह सभी की संपत्ति हो जाती है और उसके लिए प्रत्येक सदस्य उतना ही जिम्मेवार होता है।

हमने चार महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किए हैं जिनकी मैंने दूसरी सभा में घोषणा की थी उनके बारे में खुलासा किया था और मैं अब उन्हें यहां दुहराना चाहता हूं।

सबसे पहले यह है, हमने कहा था कि एक लम्बे और नियमित विचारण के बाद अभिहित न्यायालय के निष्कर्षों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे यथातथ्यता और सच्चाई पर थोड़ी सी भी संदेह की छाया पड़े। माननीय सदस्यगण तथा मेरे मित्र श्री शिव शंकर जी भी अगर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर समालोचनात्मक दृष्टि से नजर डालें तो वे पाएंगे कि जिन लोगों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है उनकी रिहाई की कोशिश करने की खतरनाक प्रवृत्ति के संबंध में दस्तावेज में एक भी शब्द नहीं है।

दूसरा सिद्धांत यह है। जहां कहीं भी रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप में किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को दोषमुक्त ठहराया है हमने सम्मानपूर्वक इस दोषमुक्ति को स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि मैं यह पूरी तरह गलत नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के बारे मेरा अपना निर्णय है। परन्तु साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह मेरा एकाधिकार या विवेक नहीं है; जब एक न्यायाधीश जो इतने लम्बे समय तक आयोग का अध्यक्ष रहा, इतने लम्बी विस्तृत बहस के बाद अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो मुझे फिर से सोचना पड़ता है कि मेरा अनुबोधन गलत हो सकता है और उनका ठीक है।

इसलिए, यद्यपि मेरा कुछ बौद्धिक स्तर पर मतान्तर हो सकता है अनुबोधन स्तर पर कुछ अंतर हो सकता है फिर भी हमने उनकी

[श्री राम जेठमलानी]

रिपोर्ट का प्रत्येक भाग स्वीकार किया था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को निर्दोष ठहराया था।

उदाहरण के लिए, उन्होंने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को निर्दोष माना है। हमारा उद्देश्य उस रिपोर्ट और उस निष्कर्षों पर दुबारा चर्चा करना नहीं है, न ही हम इसका कोई फायदा उठाना चाहते हैं। अब मेरे मित्र श्री शिव शंकर जी अपनी आलोचना का दूसरे सिद्धांत के संदर्भ में मूल्यांकन करेंगे। एक बार मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्रियों पूर्व राष्ट्रध्यक्षों को निर्दोष माना गया है और उन्हें निर्दोष ठहराना भी सही है तो क्या मैं, श्री शिव शंकर जी की सलाह के अनुसार पुनः उन तथ्यों की उन बातों की जांच करवा सकता हूं? ऐसी चर्चा कर सकता हूं? इसमें संदेह नहीं कि वर्मा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसका कार्य संचालन ऐसे न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुआ जिन्होंने जहां तक मुझे अपने व्यावसायिक जीवन में ज्ञात है या सच्चाई और ईमानदारी से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की है। उस न्यायाधीश ने हमारी सुरक्षा प्रणाली में गंभीर त्रुटियां पाई हैं। उन्होंने न केवल प्रणाली में खामियों के बारे में बताया है बल्कि यह भी कहा है कि उन सुरक्षा संबंधी सावधानियों को जो वर्तमान प्रणाली में उपलब्ध हैं, चाहें वे त्रुटिपूर्ण हैं फिर भी उन लोगों द्वारा नहीं अपनाया गया जिन्हें इनकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जिन्हें सख्ती से इन्हें लागू करना था और इस व्यवस्था पर पूरी निगरानी रखनी थी। वर्मा आयोग ने यहां तक कहा कि यह एक गंभीर और दण्डनीय लापरवाही है। महोदय, आज मैं बदले में किसको जिम्मेदार ठहराऊँ? वर्मा आयोग की रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की गई थी। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर इस सभा और दूसरी सभा ने विचार किया था।

इस समय, कम से कम सुरक्षा में त्रुटियों के सभी मामलों के संबंध में यही मुझे ऐसा कहने में कोई परहेज नहीं है कि वर्ष 1998 में मैं। इस सभा को फिर से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर पहले विचार किया गया था। संसद को जो भी आलोचना करनी थी वह उस समय करनी चाहिए थी और अब मैं इस समय उस प्रश्न पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस समय उन आलोचनाओं की बात भी नहीं करना चाहता। मुझे इतना भी विश्वास नहीं था कि अगर हम वर्ष 1992, 1993 और 1994 के सत्तासीन लोगों का पिछला आचरण में जाने की कोशिश करते तो हमारे इस कदम की सराहना की जाती। मैं नहीं जानता। आप हमें राजनीतिक पटकनी देने के प्रयास करने का आरोप लगाते जिसका हमारा कोई इरादा नहीं है। परंतु अगर आप फिर भी चाहते हैं कि उन सुरक्षा त्रुटियों कि फिर से जांच की जाए तो आप जो भी मशीनरी चुनते हैं हम उसको नियुक्त करने के लिए तैयार हैं। हमें यह सलाह दीजिए कि आप उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की जांच करने के लिए किस प्रकार की मशीनरी चाहते हैं। मैंने सोचा था कि बीती-बातों को,बीती-बातें ही रहने दें। भविष्य में हमें कई समस्याओं का सामना करना है। हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम आरक्षण की समस्या से जूझ रहे हैं जिसका जिक्र अभी-अभी मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने किया है। हमें विगत को खोदने के बजाय भविष्य के बारे अधिक सोचना चाहिए। परंतु अगर आप यही चाहते हैं, तो उस समस्या के निदान के प्रति हमारी निष्ठा और क्षमता पर संदेह न करें।

अब मैं तीसरे सिद्धांत की बात करता हूं जिसमें आयोग ने और आगे जांच की सिफारिश की है। हमने उस सिफारिश को दिल से स्वीकार किया है। यह तीसरा सिद्धांत है जिसके अनुसार हमने काम किया है। आप की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट देखें। केवल भावी जांच की सिफारिशों के कारण ही द्रविड़ मुनेत्र कजगम के मेरे मित्र कुछ उत्तेजित हो गए थे। वे कृपया उत्तेजित न होवें।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : हम कभी उत्तेजित नहीं होते हैं।

श्री राम जेठमलानी : बहुत-बहुत धन्यवाद। रिपोर्टों में यही कहा गया था कि जिस व्यक्ति को उन बातों की जानकारी है उससे पूछताछ की जाए। हमने की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में कहा है कि पूछताछ होने दो।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : आप एक बड़े वकील हैं। मैं इस वाक्य को दोहरा रहा हूं। "श्री करूणानिधि से पूछताछ नहीं की गई थी" रिपोर्ट में आपसे दुबारा पूछताछ करने को कहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : श्री मारन जी कृपया मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : अंतरिम रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी कृपया हस्तक्षेप न करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। उनके बोलने में व्यवधान न डालें। जब आपको मौका मिलेगा तब आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री आर॰ मुथैया : श्री करूणानिधि के विरुद्ध कई और बातें भी कही गई हैं।...*(व्यवधान)* यहां तक कि आज भी तमिलनाडु के लोग यह कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया इसे हल्के फुल्के ढंग से न लें। इस प्रकार व्यवधान न डालें।

श्री राम जेठमलानी : मैं इस सभा के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह उत्तेजित होने का अवसर नहीं है। यह क्रोधित होने का अवसर नहीं है। हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न पूछना दोषमुक्ति, संदेह मुक्ति और सम्माननीय व्यक्तियों की छवि और प्रतिष्ठा पर घिरे बादलों को हटाने का एक मौका है।

श्री मुरासोली मारन : जब संदेह के बादल है तो आशंका की बात कहां रह जाती है?

श्री राम जेठमलानी : यह अनिच्छुक और असहयोगी लोगों के मुंह से सच्चाई उगलवाने का अच्छा तरीका है। इससे मुंह खुल जाते

है और चुप्पी का धुंधलापन हट जाता है जिसमें कभी-कभी असत्य घिरा रहता है।

इसलिए, पूछताछ करने से सच्चाई का पता चल जाता है और इस संदेश में किसी भी ईमानदार आदमी को पूछताछ से नहीं डरना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछताछ करना चाहता है तो मुझे उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। कि वह आकर मुझसे प्रश्न पूछे। इससे मुझे व्याप्त संदेह दूर करने में मदद ही मिलेगी। हो सकता है कोई संदेह व्याप्त न हो। कृपया हमें ऐसी किसी बात का कारण न समझें।

जैन आयोग हमने नहीं बनाया था। जैन रिपोर्ट हमने नहीं बनाई थी। यद्यपि कुछ लोग यह कहते है कि की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट का मसौदा आर.एस.एस. ने तैयार किया था। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने कहा था कि हमें पूछताछ करनी चाहिए थी। हमने कहा, "ठीक है। पूछताछ होने दो"।

चौथा सिद्धांत जिसके अनुसार हमने कार्य किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां आयोग डांवाडोल रहा है या आयोग ने मामले को संदेह की स्थिति में छोड़ दिया है, वहां हमने अपना विवेक और अपनी सूझबूझ लगाकर अपने ही मानदंडों के अनुसार निर्णय लिया है कि और आगे पूछताछ की जाए या नहीं। मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूं। कुछ मुद्दों को आयोग ने यह कहकर अस्पष्ट छोड़ दिया कि इस पर कुछ विचार किए जाने और जांच किए जाने की जरूरत है परंतु किसी जांच की सलाह नहीं दी गई। हमने सोचा कि यह जांच की सिफारिश करने जैसा ही है और इसलिए हमने कहा, "जांच हो जाने दो। जांच तो जांच है। इससे सच्चाई का पता लगना है। इससे झूठ का तब तक पता नहीं लगता जबतक लोग उसे गढ़ते नहीं।

श्री शिवशंकर जी के भाषण में सुरक्षा में ढील और सुरक्षा घेरे को हटाने का उल्लेख किया गया था। मैं इस सभा में कानून और संविधान के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या शिवशंकर जी इससे सहमत होंगे या नहीं अथवा जो कुछ मैं उनसे कहना चाहता हूं उन्होंने कानून और संविधान को उस दृष्टि से लेकर कभी काम किया हैं मैं यह मानता हूं कि जब भी सांविधि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के लिए सुरक्षा निर्धारित करती है और जिस परिस्थिति में उक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी है उसका निर्धारण करती है तो उक्त न्यूनतम आवश्यक सुरक्षा उस व्यक्ति को जरूर दी जानी चाहिए। परन्तु किसी भी राज्य पर एक व्यापक सामान्य कानून की जिम्मेवारी होती है। एक सामान्य आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए भी अगर यह जरूरी हो कि हमें पूरी सेना बुलानी चाहिए तो राज्य पूरी सेना बुलाकर उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए बाध्य है यह राज्य का सामान्य कानूनी कर्तव्य है जो किसी भी सांविधिक उपबन्ध से परे है।

इसलिए मैं पिछली की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में किए गए प्रयास से पूरी तरह सहमत हूं। चूंकि अधिनियम केवल यही कहता है कि हमें फलां फलां व्यक्ति के लिए इतनी सुरक्षा देनी चाहिए इसीलिए हमने नही दी थी, यह एक गलत बहाना था। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बहाना किसने बनाया था। यह काम हमारी सरकार का नहीं था। अगर हमारी सरकार या इस पक्ष के लोगों से सलाह ली जाती तो हम सही सलाह देते और अपेक्षित सुरक्षा हटाई ही नहीं जाती। नौकरशाह आम लोग ही होते हैं और सांविधिक उपबंधों का लाभ लेने के हकदार होते हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने की यह कहकर पुष्टि की कि कानून ने उनसे वही करने को कहा था बस। मैं कहता हूं कि कानून केवल किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए सामान्य कानूनी कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन्हें इससे आगे भी सोचना होता है। मुझे आशा है कि जब मैं सरकार की ओर से राज्य के इस बड़े कर्तव्य के बारे में बात कर रहा हूं कम से कम श्री शिव शंकर जी मेरी इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे। निःसंदेह राज्य की सीमाएं उसकी अपनी जनशक्ति, उनकी अपनी प्रौद्योगिकी और उनकी अपनी ही वित्तीय परिव्यय हैं। जिनके अंतर्गत उसे समाज के लिए तथा निजी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम करनी होती है।

श्री शिव शंकर जी ने कहा कि किसी सच का पता नहीं चला है। अवसर जोरदार भाषण, विशेषकर संसदीय जोरदार भाषण के दौरान जो कुछ होता है यह उसी की जरा अतिक्षयोक्ति है। सच का पता चला है परन्तु यह आंशिक सच है। विशेष जांच दल ने पहली ही बार में सच्चाइ का पता लगा लिया है। अन्तः में उन्हें यह पता चला कि लिट्टे (एल टी टी ई) इसके लिए जिम्मेवार थी। उन्होंने यह पता लगाया कि अन्य लोगों के साथ वे 26 दोषी व्यक्ति इस हत्या के लिए जिम्मेवार थे। इसलिए, श्री शिव शंकर जी यह न कहें कि सच्चाई का पता नहीं चला है। मैं उनसे सहमत हूं कि पूरे सच का पता नहीं चला है। पूरे सच का पता लगाने के लिए वे जिस प्रकार की जांच का सुझाव देंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं।

श्री शिव शंकर ने कहा है कि न्यायाधीश को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस विचार पर हमारा कभी मतभेद हुआ हो। उस मुद्दे पर हमारा कभी मतांतर नहीं हुआ। वास्तव में, हमारे मतभेद दूसरी तरह के हैं। कभी कभी मैंने न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के बारे में काफी कुछ बोला है और वे मेरी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हुए, वे अभी उस सीमा तक नहीं पहुंचे है जो सीमा सार्वजनिक जीवन में मैंने तय कर ली है।

सभापति महोदय तहकीकात के संबंध में एक बात काफी परेशान करने वाली है। इस जांच-पड़ताल के संबंध में परेशान करने वाला पहलू उस तथ्य का रहस्योदघाटन है जिसे श्री शिव शंकर जी हत्या का पूर्वाभ्यास कहते हैं जो जून, 1990 के पूर्वार्ध में किया गया जिसके हत्यारे खुले आम घूम रहे थे। जब मैं विगत की घटना पर नजर डालता हूं तो मैं भी अन्य किसी की तरह काफी चिंतित हो जाता हूं। इस देश में ऐसी घटना का होना अत्यंत खेदजनक है परन्तु, क्या इससे यह नहीं पता चलता कि हमारे दुश्मन अधिक सक्षम थे और हम कम सक्षम थे तथा इसलिए वे ऐसा कर सके? यह तुलनात्मक क्षमता का प्रश्न है। आखिर, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करना चाहता है वह इसकी योजना बनाता है। वह इसकी बड़ी सावधानी से योजना बनाता है। परन्तु सुरक्षा करने वाले अकसर सो जाते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण

[श्री राम जेठमलानी]

छोटी छोटी बातें हर रोज नहीं होती। लोगों को झूठी सुरक्षा की भावना का दिलासा दिलाया जाता है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सतर्क पुलिस बल और सतर्क नौकरशाही को इसका पता लगाना चाहिए था।

श्री शिव शंकर जी ने जिस परेशान करने वाले पहलू की ओर ध्यान दिलाया है तथा जिस पर काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वह अन्तररोधित संदेश हैं। जिन लोगों को वह संदेश मिला क्या उन्होंने वह पढ़ा था? क्या उन्होंने उसका अर्थ निकाला? क्या वे उसे समझे? फिर क्या उन्होंने उस संदेश की जानकारी उन प्राधिकारियों को दी जिनका कर्तव्य उस सूचना के अनुरूप कार्यवाही करना था? मैं समझता हूं कि वर्ष 1998 में ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनका किसी तहकीकात द्वारा समाधान करना संभव नहीं है। अगर श्री शिव शंकर जी यह सोचते हैं कि इस तरह की जांच से किसी लाभदायक प्रयोजन की पूर्ति होगी तो हम उस जांच को करवाने को तैयार हैं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि उस काम के हो जाने के बाद दिन-प्रति-दिन ज्यों-ज्यों समय बीतता है गवाह स्मृति फीकी पड़ जाती है; गवाह मर जाते हैं; दस्तावेजी साक्ष्य गायब हो जाते हैं और आखिरकार में कुछ भी नहीं बचता जिसके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि अंतररोधित संदेशों को भली-भांति पढ़ा लिया जाता तो दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को रोका जा सकता था और हमारे राष्ट्र को इस प्रकार अपमानित नहीं होना पड़ता इस प्रकार आत्मग्लानि नहीं उठानी पड़ती। और...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : इस प्रकार कहकर क्या आप सच्चाई का पता लगाना नहीं चाहेंगे?

श्री राम जेठमलानी : मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं परन्तु आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस समय खोज करने का कोई लाभ नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप पहले से यह कैसे कह सकते हैं कि यह बेकार होगा?

श्री राम जेठमलानी : मैं कतिपय बातों के बारे में उसी प्रकार पहले से कह सकता हूं जिस प्रकार आप हर रोज कहते हैं। आप इसका फैसला करें कि क्या एक विशेष नीति का कोई विशेष परिणाम निकलेगा, इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेगा। मेरा अनुभव यह है कि 1990 की घटनाओं की जांच, जो पहली बार 1998 या 1999 में शुरू होगी उसका कोई फायदेमंद परिणाम नहीं निकलेगा। परन्तु की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत हमने जिस एजेंसी का गठन किया है अगर वह अन्य प्रश्नों की जांच प्रारम्भ करती है तो यह एक और प्रश्न होगा जिसकी वे निस्संदेह जांच करेंगे और इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इस गुत्थी को अन सुलझाए नहीं छोड़ा जाएगा। परन्तु अगर आप इसे नई एजेंसी के लिए प्रत्यक्ष निदेश पथ बनाना चाहते हैं तो हम वह करने के लिए तैयार है लेकिन कृपया इस पहलू को अभी अलग ही रहने दीजिए। उनकी अपनी जांच क्षमता में और उनके जांच कार्य कौशल में इसका अपना वह आकार और अपना वह प्रयोजन होगा वृहद प्रयोजन होगा जो आपके दिमाग में है तथा निश्चित मानिए इसकी जांच होगी और उसे अज्ञात नहीं छोड़ा जाएगा।

महोदय श्री शिवशंकर ने कहा है कि नौकरशाही ने लीपापोती का अच्छा काम किया हैं नौकरशाही ने जिस तरह से भी लीपापोती का काम किया हो वह 1992 में किया गया था और उस समय, मैं सम्मान और विनम्रता के साथ कहता हूं कि इस सभा को और अधिक सतर्क होना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि उस समय मेरे मित्र शिव शंकर कहां थे। उस समय वे क्या कर रहे थे। वास्तव में मुझे यह बिल्कुल याद नहीं आ रहा है यद्यपि मैं उनकी आवाजाही पर बहुत कड़ी निगरानी रखता हूं फिर भी मैं नही जानता हूं कि उस समय वे कहां थे।

अब आपने गायब हुए दस्तावेजों की बात की है; आपने आयोग को सहयोग देने में असफलता की बात कही है। यह एक घटिया कहानी है। यह एक ओछी कहानी है जिसके बारे जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे शर्म आती है परंतु मैं इस सभा के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर हम इस मामले के उस पहलू की, गृह सचिव के साक्ष्य, गृह मंत्री के साक्ष्य और तत्कालीन प्रधान मंत्री के साक्ष्य की गंभीरता से जांच करें, ये तीनों कहानियां इस प्रकार उलझी हुई हैं कि यदि हम इसकी गंभीरता से जांच करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कम से कम एक या दो लोगों पर गलत बयानी और साक्ष्य को नष्ट करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हम वैसा करें? क्या आप चाहते हैं कि हम ओखली में सर दें? ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री राम जेठमलानी : अगर यह सभा, एकमत से, हमें यह कहती है कि इस तरह के मामले पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, परंतु मैं आप से कहता हूं कि एक हारे हुए दुश्मन से लड़ना कम से कम यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। कुछ लोगों को पहले ही खत्म कर दिया गया है। अब यह आवश्यक नहीं रहा कि इसकी और जांच की जाए। परंतु यदि आप चाहते हैं तो हम निश्चय ही आपके लिए और आपकी संतुष्टि के लिए ऐसा करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : हम सच चाहते हैं, पूरा सच।...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : ठीक है।...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय अगर माननीय गृहमंत्री जी कुछ देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : जो कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं उससे मैं प्रोत्साहित हुआ हूं परंतु इसमें कुछ राजनैतिक अड़चने हैं। ...*(व्यवधान)* अब आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हम इसे करेंगे। निगरानी एजेंसी भी इस मामले के इस पहलू की जांच करेंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर माननीय मंत्री जी क्षण भर के लिए मानें तो मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आपको स्वीकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह हारे हुए दुश्मन के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा हैं मूल प्रश्न यह है कि उस ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति कानून की अवहेलना कर रहा है, काननू तोड़ रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं है। यह एक परंपरा स्थापित करने का प्रश्न है जिससे भविष्य में कोई काननू का उल्लंघन करने का साहस न कर सके।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मुझे संकेत मिल गया है और मैंने सुझाव ले लिया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह संकेत का प्रश्न नही है।

श्री राम जेठमलानी : वे मुझसे और अधिक नम्रता से क्या कहलवाना चाहते हैं।

महोदय, अब मुझे सबसे आखिरी शिकायत की बात करनी हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि संक्षेप में कहा जाए तो जिन चार सिद्धांतों की मैंने बात की थी वे शिव शंकर जी द्वारा की गई प्रत्येक आलोचना के उत्तर की पूर्ति करते हैं। अब हमें नई जांच एजेंसी की बात करनी है। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो पूछताछ करने की शक्ति होनी चाहिए, और जहां गिरफ्तारी का कोई तर्कपूर्ण आधार हो वहां गिरफ्तार करने की भी शक्ति होनी चाहिए। यह शक्ति किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए यह केवल पुलिस ही हो सकती है। क्या वे चाहते हैं कि हम इसे तमिलनाडु पुलिस, दिल्ली पुलिस इत्यादि को भेज दे?

यह ऐसी पुलिस होनी चाहिए जो इस प्रकार के अपराधों, बड़े षडयंत्रों और इस तरह के फैले हुए अन्य अपराधों की जांच करने का कुछ अनुभव रखती हो। मैं सी.बी.आई. को छोड़कर अन्य किसी प्राधिकरण की कल्पना भी नहीं कर सकता।

इस सभा के सभी सदस्यों को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि मैं सी.बी.आई. का कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। किसी समय मैं सी.बी.आई. का बड़ा प्रशंसक जरूर था। ऐसा भी समय था। जब सी.बी.आई. ने किसी दोषी व्यक्ति को कभी नहीं गिरफ्तार किया। वे कुशाग्र रूप से पूछताछ करके गवाहों की विवेकपूर्ण छानबीन करके जांच पड़ताल किया करते थे और जब जांच पूरी हो जाती थी तो वे दोषी व्यक्तियों से यही कहते थे कि फलां फलां तारीख को न्यायालय में आकर जमानत करना लेना। अतिवादी तरीके की कार्रवाई (थर्ड डिग्री) कभी नहीं की जाती थी। ऐसा कभी नहीं किया गया। इस देश में हमारा पुलिस बल सबसे अधिक ईमानदार और सक्षम था। इस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। मैं जानता हूं कि वे दिन नहीं रहे। मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो का आलोचक रहा हूं परन्तु माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे जब मैं यह कहूं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। अपनी सारी खामियों के साथ यह सर्वोत्तम उपलब्ध बल है।

परन्तु फिर भी सर्वोत्तम उपलब्ध बल को भी उच्चतम न्यायालय की जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार स्वतंत्र संस्था बनाया जाय, इसे सही और ईमानदार जांच के प्रति किस प्रकार प्रतिबद्ध बनाया जाये? उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए; पर्यवेक्षण प्राधिकारी किसे होना चाहिए; और स्वयं पर्यवेक्षण प्राधिकरण का सृजन किस प्रकार किया जाए; और इसे किस प्रकार अपना कार्य करना चाहिए।

आपको मेरी सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए यद्यपि इस बात का पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ है; कि हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह स्वीकार किया है और हमने विधि आयोग से अनुरोध भी किया है कि एक ऐसा उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाये जो यह सुनिश्चित करे कि इसे व्यवहारिक रूप से किस तरह कार्य करना चाहिए क्योंकि इसके लिए कृत्यों के बंटवारे और अन्य बातों की आवश्यकता होगी। सरकार के कृत्यों का बंटवारा करना निगरानी प्राधिकरण का कार्य होगा। यह एक अत्यंत जटिल कार्य है।

इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जब मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भीतर निगरानी अभिकरण के बारे में कहता हूं तो मेरा आशय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोपाय द्वारा व्यवस्थित किए गए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से होता है। मेरा विश्वास है कि इससे बेहतर तंत्र उपलब्ध नहीं होगा। परन्तु यदि माननीय सदस्यों को कुछ सुझाव देने है तो हम उन पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे कि वह किस काम आ सकते है। हम इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारा दिमाग पूरी तरह से खुला हुआ है।

एक बार फिर, मैं नहीं समझता कि जो कुछ की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है उससे अधिक जांच कराए जाने की आवश्यकता है। परन्तु यह बात सभा के सुझावों पर निर्भर करेगी। हम सभा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। हम कहीं भी उन परिस्थितियों से सम्बद्ध नहीं है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी। उस समय हम विपक्ष के सदस्य थे। इस समय हम सत्ता में है। हम आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे और राष्ट्र के साथ हुई बहुत बड़ी त्रासदी का पता लगाने में पूरी सहायता करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं जिनसे मैंने अनुरोध किया था कि कुछ पूर्व एवं अनिवार्य व्यस्तताओं के कारण मुझे कुछेक घंटों के पश्चात् दिल्ली से बाहर जाना है और मुझे इस मामले के संबंध में कुछ कहने के लिए कुछ मिनट बोलने का समय दिया जाए।

उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर अत्यधिक विनम्रता का परिचय दिया। महोदय मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि श्री शिव शंकर और श्री राम जेठमलानी ने जितना समय लिया मैं उसके एक अंश से भी कम समय लूंगा।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इन दो भाषणों को सुनने के पश्चात मैं अब इस बात से आश्वस्त हूं कि इस वाद विवाद से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यह बात सही है, इस चर्चा में लोगों को यहां अपने वाद विवाद के कौशल या इस बात को दर्शाने का अवसर मिला है कि उनके पास कितनी सूचना है जोकि दूसरों के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे विचार से इस वाद विवाद का निष्कर्ष कुछ भी नही निकलेगा। यह चर्चा वैसी ही व्यर्थ सिद्ध होगी जैसी कि ये जांच रिपोर्ट, जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं परन्तु आपने इस पर दो दिन चर्चा कराने का निर्णय लिया है।

मुझे यह बात याद दिलायी जाती है - मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूं कि यह दूसरा मौका है जब इस देश के प्रधान मंत्री की हत्या की गई है। मैं ऐसी घटनाओं को पूरे देश के लिए अत्यधिक चिंता और मानसिक वेदना का कारण मानता हूं। वे लोग देश के प्रधान मंत्री थे वे मात्र किसी विशेष राजनीतिक दल के नेता नहीं थे। यह बात भी सही है कि वे नेता भी थे। परन्तु एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए जब उन्हें इस प्रकार हिंसापूर्ण, पाशिवक और संभवता षडयंत्रपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य से हटाया जाता है तो यह केवल किसी विशेष पार्टी, जिसका कि वे नेतृत्व कर रहे थे, के लिए गहन व्यथा और पीड़ा की बात नहीं होती है अपितु यह पूरे देश के लिए भी गहन व्यथा और पीड़ा की बात होती है। मुझे उन दिनों की याद है जब ठक्कर आयोग श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में परिणत होने वाले तथ्यों और परिदृश्य और परिस्थितियों की जांच कर रहा था तो मैं इस बात से बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे विचार से सभा में ठक्कर आयोग की जांच को शीघ्र पूरा कराने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उतनी चिंता और बेकरारी नहीं दिखाई थी। यह काफी लम्बे समय तक चलती रही और इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार तत्वों को कानून की गिरफ्त में लाना था। उस मामले में हत्यारे, जिन्होंने हत्या के लिए बन्दूक का ट्रिगर दबाया था, वे किसी शंका में नहीं थे। आप उन परिस्थितियों को याद कीजिए। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता। जो कुछ भी हुआ था वह एकदम स्पष्ट था दिन के उजाले के समान। उस समय हत्या के निहित उद्देश्यों को किसी दस्तावेज या अध्याय या पक्ष को उद्धृत करके नहीं किया गया था परन्तु परिस्थितिक साक्ष्य यह दर्शाने के लिए पर्याप्त थे कि क्यों कतिपय लोग निश्चित रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी से छुटकारा पाना चाहते थे। परन्तु प्रश्न यह था : क्या इसके पीछे कोई गहरा या व्यापक बड़ा षडयंत्र था? क्या उन मारक गोलियों को दागने वालों के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य लोग भी इसमें संलिप्त थे? मेरे विचार से ठक्कर आयोग कतिपय टिप्पणी के अलावा किसी और षडयंत्र का पता लगाने में विफल साबित हुआ। क्या आप को ठक्कर आयोग का अंतिम निष्कर्ष याद है? इसने उल्लेख किया था कि कुछ व्यक्तियों की ओर शक की सुई घूमी थी।

एक शक की सुई किसी की ओर इशारा कर रही थी। इसके आगे ठक्कर आयोग नहीं जा सकता था या जाने के लिए तैयार नहीं था। श्री ठक्कर के अनुसार उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को कुछ भी नहीं हुआ जिनकी ओर शक की सुई घूम रही थी जहां तक मेरी जानकारी है उनमें से एक व्यक्ति को तो एक प्रकार की पदोन्नति ही मिली। यहां वह मामला समाप्त हो गया; सारे मामले पर परदा गिर गया। इसके पश्चात आगे हमें कुछ भी पता नहीं चला।

मैं इसे एक अजीब मामला मानता हूं। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं। एक प्रधान मंत्री की इस प्रकार हत्या किया जाना कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रत्येक देश में प्रति दिन घटित होती हो। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। परन्तु उसके बाद भी यदि मेरे विचार से जांचों को इसी प्रकार लापरवाही से लिया गया तो मैं समझता हूं उसी प्रकार की घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है।

अब इस राजीव गांधी हत्याकांड पर जैन आयोग ने 7 वर्ष से अधिक का लम्बा समय व्यतीत किया है। समयवधि को बढ़ाए जाने के लिए बार-बार अनुरोध किए और इससे कई बार बढ़ाया गया। मैं नहीं जानता सरकार ने इस पर कितनी राशि खर्च की यह कई करोड़ रुपये -4 करोड़ से कुछ अधिक हो सकती है।

कांग्रेस पार्टी जिसके राजीव गांधी निर्विवाद नेता थे, ने जैन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूं उनके लिए यह अंतरिम रिपोर्ट के साथ साथ अंतिम रिपोर्ट भी है। श्री शिव शंकर के अनुसार वे इस यथारूप स्वीकार करते हैं। उनको आपत्ति केवल की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट से है। मेरी राय में की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट की अनेक दुर्बलताएं है जिन पर यहां चर्चा की जा रही है और कल भी चर्चा की जाएगी लेकिन यदि निष्कर्ष यह है कि न्यायमूर्ति जैन की अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट को शत प्रतिशत संतोष-जनक और विश्वासजनक माना जाना चाहिए तो मैं उस राय को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं।

जब मैं गृह मंत्रालय में मंत्री की हैसियत से कार्य कर रहा था तो जब एक दिन सुबह वह उस अंतरिम रिपोर्ट को मुझे कार्यालय में सौंपने आए मुझे न्यायमूर्ति जैन से एक अथवा दो बार मिलने का मौका मिला। 17 खण्डों की रिपोर्ट को वह अपने साथ लाए थे। मैंने उन्हें उसके लिए धन्यवाद दिया और उन खण्डों को वहां रख दिया। तभी उनसे कुछ बातचीत भी हुई।

वे शिकायत कर रहे थे कि उनकी जांच से संबंधित कई दस्तावेज और पेपर आदि उन्हें नहीं सौंपे गए थे जिसके कारण उन्हें अपना कार्य समाप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

मैं अब उन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एक न्यायाधीश एक आयोग के माननीय न्यायाधीश, शिकायत करे कि विशेष दस्तावेज और पत्र उन्हें नहीं दिये गए, उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए तो यह सरकार और मंत्रालय का परम कर्तव्य बन जाता है कि वह देखे कि यह शिकायतें कहा तक उचित हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हमने उन सभी मामलों की छानबीन की थी। हमारी राय में वे शिकायतें उचित नहीं थी और जो जो हमने उन्हें दिया था हमने उसकी उन्हें विस्तार से जानकारी दे दी थी। मैं आपको बता दूं कि दो बातें थी जिसके कारण हम उनके अनुरोध को पूरा नहीं कर सके और मैं समझता हूं कि वह सही भी था। पहला ऐसे साधारणतया नहीं किया

जाता कि दो भिन्न देशों की सरकारों के बीच हुई वार्ता अथवा बातचीत को बताया जाए भले दो वह सामग्री उपलब्ध हो कथित सूचना श्री यासर अराफत द्वारा दी गई थी जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के मुखिया हैं। यह कहा गया था कि उन्होंने श्री राजीव गांधी को चेतावनी के रूप में कहा था कि उन्हें सूचना मिली है कि उनकी जान को खतरा है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में उन्होंने उन्हें क्या कहा था लेकिन फिर भी उस समय हमें सूचना दी गई थी कि दो सरकारों के मुखियाओं की बात्चीत और आदान-प्रदान किये गए विचारों को सार्वजनिक करने की प्रथा नहीं है। हमने श्री जैन से माफी मांगी और कहा कि हम यह विशेष सूचना उन्हें नहीं दे सकते।

दूसरा वे चाहते थे कि केबिनेट की बैठक की कुछ कार्यवाही सारांशों को उन्हें उपलब्ध कराया जाए जिससे उन्हें पता चल सके कि किस मंत्री ने बैठक में क्या कहा था, क्या कोई मंत्री जांच बंद कराने और आयोग को समाप्त करने के पक्ष में था। वह यह जानना चाहते थे। यह भी नहीं किया जा सका क्योंकि केबिनेट की बैठक का कार्यवाही सारांश सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जिससे पता चलता कि किसने अथवा किस मंत्री ने क्या कहा है। हमने उनसे क्षमा याचना की और कहा कि हम दोनों कार्य नहीं कर सकते है लेकिन बाकी की सारी सामग्री जो जो उन्होंने मांगी थी और जिनके लिए शिकायत करते थे कि उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई; उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी। मैं समझता हूं कि अंततः वे संतुष्ट हो गए थे क्योंकि वह अब उन शिकायतों को नहीं दोहरा रहे थे। यह सच है कि हमने उन्हें यह कहते हुए कि काफी समय बीत चुका है अनेक वर्ष बीत गए है और जब तक जिन तथ्यों को पता लगाया जाना था, पता लगा लिए गए होंगे उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित करने की कोशिश की थी। सभी साक्ष्य और सामग्री आपके पास है इसलिए अब इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए और इस समय तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिए इस पर उन्होंने थोड़ी आनाकानी की लेकिन अंत में उन्होंने उन निदेशों का पालन किया।

अब श्री राजीव गांधी की हत्या, जैसाकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामले में था, के बारे में मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है और यहां वक्ताओं द्वारा बताया भी गयाथा कि कुछ लोग, संगठन और ग्रुप थे जिनका उद्देश्य श्री राजीव गांधी को रास्ते से हटाना था क्योंकि वे उनके प्रति उनकी श्रीलंका की नीतियों के कारण काफी अधिक क्रुद्ध थे। उन्होंने ही श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना को भेजने के आदेश दिये थे जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि इस देश में सरकार द्वारा की गई गलतियों में से अब तक की सबसे बड़ी गलती है तथापि इस पर चर्चा करने की अब आवश्यकता नहीं है। हमारी सेना, भारतीय शान्ति सेना के हजारों जवानों सहित हजारों लोगों की जानें गवाई गई थी जिसका लिट्टे लोगों और गैर लिट्टे साधारण तमिल लोगों से शत्रुता और द्वेष की भावनाओं को भड़काने के सिवाय कोई परिणाम भी नहीं निकला क्योंकि हमारी सेना उलझी हुई स्थिति में पहुंच गई थी जहां वह लिट्टे के विरुद्ध लड़ रही थी यह लड़ाई अर्द्ध गोरिल्ला युद्ध की तरह की थी और जैसाकि हम सभी जानते है इसमें काफी लोग मारे गए थे। तत्पश्चात अंत में भारतीय शान्तिसेना को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लिट्टे में काफी हद तक भारतीय विरोधी भावनाएं भड़क उठी थी और उनका प्रतीक राजीव गांधी थे। मैं इस पूरी घटना का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं इसलिए मैं यहां दो अति विशिष्ट अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए सभी कानूनी प्रश्नों और संदर्भों पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात मुझे हमेशा कचौटती रहती है। क्या यह संभव नहीं था कि यदि श्री राजीव गांधी उस रात श्रीपैरम्बदूर में 10 या 11 बजे जन सभा को सम्बोधित करने गए होते तो उनकी हत्या नहीं होती? उन्हें वहां ले जाया गया था श्री पैरम्बदूर कोई महत्वपूर्ण अथवा बड़ी जगह नहीं है। यह चेन्नई से कांचीपुरम जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यह बहुत छोटी सी जगह है यह किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए मशहूर नहीं हैं। मैं यह जानता हूं वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए काफी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। निसन्देह यह सत्य है। मुझे रिपोर्टों से पता चला कि कई सुरक्षा एजेंसियों के लोग काफी लम्बे समय से शिकायतें कर रहे थे - हो सकता है कि उन्होंने उनकी मां के बारे में भी इसी प्रकार की शिकायतें की हों - कि वे सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित नहीं थी, कि वे अत्यंत लापरवाह थी अथवा उन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी, वे इस संबंध में काफी दुस्साहसी थी, कि वे उनके अनुदेशों का पालन नहीं करती थी। और वे अनेक जगहों पर लोगों के बीच जाती थी और उनका इस प्रकार से करना निश्चित रूप से खतरनाक और जोखिम भरा था। यही बात श्री राजीव गांधी के बारे में भी कही जाती थी। मान लो सुरक्षा कार्मिकों का यह कहना बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया वे अक्सर भीड़ में लोगों के बीच चले जाते थे - इसलिए कि वह बहुत लोकप्रिय थे - लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सड़क के किनारे मैदान में रात के समय बैठक को सम्बोधित करने के लिए श्री पैरम्बदूर में उन्हें जाने की अनुमति क्यों दी?

श्री शिव शंकर ने उस तथ्य का वर्णन किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लिट्टे ग्रुप के यह हत्यारे, जिनकी पहचान कर ली गई थी तमिलनाडु में कैसे आए और विभिन्न स्थानों पर कैसे घूम रहे थे और राजीव गांधी की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखे हुए थे। उनके अनुसार वे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे उनहोंने एक प्रकार से पूर्वाभ्यास भी किया था अतः श्री पैरम्बदूर में यह घटना किस प्रकार हुई। यह मैं समझने में असमर्थ हूं। लोग कतार बनाकर खड़े उनका अभिवादन कर रहे थे उन्हें मालाएं पहना रहे थे और फूल भेंट कर रहे थे और उनके चरण स्पर्श कर रहे थे क्या उन लोगों की जांच की गई थी। उनकी जांच नहीं की गई थी क्योंकि उनमें से ही एक व्यक्ति मानव बम्ब था हर कोई अब इसे जानता है जिस व्यक्ति ने बटन या खटका यह जो भी था दबाया था और विस्फोट हुआ। वह वही लड़की थी जिसका चित्र समाचार पत्र में छपा था जो राजीव गांधी का जनसभा में पहुंचने का इंतजार कर रही थी और उस व्यक्ति श्रीनिवासन के साथ फूलों की माला लिए खड़ी थी जो एक आंख वाला जैक के नाम से जाना जाता था।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसलिए यह प्रश्न वास्तव में मुझे परेशान करता है कि जब तक पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा इस प्रकार लापरवाही अथवा कर्तव्य पालन में चूक न की गई होती तो यह घटना कैसे संभव थी। मैं नहीं जानता कि इस पहलू पर किसी सीमा तक जांच की गई है मुझे न्यायमूर्ति जैन की रिपोर्ट और निष्कर्षों में इस बारे में कुछ देखने को नहीं मिला है। मैं नहीं जानता कि क्या कालांतर में होने वाली किसी जांच यदि कोई जांच हुई, में इस पहलू को शमिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा यह सरकार को हमें बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को हमें बताना चाहिए कि क्या वे इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कराने में रुचि रखते हैं अथवा नहीं।

लोग सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं मैं उन्हें कहना नहीं चाहता हूं कि कौन इसमें शामिल है किन लोगों ने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया अथवा किस सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दी कि कार से उतरकर पैदल चलकर मंच तक जाओ जिसे वहां बनाया गया था। कुछ ही सैकड़ों में सब कुछ घटित हो गया। वे कार में "द न्यूयार्क टाइम्स" की एक महिला पत्रकार के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं उसने वापस जाकर इस बारे में एक बहुत बड़ा लेख भी लिखा। वह उस घटना स्थल पर मौजूद थी इससे प्रासंगिक तथ्य उपलब्ध होते है कुछ पहलू है जिनकी जांच की जानी चाहिए। वे लोग वहां किस प्रकार आए? क्या वे उस दिन वहां आनेसे पहले उस शहर में किसी के घर ठहरे हुए थे? यदि ऐसा है तो किसने उनकी मेहमान-नवाजी की और वे किसके मेहमान थे? उस घटना स्थल तक उन्हें कौन लाया था? किसने उस महिला को उस लाइन में खड़ा करा था जहां राजीव गांधी जी को आना था और लोगों का अभिवादन लेना था? क्या इन मामलों की छानबीन नहीं की जानी चाहिए? मैं इस विशेष पहलू को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह चीज मुझे चिंतित कर रही है।

यदि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं और यदि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करने में इस प्रकार असफल हुई है, इसके बावजूद श्री राम जेठमलानी ने पुलिस की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। यह ठीक नहीं है मैं चाहूंगा कि यदि इसकी आगे जांच होती है तो इन पहलुओं पर भी गौर किया जाना चाहिए अब आगे जांच कौन करेगा क्या यह बहुआयामी निगरानी एजेंसी है...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : यह बहुआयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है बहुआयामी अनुशासनिक निगरानी एजेंसी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : चाहे श्री इन्द्रजीत गुप्त गलत उद्धृत करें तो भी वे ठीक कर रहे है...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि श्री राम जेठमलानी ने ठीक ही कहा है कि जो भी जांच एजेंसी या निकाय स्थापित की जाती है उसका कोई न कोई विधायी आधार होना चाहिए, संसद को इसे किसी विशेष अधिनियम या ऐसे ही किसी कार्य से अधिकार संपन्न बनाना होगा। जबतक यह ऐसा करने के लिए विधायी रूप से अधिकार संपन्न नहीं होती तब तक इसका अस्तित्व ही क्या है, कौन इसकी परवाह करेगा और इसके पास ऐसी कोई जांच करने का अधिकार और क्षमता कैसे होगी? इसलिए, मुझे आशा है कि अगर हम चाहें तो ऐसे सुझाव और प्रस्ताव आएंगे जो किसी सक्षम प्राधिकरण की स्थापना में सहायक होंगे।

महोदय, जहां तक श्री करूणानिधि का संबंध है, मैं क्या कहूं? मैं उस सरकार में गृह मंत्री था जिसे श्री करूणानिधि के नाम से गिराया गया था। यह झूठी अपील हमारी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए की गयी थी कि श्री करूणानिधि, उनके दल, और उनकी सरकार के लिट्टे के साथ संबंध थे और इसलिए इस हत्या के लिए किसी न किसी रूप में उन्हें जिम्मेवार ठहराना चाहिए और इसी कारण संयुक्त मोर्चा सरकार को अपने दल में से द्रविड़ मुनेत्र कजगम को निकाल देना चाहिए अन्यथा श्री सीताराम केसरी अपना समर्थन वापस ले लेते।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री जैन जिन्होंने, अंतरिम रिपोर्ट में द्रविड़ मुनेत्र कजगम और श्री करूणानिधि के बारे में इस प्रकार की बातें कही है; अंतिम रिपोर्ट में एक अलग ही राग अलापते हैं। और कहते हैं: 'नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया; मैंने कभी किसी की ओर उंगुली नहीं उठाई; मैंने किसी विशेष व्यक्ति या दल को कभी दोषी नहीं ठहराया। वे अब ऐसी बातें कर रहे हैं। परंतु, इसी बीच, एक सरकार चली गई; एक सरकार गिरा दी गई।...*(व्यवधान)* नहीं; मैं इससे काफी नाराज हूं। यह ठीक होता अगर हम किसी चुनाव या सभा या ऐसी ही किसी जगह हारे होते। हर व्यक्ति हमें स्वीकार करता। लेकिन यह क्या हुआ? अनेक विशिष्ट व्यक्ति जो यहां बैठे है वे मेरे अच्छे मित्र हैं जो श्री सीताराम केसरी के भी साथी हैं और अगर उन्होंने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका था तो मैं यह समझ सकता हूं कि कोई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है।

यहां ऐसी सरकार भी है जिसे कई लोग गिराना चाहेंगे। परंतु मैं हरेक को यह सलाह देना चाहूंगा। अगर आप हार जाते, अगर बहुमत और अल्पमत जैसी कोई बात हो तो कोई भी शिकायत नहीं कर सकता। परंतु अगर आप कोई सरकार गिराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक ऐसी सरकार का विकल्प देने की स्थिति में हैं जो समान रूप से व्यवहार्य या अच्छी होगी। परंतु श्री केसरी के पास ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था या हो सकता है कि वे सोच रहे हों कि हमारी सरकार गिराकर वे सत्ता में आ सकेंगे; मैं नहीं जानता कि उनकी सोच क्या थी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सभा के पिता समान हैं; आप उस व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं? यह ठीक नहीं है। आपको जो भी कहना है आप बिना किसी का नाम लिए कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, महोदय, जो हो गया सो हो गया। हत्या हो गई। श्री राजीव गांधी की हत्या, संयुक्त मोर्चा सरकार की हत्या, दोनों हो चुकी हैं। वे वापस नहीं लाए जा सकते। कुछ भी नहीं किया जा सकता।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आपकी सरकार एक महीने के लिए भी तीन मंत्रियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम ऐसा क्यों करें? क्या इसलिए करें कि केवल आप यह कह रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले थे।

इसलिए महोदय, ये कुछ ऐसी बातें, मुद्दे, प्रश्न हैं जो इस पूरे धूंधले प्रकरण से बाहर हैं। मुझे आशा है कि जिस भाग की अभी जांच की जानी है वह एक सक्षम संस्था द्वारा की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकार सम्पन्न है और मुझे आशा है कि यह अपराधों की इस श्रृंखला का अंत होगा जो कि एक प्रकार से विदेशी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं यह एक विदेशी एजेंसी थी क्योंकि लिट्टे कोई भारतीय एजेंसी नहीं थी। प्रश्न यह है कि क्या इससे कुछ भिन्न या कोई और इसके पीछे था, इसकी जांच की जानी बाकी है।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कई लोगों को नाराज किया था, जो केवल किसी विशेष धर्म या भावना से संबंधित नहीं थे बल्कि इनसे भिन्न थे। फिर भी मैं कई अन्य बातों के लिए उनका समर्थन करता हूं, जिसकी वजह से वह साम्राज्यवाद की आंखों की किरकिरी बनी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि परदे के पीछे अन्य शक्तियां थी जो उन्हें रास्ते से हटाकर खुश होतीं। परन्तु, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षक के रूप में हम यहां हैं। श्री आडवाणी जी यहां उपस्थित हैं। वे एक समर्थ और शक्तिशाली गृह मंत्री हैं। वे मेरी तरह नहीं हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को वास्तव में सुदृढ़ बनाने के लिए अब कुछ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में हमारे नेताओं और हमारे प्रधान मंत्री पर इस तरह के हमले फिर न हो सकें।

मैं इसे द्रविड़ मुनेत्र कजगम और आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम के बीच लड़ाई के रूप में नहीं ले रहा है। मुझे आशा है कि यह बहस इसे उस स्तर तक नहीं गिराएगी क्योंकि यह बहुत दुखद और त्रासदीपूर्ण होगा। यह उससे भी कहीं बड़ा है। मुझे इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है कि तमिलनाडु में इन दो पार्टियों में क्या लड़ाई है।

इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यहां दो बड़े दल - सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्ष—यह देखने की भरसक कोशिश करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में मुख्य दल हैं। परन्तु यदि उन दलों द्वारा किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की जानी हो तो छोटे दल चुप नहीं रहेंगे। सभा में बहस किए जाने को लड़ाई नहीं समझना चाहिए। वो एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी ने आपसे चुप बैठने को नहीं कहा है।

इसलिए मैं हरेक - बड़े दल, छोटे दल और प्रत्येक से अनुरोध करूंगा कि यह पता लगाने की भरसक कोशिश करें कि इस चर्चा और बहस से इस देश और राष्ट्र के हित के लिए कुछ उपयोगी बात सामने आए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं यहां सभा को संबोधित कर सकता हूं? मैं इस प्रश्न के संबंध में दो भागों में बात करूंगा। चूंकि की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में मुझसे कुछ बातों की जांच के लिए कहा गया है इसलिए मैं अंतिम रिपोर्ट और की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में मेरे बारे में दिए गए विशेष संदर्भो पर चर्चा करूंगा। अगर समय होगा, तो मैं इस आयोग की रिपोर्ट के कुछ सामान्य पक्षों पर भी चर्चा करूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को किसी नागरिक की जांच करने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी नागरिक सत्तारूढ़ सरकार द्वारा की जा रही जांच पर प्रश्न या उसका विरोध नहीं कर सकता। परन्तु अगर सरकार किसी आयोग की रिपोर्ट के बिना किसी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी की जांच की मांग करती है तो ऐसे में आयोग स्वयं जांच की सिफारिश नहीं करता अथवा जांच का आधार प्रस्तुत नहीं करता है ऐसे में देश में इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि ऐसा पुराने विरोध के कारण किया गया है। इसलिए यदि जांच की जाती है तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। वास्तव में, जब भी मैं सरकार का विरोध करता हूं तो मैं आशा करता हूं कि वे इसकी जांच करेंगे। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा—यह मेरा मामला है, मैं इसे आज ही लूंगा—कि जैन आयोग की रिपोर्ट, अंतिम या अंतरिम, किसी भी रूप में मुकदमे चलाने की बात या इसकी सिफारिश की बात नहीं करती - इस सरकार ने मेरे विरूद्ध जांच की सिफारिश की है। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट इस तरह से तैयार की गई है कि जानबूझकर मेरा नाम इसमें लाया जाए जिससे देश में मेरे खिलाफ प्रचार हो सके। वास्तव में न्यायमूर्ति जैन ने मेरे खिलाफ कुछ टिप्पणी की हैं। मैं उन सभी को तथा जिनमें वे जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते उन्हें लूंगा।

की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में मेरे संबंध में पृष्ठ 17-18 में विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें भाग II का शीर्षक है डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की कथित अंतरग्रस्तता। मोटे तौर पर यह लगभग एक पृष्ठ है परन्तु यह दूसरे पृष्ठ पर भी गया है क्योंकि पृष्ठ 17 पर यह कई पैराग्राफों के बाद पुनः लिया गया है। उसके बाद पृष्ठ 31-32 पर की गई कार्रवाई के बारे में मुझसे संबंधित संदर्भ है।

अंतिम रिपोर्ट में अर्थात् षडयंत्र के बारे में रिपोर्ट के खंड II में पृष्ठ संख्या 192-93 में पैराग्राफ 3 के अंत में जो कुछ न्यायाधीश जैन

[डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी]

ने कहा है वह इस प्रकार है :-

"इन वक्तव्यों को अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रास्वामी के संबंध न केवल श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ थे, जैसा कि पहले से विदित हैं, परंतु श्री चंद्रा स्वामी, डा. सुब्रहमण्यम स्वामी और श्री ओ.पी. चौटाला के साथ भी थे।"

वास्तव में मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार यह सूची और अधिक बड़ी हो सकती है। परंतु आयोग ने जो कहा है वह यह है। इसमें यहां बैठे काफी लोग शामिल हो जाएंगे।

"तथापि, अगर ये संबंध अच्छे नजदीकी घनिष्ट माने जाएं तो षडयंत्र में कोई उल्झाव नहीं हो सकता चाहे 10 जनपथ पर देखरेख और श्री जफर सैफुल्लाह का वक्तव्य कुछ संदेह पैदा कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उनमें से किसी के विरुद्ध आरोप संबंधित षडयंत्र के प्रश्न में उल्झाव के संबंध में कोई अभियोग या आरोप नहीं है और इस संबंध में कुछ गवाहों के बयान बिल्कुल ही अमान्य हो जाएंगे।"

यह षडयंत्र से संबंधित रिपोर्ट के उस खंड का निष्कर्ष हैं परंतु की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट ने इस भाग को पूरी तरह छोड़ दिया है। इसमें इस भाग का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि न्यायाधीश जैन की इस बात को चुना है कि 1995 में मैं लंदन गया था और यह एक रहस्य ही है कि किस काम और किस उद्देश्य के लिए, अर्थात् चंद्रास्वामी और मैं लंदन गए थे और यह कहा जा सकता है कि यह सुझाव ए आई सी सी के परामर्शी श्री आर.एन. मित्तल ने श्री चंद्रास्वामी को उनके साथ बहस के दौरान दिया था कि यह हमारा प्रयास है अर्थात् मेरा और चंद्रास्वामी का किसी श्री जगजीत सिंह चौहान को अनुमोदक बनाया जाए और जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मित्तल का सुझाव था कि हम लंदन जाकर जगजीत सिंह चौहान को भारत आने के लिए कहें और एक अनुमोदक के रूप में जैन आयोग के समक्ष बयान दें।

इस सुझाव को बहस के दौरान श्री चंद्रास्वामी ने नकार दिया था परंतु श्री मित्तल का यह सुझाव इस रूप में मेरे सामने मेरी बहस के दौरान मेरे समक्ष रखा गया था।

1995 में लंदन के मेरे दौरे के संबंध में मुझसे श्री आर.एन. मित्तल द्वारा 27 सितंबर 1995 को मेरे साक्ष्य के दौरान प्रश्न पूछे गए थे और उस गवाही को जो मैंने दी थी रिपोर्ट में नहीं है परंतु मेरे रिकोर्डों से मुझे यह प्राप्त हो गयी है, मैंने इस प्रकार कहा था:-

"जुलाई, 1995 में मैं लंदन गया। मैं वहां दो दिन रहा। मैं कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए मोंटे कार्लो जा रहा था। श्री चन्द्रास्वामी ने भी अनेक बार मेरे साथ यात्रा की है, लगभग छह माह पूर्व भी उन्होंने मेरे साथ यात्रा की थी, जुलाई की मेरी यात्रा में वे मुझे मोंटे कार्लो में मिले क्योंकि मुझे कुछ साक्ष्य जुटाने में उनकी सहायता चाहिए थी, हम दोनों भारत से लंदन तक एक साथ नहीं गए, मेरे विचार से वह अमेरिका जा रहे थे। साक्ष्यों को जुटाने का श्री राजीव गांधी की हत्या करने के षडयंत्र से कोई संबंध नहीं था या इस आयोग के विचारार्थ विषय से कोई संबंध नहीं था। हम लोगों ने लगभग छह बार साथ साथ यात्रा की, कभी कभी हम एक ही होटल या एक ही घर में रहे, मैं लंदन में हाइड पार्क एरिया होटल में ठहरा। मुझे याद नहीं है कि मैं कभी लंदन में किंसटन होटल में रूका था, मैं कभी भी खालिस्तानी नेता जगजीत सिंह चौहान से नहीं मिला। चन्द्रास्वामी ने मेरे साथ कभी भी जगजीत सिंह चौहान के बारे में चर्चा नहीं की।"

जब मेरी जिरह चल रही थी तो कोई भी वकील उपस्थित नहीं था न ही न्यायमूर्ति जैन ने मुझे पूछा कि मैं वहां क्या सामग्री एकत्रित करने गया था, यदि आप वहां श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में सामग्री एकत्रित करने नहीं गए थे जैसा आपने कहा है तो फिर आप वहां किस सामग्री को एकत्रित करने गए थे? मेरे से यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। बल्कि मुझे आज याद है जब मैंने स्वेच्छा से यह सामग्री आयोग को देनी चाही तो न्यायमूर्ति जैन ने कहा यह आवश्यक नहीं थी। क्यों?

शायद उन्होंने सोचा कि यह आयोग के कार्यों के लिए अप्रासंगिक है। किंतु क्या यह जिज्ञासा की बात नहीं है कि आयोग ने जो सामग्री मैंने एकत्रित की उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई? मैंने एक टिप्पण के साथ इस सामग्री की एक प्रति पहले ही माननीय अध्यक्ष को दी है। यदि सभा अनुमति देती है तो मैं इसका उल्लेख करूंगा, मैं वहां कुछ फोटोग्राफ इक्कठे करने और एक बैंक अंतरण करने गया था। मोंटे कार्लो से मैंने यह फोटोग्राफ एकत्रित किया है। इस फोटो में श्री राम जेठमलानी, श्री अदनान खशोगी साथ साथ है और उन्होंने श्रीमती खशोगी की कमर में अपना हाथ डाला हुआ है और भी खशोगी का भी जेठमलानी की पुत्री सुश्री रानी जेठमलानी की कमर में हाथ है, दूसरे फोटोग्राफ में श्री चन्द्रास्वामी श्री राम जेठमलानी और श्री खशोगी श्री राम जेठमलानी का जन्मदिन मना रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ये सभी फोटोग्राफ केवल मोंटे कार्लो में उपलब्ध हैं।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : हां, क्योंकि जन्मदिन की पार्टी मोंटे कार्लो में श्री खशोगी की नौका में दी गई थी। मैंने इसे इसलिए प्राप्त किया क्योंकि श्री जेटमलानी को मानहानि के मुकदमे दायर करने की आदत है, हाल ही में उन्होंने एक मुकदमा मेरे विरुद्ध दायर किया है। मैंने इसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त किया हैं मैंने सोचा यह उपयोगी रहेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था यदि आपको ये फोटोग्राफ चाहिए तो मैं आपको उन्हें बाद में दे सकता हूं।...*(व्यवधान)*

तथापि आयोग ने मेरी लंदन यात्रा के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला हैं इसका उल्लेख खंड दो, पृष्ठ 12.5 पर है। यह मेरी लंदन यात्रा के बारे में जिसके बारे में वे अब मेरे विरुद्ध जांच करना चाहते हैं। आयोग ने निष्कर्ष निकाला :

> "यद्यपि आयोग द्वारा इस प्रकार एकत्र की गई सूचना के आधार पर उनकी यात्रा के प्रयोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है।"

इससे कुछ बनता नहीं है।

आयोग आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है:

> "उनकी यात्रा के प्रयोजन के बारे में इससे कुछ नहीं बनता है। किंतु यात्रा के उद्देश्य के प्रश्न के बारे में उनके बयानों में अंतर से कुछ संदेह पैदा होता है।"

उद्देश्य के संबंध में इनमें क्या अंतर था? अंतर यह था। न्यायमूर्ति जैन ने उसे यह कहकर स्पष्ट किया कि मैं श्री चन्द्रास्वामी को मोंटे कार्लो में मिला था और श्री चन्द्रास्वामी ने कहा, "मैं उन्हें लंदन में मिला," यदि यह अंतर था तो मुझे पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था। मुझसे उस अंतर के बारे में पूछना चाहिए था, उन्हें मुझसे यह पूछना चाहिए था कि आप इस पर रोशनी डालिए कि श्री चन्द्रास्वामी कहते हैं कि वे आपको लंदन में मिले, आप कहते हैं कि आप उन्हें मोंटे कार्लो में मिले। मुझे प्रति परीक्षा के लिए कभी नहीं बुलाया गया, यदि मुझे जिरह के लिए पुनः बुलाया गया होता तो मैं अपने पिछले और वर्तमान पासपोर्ट की उन फोटो प्रतियों का उल्लेख करता जो यह बताते है कि मैंने जून के अंत और जुलाई आरंभ में लंदन को यात्रा की और जुलाई, 1995 के अंत में पुनः लंदन होकर मोंटे कार्लो की यात्रा की, हम दोनों को, किस यात्रा के बारे में पूछा गया है उस बारे में भ्रांति थी। मुझसे जुलाई, 1995 की यात्रा के बारे में पूछा गया था, मुझसे पूछा गया, क्या आप भी चन्द्रास्वामी से मिले थे?" मैंने कहा "हाँ, मैं मोंटे कार्लो गया था और उनसे मिला था।" मैं यह मान रहा था कि मुझसे मेरी दूसरी यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है और श्री चन्द्रास्वामी से विशेष रूप से उनकी पहली यात्रा के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, मैं उनसे लंदन में मिला।" श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अनेक बार श्री चन्द्रास्वामी से न्यूयार्क में मिले हैं, ऐसी मुलाकातों में मैं षडयंत्र नहीं रचता और लंदन में भी कोई षडयंत्र नहीं रचा गया। उस समय मेरा दर्जा एक कैबिनेट मंत्री का था। मैं आयोग का चैयरमैन था। मैं उच्चायोग की जानकारी के बिना आया और इधर उधर घूमा। लंदन में उच्चायोग ने मेरा स्वागत किया। मुझे एक कार दी। उच्चायोग ने मेरे साथ एक अधिकारी तैनात किया। मैंने उनके साथ दोपहर का भोजन किया और तत्कालीन उच्चायुक्त डा. सिंघवी द्वारा आयोजित किए गए स्वागत समारोह में शामिल हुआ। जब मैं कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद पर था तो मेरी यात्रा छुपी नहीं रह सकती थी। फिर यदि बयानों में कहीं अंतर था तो वे मुझे जिरह के लिए पुनः बुला सकते थे, मुझसे प्रश्न पूछ सकते थे और मैं इसे स्पष्ट कर देता। किंतु न जाने क्यों उन्होंने मुझे नहीं बुलाया।

अब मैं न्यायमूर्ति जैन की अनुदार और प्रतिकूल टिप्पणियों पर आता हूं। उनसे मेरी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने टिप्पणी की है कि डा. स्वामी एक अविश्वसनीय गवाह है जिन्होंने संगत प्रश्नों का उत्तर न देने का सतत व निरंतर प्रयास कर आयोग को सच्चाई का पता लगाने में बाधा डाली। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार क्या है? की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का खंड आठ, अनुबंध ग-53 में न्यायमूर्ति जैन ने ये टिप्पणियां की हैं। की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के पृष्ठ 32 पर दावा किया गया है कि उसके लिए आयोग उनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकता था। की गई कार्यवाही प्रतिवदेन में जो कहा गया है मैं उसको पढ़ता हूं। मैं पृष्ठ 31 पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :-

> "डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी शुरू से ही सूचना के स्त्रोत को प्रकट करने का प्रतिरोध कर रहे हैं।
>
> "डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी द्वारा सूचनादाता या मध्यस्थों के माध्यम से कहीं से भी सूचना प्राप्त करने के बारे में उनके समग्र बयान को पढ़ने से कतई विश्वास नहीं होता है और यह तब और अविश्वसनीय बन जाता है जब वे मध्यस्थों के नामों को प्रकट नहीं करता है और वे सूचना के तरीके के बारे में टाल मटोल करते हैं।"
>
> "इसलिए जब डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी अपने बयान को बदलते है और जब वे अनिश्चित हैं और विशेषरूप से जब वे अपने बयान के पक्ष में कोई संपोषक साक्ष्य नहीं देते तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।"
>
> "डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के बयान के भावार्थ से लगता है कि उनके द्वारा निरंतर और बार बार प्रश्नों का उत्तर न देने का प्रयास किया गया जो सच्चाई का पता लगाने या अन्यथा उनके द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है।"
>
> "ऐसी स्थिति में जांच आयोग अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 4 के लागू होने के दृष्टिगत भारतीय दंड संहिता की धारा, 174 का प्रयोग किया जा सकता है।"
>
> "उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अपराध के लिए कार्यवाही की जा सकती है।"
>
> "...उत्तर देने से इंकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अंतर्गत दंडनीय होगा।"

यह सत्य है कि लिट्टे से मेरे स्त्रोतों के बारे में पूछे गए अधिकतर प्रश्नों के उत्तर देने से मैंने इंकार किया। मैंने पहले कहा, "लिट्टे में मेरे मुखबिर हैं," जब मुझसे कहा गया कि इस का तात्पर्य यह है कि वे लिट्टे के कार्यकर्ता है तो मैंने कहा "नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं।" मैंने कहा, "मैं उन लोगों को जानता हूं जो लिट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे यह कहा।" उन्होंने उस बात को टेप कर दिया जो

[डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी]

मैंने मूलतः कहा था जहां पर मैंने कहा था, "मेरे लिट्टे में स्त्रोत हैं।" अब मैं कह रहा हूं, "मेरे कुछ ऐसे लोग है जो लिट्टे के कार्यकर्ताओं को जानते है तथा जो मुझे जानकारी देते हैं।" इसलिए यहां कुछ विरोधाभास है।

दूसरा, मैं आपको आज बताता हूं कि मैं लिट्टे की सूचना के स्त्रोतों को प्रकट करने से सहमत नहीं था, आयोग द्वारा मेरे विरुद्ध अभियोग न चलाने का कारण यह है कि मैंने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को उद्धृत किया था चाहे आप उस निर्णय से सहमत हों या न हों। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उद्धरण को वैध आधार पाया। यह निर्णय किरण बेदी बनाम जांच आयोग निर्णय था जिसमें यदि पर्याप्त वैध आधार हो तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रतिष्ठा के अधिकार के आधार पर शपथ लेने या साक्ष्य देने से इंकार करने की अनुमति दी गई है। मैं चिंतित था कि यदि मैं अपनी सूचना के स्त्रोतों को प्रकट करता हूं तो ये संकट या खतरे में पड़ सकते हैं। तथापि मैं आपको उस बात को बताता हूं जिसका प्रस्ताव न्यायमूर्ति जैन ने किया था, "मैं उनके आवास पर गया और अपने स्त्रोतों के नाम और पते दिए।" मैंने यह उन्हें दिया किंतु उन्होंने उसे आयोग की रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया।

मैं आपको स्पष्टतः बताऊंगा। सूचना के स्त्रोतों को प्रकट न करने का कारण यह था कि इनके बारे में व्यापक जानकारी है। मैं इस बात में सच्चाई के, मैं कुछ सबूत प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं निश्चायक या निर्णायक साक्ष्य नहीं दे सकता हूं। मैंने महसूस किया कि श्री राम जेठमलानी जो मेरे से जिरह कर रहे थे, वहां लिट्टे के कानूनी सलाहकार थे। वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने टाडा न्यायालय द्वारा उन 26 कैदियों को मृत्युदंड देने के निर्णय की आलोचना की है। मैंने कतरन की एक प्रति अध्यक्ष को दी है। मैं उसे उद्धृत कर सकता हूं।

यह 29 जनवरी, 1998 का 'मिड डे' है और शीर्षक है "सेन्टर्स मोस्ट फाउल" इसमें कहा गया है :-

> "पूर्व विधि और न्यायमंत्री (13 दिन की पिछली सरकार के) राम जेठमलानी को इस असाधारण निर्णय ने झकझोर दिया हैं उन्होंने मिड डे को बताया कि शायद न्यायाधीश के मन को इस तथ्य ने प्रभावित किया कि पीड़ित व्यक्ति एक पूर्व प्रधानमंत्री था। जेठमलानी ने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा सही किया जाएगा। शायद न्यायाधीश इस मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपना चाहता था।"

श्री जेठमलानी ने एक और स्वामी का बचाव किया...*(व्यवधान)* नहीं। पहले चन्द्रास्वामी। उस पर मैं बाद में बोलूंगा। श्री जेठमलानी ने एक और स्वामी प्रेमानन्द स्वामी का भी बचाव किया। स्वामी प्रेमानन्द को 'दि इंडियन एक्सप्रेस' ने 'लिट्टे स्वामी' कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : स्वामी बहुत हो गए हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप बहुत परेशान हो गए है। इसीलिए कहता हूं कि आप धर्म पर आधारित राजनीति छोड़ दीजिए।

[अनुवाद]

अब प्रेमानन्द को सम्पूर्ण तमिलनाडु में ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके आश्रम ने लिट्टे को आश्रय दिया। उन्हें आमतौर पर 'लिट्टे स्वामी' कहा जाता है। वरिष्ठ वकील श्री जेठमलानी उनके बचाव के लिए पुदुकोताई के 'सिटी कोर्ट' में गए। जब न्यायाधीश के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या प्रेमानन्द की 66 लाख रुपये भारी जुर्माने देने की क्षमता है तो न्यायाधीश ने टिप्पणी की :

> "अभियुक्त देश में उपलब्ध अच्छे से अच्छी कानूनी सेवा अर्थात् वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी को लगा सकते थे और यह इस मामले की न्यायिक जांच पर बृहत धनराशि खर्च कर सकते थे।"

मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता है वह अंजान हो। लेकिन आप देखिए, श्री जेठमलानी। मैं उन्हें अनेक वर्षों से जानता हूं। मैं इन अनेक वर्षों के लाभ का दावा नहीं करता...*(व्यवधान)* मैंने जैन आयोग को भी कहा था। मैंने जैन आयोग को यह सब कुछ बताया था। इसलिए उन्होंने मेरे विरुद्ध मान हानि का मुकदमा दायर किया था। मैंने जैन आयोग को बताया कि मैं इन स्त्रोतों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि श्री जेठमलानी वहां उपस्थित हैं और मुझे शंका है कि उनके लिट्टे से संबंध है।' इसके आधार पर जैन आयोग के बयान पर आज मेरे विरुद्ध श्री राम जेठमलानी द्वारा दायर किया गया मान हानि का मामला चल रहा है।

अब, श्री राम जेठमलानी को बम्बई विस्फोट के मामले में भी टाडा कोर्ट से बाहर रखा गया है क्योंकि वह दाउद इब्राहिम से पत्र व्यवहार कर रहे थे। टाडा कोर्ट ने ऐसा कहा था कि 'वह उपस्थित नहीं हो सकते।'...*(व्यवधान)*

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : उनके अनेक न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं और जब मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित व्यक्ति न्यायालय में आता है और उनके बारे में बातचीत करता है। उसे वह तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे ऊपर किसी न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चल रहा है। मेरे ऊपर केवल एक मुकदमा चल रहा है और वह है उनका मान हानि का मुकदमा; अन्यथा मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। लेकिन यहां टाडा कोर्ट है। मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है। मैंने इसे अध्यक्ष महोदय को दिया है

जिसमें टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि "आप किसी अभियुक्त के लिए उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम अनुसार आप के बम्बई विस्फोट के मामले में दाउद इब्राहिम के साथ आपके संबंधों और बातचीत के कारण एक तात्विक गवाह है।" मैं इस बात पर अटल हूं और मैं इसे साबित कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : जब मुझे अवसर मिलेगा, मैं आप किस तरह के*...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, हम आपके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह समाचार पत्रों में कहा गया है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, प्रयुक्त किया गया असंसदीय है। इसलिए इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आपने शब्द का प्रयोग किया है?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : शब्द असंसदीय है। लेकिन चूंकि वह स्वयं असंसदीय हैं इसलिए मैं उनसे इससे अधिक कुछ उम्मीद नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. स्वामी। यदि आपने वह शब्द प्रयोग किया है...

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने नहीं बोला है। उन्होंने बोला है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आपने शब्द का प्रयोग किया है।

श्री राम जेठमलानी : जी हां।

सभापति महोदय : कृपया आप अपने शब्द वापस लें ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उस शब्द को कार्यवाही वृतांत से निकाल देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत पढूंगा। यदि वह शब्द बोला गया होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता यदि वह यह कहते कि क्योंकि वह यह कहने को मजबूर हैं कि यह ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे दक्षिण भारत के लोग मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनकी सहूलियत के कारण अंग्रेजी में बोल रहा हूं।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : ठीक है। आप अंग्रेजी में बोलिए। हम अंग्रेजी समझते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड और परिस्थितियां थीं और जिन लोगों का इन्वाल्वमेंट था, वह स्पष्टरूप से सामने आए। आप ठीक ढंग से पकड़ रहे हैं। इसलिए आप बोलिए।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तथा भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री जफर सैफुल्लाह को दी गई जैन आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का हवाला है कि उन्होंने मोसाद द्वारा मझसे टेलीफोन पर की गई बातचीत के सुने गए रिकार्ड देखे हैं और यह कि यह अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा आसूचना विभाग द्वारा सुने गए हैं। जब वह मंत्रिमंडल सचिव थे उन्होंने आयोग के समक्ष बयान दिया था : 'मैंने मोसाद और सुब्रह्मण्यम स्वामी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के रिकार्ड देखें हैं।' यह की गई कार्यवाही रिपोर्ट के खंड II के पृष्ठ 239 और 240 में बताया गया है और मैं उद्धरित करता हूं :

> "श्री जफर सैफुल्लाह का वक्तव्य कुछ शंका उत्पन्न करता है जबकि वह (श्री सैफुल्लाह) कहते हैं कि शायद ईजराइल से जाफना अथवा तमिलनाडु के लिए चन्द्रास्वामी और डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की सुनी गई बातचीत के कुछ रिकार्ड थे। यह रिकार्ड आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यदि यह सुनी गई बातचीत के रिकार्ड आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाते तो यह सबसे अधिक ठोस सबूत होता। यदि जफर सैफुल्लाह का वक्तव्य सही है तो निश्चय ही इस सुनी गई बातचीत से इस कार्य में किसका हाथ है, इस प्रश्न पर काफी रोशनी पड़ती। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी के इसमें शामिल होने के संबंध में कोई भी सबूत नहीं मिल सकते है।"

न्यायमूर्ति जैन ने आयोग की रिपोर्ट में यह न कहकर बहुत अन्याय किया है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सचिव से पूछताछ की थी और मंत्रिमंडल सचिव ने अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा आसूचना विभाग को पूर्णतः शामिल करके 17 दिसंबर, 1997 को आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है और मैं उद्धरित कर रहा हूं :

> "आयोग द्वारा श्री जफर सैफुल्लाह की 4.9.1996 को केन्द्र सरकार के वकील की अनुपस्थिति में कैमरे के समक्ष छानबीन की गई थी और इसलिए केन्द्र सरकार को उनसे प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला। श्री सैफुल्लाह ने अपने बयान में संदेशों के बारे में कोई विशेष ब्यौरा नहीं दिया है। फिर भी, श्री सैफुल्लाह के बयान के बाद प्रश्नावली आयोग द्वारा अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा आसूचना विभाग को भेजी गई

[डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी]

> *और उन्होंने आयोग को स्थिति स्पष्ट की कि उनके पास कोई संदेश नहीं है जैसा कि श्री सैफुल्लाह द्वारा उल्लेख किया गया है।"*

वास्तव में, मुझे विश्वास है कि यह शपथ पत्र स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आपसी बातचीत के यह रिकार्ड कभी भी उपलब्ध नहीं थे। यदि ऐसे संदेश होते तो सरकारी रिकार्डो के रख रखाव की प्रणाली में उन्हें कभी नष्ट न किया गया होता। मैं इस बारे में नहीं जानता क्योंकि इसे शमिल नहीं किया गया है। अभी हाल ही में किसी के द्वारा मुझे मौखिक रूप से सूचित किया गया था जिन्होंने कहा था कि उन्होंने आयोग में शपथ पत्र देखा था लेकिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इसे बिल्कुल स्पष्ट करती है कि अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा आसूचना विभाग ने कहा था कि ऐसे कोई संदेश नहीं थे और उनके आधार पर न्यायमूर्ति जैन कुछ नहीं कह सकते हैं। वह कहते है कि यह कुछ शंका उत्पन्न करती है वह कार्यवाही की सिफारिश नहीं करते हैं। वह आगे और जांच की सिफारिश भी नहीं करते। वह केवल यह कहते हैं कि यह केवल तथ्यों का ब्यौरा है।

अब, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में इस सरकार द्वारा जो सबसे भ्रष्ट बात की गई है - यदि मुझे भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई होती और जो स्वाभाविक न्याय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है वह पृष्ठ 17 पर है। पैराग्राफ का शीर्षक है, 'डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की कथित अंतर्ग्रस्तता'

आयोग ने निम्न आधार पर डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी से पूछताछ की (क) श्री गोविन्दन कुट्टी तथा सेशन द्वारा लिखी गई पुस्तक में कहा गया है एक अंतरंग कहानी; (ख) आयोग के समक्ष श्री वेलू स्वामी द्वारा फाइल किया गया शपथ पत्र वे मेरी पार्टी में थे। मैंने उनको निकाल दिया था।...*(व्यवधान)* इसलिए नहीं निकाला कि उन्होंने डिपोजिशन दिया था। उससे पहले ही निकाल दिया था। (ग) न्यूयार्क में इंडिया एब्रोड के ब्यूरो चीफ श्री हजीज हनीफा को दिया गया डा. स्वामी का साक्षात्कार; (घ) श्री रोहण गुणवरधने द्वारा लिखित *इण्डियन इण्टरवेनशन इन श्री लंका* पुस्तक में उल्लेख, और (ङ) 28.8.1998 को राज्य सभा में डा. स्वामी का भाषण।

अब, जो कुछ भी इन्होंने उद्धरित किया है वह यह है कि "आयोग का यह विचार है कि ऐसा हो सकता है कि उनके लिट्टे के साथ कुछ संबंध हों" लिट्टे अनेक स्कन्धों के माध्यम से कार्य करता जैसे आसूचना स्कंध राजनीतिक स्कंध, प्रचार और प्रसार स्कंध आदि। लिट्टे से संबंध रखना अथवा एलाम का समर्थन करने का अर्थ अवश्य ही यह नहीं है कि श्री राजीव गांधी की भयानक हत्या में उनका हाथ हो सकता है। कड़े शब्दों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट में यह पांचों स्त्रोत रिकार्ड किए जाने चाहिए थे। इन बयानों के बारे में आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाला? प्रथम, मैं संसद में हुए वाद विवाद को लूंगा जो कि वास्तव में 1988 में हुआ था जबकि मैं राज्य सभा में था और मैं संसद के वाद विवाद से उद्धरित करूंगा। मैंने आयोग को एक प्रति दी है। आयोग ने इसके लिए पूछा था और मैंने आयोग को इसकी एक प्रति दी थी। इसमें क्या कहा गया है? यह मेरा भाषण है जिसके बारे में *श्री राम जेठमलानी ने मुझसे पूछताछ करते हुए मुझे कहा था कि यह भाषण लिट्टे के समर्थन में है और यह सिद्ध करता है कि मेरा लिट्टे से संबंध था। जब मैं बोल रहा था, श्री वी. गोपाल स्वामी वह* भी उस समय राज्य सभा के सदस्य थे खड़े हुए और कहा, "सभी तमिल लोग लिट्टे के साथ है। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी आपको यह मालूम होना चाहिए। आप लिट्टे को बदनाम करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं।" मेरे भाषण में क्या था? यह भाषण श्री राजीव गांधी की हत्या से पहले 29 अगस्त, 1988 को दिया गया था। मैंने कहा, लिट्टे हथियार डाल दो। आप गांधीवाद अपनाएं। भारत के लोग श्रीलंका में तमिल लोगों की रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन चूंकि आप हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, यह हिंसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हम श्रीलंका के सभी तमिल लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संगठन को स्वीकार नहीं करेंगे।" यह लिट्टे की मांग है। यहां अन्य संगठन भी हैं। जब मैं बोल रहा था, श्री वी. गोपाल स्वामी ने हस्तक्षेप किया था। वह इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उन्हें लिट्टे के साथ हमदर्दी है। हो सकता है उन्होंने तब से अपना विचार बदल लिया हो। उन्होंने कहा, "आप लिट्टे को बदनाम करने के लिए संसदीय मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं।" मेरे लिट्टे के साथ संबंध थे यह कहने के लिए यह भाषण दिया गया था। न्यायमूर्ति जैन ने अंततः जो कुछ कहा है, उसका उललेख की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में नहीं किया गया है, "क्योंकि आप ऐलाम का समर्थन कर रहे हैं, अथवा आपको लिट्टे से हमदर्दी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका इसमें हाथ है।" वास्तव में मैं कहूंगा कि मैं ऐसा एकमात्र राजनीतिज्ञ हूं जिसने शुरू से ही लिट्टे का विरोध किया। लिट्टे से मेरे जीवन को भारी खतरा होने के कारण पांच सरकारों ने मुझे 'जैड' श्रेणी में डाल दिया था। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रतियां दे दी थी। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट हैं जिनमें यह कहा गया था कि मेरे लिए सुरक्षा प्रबंध बढ़ा देने चाहिए क्योंकि बैंकाक से एक दल आया है जो कि मेरी हत्या करना चाहता है। मुझे यह बताया गया था। जब मैं गैट आयोग का चेयरमैन था तो मेरा कार्यालय बदल दिया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा था मेरा नाम लिट्टे की हिट लिस्ट में शामिल है। इसलिए, कार्यालय सही स्थान पर होना चाहिए।

निश्चय ही, इसके परिणामस्वरूप मुझे बेहतर कार्यालय मिला। लेकिन तथ्य यह है कि यह सच है दूसरे हैं, श्री वेलूसामी। मैं नहीं जानता उनके पीछे कौन है। लेकिन वर्ष 1992 में मैंने उन्हें अपने दल से निकाल दिया था...*(व्यवधान)* अर्थात् जनता पार्टी। हम रोजाना दल नहीं बदलते। ऐसा आन्ध्र प्रदेश में हो सकता है लेकिन यहां नहीं हो सकता है...*(व्यवधान)* इससे कोई अंतर नहीं पड़ता; मैं अकेला रह सकता हूं। लेकिन यह जनता पार्टी है, जिसका चिह्न वही है जो कि वर्ष 1977 में था।

मैंने उन्हें वर्ष 1992 में पार्टी से निकाल दिया था, वर्ष 1995 में उन्होंने यह कहते हुए एक शपथ पत्र दायर किया था कि 21 मई, 1991

को मैं दिल्ली में नहीं था जैसा कि मैंने दावा किया है लेकिन मैं श्री पेरूम्बदूर के आस पास बेकार घूम रहा था; कि मैं मद्रास गया और फिर चुपके से त्रिदंत होटल चला गया और फिर वहां से मैं श्री पेरूम्बदूर में इंतजाम करने गया। आयोग ने खण्ड 2 के पृष्ठ 236 के पैरा 5.9 में इस प्रकार कहा :

> "अतः 21 मई को डा. सुब्रहमण्यम स्वामी की उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का कोई आधार नहीं है। श्री वेलूसामी अपने शपथ पत्र में बताए गए कथन को सत्यापित करने में समर्थ नहीं हुए है। अतः डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के वक्तव्य को सरकारी रिकार्ड से पुष्टि मिलती है।"

उस समय मैं मंत्री था। मैं किस प्रकार अदृश्य हो सकता था मेरा तात्पर्य है कि इस देश में मंत्रियों के लिए ऐसा करना असंभव है। हो सकता है इस सरकार में कुछ मंत्रियों के पास वह क्षमता हो। लेकिन निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं कर सकता था जब आयोग में यह शपथ पत्र आया तो मैंने आयोग को बताया कि या तो आप मुझे श्री वेलूसामी से जिरह करने की अनुमति दें - जो मुझे नहीं दी गई -अथवा इसके बारे में आप सरकार से पूछिए क्योंकि उनके पास रिकार्ड होगा कि मैं उस समय कहां था।

मैं 21 मई को वहां था। श्री मुलायम सिंह यादव का चुनाव रद्द कर दिया गया था। मैं उनके साथ चुनाव आयोग गया था और उसके बाद हत्या का समाचार आया वह उड़ीसा में थे। मैंने उन्हें टेलीफोन किया उस समय दिल्ली में उपस्थित मैं ही वरिष्ठतम मंत्री था। मैंने उन्हें उड़ीसा में टेलीफोन किया और तुरन्त वापस आने को कहा; श्रीमती सोनिया गांधी के वहां जाने के लिए वायु सेना के एक विशेष विमान का बंदोबस्त किया उन्हें विदा करने एयरपोर्ट गया। उसके बाद उनके साथ मैं यह निर्णय लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति जी से मिलने गया कि चुनाव के बारे में अब क्या करना है यह सब समाचार पत्रों में छपा था और फिर भी आयोग ने दिल्ली में मेरी अनुपस्थिति के बारे में शपथ पत्र पर विचार किया। मैंने यह सब न्यायमूर्ति जैन को बताया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि "मेरी बात की पुष्टि सरकारी रिकार्ड से होती है।"

तत्पश्चात तीसरी बात श्री हफीज हेनिका, सिंहली आधारित वाशिंगटन के पत्रकार की है। इन्होंने मेरे साक्षात्कार की मनगढ़ंत कहानी तैयार की और अमरीका में छपने वाली साप्ताहिक समाचार पत्रिका "इंडिया ऐबरोड" में प्रकाशित कर दी। उस मनगढ़ंत साक्षात्कार में मुझे यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि मैंने लिट्टे को मौसाद के साथ मिलवाया था। मैंने तत्काल उस साक्षात्कार से इंकार किया और मेरा इंकार उसी पत्र में प्रकाशित हुआ था मेरा लम्बा इंकार "इंडियन एक्सप्रेस" और "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ। मूल समाचार पत्रिका ने अपने आलेख में मेरा इंकार छापा था लेकिन की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया और न्यायमूर्ति जैन ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने इसका खंडन किया है और इसे रोक दिया गया। आयोग के पृष्ठ 236 और 237 में इस घटना का मात्र उल्लेख किया है लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की है।

तत्पश्चात श्री रॉगन गुसारत्ने आते हैं इन्होंने "श्रीलंका में भारतीय हस्ताक्षेप" नामक भारत विरोधी पुस्तक लिखी। पृष्ठ 409 में इन्होंने उद्धृत किया कि अमरीका में 2 लिट्टे तमिलों की ओर से - उस समय 1986 में मैं हावर्ड में पढ़ाने के लिए वापस चला गया था, मैं अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाया करता था - मैंने जनवरी, 1986 में प्रयास किया कि इजराइली और अमरीकी सरकारों के साथ मिलकर "ऐलम" के प्रयोजन को बढ़ावा दिया जाए लेकिन दोनों सरकारों ने मुझे साफ इंकार कर दिया।

श्री रॉगन गुनारत्ने की इस पुस्तक जिसका मैंने जिरह में पुनः खण्डन किया था मैं प्रत्येक तमिल को लिट्टे के रूप में दिखाकर सहिलियों की एक खास मुर्खता को दर्शाती है। इस मामले का भी आयोग ने थोड़ा सा उल्लेख किया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं है।

निसन्देह श्री शेषन महान है जिन्होंने जीवनी लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि श्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने नहीं बल्कि मौसाद ने की थी। उन्होंने बताया कि मुझे गुस्सा आया था। वस्तुतः मैंने श्री शेषन को बुलाये जाने के लिए कहा था और श्री शेषन को बुलाये जाने से पहले मुझे बुलाया गया।

सभापति महोदय : चूंकि श्री शेषन यहां नहीं है आप उनका नाम यहां नहीं ले सकते।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : उनका नाम की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में है।

सभापति महदय : क्या आप की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट का हवाला दे रहे है?

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : यह की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट के पृष्ठ 17 पर है।

श्री अजीत जोगी : यह आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट दोनों में है।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं इससे बाहर नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह ऐसा गंभीर मामला है मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। श्री शेषन ने जीवनी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि लिट्टे नहीं बल्कि मौसाद उसके लिए उत्तरदायी था। मैंने तुरन्त आयोग को पत्र लिखा कि जिरह के लिए श्री शेषन को बुलाया जाए। आयोग के जिरह के लिए पहले मुझे बुलाया और पूछताछ की मैंने सही बात बता दी और यहां भी वह सच्चाई बताना चाहता हूं। श्री शेषन मेरे घर आए और बोले "मौसाद ने राजीव गांधी की हत्या की न कि लिट्टे ने।" "मैंने उनसे पूछा "क्या आपको आघात लगा है अथवा आपके पास इसका कोई आधार है? उन्होंने कहा "नहीं, मैं आधार ढूंढ लूंगा"। मैंने पूछा "कैसे" तो उन्होंने कहा

[डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी]

"आप श्री चन्द्रशेखर से कहकर मुझे भारत का गृह मंत्री बनवा दीजिए, मैं आधार ढूंढ लूंगा। श्री चन्द्रशेखर जी यहां बैठे हुए है। वह गए और श्री चन्द्रशेखर जी से भेंट की...*(व्यवधान)* मैं आपको नहीं बताऊंगा कि श्री शेषन की बात सुनने के पश्चात् श्री चन्द्रशेखर जी ने मुझसे क्या कहा लेकिन वही बात थी जो उन्होंने मुझे बताया था। श्री शेषन की जिरह के पश्चात आयोग ने क्या कहा?...*(व्यवधान)* जी हां, मैं कसूरवार हूं और श्री शेषन की नियुक्ति करने और इस देश पर उन्हें थोपने के लिए मैं सभा में क्षमा मांगता हूं।

आयोग ने खण्ड 11 पृष्ठ 63 पर कुछ इस प्रकार से कहा है:-

> "मैंने श्री टी.एन. शेषन के अभिसाक्ष्य पर विचार किया है जिसे मैंने वस्तुगत रूप से अविश्वसनीय पाया है। भारत की अंतर आत्मा की आवाज ऐसी है।

यह वह मजाक है जिसे न्यायमूर्ति ने श्री शेषन के प्रति किया है। क्योंकि श्री शेषन ने "कंसाइन्स आफ इंडिया" नामक पुस्तक लिखी है। आयोग ने आगे कहा है -

> "कंसाइन्स ऑफ इंडिया इस तरह की पुस्तक है और मैं यहां, जैसाकि इस पुस्तक में बताया गया है, विदेश एजेंसी की संलिप्तता के मामले को बंद करता हूं।" उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।

सभापति महोदय, की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में यदि इन अभिसाक्ष्यों को रिकार्ड किया जाना था तो इसमें यह भी रिकार्ड किया जाना चाहिए था कि आयोग ने इनमें से प्रत्येक अभिसाक्ष्य को नकार दिया और इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। वास्तव में उन्होंने 5 में से 4 को अस्वीकार किया है संसद सोचती है कि उन्होंने केवल यही कहा था कि लिट्टे को समर्थन देने से यह अर्थ नहीं निकलता कि आप उसके कार्य में सहयोगी है। अब जब आप आयोग की रिपोर्ट की सारी सामग्री को एक साथ लेते हैं तो इससे उनका क्या आशय है? अंतिम अथवा अंतरिम रिपोर्ट किसी भी रिपोर्ट में कहीं भी आयोग ने मुकदमा चलाने अथवा अभियोग चलाने अथवा जांच तक कराने की सिफारिश नहीं की है इसने जांच की सिफारिश भी नहीं की है। इसने कहा कि "1995 में मैरा लंदन का दौरा एक रहस्य था" मैं 1995 में राजीव गांधी की हत्या की साजिश नहीं कर सका। पिछली किसी तारीख से आप पेंशन पा सकते है लेकिन आप अतीत में रची गई हत्या नहीं करवा सकते। मैं समझता हूं कि यह बेतुकी बात है उन्होंने कहा कि यह एक रहस्य था। वह रहस्य क्या है? क्या यह वह है जो श्री चन्द्रास्वामी ने कहा कि मैं उन्हें लंदन में मिला था और कि मैंने कहा था कि मैं मोंटे कारलो में मिला था? क्या यह जांच के लिए है? आप जांच कर सकते है मुझे जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है कई सरकारों ने मेरी जांच करवाई है। जब कभी वे मुझे पसंद नहीं करते वे मेरी जांच कराने लगते है हर समय इसके लिए आंदोलन होता है सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती है लेकिन अपनी वैधता के लिए आधार के रूप में आयोग का प्रयोग मत कीजिए। आप कह सकते है कि आप मुझे पसंद नहीं करते और मैं आपकी सरकार को गिराने जा रहा हूं यदि ईश्वर मुझे शक्ति दे तो मैंने आपकी सरकार को जरूर गिरा दिया होता। आप शासन करने के लिए योग्य नहीं है। आपने हर क्षेत्र में गड़बड़ी कर दी है। आपने पूरे विश्व में हमें उपहास का पात्र बना दिया है मैं आपकी सरकार को गिराना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं आप अन्य तरीकों के माध्यम से बदला ले सकते है। लेकिन उसके लिए राजीव गांधी हत्याकाण्ड का प्रयोग मत कीजिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट में मेरे खिलाफ जांच के लिए सुझाव तक नहीं दिया गया हैं इसके विपरीत मेरे खिलाफ लगाए गए ठोस आरोप को भी न्यायमूर्ति जैन आयोग द्वारा अस्वीकृत किया गया है। अथवा उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट ने 1995 में लंदन के मेरे दौरे पर एक मनगढ़ंत मुद्दा बना दिया जिससे आयोग ने यह कहते हुए समाप्त कर दिया था कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट से इस संबंध में जांच कराने के आदेश दिये गये है जबकि आयोग ने इसकी सिफारिश नही की है। अतः की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट राजनीतिक भावना से प्रेरित है। इसने श्री राजीव गांधी की हत्या को महत्वहीन बना दिया है। मेरी विश्वनीयता के बारे में आयोग ने प्रतिकूल टिप्पणियां की लेकिन मुझे आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जैसाकि जांच आयोग अधिनियम की धारा 8(ख) तथा 8(ग) में अपेक्षित है। मैं जांच आयोग अधिनियम से उद्धृत करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट हैं यदि आप समझते है कि वह टिप्पणी प्रतिकूल टिप्पणी है तो यही बात जांच आयोग अधिनियम में कही गई है और यह सामयिक सिद्धांत (टाइम हेलौड) भी है :

> "8 ख. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो : यदि जांच के किसी अनुक्रम में आयोग किसी व्यक्ति के आचारण की जांच करना आवश्यक समझता है; या आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो आयोग उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित अवसर देगा : परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो।"

इसके पश्चात धारा 8(ग) है :

> "समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा; आयोग को संबोधित कर सकेगा; और आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करा सकेगा।"

श्री करूणानिधि को धारा 8(ख) का नोटिस दिया गया था श्री वी.पी. सिंह को भी धारा 8(ख) का नोटिस दिया गया था। 21 लोगों को धारा 8(ख) के नोटिस दिये गए थे। मुझे धारा 8(ख) का नोटिस

नहीं दिया गया था। यदि आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं विश्वसनीय गवाह नहीं हूं क्योंकि मैंने अपनी जानकारी के स्त्रोतों को बताने से इंकार कर दिया। तो मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था तथा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति जैन ने ऐसा कभी नहीं किया और अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन के कारण मुझे शीघ्र ही इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मैं अभी भी यह कहता हूं कि सूचना न देकर ठीक किया। मेरे पास इसका वैध औचित्य था। और इस वैध औचित्यपूर्ण तर्क की गारंटी मुझे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 की व्याख्या से मिली।

आयोग द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने की सिफारिश न किए जाने के बावजूद सरकार अभी भी अपनी दुश्मनी क्यों निकाल रही है? यह प्रश्न है जिसे हमें पूछना चाहिए मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है पूरे देश में समाचार पत्र इसे छाप रहे हैं। श्री विनोद मेहता "दा आउटलूक" पत्रिका के संपादक है एक बार "दा इडिपेन्डेन्ट" में इनका एक लेख आया था। कि श्री यशवन्त राव चव्हाण सी आई ए के एजेंट थे। मुम्बई में बहुत हंगामा हुआ। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और जाना पड़ा। उसी श्री विनोद मेहता ने मुखपृष्ठ पर "स्वामीः मौजूद एजेंट" नामक कहानी छापी है। किस आधार पर? इसका आधार श्री जफर सैफुल्लाह के साक्ष्य था। लेकिन सरकार, केबिनेट सचिव द्वारा अथवा सचिवालय द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया। उसमें उस लेख का जिक्र नहीं किया गया है।

इसलिए, व्यापक पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। मैं इस पर निश्चित रूप से विचार कर रहा हूं। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा क्योंकि दोनों ही सदस्य इस सभा में उपस्थित है और मेरे पास सुझाव के लिए पर्याप्त सामग्री है और इसे सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है कि मेरी अखबारी कतरन के अनुसार दो लिट्टे समर्थक मंत्री श्री राम जेठमलानी और श्री जार्ज फर्नान्डीज उच्चतम न्यायालय में लिट्टे के उन कार्यकर्ताओं द्वारा दायर अपील जिन्हें "टाडा" विचारण न्यायालय ने मृत्यु दण्ड दिया है, पर अपना तर्क, अपनी दलील पेश करने की असमंजसता एवं हताशा की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि उनका मामला उच्चतम न्यायालय में निपटाया जाएगा। उन्हें तर्क देना होगा। वह तर्क क्या है? हो सकता है वे हल्का तर्क दें। परन्तु उस बड़े भारतीय षडयंत्र के संबंध में आपका क्या कहना है?

श्री नीडू मरान ने पहले ही मदुरै में एक वक्तव्य दे दिया था। नीडू मारन दिल्ली आए तो वे जार्ज फर्नान्डीज के साथ रहे थे। सभी जानते है कि वे भारत में लिट्टे के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, पूरी जांच फिर से शुरू की जाए और डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को मुख्य दोषी माना जाए।" लिट्टे का प्रचार तंत्र पहले ही इस संबंध में काम कर रहा है। वे यही करना चाहते थे। वे प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के लिए मेरी नियमित और लगातार की जा रही मांग को यह प्रश्न पूछकर प्रभावहीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं लिट्टे से जुड़ा हुआ हूं। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो लोगों को इस बात की हैरानी होती है कि क्या मैं वास्तव में गंभीर हूं या यह केवल दिखावा मात्र है। यही उद्देश्य है। की कई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट द्वारा आर. एस. एस. नियंत्रित भाजपा नेता यह आशा करते हैं कि मैं ए.आई.डी.एम.के. मोर्चे से तो अलग हो गया हूं और कांग्रेस ने भी कुछ दूर ही रखा है।

उनका लक्ष्य यही था। इसीलिए उन्होंने यह किया है। परन्तु मैं संचार माध्यम के एक बड़े भाग का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट की निंदा की और जांच से मेरा नाम हटाया।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति लेकर दो अखबारों से उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे श्री करूणानिधि के बारे में भी एक बात कहनी है क्योंकि वे मेरा वह साक्ष्य प्रयोग करते रहे है जो मैंने सुश्री जयललिता के खिलाफ प्रयोग किया था जिसे जैन आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। मुझे रिकार्ड प्रस्तुत करने होंगे। मुझे आशा है आप मुझे इसके लिए कुछ समय देंगे। महोदय, पहले मैं 2 अगस्त, 1998 के दैनिक जागरण से उद्धृत करना चाहूंगा। यह अखबार काफी बिकता है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा के संसद सदस्य, श्री नरेन्द्र मोहन जी का है।

[हिन्दी]

आपका दोस्त नहीं हैं लेकिन एडीटोरियल अच्छा लिखा है :

> "मिलाप चन्द्र जैन ने जो भी निष्कर्ष या वे तर्क प्रस्तुत किए हैं, वे कल्पनाओं पर आधारित जान पड़ते हैं जिन्हें कुछ लोगों ने मात्र सुर्खियों में जगह पाने के लिए गढ़ा था। ये कल्पित कथाएं सुनने सुनाने का मंच जैसा बन गया था। सुब्रहम्ण्यम स्वामी को जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मिलाप चन्द्र जैन सरीखे आयोग के आरोपों का उन पर असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा यह होगा कि इस रपट को लेकर राजनैतिक राग द्वेष न भुनाए जाएं अन्यथा राजीव गांधी हत्याकांड की वास्तविक जांच पर भी इसका असर पड़ेगा जो देश हित में नहीं होगा।"

श्री लालू प्रसाद : यह किसने कहा है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह "दैनिक जागरण" के एडीटोरियल ने लिखा है जिसके मालिक बी.जे.पी. सांसद श्री नरेन्द्र मोहन हैं। ...*(व्यवधान)* बी.जे.पी. में भी आज ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी अकल है और जो आर.एस.एस. के चंगुल से बचकर आए हैं।

[अनुवाद]

महोदय, 4 अगस्त, 1998 के इंडियन एक्सप्रेस में जो सच्चाई बताई गई है उसे मैं यहां कहता हूं :

> "की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट तैयार करते समय सरकार भी निष्पक्ष नहीं लगती। अगर आयोग के निष्कर्षों को देखा जाए तो सरकार के सामने सबसे अच्छा रास्ता यह है कि पूरी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में

[डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी]

डाल दिया जाए और करने के लिए और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हें किया जाए। इसलिए, खुश करने की कोशिश में इसने श्री करूणानिधि और सुब्रहमण्यम स्वामी को निशाना बनाने की राजनीति अपनाई। और जांच के लिए, अगर राजनैतिक स्थिति की मांग होगी तो सरकार शिकंजा और अधिक कस लेगी। परन्तु जैन रिपोर्ट से अत्यधिक पाने की लालसा में कोई भी दल यह कहने को तैयार नहीं कि यह रिपोर्ट एक मूर्खतापूर्ण कार्य था।

महोदय, द ट्रिब्यूनल इसे 'असीम स्वांग' कहता है। लगभग हर अखबार के संपादकीय लेख ने की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है, विशेषकर मेरे मामले में, मुझे निशाना बनाया गया है क्योंकि मैं उनके विरूद्ध काम कर रहा हूं। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या जैसे घृणित अपराध का उपयोग किया है।

सभापति महोदय, मैं श्री चंद्रास्वामी के साथ अपनी मित्रता के बारे अपनी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं उन्हें केवल दस वर्षों से ही जानता हूं। परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें पिछले बीस सालों से जानते हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत उन्हें और भी अधिक समय से जानते हैं और श्री राम जेठमलानी अदनान खशोगी की पत्नी के साथ मोंटे कारलो खशोगी याट पर पार्टियां कर रहे थे जबकि अदनान खशोगी कुछ और ही कर रहे थे। इसलिए अगर मैं चारों ओर देखूं तो मैं कई आदमियों के नाम बता सकता हूं। यह भाजपा विशिष्ट व्यक्ति परिचय दिखता है। जब मैं चंद्रास्वामी के आश्रम जाता हूं तो भाजपा के लोगों के चेहरे देखकर हैरान हो जाता हूं। भाजपा का एक विशेष व्यक्ति मौजूद होता है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मैं उनका मित्र हूं। परंतु अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं इस रास्ते में नहीं आऊंगा। वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। परंतु उनका मित्र होने का केवल यह अर्थ नहीं है कि मैं भी वही करता हूं जो मेरे मित्र करते हैं। अगर मैं उनका मित्र हूं तो उनको स्पष्ट करना होगा।

महोदय, मेरा तो यह कहना है कि आयोग ने स्वयं यह रिकार्ड किया है कि श्री राजीव गांधी की सरकार गिराने के प्रयोजन में श्री राम जेठमलानी की श्री चंद्रास्वामी और श्री रामनाथ गोयंका के साथ अंतर्ग्रस्तता थी। श्री राम जेठमलानी ने मुंबई के एक न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बोफोर्स के संबंध में अपने दौरे लगाने के लिए चंद्रास्वामी से धन लिया था।

अपराह्न 3.00 बजे

यह सब हत्या से पहले की बात है। अगर हमारी सरकार आती, अगर मैं सरकार में होता और अगर मैं भी ऐसा घटिया काम करूं जो उन्होंने किया है तो मैं सबसे पहले श्री राम जेठमलानी और स्व. राजीव गांधी की हत्या में उनका हाथ होने की जांच करवाऊंगा जैसा कि उन्होंने मेरे बारे में किया है। मैं अपनी मित्रता का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनका मित्र हूं। परन्तु मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उसमें विद्याचरण शुक्ल का भी नाम है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : दुनिया भर के नाम में दे सकता हूं।

श्री लालू प्रसाद : आपके विचार से कांसपिरेटर कौन है?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : थोड़े दिन इंतजार करिए। यह सरकार गिरेगी। उसके बाद अपने लोगों की सरकार आएगी। हम पूरी जांच करके सबका पता कर लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. स्वामी जी कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आप काफी समय ले चुके हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह मेरी अंतिम बात है और यह बहुत ही संक्षेप में है। श्री करूणानिधि को 8बी का नोटिस मिला था और उन्होंने एक छोटे से बहिष्कार के बाद कार्यवाही में पूरी तरह भग लिया। वे जैन आयोग के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। उन्हें 8बी नोटिस प्राप्त हुआ था और उन्होंने कार्यवाहियों में भाग लिया था। मैं यहां करूणानिधि का नाम नहीं लेता परन्तु उन्होंने मेरा नाम लिया है। वो एक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते रहे। सुश्री जयललिता के नए राजनीतिक सलाहकार ने जैन आयोग में सुश्री जयललिता के बारे में यह कहा था। अब, श्री करूणानिधि के नए राजनैतिक सलाहकार श्री चिंदबरम के बारे में क्या कहा जाए? उन्होंने लोक सभा में 25 फरवरी, 1991 को क्या कहा था?

महोदय, मैं एक बात के बारे में काफी उत्सुक हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इसे स्पष्ट करें। मेरे मामले में उन्होंने इसे 'सुब्रह्मण्यम स्वामी की कथित से संलिप्तता' कहा है परंतु श्री करूणानिधि के मामले में उन्होंने 'हत्या में संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका' कहा हैं अब श्री करूणानिधि को संदिग्ध व्यक्ति बनाया गया है मैं द्रविड़ मुनेत्र कजगम के सदस्यों का अभिभाषण सुनता रहा था जो श्री आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता की कूटनीतिज्ञता की प्रशंसा कर रहे थे। मैं जानता हूं कि मद्रास में हिंदू मुननानी और आर.एस.एस. के श्री करूणानिधि से अच्छे संपर्क हैं। श्री करूणानिधि ने विनायक चतुर्थी पर्व पर उनके साथ वह खाना स्वीकार किया था जिसे हम तमिल में 'काया केट्टा' कहते हैं। आर.एस.एस. ने ऐसे वक्तव्य दिए मिले हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कजगम सरकार को बर्खास्त न किया जाए। वे इसके बारे में काफी चिंतित थे। उन्हें इस सच्चाई का आभास हो गया था कि कुछ तो हुआ हैं अब उन्होंने उनका नाम एक 'संदिग्ध' के रूप में प्रस्तुत क्रिया है। सरकार करूणानिधि के विरूद्ध एक 'संदिग्ध' के रूप में कैसे जांच कर सकती है? अगर श्री

करूणानिधि एक संदिग्ध व्यक्ति हैं तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में श्री करूणानिधि के विरुद्ध कोई सही जांच कैसे शुरू की जा सकती है? मेरे विचार से अगर निष्पक्ष और सही जांच करनी है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।

अंत में मेरा कहना है कि की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट ने उनकी जूती उनके सर मारी है। वे फासीवादी हैं और उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के मामले का दुरूपयोग किया है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि इस सरकार को हटाकर देश को बचाया जाए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय 'संदिग्ध की भूमिका' के प्रश्न के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जैन आयोग के अध्याय का शीर्षक है। यह सरकार की देन नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तर्क की बात अधिक है।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, यह गलत है। कुछ गलतियां हुई हैं। यह पिछले अध्याय में है। परन्तु श्री करूणानिधि का नाम अगले अध्याय में है। यह एक भूल है। यह अध्याय IX में है जबकि यह 'संदिग्ध' अध्याय VIII में है। इसलिए यह एक भूल है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह खंड V में है।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : जी हां। मैं केवल खंड V की ही बात कर रहा हूं। यह एक भूल है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह खंड V में है।

श्री मुरासोली मारन : "हत्या में संदिग्ध व्यक्ति की भूमिका" अध्याय VIII में है। श्री करूणानिधि का नाम अध्याय IX में आया है जो 'स्टेन्ड आफ एस आई टी आन थ्योरीज बियोन्द लिट्टे' शीर्षक के अंतर्गत है। यह एक भूल है। यह एक भूल है, आपको इससे दूर करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री राम जेठमलानी एक व्यक्ति स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री राम जेठमलानी : सभापति महोदय, नियम 357 के अधीन आपके द्वारा दी गई अनुमति से मैं तीन गलत आरोपों, जो मेरे विरुद्ध इस पवित्र सदन में लगाए गए थे, के संबंध में पांच मिनट में संक्षेप में ही कहना चाहता हूं। यह कहा गया था...*(व्यवधान)* आप चित्र देख सकते हैं। यह चित्र मेरी बेटी के ड्राईंग रूप से चुराया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री राम जेठमलानी : यह कहा गया था कि मुम्बई के किसी टाडा न्यायालय ने न्यायालय कक्ष में मेरा प्रवेश निषिद्ध कर दिया था क्योंकि मेरा दाउद इब्राहिम के साथ कोई संबंध था। मैंने कभी इतना बड़े और गैर जिम्मेदाराना झूठ नहीं सुना। मुम्बई स्थित टाडा न्यायालय सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। जो भी व्यक्ति, वकील उस न्यायालय में जाता है उसकी सूची सुरक्षा स्टाफ को दी जाती है और केवल वहीं व्यक्ति जिनकी सूची प्रवेश द्वारा सुरक्षा स्टाफ को दी जाती है उन्हें ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। मैं 'टाडा' न्यायालय में दो अभियुक्तों के बारे में जा रहा था। एक सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त था जिसके बारे में सभी जानते हैं। दूसरे एक सज्जन व्यक्ति, श्री आजमी थे। एक वकील के रूप में, मेरा यह विश्वास है कि श्री आजमी पूरी तरह निर्दोष हैं। मैंने उनके केस पर पूरे खुले रूप से बहस की थी परन्तु मैं समझता हूं कि न्यायाधीश इतने हठी किस्म के व्यक्ति थे उनका निर्णय कितना गलत था कि उन्होंने उनकी जमानत देने से भी इंकार कर दिया था। हमने फैसला किया था कि अब हम उस न्यायालय में नहीं जाएंगे और मैंने अपने कनिष्ठ साथी से कहा था कि आइन्दा मैं इस हठी न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं होगा। न्यायाधीश ने मेरे कनिष्ठ से पूछा, "क्या श्री जेठमलानी का यह अंतिम निर्णय है कि वे मेरे न्यायालय में नहीं आएंगे?" मेरे कनिष्ठ ने कहा, "नहीं, वे नहीं आएंगे"। उसके बाद द्वार के सुरक्षा कर्मी को यह सूचना दे दी गई कि श्री जेठमलानी अब इस केस में आने वाले अधिवक्ता नहीं है। यही सब हुआ था मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति, जिसे एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, न्यायिक रूप से आयोग द्वारा*..... ऐसे कैसे मान लिया गया है। कम से कम मुझे यह न्यायिक जिम्मेवारी, मैंने ऐसा निर्णय लिया है। मेरे विरूद्ध एक ऐसे व्यक्ति ने आरोप लगाया है जो स्वयं न्यायिक रूप से.. ....

अब हम उक्त फोटोग्राफ की बात करते है। क्योंकि यह कुछ ज्यादा रोचक लगता है। 1988 में इसमें कोई शक नहीं कि मैं चंद्रास्वामी के लिए पेश हो रहा था क्योंकि मैं मानता हूं कि उस समय उन्हें तंग किया जा रहा था और फिर उन्होंने बोफोर्स की जांच में हमारी मदद करने की पेशकश भी की थी जो कि मैं उस समय अन्य साथियों की मदद से मैं कर रहा था। मेरा जन्मदिन 14 सितंबर है। 13 सितंबर को मैं संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहा था क्योंकि मेरे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने मेरा जन्मदिन वहां मनाने का निर्णय किया था। जब मैं यूरोप होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहा था, श्री चंद्रास्वामी ने कहा, "यदि आप मोंटे कार्लो आते हैं तो श्री अदनान खशोगी के पास श्री मार्टिन आरदबो से संबंधित एक दस्तावेज है।" उस समय वह श्री मार्टिन आरदबो के लिए काम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उसे बोफोर्स से बर्खास्त किया गया था। वह ब्रुनेई के सुल्तान के यहां उसके लिए काम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उसने कहा, "यदि आप मोंटे कार्लो होकर जाएं तो हम आपको वह दस्तावेज देंगे," मुझे उस दस्तावेज की बहुत जरूरत थी।,मैं, मेरी बेटी और बेटा 13 सितंबर को मोंटे कार्लो गए। 13 सितंबर की रात को उन्होंने मेरे सम्मान में एक बड़ी पार्टी दी। मैं बहुत खुश था कि मैं वहां उपस्थित था। मैं आनन्द ले रहा था। मैं अपनी बेटी के साथ था। श्री एवं श्रीमती खशोगी के साथ एक फोटोग्राफ लिया गया जिसमें मैं कुछ पाश्चात्य बना हुआ हूं। वह फोटोग्राफ मेरी बेटी ने अपनी बैठक में रखा था। किसी ने उसे चुरा लिया है। 1988 के

* पीठाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री राम जेठमलानी]

फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए वे 1995 में वे वहां गए ...*(व्यवधान)* आप इसे यहां परिचालित कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आपको वह दस्तावेज मिला?

सभापति महोदय : श्री आचार्य यह प्रश्नकाल नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : हां, मोंटे कार्लो में मुझे वह दस्तावेज मिला जिसे मैंने आपराधिक न्यायालय में प्रस्तुत किया

सभापति महोदय, श्री स्वामी ने दावा किया है कि न्यायमूर्ति जैन को उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है क्या न्यायमूर्ति जैन का उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया था या नहीं इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं। हो सकता है वे सही हों कि न्यायमूर्ति जैन का उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रहा हो। किंतु आज जहां तक हमारा संबंध है आयोग का एक निष्कर्ष है। कि उन्होंने आयोग की सहायता नहीं की; कि उन्होंने कहा*..... तथा उन्होंने उस न्यायालय को सत्य नहीं बताया जो राजीव गांधी की मृत्यु के कारणों को अवधारित कर रहा था। कम से कम इसकी किसी के द्वारा आगे जांच की जानी चाहिए। यदि वे तथ्यों का पता लगाने वाले निकाय को सहयोग देने से इंकार करते हैं तो आपको उनके आचरण की और जांच करनी होगी। वे शिकायतें करते रह सकते हैं। हो सकता है वे निर्दोष हों – मैं आशा करता हूं वे निर्दोष निकले किंतु वे हर किसी में दोष नहीं ढूंढ सकते है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे असंदिग्ध और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में दोष नहीं ढूंढ सकते है जिन लोगों के बारे में सारा विश्व स्वीकार करता है कि उनकी सत्यनिष्ठा पर उंगुली नहीं उठाई जा सकती है, इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा उन्हें बदनाम किया जा रहा है जिसे न्यायिक रूप से ठहराया गया है......

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, ... और...... शब्दों का तीन बार प्रयोग किया गया है। उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि वे असंसदीय शब्द है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : शब्दावली की दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग अनुचित है। संसद के नियमों के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग सभापटल पर नहीं किया जा सकता हैं।

श्री राम जेठमलानी : मुझे खेद है इन शब्दों को 'सत्य से परे' के अर्थों में लिया जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसका तात्पर्य है आपने वे शब्द वापस ले लिए है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, स्वामी जी ने फोटोग्राफ को डैमोस्ट्रेट किया और माननीय जेठमलानी जी ने उनको यह कह कर रिफ्यूज किया कि वह चोरी किया गया। अगर चोरी किया गया तो क्या आपने कोई एफ.आई.आर. लिखाई है।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : मैं बहुत खुश हूं कि किसी के पास यह फोटोग्राफ है।

[हिंन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपने कहा कि फोटोग्राफ चोरी चला गया। चोरी चला गया तो केस होना चाहिए था।

श्री राम जेठमलानी : कोई जरूरत नहीं है।

अपराह्न 3.11 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, नियम 377 के बारे में आपका क्या डिसीजन है।

सभापति महोदय : चार बजे लेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय जैन आयोग की नियुक्ति राजीव गांधी की निर्मम हत्या की जांच और इस मामले के कुछ पहलुओं के तथ्यों का पता लगाने के लिए की गई थी। सारे देश की यह जानने में दिलचस्पी है कि दोषी कोन है और इसके पीछे क्या षडयंत्र है। जैन आयोग की नियुक्ति से पूर्व इस मामले के कुछ अन्य पहलुओं पर गौर करने के लिए एक अन्य आयोगं की नियुक्ति की गई थी। इन दो आयोगों के अलावा विशेष जांच दल को जांच करने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने का दायित्व सौंपा गया था।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान जैन आयोग की रिपोर्ट की प्रकृति और विश्वसनीयता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्मा आयोग की नियुक्ति के बाद कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता श्री पी.वी. नरसिंह राव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर को एक पत्र लिखा जिसमें इस आयोग के विचारार्थ विषय का विस्तार करने के लिए कहा गया था। इसे न्यायमूर्ति वर्मा को भेजा गया

जब यह पत्र न्यायमूर्ति वर्मा को भेजा गया, जब वर्मा आयोग के विचारार्थ विषय के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया तो जो न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "विद्यमान विचारार्थ विषय ही भारत के उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के वैध कृत्य के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है। इस विचारार्थ विषय में सुझाया गया परिवर्धन न्यायिक कृत्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण सरकार इस बात से भी अवगत

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

होगी कि जब उच्चतम न्यायालय ने इसे एक अपवाद माना है और आयोग की अध्यक्षता करने के लिए एक वर्तमान न्यायाधीश की सेवाओं को देने के लिए सहमत हुआ है तो वह इस विचार से सहमत है।"

वह यह भी कहते है :

"सुझाए गए परिवर्धित विचारार्थ विषय में शामिल मामले वर्तमान न्यायाधीश के वैध कृत्य की व्यक्ति के भीतर नहीं आता है और अपनी प्रकृति के अनुसार जांच एजेंसी की व्याप्ति और कृत्य के भीतर है जो अपराध की जांच का कार्य कर रही है।"

महोदय, जब अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई तो हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट अप्रामाणिक और बेतुकी टिप्पणियों की एक मनगढ़ंत रचना है जिनकी अपेक्षा एक जांच आयोग से नहीं की जाती है। यदि हम अंतरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और की गई कार्यवाही रिपोर्ट का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जो कुछ हमने अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के समय कहा था वह सही है।

महोदय, मैं अंतिम रिपोर्ट के खंड छह के पृष्ठ 60 का उल्लेख करना चाहता हूं। यह एक रोचक पैरा है। अंतिम रिपोर्ट के खंड छह पृष्ठ 60 में क्या है? अंतरिम रिपोर्ट के बारे में न्यायमूर्ति जैन ने कहा :

"मेरा यह भी मानना है कि अंतरिम रिपोर्ट की व्याप्ति के बारे में आम जनता में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है, जो घटनाओं के क्रम तक सीमित है न कि षडयंत्र के पहलू तक"

पुनः वे कहते है :-

"कि अंतरिम रिपोर्ट में षडयंत्र संबधी पहलू पर गौर नहीं किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट में श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए किसी आपराधिक षडयंत्र के बारे में किसी व्यक्ति या संगठन या पार्टी को अभ्यारोपित नहीं किया गया है।"

अंतरिम रिपोर्ट के बारे में न्यायमूर्ति जैन ने यह कहा था।

महोदय, जिस राजनीतिक दल ने अंतरिम रिपोर्ट पर निर्भर रहकर संयुक्त मोर्चा सरकार को गिराया उसे एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा खुश है क्योंकि चुनावों के बाद वह सत्ता में आई है और अब भाजपा अंतरिम रिपोर्ट का उपयोग अपने अस्तित्व व सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है।

इसीलिए की गई कार्यवाही रिपोर्ट पूर्णतः राजनीति प्रेरित रिपोर्ट है जिसमें अपने एक सहयोगी दल के विरोध को शांत करने और किसी को दबाव में रखने के लिए एक या दो व्यक्तियों को घसीटा गया है।

अब मैं अंतरिम रिपोर्ट पर आता हूं जिसमें तमिलों की उग्रवादी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है अंतिम रिपोर्ट में ठीक इसके उल्टा है, यही न्यायमूर्ति जैन ने कहा है और मैं अंतरिम रिपोर्ट के खंड 7 के पृष्ठ 936 में पैरा 73.15 को उद्धृत कर रहा हूं :

"वर्ष 1988 के अंत तक तमिलनाडु में समग्र स्थिति में काफी बदलाव आ गया था, आपरेशन टाईगर के बाद श्रीलंकाई आतंकवादियों को प्राधिकारियों पर संदेह होने लगा था, प्रभाकरण भारत छोड़ चुके थे और 57 लिट्टे कार्यकर्ताओं के निर्वासन के बाद तमिलनाडु में लिट्टे प्रतिष्ठान सतर्कता से कार्य कर रहे थे, श्रीलंकाई आतंकवादी गुटों की गतिविधियां प्रभावी रूप से नियंत्रित हो चुकी थी। 1988 के अंत तक यह देखा गया। तमिलनाडु में आतंकवाद की समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका था।

तत्कालीन भारत सरकार ने आतंकवादियों का खुले रूप से और प्रत्यक्षतः समर्थन किया तथा वीं प्रभाकरण के उससे घनिष्ठ संबंध के, केन्द्र ने भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार देने में सहायता की थी। उस समय इन्हें जातीय समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। न कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किंतु उस समय तक वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे जिन्हें लिट्टे द्वारा तमिलनाडु को हवाई अड्डा तथा भारतीय शांति सेना के विरूद्ध आक्रमण शुरू करने का अड्डा बनाने के बाद बंद किया जाना चाहिए था। घायल लिट्टे कैडरों का तमिलनाडु में इलाज किया गया था, आदि।

भारतीय शांति सेना के विरूद्ध अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए लिट्टे को हथियार गोला बारूद, विस्फोट सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तमिलनाडु से प्राप्त हो रही थी। वह भी द्रमुक सरकार प्रशासन की सहायता और विधि प्रवर्तन एजेंसी के साथ सांठगांठ से।"

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

"1989 से पूर्व आतंकवादी गतिविधियां विशेष रूप से लिट्टे की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी नहीं थी हालांकि तमिलनाडु के संसाधनों के बाहर व भीतर से तश्करी की गतिविधियों का तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना उस अर्थ में और देश के कानूनों के प्रतिकूल राष्ट्र विरोधी हो सकती हैं ऐसा लगता है भारतीय तमिलों की भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त गतिविधियों की उपेक्षा कर दी गई और उनसे कड़ाई से नहीं निपटा गया। स्थानीय तमिलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसका कुछ राजनीतिक आधार भी था।"

[श्री बसुदेव आचार्य]

जैन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1989 से पूर्व लिट्टे को समर्थन देना, उकसाना व सहायता देना राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं था। किंतु 1989 से यह राष्ट्र विरोधी कार्य बन गया। महोदय हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी और तमिलनाडु में द्रमुक सरकार थी। जो कार्य राष्ट्र विरोधी न था अपितु देश भक्ति का था यकायक राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? महोदय, इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंतरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और की गई कार्यवाही रिपोर्ट राजनीति प्रेरित है।... *(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की उपस्थिति और उनके वापस लौटने में मतभेद था। वही मतभेद था... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सी.पी. राधाकृष्णन, क्या आप जवाब दे रहे है?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अंतरिम रिपोर्ट में अन्य गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसमें बताया गया है :

> "अत्यंत गंभीर प्रश्न जिसे आयोग द्वारा काफी गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है क्या श्री वी.पी. सिंह इस स्वरूप व उस स्वर की सुरक्षा प्रदान करने में, जो श्री राजीव गांधी की सुरक्षा कर पाती, किसी घबराहट, दुर्भावना व विद्वेष से प्रेरित थे। जंहा तक विद्वेष का प्रश्न है किसी मानव के दिल और दिमाग की थाह लेना अत्यंत कठिन है। यह तो परिस्थितियों से पता चल सकता है। बाह्य परिस्थितियां भी इस और ध्यान केन्द्रित करती है। श्री वी.पी. सिंह और उनकी सरकार की ओर से की गई कार्यवाही उक्त स्थिति का पूरक माना जा सकता है। सुरक्षा के पहलू को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसका दायित्व सुरक्षा का अपेक्षित स्वरूप की गुणवत्ता सन्निकट रहने वाली सुरक्षा और अन्य सुरक्षा व्यवस्था आदि की अनुपलब्धता को ध्यान में रखे बिना राज्यों को सौंप दिया गया था।"

अगले वाक्यों में कहा गया है :

> "श्री राजीव गांधी के साथ श्री वी पी सिंह के व्यक्तिगत संबंध अत्यंत तनावपूर्ण थे और साधारण और संतोषजनक संबंधों से परे थे तथापि मैं यह प्रश्न श्री वी पी सिंह के लिए छोड़ देता हूं कि वे स्वयं आत्म निरीक्षण करे अपना मन हटा लें।"

अगले वाक्य में कहा गया है :

> "हो सकता है अनुवर्ती परिणति से अभिप्राय हत्या किया जाना न हो, लेकिन अपर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा योजनाओं की परिणति इस प्रकार की अनभिलक्षित परिणाम के रूप में हुई।"

अंतिम रिपोर्ट में इसके बिल्कुल विपरीत कहा गया है। जैन आयोग किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुवर्ती हत्याकाण्ड अभिलक्षित नहीं हो सकता लेकिन ऐसी अपर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा योजनाओं को परिणति ऐसे अनभिलक्षित परिणाम के रूप में हुई ऐसा अनभिप्रेत हत्याकाण्ड हुआ? अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है :

> "श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर और श्री पी.वी. नरसिम्हाराव के खिलाफ प्रो. तिवारी द्वारा जो कुछ भी कहा गया, उससे इनके खिलाफ षडयंत्र रचने का कोई मामला नहीं बनता है। यह उनकी अपनी कल्पना और उनके स्वयं की शब्दावली और उनकी शैली की सृष्टि है जिस प्रकार से उन्होंने इस मामले को प्रस्तुत किया है। तीनों प्रधान मंत्री के पद पर आसीन थे और ऐसी कोई कल्पना करके क्या यह कहा जा सकता है कि इनमें से किसी न किसी का मनतव्य राजीव गांधी की हत्या के षडयंत्र से जुड़ा था।"

वही आदमी उन पूर्व प्रधान मंत्रियों की ईमानदारी के बारे में संदेह व्यक्त कर रहा था। और इससे देश में एक बार फिर चुनाव कराए गए।

> "अंतिम रिपोर्ट में न्यायमूर्ति जैन ने कुछ कहा था उन्होंने कहा :- किसी भी कल्पना लोक की उड़ान से यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी का भी मन्तव्य राजीव गांधी की हत्या के षडयंत्र से जुड़ा था।"

उन्होंने तमिलो के बारे में जो कुछ कहा है उसको उचित ठहराने का प्रयास किया हैं मैं खण्ड VI के पृष्ठ 64 से उद्धृत कर रहा हूं। अंतरिम रिपोर्ट में प्रयोग की गयी अभिव्यक्ति है "कि राजीव गांधी की हत्या जिस प्रकार की गई थी, तमिलनाडु में तमिलों के साथ लिट्टे कार्यकर्ताओं के साथ गहरे संबंधों के बिना संभव नहीं हो पाती।" इसने तमिलों को क्षति पहुंचाई। तमिलनाडु में सभी तमिलों के साथ ऐसे संबंधों के बारे में अभिव्यक्ति ने न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में निन्दा की गई। अंतिम रिपोर्ट में न्यायमूर्ति जैन पलट गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे यह कहना जारी रखा "मेरा कहने का मतलब यह नहीं था और यह हो भी नहीं सकता कि तमिलनाडु में तमिल भाषी सभी लोगों के साथ ऐसे सम्बंध थे ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु में सभी तमिलों को लिट्टे की गतिविधियों और संचालन की जानकारी हो।" तत्पश्चात् अंतरिम रिपोर्ट में न्यायमूर्ति जैन तमिल लोगों के बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि श्री राजीव गांधी की हत्या जिस प्रकार से की गई थी तमिलनाडु में तमिलों के साथ, लिट्टे कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों के बिना संभव नहीं हो सकती थी? उन्होंने "कुछ तमिल" अथवा "तमिलों के किसी वर्ग" का प्रयोग तक नहीं किया हैं। बल्कि उन्होंने यह कहा है कि पूरी तमिल जनसंख्या, महोदय, यदि हम खण्ड VII के पृष्ठ 925 को देखते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : जब कभी भी किसी विशेष स्थान में कोई समस्या होती है तो स्थानीय लोगों के मध्यस्था के बिना उसे

उठाया नहीं जा सकता। यही बात रिपोर्ट में कही गई है। यह बात सामान्यतः तमिलनाडु में सारे तमिलों के लिए लागू नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति जैन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही है। वे इसे इस तरह क्यों पेश कर रहे हैं? महोदय क्या मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को अनुरोध कर सकता हूं कि किसी को इसमें से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पहले ही स्पष्ट कर चुके है। अंतरिम रिपोर्ट में वे इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं? वे पूरी तमिल जाति को किस प्रकार दोषी ठहरा सकते है? इस क्षति के पश्चात् वे अंतिम रिपोर्ट में पलट जाते है...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : मुझे बताइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उस पर आऊंगा। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए यह 'प्रश्न काल' नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : वह कल्पना महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह 'प्रश्न काल' नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : खण्ड 11 के पृष्ठ 925 में यह बताया गया है :

> "अलग-अलग अवधि के दौरान आतंकवाद का स्वरूप और उसका स्तर अलग अलग रहा और एक ऐसा समय आया जब यह तमिल लोगों के सामाजिक ढांचे में राष्ट्र विरोधी आचरण के रूप में व्याप्त होने लगा था। इसमें राजनीतिक दलों की भी सांठ गांठ थी। जातीय मामला सभी तमिलों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन गया था।"

राजाव गांधी की हत्या पर तमिल लोगों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था, मैंने पहले ही कह दिया था, बाद में अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने इसे बदल दिया है।

मैंने पहले ही कह दिया है कि न्यायमूर्ति जैन ने स्वयं कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट में किसी व्यक्ति अथवा किसी राजनीतिक दल पर दोषारोपण नहीं किया है। अंतिम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई दोषारोपण नहीं है। सरकार किस प्रकार श्री करूणानिधि के खिलाफ जांच आरंभ करने के बारे में निष्कर्ष पर पहुंची?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्यो को नहीं, अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह मुझे परेशान कर रहे हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : तमिल भूमि पर एक राष्ट्रीय नेता की हत्या की गई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री करूणानिधि के संबंध में अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष क्या हैं? श्री करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई थी। कई मामलों पर उनसे पूछताछ काफी प्रासंगिक थी। यह किया भी गया। फिर कौन से अन्य व्यक्ति थे जिनसे पूछताछ नहीं की गई थी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में क्या है? श्री करूणानिधि की भूमिका के संबंध में आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणियां की है। वह गंभीर टिप्पणियां क्या है? वहां कोई भी गंभीर टिप्पणी नहीं है। इसमें बताया गया है :

> "सामग्री के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष अप्रतिकार्य है कि करूणानिधि और उनकी सरकार और कानून लागू करने वाली ऐडो निकायों द्वारा लिट्टे को गुप चुप समर्थन दिया गया था।"

लिट्टे की किसने सहायता नहीं की थी? 1988 में पहले एम जी आर सरकार और एआईएडीएम की सरकार ने भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिट्टे की सहायता की थी।

श्री आर. मुथैया : हमने लिट्टे का समर्थन सामान्य प्रयोजन के लिए किया था न कि राजीव गांधी अथवा किसी अन्य की हत्या करने के लिए की थी।

श्री बसुदेव आचार्य : लिट्टे को दी गई सहायता अच्छे उद्देश्य के लिए थी।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह क्या हो रहा है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप तभी बोल सकते हैं जब आपकी बारी आएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : 1986 में मुदरै में, तमिल हेतु ऐलम को कौन सहायता दे रहा था? वो थे श्री मुरासोली मारन, संसद सदस्य, श्री एम. करूणानिधि, एन टी रामाराव , के अनवाजगन और ए.बी. वाजपेयी, संसद सदस्य और श्री वी. गोपालस्वामी संसद सदस्य, एन.वी.एन. सोमू, संसद सदस्य और एल गनेषन।

श्री आर. मुथैया : किस वर्ष में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, उन्होंने उद्धृत नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट राजनीतिक दस्तावेज है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया समाप्त कीजिए। आपने पहले ही 30 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है। आपके दल से एक वक्ता और हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय सभा 10 बजे तक चलेगी। कृपया मुझे मत रोकिए क्योंकि मुझे कुछ बातें और कहनी है।...*(व्यवधान)* वे बार-2 मेरे बोलने में व्यवधान डाल रहे है। वास्तव में मेरा समय तो उन्होंने ही ले लिया है।

श्री टी.आर. बालू : डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी एक घंटे तक बोले थे। महोदय आपको सभी माननीय सदस्यों को और समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट राजीनतिक दस्तावेज है। इसमें श्री करूणानिधि को दबाव में रखने तथा अपने एक सहयोगी के विरोध को शांत करने के लिए श्री करूणानिधि के खिलाफ केवल एक ही वाक्य का उल्लेख किया है। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात् पश्चिमी बंगाल में हमने बंद रखा। हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ कई मतभेद थे। फिर भी हम अपने देश के इस महान नेता की कायरतापूर्ण हत्या की निंदा करते हैं।

अंतरिम रिपोर्ट में विदेशी हाथ होने के बारे में कहा गया है। मैं प्रसिद्ध अधिवक्ता और मंत्री श्री राम जेठमलानी के अंतिम वाक्य के साथ सहमत नहीं हूं कि इसमें सब कुछ बताया गया है। विदेशी हाथ के बारे में क्या कहा गया है? अंतरिम रिपोर्ट में क्या कहा गया है? खंड III, पृष्ठ 170 में कहा गया है :

> "इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्रों में यह देखना कि षडयंत्र कहां, कब और किसके द्वारा रचा गया और किस तरह से षडयंत्र के अनुसार कार्य किया जाना था, बहुत कठिन होता है, यह स्पष्ट करना लगभग असंभव होता है क्योंकि षडयंत्रकारी और उनके सहायक कोई भी आगे नहीं आते।
>
> यदि शिवरासन, शुभा तथा षणमुगम, आसूचना चीफ पोटफ अमान तथा लिट्टे प्रमुख वी. प्रभाकरन पकड़े गए होते तो हत्या के पीछे के षडयंत्र का पता चल सकता था..."

की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन उससे पहले एक अन्य पैराग्राफ है जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उल्लेख किया गया है कि सरकार ने पूरी तरह से उपेक्षा की है। सरकार ने अब कहा है कि षडयंत्र का पता लगाना बहुत कठिन है क्योंकि वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं वह षडयंत्र के बारे में अपने साक्ष्य के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन न्यायमूर्ति जैन ने खंड III के पृष्ठ 169 पर स्वयं कहा है :

> "इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रीय हित और श्री राजीव गांधी की सत्ता में आने की पूर्ण संभावना और तीसरी दुनिया के नेता तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत के उदमन के प्रतिकूल सी.आई.ए. मोसाद के लिट्टे के साथ संबंधों की संभावना, सी.आई.ए. के रिकार्ड, खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीकी जहाजों में भारत में ईंधन भरने की अनुमति देने के बारे में और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली पर श्री राजीव गांधी जी के विचार नीति के विरुद्ध उनके कथन तथा अमरीका द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में इस प्रश्न पर जांच की आवश्यकता है। अतः मैं श्री यास्सर अराफात द्वारा दी गई सूचना को सही समझता हूं और उस आधार पर और इन तथ्यों और उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए श्री यास्सर अराफात द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि इस सूचना के बारे में यदि इस पर आगे कार्यवाही की गई तो यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह ऐसे उपाय करे अथवा ऐसे कदम उठाए जिन्हें वह सही समझती है।"

की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में क्या प्रस्तावित किया गया है? कुछ नहीं। केवल एक बहु आयामी निगरानी एजेंसी को आगे जांच का कार्य सौंपा गया है। क्या इसका कोई कानूनी दर्जा है? इसका कोई कानूनी दर्जा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, क्या मैं अब आपको धन्यवाद दूं? कृपया पूरा करिए। आपके दल से एक अन्य सदस्य ने भी बोलना है। आपने आधे घंटे से अधिक का समय ले लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पूर्णतः यह महसूस करता है कि ऐसा संगठन जिसे कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है को ऐसी जांच का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र एजेंसी को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में एक बहुआयामी निगरानी एजेंसी को जांच

का कार्य नहीं सौंपा जा सकता है। भविष्य में भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक नेताओं की हत्या का षडयंत्र रचा जा रहा है। इसलिए, भविष्य के लिए भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों। श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ अथवा षडयंत्र तो नहीं है, सही तरीके से जांच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री लालू प्रसाद को बुलाऊं, माननीय वाणिज्य मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कितने पेज की स्टेटमेंट है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : पांच पेज की है। इसमें आपका भी इंटरस्ट है।

श्री लालू प्रसाद : इंडियन एयरलाइन्स के प्लेन को लेट करवा दीजिए, उसमें क्या है।

अपराह्न 3.50 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण उपाय

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सरकार निर्यात संवर्धन को अत्यधिक महत्व देती है और निर्यात को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानती है। 13 अप्रैल, 1998 को एक्जिम नीति की घोषणा करते समय मैंने यह संकेत दिया था कि चालू वर्ष के दौरान हमारा लक्ष्य डालर के रूप में 20 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि प्राप्त करना है। लेकिन पहली तिमाही में हमारा निर्यात निष्पादन अत्यंत निराशाजनक रहा है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में हमारे निर्यातों के मुल्य में 8 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 1400 मिलि. अमरीकी डालर के व्यापार घाटे की तुलना में बढ़कर 2100 मिलि. अमरीकी डालर तक हो गया है।

प्रारंभिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जहां हमारी लगभग दो तिहाई निर्यात मदों मे सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं लगभग 30 प्रमुख निर्यात मदों में, जो हमारी निर्यात मदों का लगभग 25-30 प्रतिशत है, काफी गिरावट आई है। प्रमुख मदों में सूती यार्न तथा फैब्रिक्स हैं, जिसमें 20 प्रतिशत की गिरावट, आर.एम.जी. मानव निर्मित फैब्रिक्स जिसमें लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट आई तथा परिवहन उपकरण में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। हार्डवेयर इलैक्ट्रानिक्स को लगभग 60 प्रतिशत तक का सबसे बड़ा धक्का लगा है। ऑयल मील्स, जो निर्यात की महत्वपूर्ण मद हुआ करती थी, उसमें भी 50 प्रतिशत की कमी आई है।

कुछेक क्षेत्रों में विशेष रूप से सॉफ्टवेयर, रत्न तथा आभूषण रसायन और भेषजीय पदार्थों के मामले में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है।

खराब निष्पादन के मुख्य कारणों में आंशिक रूप से कुछेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विकट आर्थिक स्थितियों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जो कि हमारे प्रमुख व्यापारिक सहभागी हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही में जापान के साथ साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया को हमारे निर्यातों में काफी कमी आई है।

सरकार, निर्यातों में गिरावट के रूख को रोकने और निर्यात वृद्धि की दर बढ़ाने के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों की जांच करती जा रही है।

मैंने वित्त मंत्री, और निर्यात संवर्धन से जुड़े अन्य संगठनों आदि के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है और हमने निर्यात को बढ़ाने के लिए उपायों के एक विशेष पैकेज को अंतिम रूप दिया है :

(1) लदान-पूर्व और लदानोत्तर ऋण पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करना : निर्यात निष्पादन में कमी आने के बारे में निर्यातक समुदाय द्वारा जो प्रमुख कारण बताया गया है वह निर्यात ऋण की उच्च लागत का होना रहा है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके यह तय किया गया है कि निर्यातकों को एक विशेष अस्थायी सुविधा के रूप में 9 प्रतिशत की दर पर निर्यात ऋण उपलब्ध किया जाएगा। यह सुविधा 31 मार्च, 1999 तक जारी रहेगी।

(2) यदि शुल्क प्रति अदायगी अथवा टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी के रूप में सरकारी देय में 2 महीने से अधिक का विलम्ब होता है तो सरकार निर्यातकों को ब्याज का भुगतान करेगी। शुल्क प्रति अदायगी के मामले में इस अवधि की गणना लगदान बिल की तारीख से और टर्मिनल उत्पाद शुल्क के मामले में इस अवधि की गणना शुल्क के भुगतान की तारीख से की जायेगी। ऐसा निर्यात/माने गए निर्यात के 15 दिनों के भीतर निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। यह प्रणाली 1 सितंबर से लागू होगी।

(3) विशिष्टीकृत निर्यात निष्पादन का कीर्तिमान रखने वाले और एक वर्ष से अधिक का निष्कलंक निर्यात कीर्तिमान रखने वाले विनिर्माता निर्यातकों को शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री आदि के आयात के लिए प्रतिभूति के रूप में सीमाशुल्क विभाग दो बैंक गारंटी के बजाय निर्धारित शर्तों के अनुसार कानूनी वचन पत्र की सुविधा की अनुमति दी जाएगी। इससे निर्यातक को न केवल लागत को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि कार्यशील पूंजी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(4) जिन निर्यातकों को उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बांड अधिकारियों को बांड देने की अनुमति दी जाती है, उन्हें इसके बाद विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए

[श्री राम कृष्ण हेगड़े]

अलग से बांड देने की जरूरत नहीं होगी बल्कि उन्हें वार्षिक आधार पर एकल मदर बॉण्ड देना होगा जिसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिए जाने हेतु अपेक्षित सभी बॉण्ड सम्मिलित होंगे। इससे निर्यातकों का समय और खर्च भी बचेगा।

5. निर्यातकों से ऐसे प्रतिवेदन मिल रहे है। कि कुछ क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि में जो गिरावट आई है उसके मुख्य कारण हैं; प्रक्रियात्मक कठिनाईयां और प्रतिस्पर्द्धा का ह्रास। निर्यातकों द्वारा सुझाए गए अनेक संवर्धनात्मक उपायों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के बारे में सहमति हुई है। इनमें शामिल हैं :-

(क) ई.ओ.यू./ई.पी.जेड एककों के लिए कर में छूट की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने पर विचार किया जाएगा और कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(ख) ई.ओ.यू. को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ठेके देने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) गैर-सरकारी साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को ई.पी.सी.जी. योजना के लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) ई.पी.जेड. से कूरियर के जरिए निर्यात की सुविधा दी जाएगी।

(ङ) विनिर्दिष्ट किए जाने वाले जैव प्रौद्योगिकी एवं लघु इंजीनियरी उद्योग भी एक करोड़ की प्रारम्भिक सीमा के नीचे शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. योजना के लाभ के लिए हकदार होंगे।

6. हार्डवेयर इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज को बहुत जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

7. एक निश्चित कारोबार वाले विनिर्माता निर्यातकों को इसके बाद स्वतः प्रमाणन के आधार पर माल की निकासी की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली आवश्यक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

8. प्रसंस्कृत खाद्यों, बागवानी और पुष्पोत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ाने के लिए मोबाइल कूलिंग उपकरण तथा अन्य कोल्ड चेन उपकरण पर शुल्क को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ताकि ऐसे उपकरण की लागत को कम किया जा सके।

9. क्रियाविधियों को सरल बनाने के लिए कुछ और उपायों को भी अनुमोदित किया गया है और आवश्यक आदेश शीघ्र हीं जारी किए जाएंगे।

सरकार को भरोसा है कि निर्यातक समुदाय की इन उपायों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी तथा इस वर्ष 20 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में वे मदद करेंगे।

मैं निर्यात से संबंधित सभी कर्मचारियों और एजेंसियों से निर्यातों को एक राष्ट्रीय कार्य और प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में समझने और सकारात्मक तरीके से निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने तथा रचनात्मक भावना और पूरी दक्षता से उनके मुद्दों का निराकरण करने की भी अपील करता हूं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आपने कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री रामकृष्ण हेगडे : मैंने कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में उल्लेख किया है। मैंने उद्यान तथा पुष्प कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात के बारे में उल्लेख किया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, वक्तव्य के बाद किसी तरह का स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी जाती है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, कल सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने जा रही है। सत्र के अंतिम दिनों में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य पेश किया है जिसके परिणामस्वरूप, सभा को इस विषय पर चर्चा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह मेरा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : माननीय अध्यक्ष महोदय कल सत्र का अंतिम दिन है और उन्होंने आज यह वक्तव्य दिया है। बात यह है कि सरकार को ऐसा महत्वपूर्ण वक्तव्य कुछ दिन पहले पेश करना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : चार बजे 377 लेने के लिए बोला था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.00 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किये जाने के बारे में प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा को जारी रखेंगे। श्री लालू प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम से पहले मुलायम सिंह यादव जी को बोलना था लेकिन हमने आग्रह किया कि कल आप बोले हैं और चूंकि मुझे बिहार में बाढ़ की स्थिति देखने जाना है, मैं और मेरी पार्टी, लोकतांत्रिक मोर्चा का जो विचार, फीलिंग, चिंता और तकलीफ है, उसे मैं सदन में रखना चाहता हूं। राष्ट्र के लोगों को हम लोग बताना चाहते है। गृह मंत्री जी जरा ध्यान से सुनिए। आप हम लोगों की बात को ध्यान से सुनिए। हम लोग जानते हैं कि आपको इन चीजों में कोई रुचि नहीं है।

नेहरू जी के परिवार का और कांग्रेस के लम्बे इतिहास का इस देश का आजाद कराने में बड़ा भारी योगदान रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उस परिवार में जो हत्या का सिलसिला लगातार शुरू हुआ और इस देश के लिए खासकर जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, पार्टीज हैं, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, अहिंसा के रास्ते में जिनका विश्वास है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के बाद बड़ी भारी चुनौती इस राष्ट्र के सामने आई। हम सभी लोगों के सामने आई। सारा देश मर्माहत हुआ और दुनिया में हमारी पोल खुल गई कि क्या यही बापू का देश है, गांधी का देश है जहां अहिंसा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं जहां एक नौजवान देश के प्रधान मंत्री बने और उनकी हत्या की गई। जब इस देश में या किसी राज्य में किन्ही बड़े लोगों की हत्या हो जाती है तो राज्य के हर व्यक्ति का गुस्सा फूट पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति मर्माहत हो जाता है और सारे चिंता जताते हैं कि आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने नेताओं की हत्या कर दी। सरकारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत चाहे सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, सरकार तत्काल ही कमीशन नियुक्त करती है।

इस मामले में जहां यह अपराध है, क्राइम है, जब यह कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बना तो इसे क्रिमिनल केसेज के अंतर्गत नहीं लिया गया होगा। क्रिमिनल केसेज अलग हैं, जिनमें लोगों को फांसी की सजा होती है वगैरह-वगैरह। लेकिन दो-तीन बिन्दु सामने आते हैं कि मुल्क में आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी, वह कौन सी बैक-ग्राउन्ड थी जिसमें षडयंत्र के पहलू आते हैं और जिसके अंतर्गत राजीव गांधी जी की हत्या हुई। सात साल गुजर गए। कैसे धीरे धीरे लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाए, इस कमीशन को जांच करने में, अध्ययन करने में, अपनी फाइंडिंग्स देने में सात साल लग गए। विस्तार पर विस्तार होता रहा। किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि चार पांच करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। कौन सी बात पर हम विचार कर रहे हैं? जो सदन में हम बहस कर रहे हैं और चर्चा चला रहे हैं, हमें और राष्ट्र को इस रिपोर्ट से क्या मिला है? कोई अगर नई बात सामने आई है तो बताएं। एक सरकार जाती है, दूसरी आती है। सारा राष्ट्र इच्छुक है। हम लोग दबाव डाल रहे थे कि जल्दी ले करिए और जब बात सामने आई तो उसमें पुनः सात साल के बाद यह कहा जा रहा है कि आप आगे इस चीज को और बढ़ाइए। हमारे जो साथी यहां पर भाषण कर रहे हैं और कहते हैं कि उस पेज के वॉल्यूम को देखो, यहां देखो, वहां देखो, आडवाणी जी, आप हाथ धोकर दरकिनारा मत करिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्या कहीं भी रिपोर्ट में आगे जांच की बात कही गई है? जिस बात की चर्चा आदरणीय शिव शंकर जी ने की।

आप ए.टी.आर. पर बोल रहे हो। ये ए.टी.आर. क्या है? ए.टी.आर. का मतलब है - एक्शन टार्निश रिपोर्ट। एक्शन को खत्म कर दो, जितना भी हुआ, उस पर लीपापोती कर दो। यह ए.टी.आर नहीं है, बल्कि बी.जे.पी. का मिसलीड एक्शन है। रिपोर्ट को टार्निश करो और सी.बी.आई को दे दो। आप भी सी.बी.आई. के भुक्तभोगी हैं। आपको भी चार्जशीट किया गया था। अब कह रहे हैं कि सी.बी.आई. को दे दो और मामले को काम्प्लिकेट करो और अपने विरोधियों को फंसाओ। कहीं से कहीं खूंटा जोड़ो। मैं कहता हूं कि इस काम को बंद कर दीजिए। आज चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी दो-चार-पांच कौन सी शक्तियां थी, चाहे विदेशी हों या देश के अंदर के संगठन हो या पार्टी हो, आपको वह बात सदन के सामने, मुल्क के सामने लानी चाहिए थी। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? हमारे सीनियर लीडर, इन्द्रजीत गुप्त जी, सदन में उपस्थित नहीं है। इन्द्रजीत बाबू ने कहा, जब अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए आए तो इनकी मुलाकात हो गई। उसमें जैन साहब ने कहा कि जो-जो मैटिरियल हमको चुस्त-दुरूस्त करने के लिए चाहिए, वह नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। दो राष्ट्रों के वार्तालाप की चर्चा हुई। आज आप होम मिनिस्टर हैं, कल वे होम मिनिस्टर थे। जब हम इस देश के एक होनहार उदीयमान नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में पता लगा रहे हैं, सच्चाई को जानने चले हैं, तो हमने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि वे दो देश कौन हैं, देश के अंदर या बाहर वह कौन सी शक्ति थी, आप उन चीजों को हमारे सामने लाते, तो राष्ट्र निश्चित रूप से उन चीजों पर विचार करता, सोचता और समझता। कहीं कोई बोलता है, उसका हाथ, इसका हाथ या किसका हाथ, ये बड़े लोग ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोग, पूरा डकार जानेवाले पाप करें, इनको कोई नहीं पकड़ता। अगर कोई गरीब आदमी कहीं छोटा भी अपराध करता है, तो उसका नाम लेकर बताते हैं सच्चाई का पता लगाकर आज राजीव गांधी के हत्यारों की हालत ऐसी करनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में हो क्या रहा है। यहां हमारे साथी, श्री कल्पनाथ राय जी, बैठे हैं। जैसे जानवर को, एनीमल को, गाड़ी में

[श्री लालू प्रसाद]

डालकर लाया जाता है, उसी प्रकार सी बी आई झूठे आरोपों में ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला गया। पूरे देश के पोलिटिशियन को अपमानित करने का काम हुआ। उसी सी.बी.आई पर, जिस सी.बी.आई. पर हमने बिहार में मुकदमा किया। उन्होंने ट्रैजरी लूटने वालों का खिलाफ 41 एफ आई आर किए। हमारे खिलाफ षडयंत्र रचने का काम किया। महोदय, आप घालमेल मत करिए। ...*(व्यवधान)* जैन से ही संबंधित बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* जो सी.बी.आई. कर रही है, यह सी.बी.आई.. क्या संस्था है, यह मांग हो रही है। सी.बी.आई. को देने का काम किया तो ठीक कहा, स्वामी जी कितने दोषी हैं, कौन निर्दोष हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि विरोधी लोगों आपस में बांट कर काम करो और बला को टालते रहो। फर्दर, फर्दर करते करते आपने देश की सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है। मिक्योरिटी का अभाव हो गया है। अगर कमियां थी, चाहे जो भी दोषी हो, यह राष्ट्र से बड़ा कोई व्यक्ति या दल नहीं है। बी.जे.पी. इन्साफ और ईमानदारी की दुहाई देती है, तो आपको भी सारी चीजों को सामने लाना चाहिए था, जल्दी जल्दी रिपोर्ट ले करके और ए.टी.आर. के नाम पर आपने सारी चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया है, समाप्त कर दिया है।

महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग, इनके नेता और देश के नेता, अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आसानी से, इतनी लाइटली राजीव गांधी जी के हत्यारों के मामले को नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। ये जो चारों तरफ बातें चल रही हैं, मैं मानता हूं और हमारी पार्टी मानती है कि इन सारी चीजों को दबाया गया, दफनाया गया। राजीव गांधी जी के हत्यारों को बचाया गया है।

महोदय, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। आप सरकार में हैं, आपको इन चीजों को राष्ट्र को समय सीमा के अंदर बताना पड़ेगा और इसका हिसाब देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंटीन्युइंग प्रोसेस हुआ करता है, लेकिन यह मिलीजुली सरकार है। आप सही हत्यारों का पता लगाएं। हमारे मुल्क में लोग अहिंसा के पुजारी हैं। यह देश महात्मा बुद्ध का है, यहां बुद्धा लैंड है और यहां हमने हत्यारों के पहचानने का काम नहीं किया। क्या हमारा तंत्र फेल हो गया? सात साल तक जैनसाहब रहे, अब इसके बात पता नहीं कौन साहब आएंगे। भले ही कोई दल इससे संतुष्ट हो लेकिन हम इन चीजों से संतुष्ट नहीं हैं। राजीव गांधी जी की हत्या राष्ट्र के लिए कलंक है, काला दाग है, यह इतिहास में लिखा जाएगा। इस देश में चाहे जो भी सरकारें रही हों लेकिन कोई भी सरकार इसका पता नहीं लगा सकी। कमीशन बनाया, लेकिन उससे भी ठीक से नतीजे सामने नहीं आए। मुल्क मान लेगा कि जो कमीशन होता है - आई वाश गुस्से को ठंडा करने के लिए होता है। आप सही हत्यारों को क्या ढूंढेंगे, इससे तो नकली बात भी कुछ नहीं निकली, जो बात सही है वह तो है ही। इसमें जो लिखा हुआ है, इससे कहीं भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। सुब्रहमण्यम स्वामी जी ने ठीक कहा कि यह देश फासिज्म की ओर, नादिरशाही की ओर जा रहा है। गृह मंत्री जी, आप यह मत समझिए कि सब दिन एक बराबर रहते हैं। यहां नेता सुरक्षा की मांग करते हैं, उसमें भी भेदभाव होता है। आप किसी को एन.एस.जी. और किसी को सी.आर.पी. की सुरक्षा देते हो।

महोदय, बिहार असम्बेली में यदि किसी भी मुख्य मंत्री द्वारा, मुख्य मंत्री एवं उसके परिवार की सुरक्षा की मांग के लिए कोई एक्ट बना तो उस पर*.... ने दस्तखत नहीं किए और यहां आपकी पार्टी के लोग सुरक्षा के मामले में बोलते हैं। अगर कहीं किसी की हत्या हुई है तो उसके लिए आप सीधे जिम्मेदार होंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप राजीव गांधी जी की हत्या के मामले को जिस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे आप देश में कौन सी व्यवस्था चला रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय का नाम लिया है...*(व्यवधान)* राज्यपाल महोदय का नाम कार्रवाई से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम नहीं निकालेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : नाम लेना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष जी, सिर्फ राजीव गांधी की ही नहीं रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की हत्या समस्तीपुर में प्लेटफार्म पर हुई, उन्हें मार दिया गया...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. को मामला दिया गया, सी.बी.आई 30 साल बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। वह कांग्रेस के मशहूर नेता थे।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आप आठ साल तक वहां शासन में रहे, आप आठ साल तक इसमें क्या करते रहे?

श्री लालू प्रसाद : आठ साल तक काम किया, इसलिए आप पीला गमछा लेकर बैठे हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मैं आपकी दया से यहां नहीं बैठा हूं, हम जनता के बल पर चुनकर आए हैं, आपकी दया की भीख मांगकर नहीं आये हैं।

श्री लालू प्रसाद : आपकी विदाई होने वाली है...*(व्यवधान)* यह पीला गमछा कब का है, अंतिम समय का पीला गमछा है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में निकाल दिया गया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आपको इतिहास की जानकारी लेनी पड़ेगी। यह पांच हजार वर्ष का इतिहास है। यह गमछा तो रहेगा, आप जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे। यह हमेशा रहा है और रहेगा।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप पीताम्बरी ले लो।...*(व्यवधान)* राजीव गांधी की हत्या को राष्ट्र भूल नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, आपकी फ्लाईट कितने बजे की है?

श्री लालू प्रसाद : अब सवा चार बज रहे हैं, सुना है कि फ्लाईट एक घंटा आपकी कृपा से लेट भी हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिये।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आडवाणी जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात अपने कंधों पर मत लीजिए, सच्चाई को उजागर करके समय सीमा के अंदर राष्ट्र के सामने लाइये। इन बातों को छोड़े दें कि इसी रिपोर्ट पर संतुष्ट होकर हम बैठ जाएं। भाषण हुआ, छप गया, हम भी बोले, वे भी बोले, लेकिन जो अपराध करने वाले लोग हैं, हत्या की राजनीति करने वाले लोग हैं इससे उनका मनोबल आगे और बढ़ेगा। इस चीज पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वामी जी क्या बोले, क्या नहीं बोले, लेकिन ये जो एलीट क्लॉस वाले लोग हैं, कॉन्टिनेंटल क्लॉस वाले लोग हैं, कोई भी उनसे वंचित नहीं है, ये सुबह शाम दिल्ली में स्वामियों की शरण में बैठे रहते हैं। चन्द्रा स्वामी हमको जेल में मिलने गये थे। एक डाक्टर लेकर पहुंचे कि स्वामी जी आए हैं। हमने पुलिस को बोला कि गर्दन पकड़कर पटक दो, हमारे पास स्वामी को नहीं आने देना। ये जो रोज आप तंत्र मंत्र करते हैं, खुराना जी, आप रात दिन इस काम में लगे रहते हैं कि कब यहां से साहब सिंह वर्मा जाए। और हम कब बनेंगे, आप इस काम में लगे रहते हैं। हम लोग स्वामी के फेरे में नहीं हैं। आप तंत्र मंत्र के फेरे में हैं। हम कोई ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करना चाहते। जैसा नेता, वैसी सरकार। अफसरों को सरकार के इशारे पर काम करना पड़ता है। सच्चाई को सामने लाना चाहिए।

शिवशंकर जी ने ठीक बात कही। उन्होंने अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं लिया। मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सारी बातें समाप्त हो गई हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें सब कुछ लीपापोती हुई। सारी बातें समाप्त कर दी गई।...*(व्यवधान)* साधु बाबा, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* शिवशंकर जी ने सही बात कही है कि सच्चाई को सामने लाया जाए – चाहे कोई संस्था हो, कोई नेता हो, वह अंदर का हो या बाहर का हो, उनको एक महीने में सामने लाना चाहिए। अगर यह नहीं हो सकता तो आप इस हाउस से बाहर निकल जाएं और संयास ले लें।

ए.टी.आर. किसने बनायी? आपने बनायी या गुजराल साहब ने बनायी, यह हमको बताइए? वह ए.टी.आर. किस बात के लिए थी? यहां पर वर्मा कमीशन और जैन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। क्या आपने सभी चीजों का ख्याल किया? क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? केवल ए.टी.आर. बना दी। आपने उसे एक्शन टार्निश रिपोर्ट बना दी। सच्चाई को खत्म कर दिया। यहां भाषण हो गए, सैंटिमैंट्स जाहिर हो गए इसलिए इस बात को समाप्त कर दो, यह बात नहीं होनी चाहिए। हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम इसकी फाईंडिंग्स से संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस के नेता और सभी दूसरे लोग इस पर बैठ कर विचार करें और देखें कि कौन दोषी है और कौन बरी हो सकता है? मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तपन सिकदर (दमदम) : लालू जी, आपने तो केवल क्रिटिसाइज ही किया, सुझाव कोई नहीं दिया।

श्री लालू प्रसाद : आपने उसे सुना नहीं। मैंने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और दूसरी सभी पार्टियों के लीडर्स ए.टी.आर. के मामले में फर्दर क्या करना है, इस मामले में अध्यक्ष महोदय विशेष कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तरजीह दें। सच्चाई तुरंत सामने आनी चाहिए। कोई बात रहनी नहीं चाहिए। इस मामले को जिस दिन सी.बी.आई. को हैंड ओवर किया, वह इसे समाप्त करके राजनीति को प्रौवेल करेगी। यह मामला सी.बी.आई. को नहीं देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देकर जा रहा हूं। मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई मैम्बर बोले तो उसकी बात को ...*(व्यवधान)* प्रौसिडिंग्स से बाहर रखें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री चमन लाल गुप्त।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आज के लिए निर्धारित नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए।

अपराह्न 4.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) जम्मू में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : इस समय भारतीय अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 16 अनुसंधान संस्थान चल रहे हैं। ये संस्थान मिशन उन्मुखी अनुसंधान केन्द्र हैं जिनमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं जो क्रमश पोषण प्रजनन प्राणी विज्ञान, संक्रमण रोग, वाइरस रोग

---

* सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री चमन लाल गुप्त]

इत्यादि संबंधित क्षेत्रों में देश के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का निवारण करती हैं। ये संस्थान अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों, केन्द्रों तथा परिसरीय स्थलों में मौलिक और अनुप्रयुक्त दोनों ही पक्षों में अनुसंधान का गहन अध्ययन करते हैं।

यह प्रतीत होता है कि देश के कुछ भागों में अनुसंधान के विकास की असमान सुविधाएं हैं और इस तरह के असंतुलन के कारण विभिन्न अन्य विशेष क्षेत्रों में और संस्थान स्थापित करने की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए तुरंत उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। अभी भी अधिकांश क्षेत्रों में अनुसंधान और जांच की उन पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है जो चिकित्सा सुरक्षा की गुणवता में सुधार लाने, बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित प्रौद्योगिकी को विकसित करने में होने वाले खर्च में कमी लाने के लिए भी आवश्यक है।

इस संदर्भ में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 50वीं बैठक में यह प्रस्ताव किया गया था कि गुवाहाटी, अंडमान, जम्मू कश्मीर, बिहार और बंगलौर में पांच अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाएं। इन पांच केन्द्रों में से जम्मू कश्मीर को छोड़कर चार केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। इसलिए, यह अनुरोध है कि जम्मू में पांचवां केन्द्र तुरंत स्थापित किया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और आगरा में टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार लाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद एवं आगरा में बिगड़ती हुई दूरसंचार व्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में कई महीनों में दूरसंचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न चल रही है। क्षेत्र में करीब 90 प्रतिशत एम.ए.आर.आर. एवं टेलीफोन व्यवस्था कार्य नहीं कर रहे हैं। आगरा एवं फिरोजाबाद में एम.ए.आर.आर. एवं टेलीफोन व्यवस्था में अनियमितताएं व्याप्त हैं।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दूरसंचार व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

(तीन) गुजरात में बनासकांठा में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में व्याप्त जल संकट की तरफ दिलाना चाहता हूं। जल संकट के कारण किसानों को अपने खेतों में पानी देने में दिक्कत हो रही है और किसानों की फसल सिंचाई के अभाव में सूख जाती है जिसके कारण किसानों को फसल उत्पादन के कार्य में कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इस बार भी इस क्षेत्र में बरसात होने के आसार कम हैं और इस क्षेत्र में बरसात कम होती है जिसके कारण खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। खेद है कि केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि इस प्रकार के क्षेत्रों में सिचाई सुविधा की व्यवस्था की जाए।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि बनासकांठा जिले के गांवों का सर्वे करवाकर यहां पर उपयुक्त आधार पर सिंचाई सुविधा करवाई जाये जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रह सके।

(चार) उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में अमराहट पम्प कैनाल चरण-II को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अमराहट पम्प कैनाल, जिला कानपुर देहात के द्वितीय चरण के कार्य को स्वीकृति मिल चुकी है और केन्द्र सरकार से इस कार्य को पूरा कराए जाने के लिए धनराशि का आवंटन भी हो चुका है, किन्तु अभी तक इसके दूसरे चरण के कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय किसानों को सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अमराहट पम्प कैनाल के द्वितीय चरण के कार्य में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने के कारण स्थानीय किसानों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके द्वितीय चरण के कार्य को प्राथमिकता के आधार तुरंत पूरा कराया जाना जनहित में परम आवश्यक है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह अमराहट पम्प कैनाल के द्वितीय चरण के कार्य को अविलम्ब पूरा कराए जाने हेतु करागर कदम उठाएं। धन्यवाद।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं जिनमें भारत सरकार ने राजसहायता के रूप में काफी मात्रा में धन निवेश किया है। इन औद्योगिक इकाइयों में करोड़ों रूपयों की मशीनें बेकार पड़ी है जिससे राजकोष को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है और इन इकाइयों के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। राज्य वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण राशि का भी उपयोग नहीं किया गया है। सरकार का उद्योगपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिससे वे ऋण की राशि का भुगतान करें अथवा इन इकाइयों को पुनः चालू

करें। इन औद्योगिक इकइयों के करोड़ों रुपये मूल्य के भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं और इनकी काफी मरम्मत करने की आवश्यकता है अन्यथा वे ढह सकते हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करके इन्हें मजदूरों के हाथ में सौंप दिया जाए तथा उन्हें इन औद्योगिक इकाइयों को स्वयं चलाने में मदद की जाए।

(छह) देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहमपुर) (उड़ीसा) : यह बहुत ही चिंता का विषय है कि देश से अब तक कुष्ठ रोग जैसा भयावह रोग समाप्त नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार, कुष्ठ रोग से ग्रस्त देशों में भारत का स्थान सबसे आगे है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुष्ठ रोगियों के 10 मिलियन मामलों से 2.5 मिलियन कुष्ठ रोगी केवल भारत में हैं। डाक्टरों के समूह, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सेवकों, एन एस एस के कार्यकर्ताओं, स्काउट्स, ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों और स्कूल अध्यापकों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह रोग पूरे देश में व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। लगभग 15 प्रतिशत कुष्ठ रोगी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम देश से कुष्ठ रोग को समाप्त करने में सफल नहीं हो सका है। यह रोग, विशेषकर आंध्र प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, असम, नागालैंड, सिक्किम, दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर तथा दमन एवं दीव में तेजी से फैल रहा है। अगर इस भयावह रोग को फैलने से रोकने तथा इसके निदान हेतु उचित चिकित्सा प्रदान करने के लिए तुरंत उपाय न किए गए तो यह स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

इसलिए भारत सरकार से मेरी मांग है कि वह इस देश से कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए।

(सात) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को बैंकों द्वारा पर्याप्त सहायता दिया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (औट्टापलम) : महोदय, मैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना को लागू करने में राष्ट्रीयकृत बैंको के असहयोग से संबंधित एक आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं। जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तो यह घोषणा की गई थी कि ये बैंक बेरोजगार युवाओं की योजनाओं के लिए वित्त पोषण करेंगे। यद्यपि संबंधित तालुका औद्योगिक विकास कार्यालय ने स्वरोजगार योजनाएं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं ये बैंक उन्हें वित्त पोषित करने में अनिच्छुक रहते हैं। विभिन्न बैंकों में ऐसी हजारों योजनाएं अनुमोदनार्थ लंबित पड़ी हैं। यह हैरानी की बात है कि बड़े व्यापारी घरानों को बिना किसी समुचित गारंटी के हजारों करोड़ रुपये दे दिए जाते हैं जबकि बेरोजगार युवकों की पर्याप्त सहायता भी नहीं की जाती। यह केन्द्र के निदेश के खिलाफ तो है ही, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भावना के खिलाफ भी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखें कि बैंक इस प्रतिबद्धता को पूरा करें।

(आठ) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नबीनगर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : महोदय, मैं मध्य बिहार के अत्यंत पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद से प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र बिजली, सड़क, सिंचाई एवं कानून व्यवस्था हर मामले में चिंताजनक स्थिति में है। कार्य के अभाव में लोग काम की तलाश में गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर भागते हैं। औसत से ज्यादा गरीबी इस क्षेत्र में है। यहां एक विद्युत परियोजना नबीनगर सुपर थर्मल पावर के निर्माण का प्रस्ताव दस वर्षों से विचाराधीन है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस अत्यंत पिछड़े इलाके के विकास के लिए प्रस्तावित नबीनगर सुपर थर्मल पावर का निर्माण नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही कराये।

(नौ) उड़ीसा में कृषि कार्यों में सहायता के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : जून और जुलाई, 1998 में उड़ीसा में सामान्यतः तथा भद्रक, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में विशेष रूप से बारिश की कमी होने तथा लगातार सूखा पड़ने के कारण चालू वर्ष में खरीफ की फसल में काफी गिरावट आ गई है। उपर्युक्त क्षेत्र में असिंचित भूमि में जो भी बुआई की गई है वह सब सूख रही है जिसके परिणामस्वरूप, खेती का कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मजदूर, सीमांत, छोटे और अन्य वर्ग के गरीब लोग बेरोजगार हो रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों को चले गए हैं। इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को निदेश दे कि उन लोगों को रोजगार देकर और राज्य में कृषि कार्य करने हेतु आपात कालीन योजनाएं प्रतिपादित करके लोगों को बचाए।

(दस) ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, भारत देश ग्रामों का देश है। यहां की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होने के लिए विवश है परंतु खेद है कि ग्रामीण

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

अर्थव्यवस्था को आज पचास वर्ष स्वतंत्रता के होने के पश्चात भी समुचित प्रकार से विकसित नहीं किया जा सका है। परिणाम आज सामने हैं कि लाखों बेकार ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों में अनेकों प्रकार की समस्याएं आज क्षमता से अधिक आबादी हो जाने के कारण पैदा हो गई है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित किया जाए कि यहां के नवयुवक को रोजगार के लिए शहरों में पलायन न करना पड़े।

अतः मेरा सुझाव है कि ग्रामों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं और इन कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सरकार सहयोग करे।

(ग्यारह) नौवीं योजना के दौरान सोनापुर-केनिंग रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पूर्व रेलवे की स्यालदाह से केनिंग तक रेल लाइन को देश की सबसे पुरानी रेल लाइन कहा जाता है। केनिंग अपनी विशिष्ट वनस्पति और मैनग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुन्दरवन क्षेत्र का प्रवेश द्वार है किंतु इस क्षेत्र में कोई उद्योग न होने के कारण यह एक निर्धन क्षेत्र है और यहां की स्थानीय जनता केवल पर्यटकों की आवाजाही पर निर्भर रहती है। वर्तमान में स्यालदाह से सोनारपुर तक एक दोहरी रेल लाइन है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहन देने और इन गरीब लोगों को आजीविका कमाने में सहायता करने के लिए नौवीं योजना के दौरान सोनारपुर-केनिंग लाइन जो मात्र 25 किमी. है, का भी दोहरीकरण किया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि जब तक यह किया जाता है। इस सेक्शन पर सोनारपुर से केनिंग तक टोकन रहित प्रणाली शुरू की जाए जिससे पर्यटकों का रेलगाड़ियों की क्रांसिग के लिए प्रतीक्षा में समय बचेगा और स्यालदाह-केनिंग ब्रांच लाइन पर डिब्बों की स्थिति में सुधार और डिब्बों में विद्यमान व्यवस्था सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी ताकि घरेलू व विदेशी पर्यटकों को विंडो शटर और बैठने की समुचित व्यवस्था की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

(बारह) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आज दिल्ली महानगर विश्व के चन्द अधिकतम प्रदूषित नगरों में से एक है। यहां की हवा, पानी सभी अत्यंत प्रदूषित है। इस महानगर के अधिकांश नागरिक प्रदूषण से पैदा होने वाली परेशानियों के शिकार बन रहे हैं। इस प्रदूषित वातावरण में पैदा होने वाले नवजात शिशु अपनी हर सांस में धुआं पी रहे हैं। ऐसी विकट समस्या पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ढुलमुल नीतियों ने आज इस समस्या को विकट बना दिया है। हद तो यह है कि इसके समाधान के लिए अदालतें सरकार को सुझाव दे रही हैं। केन्द्र सरकार के पास अपनी कोई वातावरण से संबंधित पॉलिसी नहीं है। इसके अभाव में राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी उचित रूप से नहीं निभा रही हैं। इस कठिन समस्या के निदान हेतु केन्द्र सरकार को दिल्ली की राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनानी चाहिए ताकि दिल्ली के नागरिकों के जीने के अधिकार का हनन न हो। सरकार को अपनी राय स्पष्ट कर इस मुद्दे पर पूरे सदन में बहस करानी चाहिए। दिल्ली निवासियों के लिए और भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से सरकार को बयान देना चाहिए।

अपराह्न 4.25 बजे

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किये जाने के बारे में प्रस्ताव — *जारी*

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन की रिपोर्ट पर सदन के एकमात्र जैन सांसद को बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री श्री आडवाणी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा करवाई। इससे पहले पिछले साल अगस्त में न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन की अंतरिम रिपोर्ट आई थी। वह रिपोर्ट आने के बाद जब हिन्दुस्तान की एक सरकार गिर गई थी, मुझे याद है कि हम लोगों ने इस सदन के अंदर मांग की थी कि इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये लेकिन हम लोगों द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद उस समय की सरकार और उस सरकार का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिये तैयार नहीं हुई। आज इस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है जिसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिये, इस बात पर किसी का मतभेद नहीं है, कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन इस देश में जैसे राजनीति में हिसा का स्थान नहीं होना चाहिये, वैसे ही हिंसा के अंदर राजनीति का किसी किस्म का दखल नहीं होना चाहिये। हिन्दुस्तान में इस तरह की यह पहली हत्या नहीं हुई है। श्री शिवशंकर जी ने ठीक कहा कि स्व. राजीव गांधी मात्र किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वे सारे देश के नेता थे। किसी नेता को बनने में दशक लगते हैं। किसी के साथ राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं और जब वह नेता कौड़ियों के भाव चला जाता है तो उससे न केवल उस पार्टी का

नुकसान होता है बल्कि सारे देश की कई पुश्तों का नुकसान होता है। लोगों को एक लम्बे अरसे तक उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप थोड़ा गहराई में जायें तो पायेंगे कि आजादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1950 में हत्या की गई, पं. दीन दयाल उपाध्याय की हत्या की गई, उसके बाद 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई, 1985 में हरचंद सिंह लौंगोवाल की हत्या की गई जिन्होंने स्व. राजीव गांधी के साथ पंजाब का समझौता किया था, सन् 1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या की गई, 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की हत्या की गई जो अपने ढंग से पंजाब में शांति स्थापित कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौर में ऐसे सैंकड़ों हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं की, जो उच्च पदों पर नहीं थे उनकी राजनैतिक कारणों से पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, हत्या के अपराध में दो तरह की बातें होती हैं। पहले वे लोग होते हैं जो वास्तव में हत्या करते हैं- वे गोली चलाते हैं और अपने हाथ से हत्या करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो पीछे बैठे होते है, हत्या की पूरा योजना बनाते हैं, उसका षडयंत्र करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट का ताल्लुक है, ट्रायल कोर्ट सीधे तौर पर यह देखता है कि जिसके खिलाफ दोष लगाया गया, उसके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं? उस प्रूफ का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफ्रेंट होता है :

[अनुवाद]

> किसी विचारण न्यायालय में आपको किसी समुचित संदेह से परे प्रत्येक आरोप को साबित करना पड़ता है। इसलिए किसी विचारण न्यायालय में आपको उन लोगों का विचारण करना होता है जो प्रत्यक्षतः हत्या में शामिल होते है। जहां तक जांच आयोग का संबंध है विचारण को पैटर्न और प्रमाण प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है और कार्यकरण भी पूरी तरह अलग होता है, किसी विचारण न्यायालय में आप उपधारणा नहीं बना सकते हैं किंतु किसी जांच आयोग में आप पूर्व धारणा बना सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसलियें राजीव हत्या कांड के बाद दो पहलू उभरे कि किन लोगों ने वास्तव में हत्या की, और उनके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही थी? इन दोनों बातों पर सरकार ने कार्यवाही की और जस्टिस जे.एस. वर्मा कमीशन का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट 15 जून, 1992 को आई। इसमें पांच विषय ऐसे थे जिन पर जस्टिस मिलाप चंद जैन इन्क्वायरी कमीशन बैठाया गया। इस कमीशन का 23 अगस्त को गठन किया गया जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 28 अगस्त, 1997 को दी तथा फाइनल रिपोर्ट 7 मार्च, 1998 को दी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 'अंतरिम रिपोर्ट' ओर 'फाइनल रिपोर्ट' शब्द का प्रयोग क्यों किया? अध्यक्ष महोदय, यदि आप दोनों रिपोर्ट्स देखें तो दोनों रिपोर्ट्स अपने आप में कम्पलीट हैं। उन्होंने रिपोर्ट में तीन मुद्दों पर अपनी फाईडिंग्ज रिकार्ड की हैं। उन्होंने जो दूसरी रिपोर्ट दी है, उसके अंदर कांस्पीरेसी वाला पार्ट डील किया गया है

अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के पेज-5 पर जस्टिस मिलाप चंद जैन लिखते है कि उन्हें कुछ कागजात नहीं दिये गये। श्री शिवशंकर जी ने बार-बार कहा कि ये ट्रुथ जानना चाहते हैं।

हम सत्य की खोज में हैं, हम सत्य जानना चाहते हैं। वास्तव में सारा सदन सत्य जानना चाहते है लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण बात जस्टिस मिलाप चंद जैन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ध्यान में आती है कि 1994 में जब कांग्रेस पार्टी की, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब के गृह मंत्रालय में आपकी सरकार के अंदर एक मूव चला था कि इस कमीशन को वाइंड आप कर दिया जाए। आज सत्य जानने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी अपनी सरकार जब थी तो विषय आया था कि इस जस्टिस जैन कमीशन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर आप पेज पांच पर जाएं तो जस्टिस मिलाप चंद जैन जी ने लिखा है कि अगर तीन लोगों का असेसिनेशन न होता तो शायद हमें सत्य ढूंढने में आसानी होती। इन तीन विषयों को जोड़कर देखना पड़ेगा। क्या कारण था कि मेन ऐक्यूजड पकड़े नहीं जा सके? जस्टिस जैन लिखते हैं -

[अनुवाद]

> "यदि शिवरासन, शुभा, षणमुगम, आसूचना प्रमुख पोट्टू अम्मान और लिट्टे प्रमुख वी. प्रभाकरन की गिरफ्तारी की जाती तो हत्या के षडयंत्र की गुत्थी सुलझाई जा सकती थी।"

अपराह्न 4.31 बजे

[हिन्दी]

[श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*]

उस समय तमिलनाडु में सेन्ट्रल रूल था। आप सीधे तौर पर तमिलनाडु में भी राज कर रहे थे और सेन्टर में भी राज कर रहे थे। उन कारणों को आप भी बता सकते हैं जिन कारणों से ये लोग नहीं पकड़े गए हैं। ए.टी.आर. के पेज 44 पर आएं तो इसके साथ जुड़ी हुई चीज वह सहयोग है जो आपकी सरकार ने जैन कमीशन को दिया। जस्टिस जैन विस्तार से लिखते हैं कि इसमें क्यों वैसा हुआ। वह लिखते हैं -

[अनुवाद]

> "मैं बता रहा था कि जांच अति संवेदनशील है और ऐसी संवेदनशील जांच में संवेदनशील सामग्री की जरूरत होती है। इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है कि

[श्री सत्य पाल जैन]

> ऐसी गंभीर और संवेदनशील जांच में दस्तावेजों की विद्यमानता से इंकार किया जा सकता है। यह निश्चित है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को वास्तव में आयोग के समक्ष पेश किया गया है, यदि श्री जफर सैफल्लाह के बयान पर विश्वास किया जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ और सामग्री दस्तावेज आयोग के समक्ष पेश किए जा सकते थे।"

[हिन्दी]

आज मुझे खुशी है कि आप सत्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सत्य बताने की बात आई थी, उस समय आपने सारी फाइलें कमीशन के सामने नहीं रखी थी। अभी भी वह लिखते हैं-

[अनुवाद]

> "उसके अलावा यह कहना गलत है कि 'अयोग के विचारार्थ विषय से संगत सभी फाइलों व दस्तावेजों को इसे दिया गया था' आयोग को वह सूचना नहीं प्राप्त हुई जो इसने 17.10.1997 के मेरे पत्र के माध्यम से माननीय गृहमंत्री से मांगी थी।"

आगे चलकर वह लिखते है:-

> "गवाहों के बयानों से पता चला कि कुछ दस्तावेज नष्ट किए गए है, यदि वे दस्तावेज प्रासंगिक थे तो कोई भी दस्तावेज नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था, हत्या के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई थी और आयोगों का गठन किया जा चुका था। यदि अभिलेखों को नष्ट करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया हो तो भी दस्तावेजों की प्रकृति को देखते हुए और यदि उन दस्तावेजों की आवश्यकता जांच या अन्वेषण में थी तो ऐसे दस्तावेजों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इस मामले में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि जो 1994 में तब के गृह मंत्रालय ने एक मूव चलाया था कि इस कमीशन को वाइंड अप कर दिया जाए, एक साथ कुछ डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किये गए, कुछ डॉक्यूमेंट देने में डिले हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भी संबंध इस सत्य को जानने के साथ हो, कहीं इसका संबंध भी षडयंत्र के साथ तो नहीं है? यह भी ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, आज बहुत सारे इशारे उन्होंने इनडायरेक्टली किये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस तरह आप आपस में एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने सुबह कहा कि

[अनुवाद]

कांग्रेस के भीतर भी कुछ राजनीतिक शक्तियां कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी सत्ता में रहे। इन शब्दों का प्रयोग श्री शिव शंकर ने आज सुबह किया है

[हिन्दी]

और मैं चाहता हूं कि इस मामले को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों उनको यह बात कहने की आवश्यकता महसूस हुई, इसके संबंध में भी आगे जानकारी लेनी चाहिए।

सभापति जी, अपनी रिपोर्ट में जस्टिस जैन ने एक नहीं, अलग-अलग थ्योरीज पर विचार किया। उन्होंने फॉर्मर मिनिस्टर्स के रोल के बारे में विचार किया है। उन्होंने किसी भी प्रधान मंत्री को ऐक्जोनरेट नहीं किया हैं अगर आप पेज 9 पर देखें तो उन्होंने मात्र इतना कहा है कि 'मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग थे, वे ऐसा काम कर सकते हैं,' लेकिन जो इंटरिम रिपोर्ट में उन्होंने फाईडिंग्ज दी हैं, वह मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको पूरी सैक्यूरिटी नहीं दी गई। उन्होंने लिखा है -

[अनुवाद]

> "एक गंभीर प्रश्न जिस पर आयोग द्वारा उत्सुकता से विचार किए जाने की आवश्कता है वह है कि क्या श्री वी.पी. सिंह ऐसी प्रकृति या स्तर की सुरक्षा उपलब्ध न कराने के लिए विद्वेष, पक्षपात या दुर्भावना से प्रेरित थे जो श्री राजीव गांधी की सुरक्षा कर सकती थी। जहां तक विद्वेष का संबंध है किसी भी व्यक्ति की दिल और मन की गहराई में जाना कठिन है। इसका अनुमान परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है।"

> "लगता है बाह्य विचार भी केन्द्र में थे। अतः श्री वी. पी. सिंह और उनकी सरकार की कार्यवाही को प्रेरित कहा जा सकता है। अपेक्षित गंभीरता, उत्सुकता और चिंता का अभाव था और इस बात को ध्यान में रखे बिना राज्यों के पास अपेक्षित प्रकृति और गुणवत्ता की सन्निकट सुरक्षा यूनिट नहीं है, सुरक्षा का दायित्व राज्यों को हस्तांतरित किया गया था और इस प्रश्न पर ऐसी लापरवाही से ध्यान देने को सही और नेकनीयती से लिया कदम नहीं कहा जा सकता है। श्री वी.पी. सिंह के श्री राजीव गांधी के साथ व्यक्तिगत संबंध भी तनावपूर्ण थे और उन्हें सामान्य और संतोषजनक नहीं कहा जा सकता था। तथापि, मैं इस मामले को स्वयं श्री वी.पी. सिंह द्वारा आत्ममंथन के लिए छोड़ देता हूं। ऐसी अपर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा योजना तैयार करने का परिणाम हो सकता है हत्या करना न विचारा गया हो किंतु उसका फलस्वरूप ऐसा गैर-इरादतन परिणाम रहा है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसके साथ साथ पेज नम्बर 7, 8, 9, 10 और 11 पर जो उन्होंने तीन चार थ्योरीज प्रतिपादित की हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पेज नम्बर 14 ए.टी.आर. में कुछ कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के ही दूसरे लोगों पर आरोप लगाये हैं, इस संबंध में जैन कमीशन ने डील किया है। इसमें दूसरी पार्टी के लोग यह कहने नहीं गये थे कि इस कत्ल में ये लोग इन्वोल्व हैं, इस षडयंत्र में दूसरी पार्टियों के लोग हैं। आप अगर पेज नम्बर 14 पर आयें, उस पर सातवीं थ्योरी है, छः मैंने छोड़ दी हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, चूंकि समय कम है, उसमें कहा गया है – 'कुछ कांग्रेसियों की कथित अंतर्ग्रस्तता'। मुझे खुशी है, मुझे संतोष है और मैं कहना चाहता हूं कि सारी रिपोर्ट में ए. से जैड, तक जितने लोगों पर शक की सुई गई है, जिनके नाम कहीं आये हैं, उनमें न तो कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है और न ही भाजपा से किसी का ताल्लुक है। इसमें अगर किसी का नाम लिया गया है तो आपकी पार्टी के लोगों ने अपनी ही पार्टी के लोगों का नाम लिया है।

[अनुवाद]

> "अथर्डराय ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा कोई श्री कल्याण रमन हत्या के पीछे था।"

यह आगे कहता है :-

> "आयोग के समक्ष इस गवाह के अनुसार लता कानन और कोकिला, जिन्हें हत्यारिन 'धनु' के साथ खड़ा पाया गया था, अपराध स्थल पर कांग्रेसी नेता श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर की बेटी लता प्रिया कुमार की कार में आई थीं। तथापि, आयोग ने कुमुद वल्ली के बयान को अस्वीकार किया क्योंकि उसे इस बात के पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य मिले जो यह बताते है कि लता कानन और कोकिला लता प्रिया कुमार के साथ उनकी कार में नहीं आई थी।।

श्री अश्वथनारायणन के विरूद्ध आरोप

> डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी ने श्री ई. अश्वथनारायणन पर श्री राजीव गांधी के हत्यारों अर्थात् शिवरासन और सुभा को अपना मकान किराए पर देने का आरोप लगता है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उसे श्रीमती मारग्रेट आल्वा का संरक्षण प्राप्त था। आयोग ने श्री अश्वथनारायणन से पूछताछ की और आयोग को श्री अश्वथनारायणन के श्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने के आरोप में कोई तथ्य नहीं मिला।"

मुझे खेद है मैं दक्षिण भारतीय नामों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं।

[हिन्दी]

जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : उन्होंने नहीं माना, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा प्वाइंट यह है कि इस कमीशन के पास कांग्रेस के लोग भी गये कि इसमें दूसरे लोगों का हाथ था। किसी विपक्षी पार्टी से नहीं गये। अपनी पार्टी के लोगों पर आपने ही इल्जाम लगाये कि वे इस मर्डर में इंवोल्व थे।

सभापति महोदय, एक स्टोरी मैं आगे बताना चाहता हूं कि श्री महंत सेवा दास सिंह पंजाब में शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना अकाली दल अलग बनाया हुआ है। उस अकाली दल के मैम्बर कम हैं, जितनी उनको सिक्योरिटी मिली है, अर्थात सिक्योरिटी गार्ड्स ज्यादा हैं। वह तीन दिन से इस हाउस में घूम रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि किस एम.पी. ने उनका पास बनवाया है। वह इस मामले की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए आये हुए थे। उन्होंने कमीशन के सामने बोला कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जहां श्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश बनाई गई थी। मैं पढ़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैंने आकर श्री राजीव गांधी को बता दिया था, श्री चंद्रशेखर जी को बता दिया था। मैं हैरान हूं कि जो व्यक्ति स्वयं कह रहा हो कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, आपकी सरकार लम्बे अरसे तक रही, उसके बाद आपकी समर्थित सरकार रही, उस आदमी को आपने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, उसकी आपने जांच क्यों नहीं की? मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महंत सेवा दास को कौन पैट्रोनाइज कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : इसमें कहा गया है :-

> "सिख नेता श्री महंत सेवा दास के अनुसार दिसंबर, 1990 में इंग्लैंड में, खालिस्तान के स्वयंभू राष्ट्रपति श्री जगजीत सिंह चौहान के खालिस्तान हाउस में एक बैठक हुई थी जिसमें वे भी उपस्थित थे। उस बैठक में लिट्टे और अन्य आतंकवादी गुटों के साथ सिक्ख जातिवादियों ने राजीव गांधी की शीघ्र हत्या के लिए एक षडयंत्र रचा था। श्री महंत सेवा दास ने दावा किया है कि वे उसके तुरंत बाद भारत लौटे और अन्य बातों के साथ इस मामले के बारे में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर को बताया। इस मामले में आयोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है-।"

[हिन्दी]

कमीशन ने उनकी बात मानी या नहीं मानी, यह एक अलग विषय है। लेकिन एक व्यक्ति आज भी क्लेम कर रहा है कि उसके

[श्री सत्य पाल जैन]

सामने षडयंत्र हुआ है, उसके सामने प्लान बनाया गया और वह आदमी आज भी खुलेआम घूम रहा है। आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

सभापति महोदय, आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यह अपने आप में बहुत हैरान वाली बात है और इस बात को भी इंडीकेट कर रही है कि इसके अंदर सच क्या था।

सभापति जी, इसके साथ पाइंट नंबर 9 पर देखिए, प्रो. के.के. तिवारी ने क्या कहा, जो आपकी पार्टी के मुख्य नेता हैं:-

[अनुवाद]

> बिन्दु संख्या 9 श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर और श्री पी.वी. नरसिंह राव की भूमिका के संबंध में प्रो. के.के. तिवारी के बयान के बारे में है।

[हिन्दी]

आज हमारे कांग्रेस के लोगों ने सीधा इशारा नहीं किया। मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि जब नरसिंहराव जी का नाम इस षडयंत्र के साथ जोड़ने की बात आती है, तो हमारे कुछ मित्र बहुत खुश होते हैं कि सही बात तो अब सामने आई है और कुछ मित्र कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं और ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्या कारण है, यह आपको पता होगा क्योंकि यह आपके घर की राजनीति है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कोरीडोर्स के अंदर भी आपकी पार्टी से जुड़े बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नरसिंहराव जी को छोड़ क्यों दिया गया, उनका नाम क्यों मेंशन नहीं हुआ। दबी जवान में ऐसी बात सुनाई पड़ती है ताकि कोई सुन न ले। यह आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं और आज भी उनको डिफेंड करने वाला आपके यहां कोई नहीं है। उन्होंने लिखा है कि प्रो. के. के. तिवारी यह बोलते हैं कि नरसिंहराव जी की इसके अंदर इन्वाल्वमेंट थी। चन्द्रा स्वामी और उनकी इन्वाल्वमेंट के संबंध में पूरी साइनिंग रिकार्ड की है और कमीशन लिखता है -

[अनुवाद]

> "आयोग ने श्री राजीव गांधी की हत्या में भी चन्द्रास्वामी की संभावित भूमिका की जांच करने पर काफी ध्यान दिया। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि :
>
> रिकार्ड में विचार के लिए लाए गए सभी साक्ष्यों, सामग्री और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री चन्द्रास्वामी की सहअपराधिता और अंतर्ग्रस्तता के बारे में संदेह पैदा होता है। इसलिए इस मामले की आगे जांच की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : के.के. तिवारी के अलावा और दो-तीन नाम लिए गए हैं। आप उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ते।

श्री सत्य पाल जैन : जी हां, तीन नाम और लिए गए हैं। मैं पूरा पढ़ देता हूं -

[अनुवाद]

> "प्रो. के.के. तिवारी ने आरोप लगाया था कि तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर और श्री नरसिंह राव के उन लोगों से जिन्होंने षडयंत्र को रचा अर्थात् श्री चन्द्रास्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री ओ.पी. चौटाला से घनिष्ट संबंध थे। उनके अनुसार अलग अलग समय में तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने तरीके से अपने ढंग से कार्य किया और अपने नियत कार्य किए। तथापि आयोग ने श्री तिवारी के आरोप को कल्पना की डड़ान कहकर अस्वीकार किया है।"

[हिन्दी]

सभापति जी, आज सुबह हमारे सदस्य कह रहे थे कि पेज 43 पर श्री करूणानिधि का जिक्र इस कमीशन ने किया हैं मैं मानता हूं कि हमारे लोगों ने यह सुबह कहा, यह बात सही है। इतना ही कहा गया है कि उनको इंटैरोगेट नहीं किया गया है, लेकिन इस पर ओवर एक्ट करने की बात डी.एम.के. के लोग क्या कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरा आग्रह है कि अगर करूणानिधि जी को जानकारी है, तो वे इसके बारे में आकर बताएं कि हमें जानकारी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में और आगे इन्क्वायरी की जानी चाहिए, फरदर प्रोब किया जाना चाहिए।

सभापति जी, इसी प्रकार से इसमें तमिल एक्स्ट्रीमिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है और सिक्ख एक्स्ट्रीमिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात को करैक्ट किया है कि जो एक ऐसा इम्प्रैशन गया जो एक ऐसा मैसेज गया कि सारे तमिलियन करप्ट हैं या सारे तमिलियन इस प्रकार के हैं। इस बात को उन्होंने बाद में करैक्ट किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। मैं समझता हूं कि कम्युनिटी का कोई एक आदमी यदि कोई गलत काम करता है और पूरे समाज में यदि वह कम्युनिटी बदनाम होती और सारी कम्युनिटी को दोषी माना जाए, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ी गलत बात कोई और नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात को ठीक किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, श्री पी. शिवशंकर जी ने बड़े विस्तार के साथ बात कही मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार द्वारा जो एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई है उसका आप विरोध कर रहे हैं और उससे आप

संतुष्ट नहीं हैं, तो सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलता है। सी.बी.आई. ने इंक्वायरी कर ली, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप क्या चाहते हैं, यह भी तो आपको बताना चाहिए था। आपको यह सुझाव भी देना चाहिए था कि कौन सी एजेंसी से आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं। सी.बी.आई. इसकी इंक्वायरी न करे, तो क्या कांग्रेस (आई) कमेटी इसकी जांच करेगी?

सभापति महोदय, माननीय आडवाणी जी ने आज सुबह बहुत सही कहा कि इस केस की इंक्वायरी ऐसी एजेंसी को करनी चाहिए जिसके पास कुछ पावर हो। जिसके पास पावर न हो, उसके द्वारा जांच करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि केस में जांच करने के बाद प्रौसीक्यूट करने के लिए केस जब न्यायालय में जाएगा, तो कानूनी अख्तियार रखने वाली एजेंसी द्वारा की गई जांच ही कोर्ट में मान्य ठहराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि किन्हीं तीन प्राइवेट डिटैक्टिव से जांच करा ली गई और उसकी फाईडिंग पर केस कोर्ट में ले जाएं, ऐसा केस चल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कोई लीगल मान्यता नहीं है। इसलिए आपको अगर सी.बी.आई. के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप किस एजेंसी द्वारा इस केस की जांच कराना चाहते हैं वह भी आपको बताना चाहिए। अगर कचहरी में चालान प्रस्तुत करना है तो उसकी लीगल वैल्यू होनी चाहिए।

सभापति जी, अभी सुब्रहम्ण्यम स्वामी जी ने यहां निवेदन किया कि थोड़े दिन की बात है, आप तैयार रहिये। हम इस सरकार को जल्द ही गिरा देंगे और फिर आपके साथ मिलकर नई सरकार बनाकर नये सिरे से जांच करायेंगे और फिर उन सबको जेल भेज देंगे। मैं जब उनका भाषण सुन रहा था, टेलीविजन पर आने वाले दो सीरियल आया करते थे एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दूसरा वागले की दुनिया, वे ध्यान में आ गये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुंगेरी लाल का जो रोल करते थे, उनको बैठे बैठे ध्यान आता था कि मैं प्रधान मंत्री बन गया, मेरे गले में हार डाले गये, मेरा स्वागत किया गया था मैं किसी कालेज का प्रिंसिपल बन गया हूं, ऐसा उसको ध्यान आता था। दस मिनट बाद जब उनके ससुर उनको हिलाते तो उनको ध्यान में आता था कि मैं कुछ नहीं हूं, दूसरा वागले की दुनिया आता था जहां वागले अपनी पत्नी के साथ कुछ काम शुरू करने का प्रयास करते थे और करते करते अंत में बहुत कंफ्यूज्ड और नर्वस होकर टूट जाया करते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि यह क्या हुआ है? फिर कंफ्यूजन और नर्वसनैस में मामला खत्म हो जाता था। मुझे स्वामी जी की वह बात याद आ रही थी। आज वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह सोच रहे थे कि बहुत जल्द उनकी सरकार आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि उनका मुंगेरी लाल के सपने की तरह हाल है और उनकी जो योजना है, वह बिल्कुल वागले की दुनिया जैसी होगी। जब वह मामले में अंतिम चरण में पहुंचेंगे तो उनको अहसास होगा कि कंफ्यूजन और नर्वसनैस के अतिरिक्त उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। दो तीन पाइंट के बारे में हमारे साथियों ने कहा, उस की तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। श्री शिव शंकर जी ने कहा था।

[अनुवाद]

"कांग्रेस (आई) में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो श्री राजीव गांधी को उच्च पद पर आसीन होने नहीं देना चाहती थीं"

यदि आप जानते हो तो आपके दल में कुछ ताकतें ऐसी थीं जो श्री राजीव गांधी को उच्च पद पर आसीन नहीं होने देना चाहती थीं, आप और क्या सच जानना चाहते है? यह जानने के लिए आप आगे क्यों नहीं आते है? आप केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वह सूचना क्यों नहीं देते हैं? आप यह सूचना सरकार को क्यों नहीं देते है कि हमारे दल के अंदर ये ताकतें है जो कभी नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी उच्च पद पर आसीन हों? सरकार इस मामले की जांच करेगी। आप हर तरफ से अच्छे की आशा नहीं कर सकते हैं। आप नाम भी नहीं बतायेंगे और इसके साथ ही आप चाहते है कि सच्चाई का पता भी चलना चाहिए। क्या आप वास्तव में ही सच्चाई जानना चाहते हैं, मुझे इस बारे में शंका है क्योंकि यदि आप सच्चाई जानना चाहते तो आपने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में कई वर्ष पहले न्यायमूर्ति ठक्कर द्वारा दी गई रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया होता। आपने वह रिपोर्ट सभा के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं की। आपने कभी उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की। मेरे पास सिफारिशें हैं।

[हिन्दी]

आपकी पार्टी के प्रमुख नेता श्री आर.के. धवन का उन्होंने नाम लिखा है कि शक की सुई इस पर जाती है कि उनका नाम उसमें लिखा था। अगर आप सच जानने में इंटरैस्टिड होते, तो आप श्री आर.के. धवन को दुबारा लोक सभा का टिकट न देते। श्री आर.के. धवन के खिलाफ कार्यवाही करते और उनके खिलाफ आगे प्रोसीडिंग चलाते।

मैं आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि आपको इतिहास ने एक मौका दिया है, अवसर दिया हैं कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है। इस हत्याकांड के अंदर यदि आपके घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है, इस पार्टी के अंदर बैठे लोगों ने कहा कि विद इन दी कांग्रेस ऐसी फोर्सिस थी, जो एसीसिनेशन करना चाहती थी, वह चाहे बाहर की हो। जिस हाथ का आपने जिक्र किया कि इसके पीछे हाथ है, चाहे देशी हाथ हो, विदेशी हाथ हो या किसी का भी हाथ हो, उसे बेनकाब कराइये। जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जिसका भी इस कत्ल के षडयंत्र को करने या करवाने में हाथ है, पंजा है अंगुली है, विदेशी है, देशी है, जो भी इन्वॉल्व है, उसका पता करके सजा दीजिए। इसके लिए इतिहास हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आपका आभारी रहेगा। मैं अपने कांग्रेस भाइयों से एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं दो हत्याओं का जरूर जिक्र करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की) : क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात मानेंगे? आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे...

सभापति महोदय : क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है?

श्री सत्य पाल जैन : नहीं। मुझे स्वीकार्य है।

श्री पी.सी. चाक्को : *माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक मिनट के लिए यह बात माना है। नाराज मत होइए। एक विशेष जांच दल निधुक्त किया गया था जिसने श्री आर.के. धवन को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया था। आप बार बार ऐसा कह रहे हैं। जब यह सच्चाई है तो आप उसे पुनः क्यों दोहरा रहे हैं?*

आप जानते हैं कि दो वर्ष की विस्तृत जांच के बाद उनको विशेष जांच दल द्वारा पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया था। आप दुबारा इसका उल्लेख कर रहे हैं। क्या यह अनुचित नहीं है?

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : चाक्को साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आपने विषय को यहां रेज किया है। अगर आप इस पर ओपन दिल से चर्चा करवाना चाहते, तो आप भी इस सदन के अंदर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा कराते और सदन के सभी मैम्बर्स का ओपीनियन लेने के बाद आप इन्वेस्टीगेशन कराते...*(व्यवधान)* तब मैं मानता कि आप सच की जानकारी चाहते हैं।...*(व्यवधान)* आपने सदन के अंदर इसकी चर्चा नहीं की

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को : आप मेरे विशेष प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते है?...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न एकदम सुस्पष्ट है आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते?

श्री सत्य पाल जैन : मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री पी.सी. चाक्को : आप उस प्रश्न से बचने की कोशिश नहीं करिए।

श्री सत्य पाल जैन : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

घर में बैठकर अपनी मर्जी का आदमी रखकर आप जोड़ तोड़ लेना चाहतें तो ले सकते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ सच्ची रिपोर्ट रखना चाहते हैं तो सारे सदन को कांफीडैंस में लेकर सबके विचार सुनने के बाद जांच कराते तब मैं मानता कि आप क्या कुछ चाहते थे।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई। हम लोग भी चाहते थे कि उनकी हत्या की जांच हो। लोगों ने उनकी हत्या की जांच नहीं की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी भी बड़े नेता की हत्या हुई हो, वह किसी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी ग्रुप से संबंध रखता हो, उसकी तह में जाना चाहिए था, उसकी तह में जाते, उसके बाद जो दोषी पाए जाते, उनका पता करके उनको सजा दी जाती। लेकिन आप दो हत्याओं में अंतर मानने की कोशिश करें। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। मैं एक मौरल बात कह कर आपसे निवेदन करके बैठना चाहता हूं। मेरी बात का बुरा नहीं मानें। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उस उग्रवाद के बाद हुई जो पंजाब में पैदा हुआ, जिसकी सबसे पहली घटना 13 अप्रैल, 1978 को अमृतसर में झगड़े से शुरू हुई और जिसका पहला कांड लाला जगत नारायण की हत्या था। लिट्टे को पहले तमिलनाडु के अंदर तक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ट्रेंड किया गया, दूसरे देशों में भेजा गया, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, उसके अंतिम पड़ाव के रूप में राजीव गांधी की हत्या हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आग से खेलने की नीति बंद करनी चाहिए, आग से खेलने की नीति में विनाश होता है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप एक पर्टिकुलर समय तक अकालियों को परेशान करने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को धार्मिक संत कह सकते थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ इसका हमको एहसास था।...*(व्यवधान)* आप लिट्टे को डिस्रेज कर सकते थे। उसका अंत क्या निकला, इसका हमको एहसास है। आग की राजनीति कभी पे नहीं करेगी, इससे मत खेलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, आप सुबह से हम लोग एक ऐसे हादसे पर बहस कर रहे हैं जिस हादसे से सारा देश हिल गया था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ था, फिर प्रधानमंत्री बना। मुझे भी उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर काम करने का मौका मिला। वह गरीब घर में पैदा नहीं हुए थे लेकिन गरीब की भावना को समझते थे। जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में उम्मीद जाग गई थी। मेरे विरोधी भाई माफ करेंगे, 1984 में एक ही बात हुआ करती थी कि राजीव गांधी इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे, सब यहीं कहते थे और उन्होंने कोशिश की। मैं महसूस करता हूं कि जिस भावना से उन्होंने देश को एक साथ लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उस भावना को कुछ लोगों ने गलत समझा। आज मैं सभी की बातें सुन रहा था और बैठा-बैठा थोड़ा सा चकित हो रहा था, मन में थोड़ा महसूस कर रहा था कि आखिर मैं तो हर आदमी सच्चाई को समझने लगता है, देर जरूर लगती है।

1991 का हादसा एकदम नहीं हुआ, मई 1991 एकदम नहीं आ गई। जैसा वातावरण 1989 में पैदा कर दिया गया था, सारे देश में जो वातवरण पैदा हुआ था, हमारे सब भाई यहां बैठे हुए हैं, क्या भाषाएं बोली गई थी, किस तरीके से राजीव गांधी के खिलाफ घृणा पैदा करने की कोशिश की गई थी, किसके इशारे पर की गई थी, मैं नहीं समझता। मैं अपनी बात बहुत छोटी करूंगा और 3-4 बिंदुओं पर बोलूंगा क्योंकि मेरे से पहले मेरे साथी श्री शिव शंकर और दूसरे भाइयों ने ज्यादातर सभी पाइंट्स कवर कर दिए हैं। मैं सुन रहा था, सभी भाई कह रहे थे कि सिक्युरिटी की कमी थी, सिक्युरिटी क्यों नहीं दी गई। 3 फरवरी, 1990 को इंटैलीजैंस ब्यूरो ने सरकार को खुद रिपोर्ट भेजी कि राजीव गांधी का थ्रैट प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सिख ऐक्सट्रीमिस्ट्स और दूसरे ऐक्सट्रीमिस्ट्स ग्रुप से और बढ़ गया हो। यह आई.बी. रिपोर्ट सरकार को जाती है और सरकार इगनोर करती है।

फिर दुबारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि सिख ऐक्सट्रीमिस्ट्स में तलविंदर सिंह परमार, जो लीडर बब्बर खालसा ऐक्टीविस्ट थे, ने कहा कि 1990 के बाद राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, यह हमने योजना बना ली है। यह लिखित में जैसा आई हुई इन्ट्यूइशन सरकार को भेजी जा रही थी। यही नहीं, वे यह भी कह रहे हैं कि इंटरनैशनल यूथ फैडरेशन में क्या फैसला हुआ। सतनाल सिंह "सत्ता" जो बी.सी.एफ. के मिनोचा ग्रुप से हैं, उन्होंने कहा है

[अनुवाद]

इस गिरोह के सदस्यों को श्री राजीव गांधी सहित विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या करने के निर्देश दिए गए थे।

[हिन्दी]

यह सारी रिपोर्ट आती है। उसके बाद 1989 में हमारी सरकार चली गई। वे विपक्ष के नेता थे। पार्टी की तरफ से श्री चिदम्बरम हमारे साथ थे। वे गृह मंत्रालय गए, वहां मीटिंग हुई और यह फैसला हुआ कि अभी आप एस.पी.जी. मत हटाइए, देश के हालात ऐसे है, राजीव गांधी की सिक्युरिटी के हालात ऐसे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी सेशन साहब थे, डी.आई.बी. श्री एम.के. नारायणन थे। दोनों ने सरकार से कहा कि आप एस.पी.जी. मत हटाइए।

सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि राजीव जी को रिस्क और बढ़ गया है, उनकी सिक्योरिटी और खतरे में आ गई है, दोनों लिखित रूप में कहते हैं। आज हमारे सारे भाई यहां कह रहे हैं, इधर के भाई भी कह रहे थे, वे भाई भी कह रहे थे। अभी हमारे भाई जैन साहब बहुत जोश में बोल रहे थे। ये सब 1989 में एक साथ बैठे हुए थे। ये भी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, जब यह सरकार फैसला ले रही थी कि हम सिक्योरिटी की परवाह नहीं करेंगे। कैबिनेट सैक्रेटरी एक लैटर लिखता है, शायद श्री विनोद पांडे कैबिनेट सैक्रेटरी थे कि फलां फलां देश में एस.पी.जी. में यह नहीं है, वह नहीं है, जो कायदे की बात थी। एक्स. पी.एम. एस.पी.जी. में कवर नहीं होता।

[अनुवाद]

एक कैबिनेट पेपर प्रस्तुत किया जाना है जिसमें कहा गया है कि श्री राजीव गांधी तथा उनके परिवार को संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेवारी मंत्रिमंडल के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

लेकिन जब डी.आई.बी. की रिपोर्ट आई तो कैबिनेट सैक्रेटरी एक नोट प्रधान मंत्री के दफ्तर में भेजता है कि मैं कैबिनेट प्रपोजल भेज रहा हूं, लेकिन साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डायरैक्ट करता है कि अब आप सिक्योरिटी हटाकर रूटीन सिक्योरिटी कर दीजिए। मैंने यह कभी नहीं सुना कि कैबिनेट को तो पेपर जा रहा है और एक्शन उससे पहले हो रहा है। मैं भी कैबिनेट में रहा हूं, मैं भी सरकार में रहा हूं। अगर कैबिनेट के कंसीड्रेशन के लिए प्रपोजल आ रहा है तो फिर कैबिनेट सैक्रेटरी और होम मिनिस्ट्री को विथड्राल का क्या हक है, जब तक कैबिनेट उस पर डिसीजन नहीं ले लेती? लेकिन किसी भाई ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमने आंख बंद कर ली थी और एक ही भावना थी कि राजीव गांधी को जिस तरीके से डाइल्यूट कर सकते हों, करो, जिस तरीके से इनकी बात को नीचे कर सकते हो, करो। यह भावना पौलिटिकल एटमोस्फियर में आ गई थी। राजनैतिक विचारधारा यह बना ली गई थी कि राजीव गांधी को किसी तरीके से, जिस तरीके से भी कमजोरी ला सको, लाई जाये।

आज मैं सुबह से भाषण सुनकर थोड़ा चकित हो रहा था। अगर ये बी.जे.पी. के भाई कह रहे हैं कि 1989 में हमारी सरकार नहीं थी, जिस तरह आज हमें देवेगौड़ा जी, गुजराल जी की बातों का जवाब देना पड़ रहा है, आप भी 1989 में उनके साथ बैठते थे। हर शुक्रवार को डिनर होता था, उसमें आडवाणी जी जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे। वह मंगलवार, वृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार हो सकता है, मैं नहीं जानता। एक डिनर होता था, उसमें सारे एलाइज बैठते थे और सब बैठकर फैसला करते थे। उस वक्त ये उसके भागीदार थे, आज ये माने या नहीं मानें। उस वक्त इनमें से किसी ने नहीं कहा कि राजीव गांधी से हमारा विरोध हो सकता है, वे देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का आप पूरा ख्याल कीजिए। हमारे कोई साथी बोल रहे थे, उन्होंने सच कहा, शायद लालू प्रसाद जी बोल रहे थे, जब उनकी डैथ हुई थी, उनके पी.एस.ओ. के पास पिस्टल भी नहीं थी, क्योंकि दो पी.एस.ओ. की ड्यूटी थी। दूसरे उनको रिलीव नहीं कर पाये और वह पिस्टल पुराने पी.एस.ओ. के पास रह गई। श्री गुप्ता, जिसकी डैथ हुई है, यह रिकार्ड में है, वह बिना पिस्टल के राजीव जी की सुरक्षा में बैठा हुआ था। सिक्योरिटी के ये हाल उस वक्त थे। खैर, सिक्योरिटी इन्होंने कम की। हम लोग इस बात को पार्लियामेंट में उठाते रहे, हम कहते रहे, हमारी पार्टी यहां कहती रही, लेकिन किसी ने गौर नहीं फरमाया। सिक्योरिटी कम हुई और सिक्योरिटी भी जब इतनी कम हो गई, उसके बाद श्री बी.जी. देशमुख जी शायद कैबिनेट सैक्रेटरी थे और श्री के.आर. वेणुगोपाल उनके नीचे थे, उन दानों की कोरस्पोडेंस है। के.आर. वेणुगोपाल कह रहे हैं कि नहीं, यह गलत फैसला है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, रॉ और आई.बी. की रिपोर्ट्स हैं, हमें सिक्योरिटी लोअर नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की।

आज मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि इंस्टीट्यशंस खत्म होते जा रहे हैं। एक जमाना था, इंस्टीट्यूशंस का, ब्यूरोक्रैसी का जमाना था, सरदार पटेल कुछ कहते थे तो वी.पी. मेनन होम सैक्रेटरी एक नोट लिखकर भेज दिया करते थे कि नहीं, यह फैसला ठीक नहीं है, इसको दोबारा सोचिये। उस वक्त पोलिटिकल मैचयोरिटी भी इतनी थी कि यह भावना नहीं आती थी कि नीचे से जो सुझाव ब्यूरोक्रेसी का आ रहा है, उसको हम कंसीडर न करें। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे तीनों पिलर कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। यह नतीजा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कमजोर होने का है। अगर यह सरकार 1989 में इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करती तो कभी राजीव गांधी की सिक्योरिटी कम नहीं होती। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कमजोर होती चली

[श्री राजेश पायलेट]

गई और इंस्टीट्यूशंस इतनी कमजोर हो गई कि इंस्टीट्यूशन ने लिखने तक अपनी ड्यूटी समझी, लेकिन करवाने की अपनी ड्यूटी नहीं समझी। ब्यूरोक्रेसी हमारी डैमोक्रेसी का एक मजबूत पिलर है। ठीक है,

[अनुवाद]

लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता सर्वोच्च होती है लेकिन नौकरशाही वर्ग तो कार्यवाही करने तथा कार्यवाही करने संबंधी परामर्श देने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण तथा मजबूत होती है।

[हिन्दी]

लेकिन उन्होंने भी इन्फोमेंशन दे दी कि सिक्योरिटी खतरे में है, रिस्क बहुत हाई है और उसके बाद घर आकर सो गये। इन इंस्टीट्यूशंस की कमजोरी से आज हम इस हालत में पहुंच गये है कि हमको इस पर बहस करनी पड़ रही है। जब इंस्टीट्यूशंस डैमोक्रेसी में कमजोर हो जाती हैं तो डैमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली जाती है। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, थ्रेट परसैप्शन बढ़ता रहा और हालत यह हो गई कि जब 1991 आया तो उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन ने फिर सरकार को एक नोटिस दिया, फिर आई.बी. की तरफ से खबर आई कि राजीव जी की सिक्योरिटी और बढ़ानी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैन आयोग की रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। आप पहले ही दस मिनट बोल चुके है लेकिन अब तक आपने जैन अयोग की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति जी, जब इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाती हैं तो फिर ये सारी बातें कमजोर हो जाती है।

अपराह्न 5.00 बजे

अब उसके बाद मैंने सिक्योरिटी की बात कही कि सबस्टेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी गई। यह उस वक्त की सरकार की जिम्मेदारी थी और जो सरकार में बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी थी।

सभापति जी, इस बहस में तीन एंगल हैं। एक सिक्योरिटी का, दूसरा कि हत्या का पता लग गया और हत्या किसने करवाई। जैन कमीशन उस कांसपिरेसी में गया है, लेकिन मैं समझता हूं उतना नहीं गया, जितनी इन्फार्मेशन और आनी चाहिए थी। हमारे जैन भाई कह रहे थे कि आप भी सरकार में थे। यह बात सही है कि हमारी भी सरकार थी। राजीव गांधी की कुर्बानी पर ही हम आए। आप देखें कि उनकी डैथ से पहले हमारी क्या सीट थी और बाद में उसमें बढ़ोतरी हुई। हम महसूस करते हैं, बड़े भारी मन से कह रहे हैं कि हम सरकार में रहकर छः साल उतना नहीं कर पाए। जब 1991 से 1997 तक थे। हमारा सबसे पहला फर्ज था कि हम सख्ती से इन कामों को करते जो आज हम कह रहे हैं। हम उससे दूर नहीं भाग रहे, यह हमारी कमजोरी रही है। हम इसको देश से छिपाना नहीं चाहते। लेकिन जितना कर सकते थे, उस वक्त किया। इसीलिए शिव शंकर जी ने आज साफ लफ्जों में कहा है कि हमारी कहीं कमजोरी रह गई, आज आपकी कमजोरी इस बात में नहीं रहनी चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो आप उसको दूर करें, ताकि देश को सच्चाई मिल जाए, देश सच्चे रास्ते पर पहुंच सके और देश के सामने सच्चाई आ जाए।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? आप बार-बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरी सुरक्षा दी गई थी। उनके लिए सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। फिर भी, ऐसा कैसे हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई? क्या हत्या के लिए सुरक्षा की कमी होना ही एकमात्र कारण है।

श्री राजेश पायलट : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सुरक्षा ही सब कुछ है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं यह नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी ही सब कुछ है। इंदिरा गांधी को पूरी सिक्योरिटी थी, आज के दिन भी प्रधान मंत्री जी को पूरी सिक्योरिटी है, लेकिन आज भी कहीं कोई लैप्स हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ सिक्योरिटी ही सुरक्षा का साधन है। लेकिन सिक्योरिटी की जरूरत होती है और जिस सिक्योरिटी की उस वक्त जरूरत थी, जो आप लोगों ने उस वक्त नहीं की।

कांसपैरेसी की बात आई। सबने अपनी अपनी बात कहीं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे वकील भाई राम जेठमलानी और सुब्रह्मण्यम स्वामी बोले, मैंने उनके भाषण सुने हैं। चाहे मसाद की बात हो, चाहे अराफात का स्टेटमेंट हो, चाहे सेवादास के बारे में कहा हो, यह सही है और सारा सदन मानता है कि कांसपैरेसी थी। मुझे खूब याद है जब मैं आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय में मंत्री था। मैंने चंद्रास्वामी जी को हिरासत में लेने का आदेश क्यों दिया था, क्योंकि मेरी समझ में यह आ रहा था कि कोई ऐसी बात चल रही है जो इस बात को उजागर करेगी। जिस तरह की एक्टीविटी चन्द्रास्वामी जी की चल रही थी, उससे मेरे मन में यह बात पक्की थी कि जब तक हम इस आदमी की गतिविधियों की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक सारी बात सामने नहीं आएगी। मैं सुन रहा था जब सुब्रह्मण्यम स्वामी जी कह रहे थे कि चन्द्रास्वामी की 'हूज हू' पढ़कर सुनाऊं। सभापति जी, मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अब देश के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, चन्द्रास्वामी की 'हूज हू' से इस देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से कि वह व्हाइट पेपर देश के सामने रखें कि चन्द्रास्वामी के किस से ताल्लुक रहे क्यों रहे और किसलिए रहे हैं। आप यह जिम्मेदारी निभाइये। यह बात भी सही है कि आप नहीं निभा पाओगे। मुझे खुब पता है, जब मैंने हिरासत के आदेश दिए थे तो बी.जे.पी. के कई नेताओं का बयान आया था कि राजेश पायलट तो इंस्पेक्टर की तरह आदेश दे रहा है। आज आप कह रहे हो हम इस बात का स्वागत

करते हैं। चन्द्रास्वामी के ऊपर व्हाइट पेपर निकले कि कब से उनके पोलिटिशियन्स के साथ कनेक्शन रहे हैं, किस के साथ रहे हैं और क्यों रहे हैं। मैं महसूस करता हूं, आज मैंने सुब्रमण्यम स्वामी को और राम जेठमलानी जी के भाषण सुने और मैं इस बात से कंवींस हूं कि अगर आप इसे उजागर कर दोगे, सारी बातें सामने आ जाएंगी, कोई चीज देश से छिपी नहीं रहेगी। लेकिन आप व्हाइट पेपर की तैयारी करो।

डा. संजय सिंह (अमेठी) : जब आपका समय था तो सी.बी. आई. ठीक थी, अब नहीं है।

श्री राजेश पायलट : संजय सिंह जी, मैंने सी.बी.आई. का जिक्र नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि किसी भी एजेंसी से जांच करवाएं जो देश और संसद को बता दें कि इस आदमी के कनेक्शन कहां कहां हैं, इस आदमी की गतिविधियां क्या-क्या हैं, क्योंकि इस आदमी ने देश की राजनीति से खिलवाड़ किया है। आज लालू जी ने ठीक कहा।

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : यह खिलवाड़ हमारे से थोड़े हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है, आपने खिलवाड़ कराया है। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आपके आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ था?

श्री राजेश पायलट : आरिफ मोहइम्मद खां जी कह रहे हैं कि आपके आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। चलो, मेरी सरकार में नहीं हुआ, आपको भी यह पता है, मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया, लेकिन इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप अमल करके दिखाओ। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने इनका पूरा खाका खोला, आपको सारी बातें मिल जाएंगी, सारी कांसपिरेसी सामने आ जाएगी, फारेन एंड इनलैंड सारा साफ हो जाएगा। मेरा अपना भरोसा है कि यह सबसे बड़ा क्रक्स है, जो आपको करना चाहिए।

सभापति जी, सबने बड़ी बातें कहीं हैं, लेकिन दो बातों पर गौर नहीं किया। जिस तरीके से अभी राम जेठमलानी कह रहे थे कि 'मौसाद' से खबर आई, सुब्रहम्ण्यम स्वामी ने उसका जवाब दिया और बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि अगर उसमें किसी का कसूर है तो वह भी उसमें मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने बड़े खुले शब्दों में आज यह भी बताया कि क्या क्या एक्शन थे, क्या क्या रहा। आज सारा देश इसे देख रहा है। जो हादसा राजीव जी के साथ हुआ, जैसा मैंने पहले कहा कि इंस्टीट्यूशन कमजोर हुआ, ब्यूरोक्रेसी की पोलिटिकल विंग के सामने नहीं चल पाई और वह पोलिटिकल एंगल से चलती रही। उन्होंने मन बना लिया कि राजीव गांधी को सिक्योरिटी नहीं देनी है और हालत यह हो गई कि जब बात बिगड़ती चली गई तो न इंस्टीट्यूशन ने परवाह की और न पोलिटिकल विंग ने परवाह की। उसका परिणाम यह हुआ कि राजीव जी की हत्या हुई।

आज मुझे खुशी है कि यहां सभी लोग पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। आज देश के सामने हमें सच्चाई लानी है। सच्चाई जानने के लिए हम सभी इंटरेस्टेड हैं। हम ही नहीं सारा देश सच्चाई जानना चाहता है। आज कोई दस साल का बच्चा पूछे कि देश के प्रधान मंत्री की हत्या कैसे हुई और हम जवाब न दे पाएं तो यह देश के लिए शर्म की बात है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो एजेंसी की बात हुई है, उस एजेंसी के पास पॉवर होनी चाहिए। वह एजेंसी ऐसी न हो कि देश के किसी कोने में चली जाए तो यह कहे कि यह स्टेट गवर्नमेंट के दायरे बाहर की बात है, उसमें हम मदद नहीं कर सकते। मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह पोलिटिकल लीडर्स की एक मीटिंग बुलाए और उसमें बैठकर सलाह करें कि एक एजेंसी स्थापित करनी चाहिए जो कि टाइम बाउंड हो। लालू जी सही कह रहे थे कि सात साल में अब खबर आई है, अगले सात साल और इसमें लग जाएंगे तो सारी बात खत्म हो जाएगी।

आज फाइलों का जिक्र हुआ है कि कुछ फाइलें गुम हो गई हैं। अगले सात साल में और कुछ हो जाएगा तो देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। मैं सरकार से कहूंगा कि एक स्पेशल एजेंसी बताइए, नाम कुछ भी रख लीजिए, उस एजेंसी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देश के किसी भी कोने में जाकर इंटेरोगेशन कर सके, किसी से भी पूछताछ कर सके।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : एजेंसी का नाम बताइए।

श्री राजेश पायलट : आप इसे कृतक बल कह सकते हैं। इसे पुलिस अधिकारी अनुभवी पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर गठित किया जा सकता है पुलिस अधिकारी सेवा में हो अथवा न हो, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा और योग्यता देश भर में जानी जाती हो। आप उनके साथ मिलकर एक विशेष दल गठित कर सकते हैं और उन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम दे सकते हैं।

[हिन्दी]

उस टाइम में आप उसे करके दें। जैन साहब ने जिस भाषा में अभी बोला है, जार्ज फर्नांडीज जी आपके पास बैठे हैं, चन्द्रा स्वामी का एक कच्चा चिट्ठा दे दीजिए, देश को कोई जरूरत नहीं है। सारा देश समझ जाएगा। लेकिन आपके कैबिनेट में भी वह बात न हो जाए जो और कैबिनेट्स में होती थी। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपने बहस कराई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अपनी पार्टी की तरफ से श्री शिवशंकर जी ने काफी सफाई से बात रखी है। हमारे वही दो मुद्दे हैं। हमारा एक यह मुद्दा था कि जिनका हाथ था, उनको भी पकड़ना जरूरी है। यह तो पता चल गया कि कैसे हत्या हुई लेकिन किसका हाथ था, यह भी देश को जानना जरूरी है।

1980 में, मुझे याद है मैं नया नया पार्लियामेंट में आया था, इंदिरा जी कहा करती थी कि कुछ विदेशी ताकतें देश को स्टेबल नहीं होने देना चाहती हैं। यह बात सही है कि कुछ विदेशी ताकतें इस देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं। अभी हमारे अकाली दल के कुछ भाई

[श्री राजेश पायलेट]

हंस रहे थे जब भिंडरावाले का जिक्र आया था। जब पंजाब में हालत खराब हुई थी, ये लोग उनको सरोपा देते थे जो मारते थे और कांग्रेस उनके घर जाती थी जो मरते थे। हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया था?...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : इसी बात की इंक्वायरी हो जाए कि पंजाब में किसने मिलिटेंसी पैदा की? ये लोग किसके घर में जाते थे और हम किसके घर में जाते थे? हमारे कितने लोग मारे गए और उनके कितने मरे? यह हिसाब भी कर लें कि किसके ज्यादा मरे? पंजाब में मिलिटेंसी किसने पैदा की? इनके बाद मैं बोलूंगा और तब बताऊंगा कि पंजाब में मिलिटेंसी किसने पैदा की? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पायलट क्या आप मान रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : कांग्रेस पार्टी पचास साल या पैंतालीस साल सत्ता में रही है। हम यह नहीं कहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है या हमारा हर कदम सही रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के योगदान को आपको समझना और मानना पड़ेगा। जहां जहां ऐसी ताकतों ने सिर उठाया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो या पंजाब हो, मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस हमेशा सबसे आगे रही है। यहां बूटा सिंह जी बैठे हुए हैं जो तत्कालीन गृह मंत्री थे। उनको मालूम है कि किस तरह से पंजाब में हालत खराब रही है और सी.पी.एम. के भाई खड़े होकर कहते रहते थे। बी.जे.पी. के भी कुछ साथी वहां पर मरे थे। यह सही है कि ये ताकतें आगे बढ़ी हैं।

महादेय, इसी भावना को लेकर हमने प्रस्ताव दिया है कि स्पेशल टीम बनाकर पूरे मन से काम करना चाहिए। हां, ए.टी.आर के बारे में कुछ बात चली है और आपने ए.टी.आर में थोड़ा सा पोलिटिकल एंगल दिया है, जैसा सब लोगों ने कहा है। यह भावना नहीं होनी चाहिए, अगर आपको सच्चाई तक पहुंचना है। मैं मानता हूं, सच्चाई हमारे जमाने में नहीं निकल पाई। उसके लिए हम अपनी ढील मानते हैं, लेकिन हम यह उम्मीद रखते हैं कि आप देश के सामने सच्चाई को लाये और स्थिति साफ हो सके।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। शिवशंकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अपनी इस मांग के साथ चन्द्रास्वामी अबकी बार तुमने पेपर नहीं दिया, तो बोलने के लायक नहीं रहोगे और बाहर निकल जाओ। इस बात का ख्याल रखिएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के संबंध में मंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : महोदय, मैं सभा को बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : प्रत्येक मंत्री अपना वक्तव्य देने के लिए केवल आज ही का दिन क्यों चुन रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : प्रत्येक मंत्री केवल आज ही वक्तव्य देना चाहता है।

सभापति महोदय : वक्तव्य देने की उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। कृपया कुछ क्षणों के लिए रूकिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : प्रत्येक मंत्री ने वक्तव्य देने के लिए सत्र के अंतिम दिनों को ही चुना है।...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : आप सत्र के बढ़ाए गए दिनों में ही वक्तव्य क्यों देते हैं, इससे पहले क्यों नहीं देते हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : यदि मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते थे तो वे हमें पहले बता सकते थे। यह नियम है और माननीय मंत्री महोदय इस बारे में जानते हैं। सभा को हैरानी में न डालिए।...*(व्यवधान)* वह सभा के अंतिम दिनों के दौरान ही वक्तव्य क्यों देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* यह तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के संबंध में वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने आज कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया है कि केवल जैन आयोग की रिपोर्ट पर ही चर्चा की जाएगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी इसलिए वक्तव्य देना चाहते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडु (श्रीकाकुलम) : हम स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेने के बाद ही माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : इस बारे में सभा को पहले बताना चाहिए था। यह बात सबको परिचालित की जानी चाहिए थी कि एक वक्तव्य दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. पी.जे. कुरियन, आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय सभापति महोदय, कृपया मेरी बात तो सुनिए....

सभापति महोदय : प्रो. कुरियन, आप सभा का समय बर्बाद कर रहे है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय सभापति महोदय, आप कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि केवल जैन आयोग की रिपोर्ट पर ही चर्चा की जाएगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के समय, यह प्रश्न नहीं उठा था।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय सभापति महोदय आप कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : माननीय सभापति महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में सरकार को यह बताना चाहिए था कि वह आज यह करने जा रहे हैं। हमें कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय नहीं लिया गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय आपको वक्तव्य देने के लिए कितने मिनट चाहिए?

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : वे जैन आयोग रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : हमने आपको एडजस्ट किया। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए।...*(व्यवधान)* हमने पांच मिनट ले लिए, तो क्या हो जाएगा। हमने आपका इतना बड़ा कहना माना, आप पांच मिनट नहीं दे सकते हैं?

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : यही नहीं किया जा सकता है। आपने स्वीकार किया था कि आप कार्य सूची की सभी मद्दों को निपटाने के लिए तीन दिन का समय लेंगे और उसके पश्चात् जैन आयोग रिपोर्ट चर्चा के लिए ली जाएगी...*(व्यवधान)* आपने इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए केवल दो दिन का समय दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महादेय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देना है।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : माननीय मंत्री जी उस समय में वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते थे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं एक मिनट ले सकता हूं? निसन्देह, माननीय मंत्री जी कई ऐसी परिस्थितियां में वक्तव्य दे सकते हैं। होता यह है कि कभी कभी संशोधित कार्य सूची के परिचालन द्वारा सदस्यों को बता दिया जाता है कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। इसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यही बात कह रहे है। यदि कभी ऐसी स्थिति होती है तो यह अध्यक्षपीठ और मंत्री महोदय के बीच की बात होती है कि अध्यक्ष पीठ अनुमति प्रदान कर सकता है और कोई भी खड़ा होकर वक्तव्य दे सकता है।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यह न मान ले कि संसद उनकी बात मान लेगी। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि सब उनकी बात मान लेंगे। हमें जिस प्रकार संसद में होता रहा है उसका पालन करना चाहिए। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि जो थोड़ी बहुत परम्पराओं अथवा प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है उनकी अनदेखी न करे। इसलिए वक्तव्य देने दीजिए लेकिन भविष्य में मैं खुराना जी से अनुरोध करता हूं कि यदि वे वापस यहां आते हैं और सदन में वहां बैठते है तो उन्हें इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप वास्तव में जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा करने के इच्छुक है तो वक्तव्य रखने दीजिए। आप बेकार में सदन का समय बरबाद कर रहे है।

...*(व्यवधान)*

प्रो पी.जे. कुरियन : महोदय यह कार्य मंत्रणा समिति निर्णय के विरुद्ध है। यह अध्यक्ष के निर्देश के खिलाफ है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कल तो आपने कहा था कि एक दिन के लिए हाउस बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)* आपके कहने से हमने एक दिन के लिए हाउस बढ़ा दिया और अब इस तरह बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : कृपया अध्यक्ष के निर्देश 119 को पढ़िए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : यह तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : मंत्री जी से इसे सभा पटल पर रखने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप आगे की कार्यवाही जारी रखिए। यह तो सदन में होता रहता है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, क्या कोई मंत्री किसी भी समय कोई वक्तव्य सदन में दे सकता है? मुद्दा यह है..*(व्यवधान)* यह उचित तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* जितना समय आपने लिया है इतनी देर में तो जार्ज जी पढ़ भी लेते।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : अब कोई वक्तव्य नहीं होगा, खुराना जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.18 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं 27 जुलाई, 1998 से अब तक भारत पाक नियंत्रण रेखा पर हुई गतिविधियों से सदन को अवगत करवाना चाहूंगा।

27 और 28 जुलाई, 1998 को पाकिस्तान ने हमारी चौकियों और बटालिक तथा कारगिल के सिविलियन क्षेत्रों में आर्टिलरी और मोर्टारों से अभूतपूर्व एवं अकारण गोलीबारी की। 30 जुलाई, 1998 को हमें मजबूरन समुचित जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप दोनों ही ओर की सैन्य और सिविलियन संपत्ति के नुकसान के साथ सिविलियन और सैनिक भी हताहत हुए। तब से रूक रूक कर गोलाबारी का आदान-प्रदान चल रहा है। तथापि, केरेन, तंगधार, उड़ी और रामपुर क्षेत्रों के सिवाय अधिकांश क्षेत्रों में कल से गोलीबारी कुछ कम हो गई हैं पिछले दो दिन से कारगिल क्षेत्र शांत रहा हैं 27 जुलाई से 4 अगस्त के बीच सेना के 10 जवान, बी एस एफ के 6 कांस्टेबल और 31 सिविलियन हताहतों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

पाकिस्तान ने सदैव पाकिस्तानी तथा विदेशी उग्रवादियों की घुसपैठ कराने के लिए नियंत्रण रेखा के आस पास गोलीबारी का सहारा लिया है। ये उग्रवादी संगठित, सज्जित, वित्तपोषित तथा हथियारों से लैस होते हैं और अंततः इन उग्रवादियों को नियंत्रण रेखा के पास तैनात पाकिस्तानी सेना द्वारा सक्रिय रूप से गोलाबारी की आड में घुसपैठ करवाई जाती है। पिछले कुछ माह के दौरान, विशेषकर मई, 1998 से हमारी सुरक्षा सेनाएं घुसपैठ की घटनाओं को रोककर और उन्हें सीमित करके पाकिस्तान के इरादों को नाकामयाब करने में सफल हुई है। इस हताशा के फलस्वरूप पाकिस्तान ने न केवल हमारी सैन्य चौकियों वरन् सिविलियन रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनका मुख्य निशाना बटालिक, कारगिल, कंजालवान, तंगधार, केरेन तथा उड़ी क्षेत्र है।

पाकिस्तान का व्यवहार उसकी इस सुविचारित नीति के अनुकूल है कि द्विपक्षीय शांतिपूर्ण वार्ता के मार्ग में बाधा डाली जाए और सीमा पर जगह जगह इस तरह की घटनाएं करके खतरे का माहौल पैदा किया जाए जिससे जम्मू और कश्मीर को विवाद केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। घाटी में उग्रवाद को कश्मीरियों का समर्थन धीरे धीरे कम हो जाने की वजह से भी पाकिस्तान की हताशा और बढ़ती जा रही है। इस उग्रवाद का नियंत्रण पाकिस्तान की राजनैतिक हस्तियों से संरक्षण प्राप्त पाकिस्तान के उग्रवादी संगठनों तथा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एस आई के निर्देश पर कार्यरत भाड़े के विदेशी सैनिकों के हाथों में चला गया है।

मैं इस बात को दुहराना नहीं चाहता कि भारत ने कभी भी कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की है और हमेशा यह चाहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर अमन व चेन बना रहे। भारत ने हमेशा ही अत्यंत संयम बरता है और हम इस संयम को बनाए रखेंगे। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान भी संयम का परिचय देगा। हम भी आशा करते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थापित राजनीतिक और सैन्य माध्यमों को कारगर ढंग से उपयोग में लाया जाएगा।

मैंने 4 अगस्त, 1998 को कारगिल, कुपवाडा और बारामूला का दौरा किया। मैंने घाटी में नियंत्रण रेखा से लगी दो चौकियों का भी दौरा किया। मेरे इस दौरे में 15 कोर के जी.ओ.सी. मेरे साथ थे। तत्पश्चात् मैं जख्मी सैनिकों और सिविलियन कार्मिकों को देखने के लिए श्रीनगर में 92 बेस अस्पताल व बोन एण्ड ज्वांइट अस्पताल गया।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जम्मू व कश्मीर में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

परिशिष्ट

मारे गए सैन्य कार्मियों का ब्यौरा

1. राइफलमैन अजित प्रधान - 3/4 गोरखा राइफल्स
2. राइफलमैन बहादुर गुरूंग - 3/4 गोरखा राइफल्स
3. लांस नायक अब्दुल खालिक - 118 इंजीनियर रेजीमेंट
4. गनर शाम यादव - 57 फील्ड रेजीमेंट
5. गनर (टी ए) नीलेश नारायण - 200 हैवी मोर्टार रेजीमेंट
6. सिपाही वी.के. राउत - 12 महार
7. कैप्टन गौतम गुरूंग - 3/4 गोरखा राइफल्स
8. लांस नायक प्रेम पाल सिंह - 19 गढ़वाल राइफल्स
9. हवलदार हरवंश सिंह - 10 सिख लाइट इंफैंट्री
10. सिपाही गुरदयाल सिंह - 10 सिख लाइट इंफैंट्री

मारे गए बी एस एफ कार्मिकों का ब्यौरा

1. कांस्टेबल डी.के. भट्ट - 92 बटालियन बी एस एफ
2. कांस्टेबल लाभ सिंह - 107 बटालियन बी एस एफ
3. लांस नायक एन.एस. बिष्ट - 92 बटालियन बी एस एफ
4. कांस्टेबल रोबिन टिक्का - 92 बटालियन बी एस एफ
5. हे.कां. डी.एन. सिंह - 92 बटालियन बी एस एफ
6. कांस्टेबल राम बहादुर सिंह - 92 बटालियन बी एस एफ

मारे गए सिविलियनों का विवरण

क्रम सं.	सिविलियन का नाम	गांव	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आशा बेगम, पत्नी अब्दुल्लगुमई	हाजीपुर	तंगधार
2.	अब्दुल खालिक भट्ट, पुत्र जमाल भट्ट	-वही-	-वही-
3.	सुगुल्ता पानो, पत्नी अब्दुल खालिक	-वही-	-वही-
4.	शामली, पत्नी मो. भट्ट	-वही-	-वही-
5.	मंजूर अहमद भट्ट पुत्र खालिक भट्ट	हाजीपुर	तंगधार
6.	सलामुद्दीन पुत्र कलमुद्दीन	मुछानी	-वही-
7.	इशाक पुत्र, अब्दुल लतीफ खान	-वही-	-वही-
8.	इस्ताक अहमद पुत्र लतीफ खान	-वही-	-वही-
9.	खुर्शीदा बेगम, पत्नी लतीफ खान	-वही-	-वही-
10.	अखर जान, पत्नी अब्दुल रशीद	-वही-	-वही-
11.	नूर मुहम्मद, सुपुत्र मिर्जा गुजार	अमरूई	-वही-
12.	खालिक अहमद सुपुत्र अलाफदीन	-वही-	-वही-
13.	सम्सुदीन सुपुत्र श्री सिंगिंदी	हाजित्रा	-वही-
14.	दखौत नूर सुपुत्री रोशनदीन	-वही-	-वही-
	बारामूला सेक्टर		
15.	नूरदीन सुपुत्र श्री सम्सुदीन	चुरूंडा	उड़ी
16.	गुलाम मादी, सुपुत्र श्री मांगी	गढकोट	-वही-
17.	नुसरत बेगम, पत्नी श्री मुश्ताक अहमद	सुल्तान ढाकी	-वही-
18.	अरब जान, पत्नी अब्दुल रसीद	-वही-	-वही-
19.	मुन्नी	जाबला	
20.	कौसर		
21.	सितार अली		

टिप्पणी : शेष सिविलियन हताहतों का विवरण अभी प्राप्त होना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सुबह इस सदन में उठाए गए मामले के संबंध में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह कश्मीर और समाचार पत्र में छपे समाचार से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि हमारी सेनाओं ने गर्मियों के आरंभ होने पर भी उन चौकियों पर कब्जा नहीं किया है जिन्हें सर्दी के दौरान उन्होंने खाली कर दिया था।

महोदय, मैं इन तथ्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ूंगा। 3 अगस्त, 1998 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में आशा खोसा के समाचार 'पाकस विनटर टेक ओवर, किपस एल ओ सी हीट ऑन' में पाकिस्तान द्वारा काफी ऊंचाई पर दो सीमा चौकियों पर कब्जा करने के बारे में बताया गया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अध्यक्ष कार्यालय में दिये गए वक्तव्य में यह सम्मिलित नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप समाचार पत्र का नाम और अन्य चीजें देंगे, सदस्य पुन स्पष्टीकरण और प्रश्न पूछेंगे। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह मामला सदन में उठाया गया था। यदि आप मुझे इसको अनुमति नहीं देते है तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : वक्तव्य काफी है।

अपराह्न 5.29 **बजे**

जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर विचार किये जाने के बारे में प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं बोलने के लिए श्री आर.मुथैया को बुलाता हूं।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) **:** सभापति महोदय, 1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या संबंधी जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और अंतरिम रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर अपने विचार रखने का मौका प्रदान करने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, यहां हमारे कुछ सदस्यों की दलीलें सुनने के पश्चात् मुझे यह आशंका होने लगी है कि कुछ और सदस्य यह भी कहने लगेंगे कि किसी ने श्री राजीव गांधी को नहीं मारा बल्कि वे स्वयं वहां अपनी जेब में बम्ब लेकर गए थे इसीलिए उन्हें ऐसी निर्दयतापूर्ण घटना का सामना करना पड़ा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। आपसे आशा नहीं की जाती कि आप सदन के अधिकारियों के साथ बातचीत करें।

श्री आर. मुथैया : यहां कुछ सदस्य इस प्रकार बात करते हैं। श्री बसुदेव आचार्य और श्री पी. शिवशंकर का भाषण सुनने के पश्चात् मुझे यह आशंका हुई थी।

21 मई, 1991 को श्री पेरम्बदूर में श्री राजीव गांधी की लिट्टे के मानव बम्ब द्वारा निर्दयतापूर्ण हत्या की गई थी। इस जैन आयोग का गठन इस निर्दयतापूर्ण हत्या की जांच करने के लिए किया गया था। इसने अनेक प्रकार से जांच संबंधी कार्यजाही की। पिछले वर्ष इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस वर्ष मार्च के दौरान अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके पश्चात् यह सरकार सत्ता में आई उन्होंने अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन किया और इस सदन में की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 8 महीने कड़ी मेहनत की।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) **: इसने सात वर्ष लगाए।**

श्री आर. मुथैया : इस अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए कुछ षडयंत्र रचा गया था, उस षडयंत्र का पता लगाने, कुछ संगठनों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और कुछ व्यक्तियों की जांच पड़ताल की जानी है और तब उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। उन्होंने यह निर्णय लिया। अपने अंतिम प्रतिवेदन में आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई षडयंत्र रचा गया है और इस षडयंत्र के कारण कुछ व्यक्तियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन व्यक्तियों में श्री चन्द्रास्वामी, डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी, के.पी. उर्फ श्री कुमारन पद्मनाभा और श्रीमती शुभालक्ष्मी जगदीसन शामिल हैं। इन नामों का अंतिम रिपोर्ट और की गई कार्यवाही रिपोर्ट दोनों में उल्लेख किया गया है। श्रीमती शुभालक्ष्मी जगदीसन कोई साधारण महिला नहीं है, वे श्री करूणानिधि की पूर्व सरकार में समाज कल्याण मंत्री थी। मैं इस तथ्य को सदन के समक्ष लाना चाहता हूं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) **:** वे एमर्जीआर की अन्नाद्रमुक सरकार में भी मंत्री थी। आप इस तथ्य को क्यों छुपाते हो?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए।

श्री आर. मुथैया : महोदय, मैं श्री बालू को बताना चाहता हूं कि वे 1977 से 1980 के दौरान एम जी आर के कार्यकाल में भी मंत्री थी। उस समय आपने श्रीमती इंदिरा गांधी की मदद से हमारी सरकार गिरा दी थी। उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। उन्होंने एमजीआर को धोखा दिया था। इसीलिए वे अब परिणाम भुगत रही है। मैं यहां तक कहूंगा कि जिस किसी ने भी एमजीआर को धोखा दिया वह परिणाम भुगतेगा। यहां तक कि आपके नेता ने भी एमजीआर को धोखा दिया था। इसलिए वे असाधारण परिणामों को भुगत रहे हैं। महोदय, वह महिला श्रीमती शुभालक्ष्मी जगदीसन 1989-91 के दौरान पूर्ववर्ती श्री करूणानिधि की सरकार में समाज कल्याण मंत्री थी। आज भी वे तमिलनाडु विधान सभा में द्रमुक की विधायक है। पांचवें व्यक्ति हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एम. करूणानिधि है। इन सभी पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ समुचित जांच की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इनके विरुद्ध या तो जांच की जानी चाहिए आपका अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री आर. मुथैया : हां मैं इस बात पर आ रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री ने कई फार्मूले बनाए है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि उनसे पूछताछ और जांच पड़ताल कैसे की जाए। उन्होंने अपना फार्मूला बनाया है। मैं उन बातों पर आ रहा हूं। यदि किसी से पूछताछ

की जानी है तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री का फार्भूला है कि उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाए, उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद केवल पुलिस हिरासत में ही उससे पूछताछ की जानी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री का फार्मूला यह है।

इन पांच व्यक्तियों से पूछताछ पूरी करने के पश्चात् अब इन घटनाओं के साथ कुछ राजीनतिक समीकरण जोड़ दिए गए है। प्रेस को दिए अपने एक साक्षात्कार के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि, "मेरा नाम केवल एक स्थान पर आया है।" आयोग की रिपोर्ट में श्री करूणानिधि का नाम केवल एक स्थान पर आया है, "अनेक अन्य ऐसे लोग हैं जिनके नाम अंतिम रिपोर्ट के अनेक पृष्ठों पर है किंतु मेरा नाम केवल एक पृष्ठ पर है। उस एक पृष्ठ की रिपोर्ट के लिए बहुआयामी निगरानी एजेंसी मेरे से पूछताछ करने जा रही है।" संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह कहा है। उनका नाम केवल एक पृष्ठ पर नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : केवल एक पंक्ति में उनका नाम है।

श्री आर. मुथैया : हां, मैं उस बात पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)* केवल उस पृष्ठ पर ही नहीं उनका नाम अनेक पृष्ठों पर हो सकता है।...*(व्यवधान)*

1989-91 के दौरान जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जो कुछ किया वह सब इन रिपोर्टों में है,

अंतरिम रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के बारे में विशेष उल्लेख है :

> "सामग्री के मूल्यांकन से पूर्णत : यह निष्कर्ष निकलता है कि लिट्टे को श्री एम. करूणानिधि और उनकी सरकार तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मौन समर्थन प्राप्त था।"

हमें यह नोट करना होगा। न केवल स्वयं उन्होंने अपितु उनकी सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी इसे सहायता दी थी। अंतरिम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है।

न्यायमूर्ति जैन जब अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उन्होंने कभी भी अंतरिम रिपोर्ट के इस बयान का खंडन नहीं किया। यह उसमें है। अंतरिम रिपोर्ट में इस बयान के साथ-साथ अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि

> "श्री एम. करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई थी।"

वे अनेक व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू आंखों देखा हाल कहने जैसी स्थिति से बचिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठिए

श्री टी. आर. बालू : मुझे भी उद्धृत करने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गोपाल, श्री चिन्नासामी कृपया बैठ जाइए। चिल्लाना व्यर्थ हैं कृपया बैठ जाइए।

श्री टी.आर. बालू : मैं भी उद्धृत करूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप उनके साथ तर्क करने के हकदार नहीं है। आप उस सदस्य के साथ तर्क करने के हकदार नहीं है जो बोल रहा है। कृपया बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी सदस्य अपने स्थानों पर बैठें। उन्हें अपना भाषण देने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : यह क्या है? हर कोई चुप हैं इस बयान से श्री बालू क्यों परेशान हो रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डाले। उन्हें चर्चा करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : अंतिम रिपोर्ट में जैन आयोग ने स्पष्टतः उल्लेख किया है कि श्री पी.वी. नरसिंहराव, श्री चन्द्र शेखर, श्री टी. एन. शेषन और मेरे नेता से पूछताछ नहीं की गई क्योंकि वे सभी इस मामले में अप्रासंगिक है। तथापि, श्री करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई थी। अनेक मुद्दों के बारे में श्री करूणानिधि से पूछताछ करना प्रासंगिक था। वह प्रासांगिक क्यों है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को भी मौका मिल रहा है। तब आप जो कहना चाहें कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : यह उस अभिसाक्ष्य के लिए प्रासंगिक है जो उन्होंने आयोग के समक्ष दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको उनकी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : इसका उल्लेख रिपोर्टों में है। अन्य लोगों से पूछताछ इसलिए नहीं की गई क्योंकि उनके मामले में इस विशेष पहलू के लिए पूछताछ की प्रासंगिकता नहीं थी जबकि श्री करूणानिधि से पूछताछ करना प्रासंगिक था क्योंकि पहले अंतरिम रिपोर्ट में लिट्टे के साथ उनकी सांठ गांठ के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। श्री राजीव गांधी की हत्या श्री पेरूम्बदूर में हुई थी।...*(व्यवधान)*

कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि वे की गई कार्यवाही रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं।...*(व्यवधान)* वे इन सब बातों के संबंध में क्या करने जा रहे हैं? जैन आयोग ने श्री राजीव गांधी की हत्या के

[श्री आर. मुथैया]

पीछे षडयंत्र की जांच की है। उन्होंने पदमनाभा की हत्या का भी उल्लेख किया है जो इस विश्वास के साथ इस देश में आए थे कि यहां उन्हें लिट्टे के लोगों के हमले से सुरक्षा मिल सकती है। श्री पदमनाभा की 19 जून, 1990 को चेन्नई में हत्या की गई। उस समय मुख्यमंत्री कौन था?

उस समय भी श्री करूणानिधि ही मुख्यमंत्री थे...*(व्यवधान)* पद्मनाभा की हत्या के बाद 16 अन्य लोग बिना किसी रूकावट के आसानी से मद्रास से कोडियाक्कराई चले गए जो चेन्नई से 300 किमी. से भी अधिक दूर हैं वे वहां गए और उन्होंने वहां बिरयानी पकाई ...*(व्यवधान)* इसका उल्लेख रिपोर्ट में है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय वे उन लोगों के साथ थे जिन्होंने बिरयानी पकाई थी।

श्री आर. मुथैया : उनका घर कोडियाक्कराई के निकट है। ...*(व्यवधान)* विचारण न्यायालय में ये सभी तथ्य मजिस्ट्रेट के समक्ष रखे गए है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, तब वे अनावश्यक रूप से व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री आर. मुथैया : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठा रहा हूं कि उन निकल भागे लोगों में शिवरासन भी शामिल था जो श्री राजीव गांधी के हत्यारों में से एक है। इस रिपोर्ट में तटवर्ती क्षेत्रों में निगरानी का अभाव और आसूचना की विफलता के बारे में विशेष उल्लेख हैं इस नरसंहार के बाद राज्य एजेंसी द्वारा लिट्टे के आदमियों की निरंतर खोज के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। इस संदर्भ में मैं इस आयोग को दिए गए एक शपथ पत्र पर बल देना चाहता हूं जिसमें आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अपर निदेशक द्वारा 30.01.1990 को गृह सचिव को लिखे पत्र का उल्लेख है। इस पत्र का उल्लेख खंड चार पृष्ठ 6 में किया गया। इसमें लिखा है:-

> "इस बीच लिट्टे तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के सहानुभूति पूर्व रवैये का पूरा लाभ उठा रहा है। लिट्टे की गतिविधियों में उल्लेखनीय उत्साह देखा गया है जो जातीय मुद्दे के समाधान के लिए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा की गई पहल कदमी से मेल खाता है।"

इसमें आगे कहा गया है :-

> "वे नौकाओं द्वारा आसानी से आ जा रहे है। थंजावूर जिले में वेलवेटि्टथुराई से मल्ली पट्टिनम तक सप्ताह में तीन दिन नौका सेवा है। इस आवागमन में दवाइयों, खाद्य सामग्री, हथियार और गोला बारूद लाया ले जाया जाता है। इसके अलावा समय-समय पर घायल व्यक्तियों को भी उपचार के लिए तमिलनाडु लाया जाता है।"

पुनः इसमें कहा गया है :-

> "थंजावूर के तटीय क्षेत्रों में द्रमुक के स्थानीय नेता भी इस पृष्ठ प्रदेश में इस अवैध यातायात में लिट्टे के साथ सहयोग कर रहे हैं।"

अभी-अभी श्री बालू ने मुझसे कहा है कि मैं उन लोगों के साथ या जिन्होंने बिरयानी पकाई थी। यहां थंजावुर जिले के स्थानीय द्रमुक नेताओं का उल्लेख किया गया है। वे उस जिले के रहने वाले हैं। यह आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अपर निदेशक का पत्र है जिसमें कहा गया है कि तंजावुर के तटीय क्षेत्रों के स्थानीय द्रमुक नेता भी पश्चक्षेत्र में इस अवैध यातायात में लिट्टे के साथ सहयोग करते रहे हैं।

आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अपर निदेशक ने सरकार को यह पत्र 30.01.1990 को लिखा था। उस समय श्री वी.पी. सिंह की सरकार में श्री मुरासोली मारन मंत्री थे। मैं यहां इस पत्र के लिए इसलिए उद्धृत कर रहा हूं ताकि यह साबित कर सकूं कि उन दिनों किस प्रकार का सहयोग दिया जा रहा था।

महोदय अब मैं यह बताना चाहता हूं कि द्रमुक और लिट्टे के बीच कैसा गठबंधन था। श्रीमती सुब्बालक्ष्मी जगदीशन के घर से कुछ पत्र पकड़े गए थे। इनका उल्लेख जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के खंड VI में है। एक पत्र वकील श्री डी. वीरसेकरन ने लिखा था जो लिट्टे का सलाहकार था और एक दूसरा पत्र लिट्टे कैडर के श्री नाटेसन ने लिखा था।...*(व्यवधान)*

वे श्री वीरामणि के कानूनी सलाहकार हो सकते हैं। मैं किसी प्रकार के राजनैतिक समीकरण से परेशान नहीं हूं। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि हमारे माननीय सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी से प्रश्न पूछने का आदेश दिया जाना चाहिए था जो हमारे दल से हैं। वे किसी भी पूछताछ का सामना कर सकते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास का पता चलता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करते हुए अपनी बात करें। आपको टिप्पणियों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री आर. मुथैया : श्री वीरशेकरन भी एक कानूनी सलाहकार हैं। उन दिनों में वह लिट्टे का सलाहकार था। उसने श्री किटटू को, जो लिट्टे में प्रभाकरण के बाद दूसरे नंबर पर था, एक पत्र लिखा था। इसमें लिखा था :

> "मेरे प्यारे भाई किट्टे, वनक्कम।
>
> "अखबारों में यह छपा था कि तुम दिल्ली आ रहे हो परन्तु अगले ही दिन यह खबर छपी थी कि तुम दिल्ली नहीं आ रहे हो।"

यह पत्र 26 जून, 1990 को लिखा गया था। उस समय श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे और श्री मुरासोली मारन उनकी सरकार

में मंत्री थे। इस पत्र में आगे कहा गया है कि :

"तथापि, मुख्यमंत्री कलायगना के साथ तुम्हारे संपर्क और तुम्हारी बातचीत भी अखबारों में छपी की। इस समय समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, इत्यादि केवल श्रीलंका सरकार में इस समय तमिल ईलम में होने वाली घटनाओं के बारे में छाप रहे हैं जबकि लिट्टे द्वारा ईलम में किए जाने वाले नरसंहार को भी दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए।"

महोदय, लिट्टे द्वारा दी जाने वाली खबर हमारे दूरदर्शन पर कैसे प्रसारित की जा सकती है? यह केवल उन दिनों सरकार में इन लोगों की मदद से ही किया जा सकता था।

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : सभापति महोदय, भारत सरकार में लिट्टे को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी लिट्टे का समर्थन किया था।

श्री आर. मुथैया : उन दिनों में नहीं। यह पहले किया गया था। श्रीलंका में आई.पी.के.एफ. भेजे जाने के बाद केन्द्र सरकार ने उन लोगों का कभी समर्थन नहीं किया था।

महोदय इस पत्र में आगे कहा गया है :

"उपर्युक्त के अलावा, कृपया मुख्य मंत्री से संपर्क करें और उन हत्याओं के बारे में उनसे चर्चा करे जो तमिल ईलम में हो रही हैं। उसी प्रकार कृपया श्री वीरामणि से मिलकर बात करें।"

इस सभा को इस पत्र पर भी गौर करना चाहिए। उस पत्र में यह कहा गया है :

"यदि संभव हो तो गृह सचिव, श्री नागार्जुन, आई.ए.एस. से संपर्क बनाए रखें। उनसे मिलते समय आप मेरे नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं।"

कार्यालय तथा घर के टेलीफोन नंबरों का भी जिक्र किया गया है। उन दिनों में तमिलनाडु सरकार लिट्टे के कहे अनुसार काम करती थी।...*(व्यवधान)* वे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री आर. मुथैया : महोदय, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था तो मैंने कहा था कि हमने भी लिट्टे का समर्थन किया था। परन्तु हमने उन्हें इस तरह हत्याओं के लिए समर्थन नहीं दिया था। हमने उन्हें तमिलों के लिए समर्थन किया था। परंतु इस पत्र के अनुसार उन्होंने लिट्टे का समर्थन मारने और हत्याओं के लिए किया था।

श्री टी.आर. बालू : श्री वीरसेकरन इससे इंकार कर चुके हैं।

श्री आर. मुथैया : यह तमिल में उन्हीं का हस्तलेखन है। वह अपने ही लिखे से कैसे इंकार कर सकते हैं?

श्री टी.आर. बालू : यह उनका हस्तलेखन नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगला वक्ता श्री मारन है। वे चर्चा में भाग लेने वाले हैं। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं?

श्री आर. मुथैया : लिट्टे के एक कैडर श्री नादेसन द्वारा लिखे पत्र के एक अन्य भाग में यह कहा गया है :

हम रात में कलाइग्नार (श्री करूणानिधि) से मिले थे और उनसे चर्चा की थी। वे हमारी तरफ (लिट्टे की तरफ से) से तथा हमारे समर्थन में बोले थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें की जाने वाली कार्रवाई से पहले ही अवगत करा दिया जाए तो वे आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इसमें घायल व्यक्तियों को लाया जाना तथा सामग्री का प्रेषण किया जाना शामिल है।

अगर हम उन घरों के पते दे दें जहां हम रह रहे हैं तो वे इसकी व्यवस्था करेंगे कि उन घरों तक कोई न पहुंच सके।"

श्री करूणानिधि ने ऐसा कहा था।

श्री टी.आर. बालू : महोदय मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : परन्तु यह हस्तक्षेप ही है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर बालू : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री आर. मुथैया : यह आपके पास हैं आप इसे पढ़ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पायलट जी आप कई वर्षों तक गृह मंत्री रहे हैं।

आपके मुख्य मंत्रियों में श्री करूणानिधि भी हैं। वे अपनी पुलिस किसलिए तैनात कर रहे हैं? अगर हम अपने सभी घरों के पते दे दें जहां हम रह रहे हैं तो उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे यह देखेंगे कि पुलिस उन घरों तक पहुंच सके। आप बंब के हमले के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करें। इस प्रकार के बंबों और हथियारों से आपकी रक्षा करेंगे। यह सब रोकने के बाद ही हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दवाइयों की सूची ली है।

हथियारों के संबंध में उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकार में नहीं है परंतु भारत सरकार के साथ चर्चा करके वे उसके बारे में बताएंगे।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.56 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

उस समय श्री वी.पी. सिंह सत्ता में थे और श्री करूणानिधि ने लिट्टे के साथ एक बैठक करने का आश्वासन दिया था परंतु फिर भी भारत सरकार के साथ चर्चा करके वे उसके बारे में बताएंगे।

उस पत्र के टिप्पणों में यह उल्लेख किया गया है कि "उन्होंने कहा कि पद्मनाभन के मामले ने उन्हें कठिनाई में डाल दिया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि पद्मनाभन को मारा जाना चाहिए। श्री करूणानिधि ने कहा कि पद्मनाभन को मार दिया जाना चाहिए। वे एक देशद्रोही हैं जिसे उड़ीसा या अन्य किसी जगह मार दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वरदराज पेरूमल भी देशद्रोही है उसका भी वही हाल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु में इसे मारकर उसके गले में यह लिखकर डाल दें कि यह एक देशद्रोही का शव है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मुरासोली मारन ने उन्हें पद्मनाभन की शव यात्रा में भाग न लेने का अनुरोध किया था। इसीलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था।" वरदराज पेरूमल अभी भी जिंदा है। वह और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्री हैं। श्री राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका की सरकार के साथ समझौता करने के बाद वे राजीव गांधी की देन बन गए है। श्री राजीव गांधी के दिल्ली में हार जाने के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री करूणानिधि उन्हें एक देशद्रोही करार कर रहे हैं। देशद्रोही कौन है? क्या वह जिसने श्रीलंका में भारत के लिए सेवा की, वह देशद्रोही है? या वह व्यक्ति जो उन्हें देशद्रोही कह रहा है स्वयं देशद्रोही है?...*(व्यवधान)* देशद्रोही कौन है?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री आर. मुथैया : एक जगह हमारे मुख्यमंत्री ने यह देखने के लिए कहा था कि रिपोर्ट में उनका नाम कितने स्थानों पर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने ऐसा कहां कहा था?

श्री आर. मुथैया : उन्होंने यह एक प्रैस कांफ्रेंस में कहा है। खंड IV के पृष्ठ 18 पर इस बात का उल्लेख किया गया है। इसका तमिल रूपांतर भी उसमें है। उन्होंने कहा है "तमिलनाडु में उनकी हत्या करके आपने एक देशद्रोही के मृत शरीर को सम्मान दिया है। अन्यथा मैं उस देशद्रोही को सम्मान देने के लिए वहां न होता। उन्होंने यह भी कहा कि मुरासोली मारन ने उन्हें शव यात्रा में भाग न लेने का भी अनुरोध किया था। वह पदमानाभन की शव यात्रा में भी भाग नहीं लेंगे।" उनका एक साथी उनको पत्र लिखकर केवल सलाह दे रहा है ...*(व्यवधान)* वह केवल उनकी सलाह पर वहां थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुरासोली मारन जब आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा तब आप जवाब दे सकते हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

कृपया उन्हें तंग न करें। कृपया उन्हें बीच में टोकिए नहीं। हमारे पास समय नहीं है। जब श्री मुरासोली मारन बोलेंगे तो वह इन सब मुद्दों का उल्लेख कर सकते है। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : मैं केवल न्यायमूर्ति जैन की रिपोर्ट से उद्धरित कर रहा हूं। मैंने रिपोर्ट के बाहर से कभी कुछ उद्धरित नहीं किया है। जाच आयोग द्वारा कार्य आरंभ किए जाने के दिनों से ही आयोग का ध्यान भंग करने के लिए कुछ मनगढ़ंत प्रयास किए जा रहे थे।

अब मैं खंड-I पर आता हूं...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप और कितने खंडों को उद्धरण देगें?

श्री आर. मुथैया : कुल नौ खंड हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। कृपया उनके प्रश्न का उत्तर न दें। अन्यथा, आप अपना समय नष्ट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : मुख्य मंत्री जी का कहना है कि केवल एक जगह पर उनका नाम है। लेकिन अन्य पृष्ठ भी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इधर देखकर बहस कीजिए। अन्यथा, उस तरफ से आपको हमेशा तंग किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री मुथैया, उनके नाम का उल्लेख कितने स्थानों पर किया गया है?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने केवल एक खंड समाप्त किया हैं अन्य खंड भी है।...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : मेरी बात को लेकर वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? श्री राजीव गांधी की हत्या वाले दिन, 21 मई, 1991 को श्री करूणानिधि की बैठक सहित सभी बैठकें अंतिम क्षण में रद्द कर दी गई थी। आयोग ने इन बातों की जांच की थी। श्री मणिशंकर अय्यर, श्री के. रामामूर्ति और श्रीमती मारागाथम चन्द्रशेखर ने आयोग के समक्ष बयान दिया था कि यह सच था। लेकिन श्री करूणानिधि ने 17.1.1997 को आयोग के समक्ष बयान देते हुए इस बात से इंकार किया है। उन्होंने श्री करूणानिधि की बात की पुष्टि करने की कोशिश की। उन्होंने 17.1.1997 को आयोग के समक्ष बयान दिया था। 20.1.1997 को मद्रास में एस.बी.आई. के संयुक्त निदेशक श्री एन.वी. वत्सन को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे मित्र इस बारे में अच्छी तरह

स जानते हैं इसीलिए वह उन सज्जन व्यक्ति को आयोग के समक्ष लाए थे...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वह एस.आई.बी. से आए थे। मैं केवल आपकी मदद कर रहा हूं। मैंने दस्तावेज पढ़ा है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। यह क्या है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री आर. मुथैया : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : आपने अपना भाषण अपराह्न 5 बजकर 22 मिनट पर आरंभ किया था। इस समय 6 बजे हैं। अभी बहुत से वक्ता बोलने के लिए हैं।

श्री आर. मुथैया : इस कथन की पुष्टि करने के लिए वह संयुक्त निदेशक को 20.1.97 को आयोग के समक्ष लाए थे। 20.1.97 को वह सत्ता में थे। केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी इसलिए वह यह कहते हुए कि यह सच नहीं था उस व्यक्ति को आयोग के समक्ष बयान देने के लिए बहुत आसानी से ले आए। वह यह कहते रहे। "वास्तव में, मैंने जबानी तौर पर आसूचना विभाग के निदेशक को भी इसका उल्लेख किया था।"

दूसरी ओर, हमें पता चला कि द्रमुक के नेताओं का रवैया इस कायरतापूर्ण हत्या के संबंध में पूरी तरह से नम्र था। यह सच है। मैं इस सभा को एक बात बताने जा रहा हूं। श्री वत्सन ने पहले ही आयोग के समक्ष बयान दे दिए थे। यह खंड IX में दिया गया है। कोई चार पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उन पत्रों में, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

तत्पश्चात् काफी समय बाद जब यह लोग सत्ता में आए तो वह यह देखने के लिए कि रिकार्ड में कुछ नहीं है, वह इस सज्जन व्यक्ति श्री वत्सन को आयोग के समक्ष बयान देने के लिए ले आए थे।

तमिलनाडु में क्या हुआ? हत्या वाले दिन, पूरे तमिलनाडु में आम जनता उत्तेजित हो उठी। सभी जगह डी.एम.के. के लोग यह कह रहे थे कि यदि श्री राजीव गांधी तमिलनाडु आए तो वह जिंदा दिल्ली वापस नहीं जा पायेंगे...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : महोदय, न्यायमूर्ति जैन द्वारा स्वयं इस बात से इंकार किया गया है। उन्हें गलत बात नहीं बतानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वह सभा को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। श्री मुथैया सभा का समय नष्ट कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वह किसी दुर्भावना से ऐसा कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : न्यायमूर्ति जैन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसा वत्सन के कारण नहीं है। इस तरह से उन्होंने ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की।

यहां 27 मार्च, 1997 को हुई जांच के दौरान उन्होंने इंडियन एक्सप्रैस, दिनमान तथा अन्य साप्ताहिक पत्रों में एक फोटो प्रकाशित की। उस प्रकाशन में उन्होंने कहा, "यह वह फोटो है जिसमें कुमारी जयललिता श्री राजीव गांधी के हत्यारे सिवारासन और धनु के साथ दिखाई दे रही है।" उन्होंने इसे क्यों प्रकाशित किया? वह आयोग का ध्यान भंग करना चाहते थे और मुद्दे को आगे टालना चाहते थे ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) **:** यह धोखाधड़ी है...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : अगले दिन हमें पता चला कि वह दो व्यक्ति जो सिवारासन और धनु के समरूप थे, वह हमारी अपनी पार्टी के वकील थे जो कि धर्मापुरी जिले में होसुर के नंजे गौडा ओर श्रीमती दक्षायनी थे।...*(व्यवधान)* हम इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के लिए कह रहे हैं। इस फोटो के मामले में हमने पहले ही सी.बी.आई जांच की मांग की है। हमने तमिलनाडु पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इस संबंध से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने अपने ऊपर से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की है। मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि ने इस फोटो के मामले में जांच के बारे में विधान सभा में कहा था। वह समाचार भी प्रकाशित हुआ था "करूणानिधि ने जांच करवाने का आश्वासन दिया"। उन्होंने अभी तक फोटो की घटना के संबंध में किसी जांच के आदेश नहीं दिए है। इस तरह से उन्होंने अपनी ओर से आयोग के निष्कर्ष से ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला फिर किसी एजेंसी द्वारा श्री करूणानिधि से पूछताछ की जानी चाहिए। यह सरकार बहुआयामी निगरानी एजेंसी गठित करने जा रही है जो कि उनसे पूछताछ करेगा।

मुख्यमंत्री, श्री करूणानिधि द्वारा एक विशेष फार्मूला अपनाया गया है। फार्मूला यह है कि यदि किसी से पूछताछ की जानी है, तो उससे पहले उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। मुख्य मंत्री करूणानिधि द्वारा यह फार्मूला अपनाया गया है।

महोदय, उन्होंने कहा है कि यदि किसी के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और यदि वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, जैसा कि हमारी मैडम के मामले में है तो साक्ष्य में रद्दोबदल करने की पूरी संभावना होती है। उन्होंने यह उच्च न्यायालय को भी बताया हैं:

> "चूंकि वह भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं इसलिए साक्ष्य में फेर बदल करने की पूरी संभावना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यदि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तब साक्ष्य में फेर बदल होने की पूरी संभावना होती है।"

[श्री आर. मुथैया]

श्री करूणानिधि द्वारा यह फार्मूला अपनाया गया था। इसी प्रकार इस मामले में भी उनका अपना फार्मूला अपनाया जा सकता है और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : दूसरा फार्मूला कौन सा है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया अब बस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातें नहीं करिए। मैं तमिल समझ सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : इसलिए, मैं इस सरकार से अपील कर रहा हूं कि जहां तक कि श्री करूणानिधि का संबंध है, इस मामले में उनके अपने फार्मूले का अपनाया जा सकता है और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए बिना उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता है।

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया समाप्त कीजिए......आपने लगभग एक घंटे का समय ले लिया है।

श्री आर. मुथैया : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और फिर उन्हें गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद वह चाहे जितने भी दिन तब उनसे पूछताछ कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने हमारे नेता के साथ किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री टी.आर. बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सी.पी. राधाकृष्णन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वह अपना बचाव कर सकते है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, यह सभी कांग्रेस नेताओं तथा यहां अन्य सभी नेताओं से भी मेरी अपील और अनुरोध है कि यदि वह इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर नरम नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा हमारे महान नेता, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की महान आत्मा उन्हें माफ नहीं करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, आज सुबह श्री शिव शंकर ने इस चर्चा की गति एवं दिशा स्थापित कर ली थी और उन्होंने चर्चा का स्तर काफी ऊंचा रखा लेकिन हमने इसका निम्न तरफ की भी देखा है। हमें माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त से चेतावनी भी मिली है। उन्होंने कहा था "इसे डी.एम.के और ए.आई.डी.एम.के. के बीच का झगड़ा मत बनाईये।" महोदय, मैं डी.एम.के और ए.आई. ए.डी.एम.के. के बीच इस चर्चा को विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। जैसाकि श्री शिव शंकर जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य सच्चाई केवल सच्चाई का, पूरी सच्चाई के अलावा कुछ नहीं का पता लगाना होना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय श्री राम जेठमलानी के विचार से सहमत हूं उन्होंने कहा :

> "जो कुछ हुआ वह राष्ट्रीय त्रासदी है। भारत के महान नेता अंतर्राष्ट्रीय नेता विश्व के महान नेता, भावी महान नेताओं में से एक नेता की जघन्य तरीके से हत्या की गई है।"

महोदय यह राष्ट्रीय त्रासदी है। उनके शब्दों में इसके साथ साथ यह राष्ट्रीय अपमान है क्योंकि हमारे देश में विश्व के विशालतम और महान प्रजातंत्र में कुछ विदेशी यहां आए और यह असभ्य कार्य करके भाग गए। यह हमारे लिए राष्ट्रीय अपमान है।

इसीलिए मैं इस पक्ष और माननीय मंत्री श्री राम जेठमलानी की भी भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन मुझे चिंता है कि किसी को भी अप्रासंगिक विषय छोड़कर मुख्य बात से हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो यही रहा है कि हर कोई अप्रासंगिक विषय छोड़कर मुख्य मुद्दे से हमारा ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि उन आरोपित 26 लोगों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन इस षडयंत्र में शामिल थे और यह षडयंत्र क्या था। लेकिन इसका पता लगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यही मेरी मनोकामना है।

अंतरिम रिपोर्ट में न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन ने श्री चन्द्रशेखर और श्री वी.पी. सिंह के बारे में अनुचित टिप्पणियां की है। मैं श्री वी.पी. सिंह को अच्छी तरह जानता हूं जब भी मैं उनसे मिला करता था तो मैंने देखा था कि उनकी हालात बहुत खराब थी क्योंकि वे न्यायमूर्ति जैन के आधारहीन आरोपों को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे जो कुछ भी कहें श्री वी.पी. सिंह को बनाने वाले श्री राजीव गांधी ही थे। इसीलिए आज उनकी हालात जर्जर हो गई है। निसंदेह न्यायमूर्ति जैन की टिप्पणी के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। इसी तरह न्यायमूर्ति जैन ने तमिलनाडु के तमिलों के बारे में भी अवांछित एवं अमानुषिक टिप्पणियां की है।

> "श्री राजीव गांधी की हत्या जिस प्रकार से की गई वह तमिलनाडु के तमिलों की लिट्टे कार्यकर्ताओं के साथ मिली भगत के बिना संभव नहीं हो सकती थी"

इस जघन्य हत्या में तमिलों को एक हथियार के रूप में पेश करके उन्होंने प्रत्येक तमिल को हृदयविहीन अपराधी की संज्ञा दी है ...*(व्यवधान)* लेकिन अब वे क्या कहते है। उन्होंने सभी तीन प्रधान मंत्रियों के बारे में कहे हुए वक्तव्यों को वापस ले लिया है वे अब इस प्रकार कहते है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "कल्पना लोक में भी इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि उनमें से किसी एक का इस तरह का आशय हो जिसे किसी भी रूप में श्री राजीव गांधी हत्या के षडयंत्र के साथ जोड़ा जा सके।"

वह कहते है "कल्पना लोक में भी ...." तो उन्होंने किस कल्पना लोक में श्री चन्द्रशेखर और श्री वी.पी. सिंह के बारे में ऐसा वक्तव्य दिया है और उनके बारे में अंतरिम रिपोर्ट में ऐसी अमानुषिक और अमानवीय टिप्पणी की है?

इसके पश्चात् तमिलों के बारे में भी कुछ कहा जिससे सरकार गिर गई और अब वे कहते है मैं उद्धृत करता हूं :

> "तमिलनाडु में सभी तमिल लिट्टे की गतिविधियों और संचालन को जानते तक नहीं होंगे"

जब वे उक्त गतिविधियों के बारे में जानते तक नहीं थे तो उनके लिट्टे कार्यकर्ताओं के साथ गहरे संबंध कैसे हो सकते हैं? यही बात हम पूछ रहे हैं। इसके उपरांत क्या हुआ? सरकार गिर गई। उन्होंने तमिलनाडु में तमिलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इससे न केवल तमिलों पर बल्कि राष्ट्रीय अखण्डता पर भी प्रहार हुआ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं वह बिना सोच समझे विवरण देने के पश्चात् उससे पलट गए। जब वे कई पहलुओं पर अपनी ही बात से पीछे हट गए हैं तो उनकी अंतरिम रिपोर्ट का महत्व क्या जिसे हम श्रेय दें। अंतिम रिपोर्ट में सरकार ने सूची दी है - तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों, तमिलों और तीन अथवा चार मदों पर उन्होंने अपने विचार बदल लिए है? कैसे? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप अंतरिम रिपोर्ट को किस प्रकार का महत्व देंगे।

अंतिम रिपोर्ट में, उन्होंने स्वयं कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "श्री राजीव गांधी की हत्या करने के किसी आपराधिक षडयंत्र के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा पार्टी के बारे में अंतरिम रिपोर्ट में कोई अभियोग नहीं लगाया है।"

यदि उन्होंने पहले यह कहा होता तो स्थिति कुछ भिन्न हुई होती। अतः आप इसे कैसा मानते हैं। उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट में दानव का सृजन किया और अब अंतिम रिपोर्ट में उसका गला घोंट दिया। इसमें वे कुछ भिन्न कह रहे हैं यह कुछ अजीब सी बात है।

प्रसिद्ध संवेधानिक विशेषज्ञ इवाज जैनिग ने एक बार कहा था "भारत में आयोग प्रस्ताव करती है और उसका कार्यान्वयन सरकार पर निर्भर करता है।" ठीक है आयोगों का प्रयोग औजार और उपकरण अथवा हथियारों के रूप में किया गया है। सरकार अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार लोगों को शक के घेरे में लाती है। यही सब जगह हो रहा है।

अतः सरकार और उसकी शक्ति यातायात सिपाही की तरह कार्य कर रही है वे यातायात सिपाही की तरह कार्य करती है और शक की सुई घुमाती है। सरकार क्या करती है। मैं इस भा.ज.पा. की सरकार से पूछ रहा हूं। तमिल में एक कहावत है :

'कुझिपिनायाइ थोंडिकोन्डु आझुयाधु'

आप गड़े मुर्दे को उखाड़िए और फिर उस पर रोइए। आप यही कर रहे है। उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट से एक वाक्य लिया है। वह वाक्य क्या है वह वाक्य है :

> "निष्कर्ष जबर्दस्त है कि लिट्टे को करूणानिधि और उनको सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का मौन समर्थन प्राप्त था।"

तत्कालीन सरकार संयुक्त मोर्चा सरकार की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट क्या कहती है? यह अत्यंत स्पष्ट है। यह कहती है "राज्य सरकार की नीतियां भारत सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय हित के साथ सामंजस्य रखती हैं। पिछली सरकार की की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट यह कहती है।

महोदय, एक बार सरकार कार्यवाही करने के बारे में निर्णय ले लेती है तो अगली सरकार साधारणतया उसे नहीं बदलती। एक प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया था। कृपया की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट का पृष्ठ 20 देखिए। इसमें कहा है :

> "विशाखापट्टनम के लिए वायुयान में कुछ खामी आने के कारण सुरक्षा प्रबंध में गड़बड़ी आ गई थी।"

नई सरकार का की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट क्या कहती है? चूंकि यह 23 दिसंबर, 1992 में सभा पटल पर रखी जा चुकी है इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं हैं। यह यही कहती है की गई कार्यवाही रिपोर्ट किसके बारे में है। मौन समर्थन की बात करने वाले इस वाक्य के बारे में क्या कहा गया है? अमान्य अंतरिम रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पहले ही 20 नवम्बर 1997 को सभा पटल पर रख दी गई थी। आप इसको क्यों बदल रहे हैं और क्यों दोहरा मानदण्ड अपना रहे हैं। मैं माननीय गृहमंत्री जी से पूछ रहा हूं अधिकारियों द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट पर तथा माननीय गृह मंत्री जी द्वारा अनुमोदित पहली की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में पिछली सरकार के निर्णय को बदलने का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब मुझे बताया गया है कि दवाब के कारण अब इसे सम्मिलित किया गया है। आप जानते हैं कि दवाब कहां से आया है। सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें लिट्टे मौन समर्थन के बारे में कहा गया है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं।

[श्री मुरासोली मारन]

अंतरिम रिपोर्ट जिसे न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन द्वारा असंगत बनाया गया है, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है "लिट्टे को करूणानिधि का मौन समर्थन प्राप्त था।" मैं बताना चाहता हूं कि यह कोई मौन समर्थन नहीं था। मौन का अर्थ अकथित और अन्तर्निहित होता हैं मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने तत्कालीन केन्द्र सरकार के सुझाव पर लिट्टे को खुला समर्थन दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : उन्होंने भारतीय शांति सेना से लड़ने के उद्देश्य से लिट्टे को खुला समर्थन दिया।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : हमारे नेता श्री करूणानिधि ने 27 जनवरी 1989 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कुछ दिनों के भीतर अर्थात् 9 और 10 फरवरी, 1989 को वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से भेंट करने दिल्ली आए थे। महोदय, उस समय श्री राजीव गांधी ने स्वयं उनके श्रीलंका मामलों में हस्तक्षेप करने और उनकी सहायता करने को कहा था। मैं यह केवल कहने के उद्देश्य से नही कह रहा हूं। अब मैं अंतरिम रिपोर्ट के खण्ड VII के पृष्ठ 939 का उल्लेख करता हूं। इसमें कहा है :

> "तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को यह आकांक्षा थी कि लिट्टे के साथ किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचा जाए ताकि भारत-श्रीलंका समझौता को सत्यनिष्ठ रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने श्री करूणानिधि के साथ चर्चा की और उनकी सहायता मांगी।"

चूंकि उन्होंने महान नेता एम.जी.आर. से पहले सहायता मांगी थी और हमारे नेता श्री करूणानिधि से भी सहायता मांगी, न्यायमूर्ति जैन ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री राजीव गांधी भले व्यक्ति थे उन्होंने सार्वजनिक बैठक में खुले रूप से इस सहायता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया था। चुनाव के दौरान हम उनका विरोध कर रहे थे। वे जो भी कहते थे, विशेष रूप से उनकी हैसियत का व्यक्ति जो भी कहता था, उसका बड़ा महत्व होता था वे अत्यंत सादे थे वे इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्होंने जो कहा वह इंडियन एक्सप्रेस में छपा था उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "राजीव गांधी ने करूणानिधि का धन्यवाद किया; प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई तमिल समस्या मामले का समाधान ढूंढ निकालने में विगत कई महीनों से तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार और मुख्यमंत्री करूणानिधि द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया।"

यह उन्होंने 5.11.1989 में तिरूची में हुई चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था। हम चुनाव लड़ रहे थे। और उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि ऐसी घटनाएं हमें सहायता पहुंचाएगी। निसंदेह वे चाहते थे कि हम उनके साथ हों। लेकिन हम उनके साथ नहीं हो पाए। यही स्थिति थी।

पुनः 6 नवम्बर को इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया था :

> "श्री राजीव गांधी ने श्रीलंकाई तमिल समस्या के समाधान में पूर्ण सहयोग देने के लिए कोयम्बटूर में हुई सार्वजनिक सभा में डी.एम.के. सरकार की पुनः पीठ थपथपाई। लेकिन उन्हें इस बात से खिन्नता हुई कि डी.एम.के. ने विपक्ष दलों के साथ हाथ मिला लिया है।"

लेकिन, उस समय भी वे काफी विनम्र थे। उन्होंने डी.एम.के. और सरकार की सहायता एवं उसकी अनुक्रिया को स्वीकार किया ...*(व्यवधान)* यह स्थिति है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने गुप्त समर्थन नहीं बल्कि खुला समर्थन दिया था क्योंकि हम तत्कालीन केन्द्र सरकार की नीतियों के साथ चलना चाहते थे, चाहे यह प्रधान मंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी की सरकार हो या प्रधानमंत्री के रूप में श्री वी.पी. सिंह की जो स्वयं भाजपा द्वारा समर्थित सरकार थी। इसलिए हमने वह नीति राष्ट्र हित में अपनाई थी।

इसमें कुछ गलत नहीं था और हमें कुछ नहीं छुपाना। अब वे एम.डी.एम.ए. बहुअनुशासनिक निगरानी एजेंसी की स्थापना करना चाहते हैं। सवाल यह है अगर आयोग क या ख या ग के विरूद्ध कोई आरोप लगाती है तो ठीक है आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं।

अब हम महंत सेवा दास सिंह की कहानी पर चर्चा करते हैं। आयोग कहता है कि उपर्युक्त चर्चित स्थितियां आगे जांच को उचित ठहराती है। यहां आयोग आगे जांच की सिफारिश करता है दूसरा, अब हम चंद्रास्वामी और उसके शामिल होने पर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि चंद्रास्वामी का इसमें हाथ होने, उनके संलिप्त होने की आशंका उत्पन्न होती है। इसलिए मामले पर आगे जांच की आवश्यकता है इसलिए आयोग ने एक सिफारिश की है इसलिए आप बहु-अनुशासनिक निगरानी एजेंसी का गठन करके यह कार्य इसे सौंप रहे हैं। इसके अलावा हमारे सामने बी सी सी आई के साथ चंद्रास्वामी के संपर्क का मामला भी है। इस संबंध में पहले ही जांच चल रही है और अब यह जांच जारी रहेगी और इसे बहु-अनुशासनिक निगरानी एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

इसके पश्चात इसमें विदेशी हाथ होने की बात आती है। इसकी पहले ही जांच की जा चुकी है और अब इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। अब इसकी जांच विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गुप्तचर एजेंसियां करेंगी। इसके अलावा एक षणमुगम की मृत्यु की मामला आता है, अंतिम रिपोर्ट कहती है कि इसमें और आगे जांच की आवश्यकता है और इसलिए आप इस मामले को बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी (एम.डी.एम.ए) को सौंप रहे हैं - क्योंकि इसकी सिफारिश अंतिम रिपोर्ट में की गई हैं। इसके पश्चात हत्या में संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी बात है। इस मामले को भी आप बहुअनुशासनिक निगरानी एजेंसी को सौंप रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी हालत में आप किसी मामले को बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी के लिए समर्थन या सहयोग हेतु अंतरिम रिपोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। परन्तु श्री करूणानिधि के मामले में, आप अंतरिम रिपोर्ट से एक वाक्य ले रहे हैं जिसका निपटान पिछली सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में कर लिया गया है इस प्रकार यह पेश किया जा रहा है यह कहा जा रहा है कि कुछ इस बारे में आशंका है। श्री करूणानिधि के संबंध में आयोग ने कोई संदेह नहीं प्रकट किया था; आयोग ने कोई संदेह प्रकट नहीं किया था कोई अविश्वास प्रकट नहीं किया था। परंतु दबाव के कारण, और इस धमकी के कारण कि ऑक्सीजन ट्यूब हटा ली जाएगी। अर्थात् समर्थन वापस ले लिया जाएगा आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको दोषी ठहराता हूं और अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री स्पष्ट रूप से इसका कारण बताएं।

बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी, एम.डी.एम.ए. का कर्तव्य क्या है? इसे क्या कार्य सौंपा जाने वाला है? हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। पहले उन्हें मेरे पास आने दीजिए। जो पहला प्रश्न उठ सकता है वह यह है। क्या लिट्टे को कोई गुप्त समर्थन दिया गया था? मैं यही कहूंगा, "हां, दिया गया था"। इसके बाद अगला प्रश्न यह हो सकता है इसने लिट्टे को समर्थन देना कब शुरू किया था? मैं यही कहूंगा कि इसकी शुरूआत काफी पहले 5 मई, 1986 से हो गई थी।

यहां आज सुबह डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने एक फोटो दिखाया था। यहां एक और फोटो है। यह टी.ई.एस.ओ. (टेसो) नामक सम्मलेन के सबंध में है। इसका अर्थ है तमिल ईलम समर्थक संगठन। यह सम्मेलन मदुरै में हुआ था। आप जानते हैं इसमें किसने भाग लिया था। लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने इसमें भाग लिया था डा. स्वामी भी वहां थे। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी तक वहां थे।...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : प्रत्येक व्यक्ति नो उसमें भाग लिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : आप नाराज क्यों हो रहे हैं? महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। वे केवल इतिहास बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया बैठ जाइए।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, यह गुप्त समर्थन नहीं था, लिट्टे को खुला समर्थन मई, 1986 में दिया गया था। सम्मेलन का नाम भी तमिल ईलम समर्थक संगठन था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह भी सम्मेलन में थे। श्री उपेन्द्र भी वहां उपस्थित थे। यह सम्मेलन मई, 1986 में हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, ये सभी बातें इस चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी, कृपया हस्तक्षेप न करें। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी मैं बोल रहा हूं। हम एक बहुत गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उनसे इसे वापस लेने के लिए कहूंगा। इस मामले में यह किसी भी सदस्य पर लागू होता है। अब अगर आप हर क्षण हस्तक्षेप करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इस सूची में कई वक्ताओं का नाम है, श्री मुथैया जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हस्तक्षेप न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति जी कृपया बैठ जाइए। सभा में व्यवस्था होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री मारन जी आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : वे इसका समर्थन करके अपने आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहे थे। भारतीय शांति सेना भेजने के बाद भी वे उनका समर्थन कर रहे थे। प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सी. गोपाल : सभी दलों के नेताओं ने इसमें भाग लिया था। अब वे इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : महोदय वास्वत में हमारा खुला समर्थन 1983 की बात है। आज सुबह डा. स्वामी ने एक फोटो दिखाया था। अब मैं एक और फोटो दिखाता हूं। मैं समझता हूं उन्होंने भी इसे जरूर देखा होगा।...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : क्या उन्होंने भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजने के बाद समर्थन रोक दिया था? अब मुद्दा यही है।

श्री मुरासोली मारन : मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा। मेरे पास एक फोटो है डा. स्वामी भी इसके बारे में जानते होंगे। एक लड़की कई लड़कियों के समूह का नेतृत्व कर रही है। वे सभी सैनिक वेशभूषा में हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समूह का नेतृत्व करने वाली लड़की कौन है। वह और कोई नहीं, 'धनु', मानवबम है। आप जानते हैं कि वह तेनमोजी उर्फ धनु श्री राजीव गांधी को मारने वाली आत्मघाती

[श्री मुरासोली मारन]

मानव बम थी। उसे तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में सिरूमलाई कैंप में लिट्टे के सातवें बैच में प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार हमने प्रशिक्षण दिया है। इतना ही नहीं है। एक दूसरी फोटो देखों जिसमें दो आदमी दो बंदूकों से गोलियां चला रहे हैं। एक व्यक्ति देख रहा है। क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन है जो देख रहा है? वह प्रभाकरण के अलावा कोई नहीं है, जो विशेष जांच दल एस.आई.टी. के अनुसार फरार है। यू.के. में प्रकाशित एक पुस्तक के अनुसार, "प्रभाकरण कुलातुर, तमिलनाडु, भारत में लिट्टे के प्रशिक्षण कैंप के तीसरे बैच की समीक्षा करते हुए।" हमने समर्थन 1984 या उससे भी पहले किया था। महोदय, मैं आपसे एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते।...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : हमारी इन सब बातों में रूचि नहीं है। वे भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने से पहले तो कुछ हुआ उसकी बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास मध्य) : डा. एम.जी. रामचन्द्रन ने उन्हें 4 करोड़ रूपए देकर उनकी वित्तीय सहायता की थी। यह सहायता ए.आई.ए.डी.एम.के. ने दी थी। मैं इसका सबूत दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया जी कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री मुरासोली मारन : तमिलनाडु में कैंप थे। हमने लिट्टे और अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया है। हमने देहरादून में प्रशिक्षण दिया है। हमने यहां रामकृष्ण पुरम में प्रशिक्षण दिया है। हमने दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रशिक्षण दिया है। उन्हें किसने प्रशिक्षण दिया? उन्हें हमारे अनुसंधान और विश्लेषण प्रखंड (रॉ) के लोगों ने प्रशिक्षण दिया था। ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी यह नहीं जानते थे कि वह किसी राक्षस का भरण पोषण कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस का भरण पोषण किया उस राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। मैं यह बता रहा हूं कि 30 प्रशिक्षण कैंप थे।

श्री टी.वी. आर शिनॉय ने इस सरकार की प्रशंसा में लिखा है। वह कहते है :

> "अगर जो कुछ 1982 से आज तक हुआ उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो वह सब नई दिल्ली के लिए चौंकाने वाला होगा।"

संभवतः अगर हम सभी ब्यौरे जारी कर देते हैं तो मुझे चिंता होगी। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे हम आतंकवादी पैदा करने वाला देश कहलाएंगे। इसलिए, मैं इसपर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। अब, सभी मित्र कह रहे हैं, "यह सब भारत-श्रीलंका समझौते होने से पहले हुआ था। बाद में कुछ नहीं हुआ था।" इस समझौते पर 27 जुलाई, 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मैं श्री जे.एन. दीक्षित की एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। आप जानते हैं वे श्रीलंका में उच्च आयुक्त थे। इसके अलावा वे विदेश मंत्रालय में सचिव भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक "एसाइनमेंट कोलंबो" में लिखा है :

> "राजीव गांधी श्रीलंका के संबंध में दोहरी नीति अपना रहे थे।"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, श्री सत्यमूर्ति

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको फैसला नहीं करना है। इसका फैसला मुझे करना है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह मत चिल्लाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ संगत पुस्तकों से उद्धृत करना गलत नहीं है।

श्री मुरासोली मारन : मैं उद्धृत करता हूं :

> "इसी संदर्भ में वे, 'वे' अर्थात श्री राजीव गांधी केबिनेट सचिवालय के श्री आनंद वर्मा द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हुए थे।"

क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, 'अनुसंधान और विश्लेषण प्रखंड'।

श्री वी. सत्यमूर्ति : जब श्री चंद्रशेखर ने उनकी सरकार को बर्खास्त किया था तो उन्होंने लिट्टे पर हमला किया...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : मैं उद्धृत करता हूं :

> "उन्हें चोरी छिपे लिट्टे के नेतृत्व तथा श्री जयवर्द्धने के साथ संपर्क बनाए रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि यह देख सके कि लिट्टे भारत श्रीलंका समझौते के अनुसार न चले।"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं नहीं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया अपने सदस्यो से कहें। उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे कोई जानकारी दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं।

"श्री राजीव गांधी दोहरी नीति अपना रहे थे।"

श्री के.पी. मुनूस्वामी (कृ-णागिरि) : बहुत हो गया।

सभापति महोदय : वे इसका उद्धरण दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूस्वामी : 'अम्मा परथा पोधम' का क्या अर्थ है? ...*(व्यवधान)* उन्हें इसे स्पष्ट करने दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, आप तमिल जानते है। ...*(व्यवधान)* कुछ भी असंसदीय नहीं है...*(व्यवधान)* आप इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल सकते हैं। आप तमिल जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर उन्होंने कुछ भी आपतिजनक बोला है तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब हस्तक्षेप न करे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर कोई आपतिजनक बात हुई तो मैं रिकार्ड देखूंगा। क्या आप कृपया बैठेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर उन्होंने कोई आपतिजनक वाक्य बोला है तो मैं रिकार्ड की जांच करके इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा। कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। हमारे पास समय नहीं है। अभी कई सदस्यों को बोलना है। कृपया हमारा साथ दें।

...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : महोदय, हम कोई व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। 'अम्मा परथा पोधम' कहने से उनका क्या तात्पर्य है? ...*(व्यवधान)* कृपया इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दें।...*(व्यवधान)* अन्यथा मैं यहां नहीं बैठूंगा।...*(व्यवधान)* यह क्या है...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : यहां एक गंभीर चर्चा चल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : महोदय हम एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : महोदय, यह कैसी टिप्पणी है? ...*(व्यवधान)* कृपया इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दें। ...*(व्यवधान)* अन्यथा मैं यहां नहीं बैठूंगा। महोदय, उन्हें अपने शब्द वापस ले लेने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : महोदय, मैं यहां नहीं बैठूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : उन्हें अपने शब्द वापस लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय क्या आपने उनके द्वारा की गई टिप्पणी को समझा है?...*(व्यवधान)* यह टिप्पणी महिलाओं पर की गई है।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : डा. स्वामी, मैंने उन्हें पहले ही इसे कार्यवाही वृतांत से निकाले जाने का अनुरोध कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय वे ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां क्यों करते हैं?

श्री मुरासोली मारन : डा. स्वामी कृपया गुमराह न करें। ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं हमेशा ऐसी टिप्पणियां सुनता हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय केवल इसीलिए कि सुश्री जयललिता एक महिला है...*(व्यवधान)* वे ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, क्या आपने वह वाक्य बोला है?

...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. मुनूसामी : जी, हां।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैंने केवल यही कहा था, 'अम्मा इसकी प्रशंसा करेगी'। इसमें मलत क्या है...*(व्यवधान)* मैं इसे वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, वे ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने स्वयं इसे वापस ले लिया हैं अब कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय श्री मारन ने अपनी टिप्पणियों के लिए खेद प्रकट किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू ने अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हम ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियों की अनुमति नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)* हम इनका दोहरा अर्थ समझते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. स्वामी जी उन्होंने स्वयं अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें।

श्री मुरासोली मारन : जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है। क्या यह काफी है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम शांति बनाए रखें।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, एक अन्य जगह श्री दीक्षित कहते हैं:

> "स्वर्गीय राजीव गांधी ने हमारी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा लिट्टे के साथ सम्पर्क बनाए रखने के साथ-साथ सैनिक आपरेशन जारी रखने की दोहरी नीति अपनाई थी।"

इसी दोहरी नीति के कारण यह हुआ था कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री से लिट्टे के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए कहा था और वास्तव में श्री करूणानिधि तत्काल चेन्नई के लिए रवाना हो रहे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : एक समय था जब वे श्री राजीव गांधी की प्रशंसा करते थे और अब वे उन्हें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति जी अब उन्हें बोलने दीजिए। श्री सत्यमूर्ति जी कार्रवाई संचालन का यह कोई सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस सभा को नियंत्रित करना बहुत कठिन है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : यही पूर्व राजनयिक ने भी यह कहा था। ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय ये बातें यहां प्रासंगिक नही लगती। ...*(व्यवधान)* यहां कुछ प्रांसगिक पहलुओं पर चर्चा की जा सकती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ चर्चा कर रहा था। हमने प्रभाकरण से मिलने के लिए जाफना में एक प्रतिनिधि मंडल को भेजने का निर्णय लिया था। राजीव जी ने इसे "डी.एम.के. की पहल" का नाम दिया था। श्री राजीव गांधी के हस्ताक्षर के साथ इसे एक पुस्तक में पत्रों के रूप में छापा गया था। ...*(व्यवधान)* इस दल में मेरा, श्री वी. गोपाल स्वामी और श्री कंडाप्पन का नाम था।

श्री अजीत जोगी : स्वर्गीय राजीव गांधी ने आपसे केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही अनुरोध किया था।...*(व्यवधान)* उन्हें शस्त्र या हथियार देने के लिए नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : उन्हें किसने हथियार दिए थे?...*(व्यवधान)*

सायं 6.46 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री मुरासोली मारन : महोदय यह अतिगोपनीय मामला था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया जी कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : श्री मुथैया जी, हम इस तर्क पर उस समय चर्चा करेंगे जब हमारी बोलने की बारी आएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : इसे अतिगोपनीय रखा गया था। प्रतिनिधिमंडल वहां जाता और भारतीय शांति सेना को सूचित करता

तथा श्री प्रभाकरन के साथ वार्ता करता। परंतु उसी दौरान दुर्भाग्यवश हमारे प्रिय भाई थिरू गोपालसामी श्रीलंका गए और सब कुछ समाप्त हो गया। अन्यथा, इतिहास कुछ और ही होता। अब भी मैं यही कहता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह पाशविक और निर्मम हत्या नहीं हुई तब तक सभी ने लिट्टे का समर्थन किया। इसमें कुछ गलत नहीं है।

यही बात सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुबह कही है। अब मैं खंड दो, अध्याय चार से उद्धृत करना चाहता हूं : पृष्ठ संख्या 2239 में इस बात का उलल्लेख किया गया है :

> "लिट्टे से संबंध होना या ईलम के उद्देश्य को समर्थन देने का आवश्यक रूप से यह तात्पर्य नहीं हैं स्व. राजीव गांधी की जघन्य हत्या में सह अपराधिता हो।"

महोदय, पुनः "द्रमुक श्री गोपालस्वामी और श्री करूणानिधि' अध्याय के अंतर्गत अध्याय में श्री गोपाल स्वामी के जाफना के गुप्त दौरे तथा अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। श्री राजीव गांधी हत्या के मामले के विचारण के दौरान उनसे पूछताछ की गई थी और जब वे अपने वक्तव्य से मुकरे तो उन्हें विरोधी घोषित किया गया। अन्ततः रिपोर्ट क्या कहती है? यह कहती है :-

> "श्री गोपालस्वामी के प्रयास लिट्टे के उद्देश्य को समर्थन देना, भारतीय लिट्टे कैडरों को सहायता देना और उन्हें उनके लक्ष्यों की सफलता के लिए ऐसा अन्य राजनीतिक समर्थन देना लगता था।"

उन्होंने यह वस्तुत स्पष्टतः कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है :

> "कि श्री गोपालस्वामी जैस महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों से लिट्टे को यह खुला समर्थन केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए था जिसके लिए वे लड़ रहे है। इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि यह समर्थन भारत के सबसे बड़े नेता श्री राजीव गांधी की हत्या के किसी षडयंत्र के लिए था।"

महोदय, श्री जैन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है :-

> "तमिल हित के लिए समर्थन देना हत्या को कार्य रूप देने के लिए लिट्टे के साथ गहन सांठगांठ से भिन्न है।"

क्या किसी ने षडयंत्र में सहयोग या सहअपराधिता पाई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं जो सब्सीडियरी इंटेलीजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने कहा उसे उद्धृत करना चाहता हूं। इसका उल्लेख अंतिम रिपोर्ट के खंड एक, पृष्ठ 89 में है।

> "हत्या के तुरंत बाद हमने लिट्टे के साथ-साथ द्रमुक की संभावित अन्तर्ग्रस्तता के बारे में विस्तृत और गुप्त जांच की तथा हमें द्रमुक के विरुद्ध कोई जानकारी नहीं मिली। दूसरी ओर हमने सुना कि श्री वी. गोपालस्वामी सहित द्रमुक नेता इस जघन्य हत्या से पूर्णतः क्षुब्ध थे। इस तथ्य का उल्लेख मैंने निदेशक (आसूचना ब्यूरो) से भी मौखिक से किया।"

हत्या के तुरंत बाद उन्होंने यह कहा था।

श्री आर. मुथैया : नहीं, यह हत्या के तुरंत बाद नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया मैं आपको देख रहा हूं। यह अच्छा नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे है ...*(व्यवधान)* यह हत्या के तुरंत बाद नहीं किया गया था ...*(व्यवधान)* यह 20 तारीख को किया गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, मैं आपको देख रहा हूं। यह अच्छा नहीं है। आप अपनी पार्टी के नेता हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप से अब उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको देख रहा हूं। यह अच्छा नहीं है। कृपया बैठ जाइए। आप अपनी पार्टी के नेता है। यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों को देख रहा हूं। यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे पर दोषारोपण अच्छा नहीं है।

श्री मुरासोली मारन : बाद में हमने मद्रास में एक चुनावी सभा की थी। श्री जेठमलानी इस सभा में बिना आमंत्रित किए आए और उन्होंने कहा, "मैं बिना बुलाए इसलिए आया क्योंकि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं कि द्रमुक का हत्या से कोई लेना देना नहीं है।" क्या उन्होंने यह कहा था या नहीं? उन्होंने ऐसा ही कहा था, श्री विजय करण, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 'बियोन्ड दि टाइगर्स' पुस्तक का आमुख लिखा है। कृपया मुझे इस आमुख से उद्धृत करने की अनुमति दें।

> "जब सुश्री जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी तो मैंने उनसे मिलने का निर्णय किया। श्री कार्तिकेयन (जो बाद में विशेष जांच दल के प्रमुख बने) मेरे साथ थे। राज्य सरकार ने विशेष जांच दल को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई।"

श्री वी. सत्यमूर्ति : उस समय इसी पार्टी में कहा था कि जैन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम सभापति तालिका में भी है। आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : मैं उद्धृत करता हूं :

> "वे हमें अपने पोएस गार्डन आवास में मिली, जब मैंने उन्हें अपनी जांच का संक्षिप्त ब्यौरा बताया तो उनका पहला प्रश्न था, "आप श्री करूणानिधि को कब गिरफ्तार कर रहे है?" मैंने उन्हें बताया कि यदि हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाता है जिससे करूणानिधि के शामिल होने का पता चलता हो तो हम उन्हें गिरफ्तार करने में नहीं हिचकेंगे। मैंने उन्हें स्पष्टतया बताया कि हम इस मामले की जांच पूर्णतः खुले दिमाग से कर रहे है और यदि उनके या किसी अन्य के पास करूणानिधि, या द्रमुक या किसी अन्य के हत्या में शामिल होने की ओर इशारा करने वाला कोई सुराग या आधार हो तो उसकी जानकारी हमें दी जानी चाहिए ताकि हम उसकी गहन छानबीन कर सके। सुश्री जयललिता ने कुछ नहीं कहा। न ही हमें करूणानिधि या द्रमुक के इस हत्या से संबंध के बारे में कोई साक्ष्य मिला।"

सी.बी.आई. के दो निदेशकों, जो बाद में प्रमुख बने, ने यह कहा। यहां मैं यह बताना चाहता हूं इस मामले में 26 लोगों को सिद्धदोष पाया गया, वे उच्चतम न्यायालय में गए, उनमें से कोई भी व्यक्ति द्रमुक से या द्रमुक से सहानुभूति रखने वाला नहीं है। मैं श्री मदन लाल खुराना को बताना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। हमने कभी भी हिंसा या हिंसा का समर्थन करने का पक्ष नहीं लिया है। जब हमारी संस्कृति पर हमला किया गया था जब हमारी भाषा के लिए खतरा पैदा हुआ था तो भी हमारी जनता ने किसी की हत्या नहीं की थी। हिन्दी विरोधी आंदोलन के दौरान उन्होंने आत्मदाह का रास्ता अपनाया था। किसी हित की रक्षा के लिए हम किसी अन्य व्यक्ति को जीवन लेने के बजाए अपने प्राणों की आहूति देते हैं। इसलिए यदि लोग हम पर आरोप लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि यह निर्मम और अमानवीय आरोप है।

अब मैं 'हत्या से संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका' के बारे में कहना चाहता हूं। आज सुबह मैंने इसे स्पष्ट कर दिया था। मैंने इसे श्री आडवाणी को भी दिखाया था कि इस संबंध में कुछ भ्रम है। खंड पांच में अध्याय 8 'संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका' के बारे में है। जिसमें लगभग 21 व्यक्तियों के नाम हैं और उनमें से केवल दो व्यक्तियों के नामों को बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी को भेजा गया है। ऐसा क्यों है? यह व्यक्ति सुश्री सुभालक्ष्मी है। इसका कारण यह है कि उनका संबंध द्रमुक से है। क्या कोई अन्य कारण है? यही नहीं इसी आरोप में उन्हें एक वर्ष तक टाडा के अंतर्गत बंदी रखा गया, बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और तब उन्हें टाडा न्यायालय द्वारा रिहा किया है। विधि मंत्री यहां उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक ही आरोप में दो बार गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। किसी व्यक्ति पर एक आरोप के लिए दो बार अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है।

श्री अजीत जोगी : वह अलग मामला था। यह नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : मंत्री जी यह कहें। दुखद बात तो यह है कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट में संदिग्ध व्यक्तियों की सूची में मेरे नेता का नाम भी शमिल किया गया है। यदि उनका नाम अध्याय 9 में होता तो अलग बात होती क्योंकि उस अध्याय में उनका नाम "लिट्टे से परे सिद्धांतों के बारे में विशेष जांच दल का रूख" नामक शीर्षक में किया गया है जबकि अब उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया हैं मैं समझता हूं कि इस संबंध में कुछ भ्रम हो गया है। यह एक भ्रम हैं यह किसने किया? उनका नाम 'संदिग्धों की भूमिका' वाले अध्याय में किसने शामिल किया? यदि यह एक भूल है तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए अन्यथा इसे एक धोखा माना जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं मैं उद्धृत करता हूं :-

> "विशेष जांच दल में श्री चन्द्रशेखर, श्री टी.एन.शेषन, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, सुश्री जयललिता और श्री पी.वी. नरसिंह राव से भी पूछताछ नहीं की क्योंकि इसे उस समय प्रासंगिक नहीं माना गया था। श्री डी.आर. कार्तिकेयन ने यह अभिसाक्ष्य दिया। श्री एम. करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई थी। कुछ मामलों में उनसे पूछताछ बिल्कुल प्रासंगिक थी।"

मैं जानता हूं यहां कई लोग मुझसे बेहतर अंग्रेजी जानते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि 'श्री करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई थी?' कई मामलों में उनसे पूछताछ करना प्रासंगिक था टाडा न्यायालय में यह मामला समाप्त हो गया था। अब छब्बीस लोगों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। मैं जानना चाहता हूं कि सरल अंग्रेजी में इसका क्या तात्पर्य है?

क्या यह श्री करूणानिधि को दोषी ठहराता है? नहीं यह ऐसा नहीं करता है। मैं जानना चाहता हूं कि उनका नाम कैसे शमिल किया गया। श्री करूणानिधि जैन आयोग के समक्ष पांच दिन तक पेश हुए। उन्होंने शपथ लेकर पूछताछ व जिरह में भाग लिया। वे कुछ अन्य गवाहों की तरह दोषी नहीं थे। न्यायमूर्ति जैन ने नहीं कहा कि श्री करूणानिधि ने जानकारी नहीं दी। न्यायमूर्ति जैन ने नहीं कहा कि उन्होंने कुछ बातें छिपायी है। न्यायमूर्ति जैन को उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं मिला। न्यायमूर्ति जैन उनके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से खुश थे और शायद उनके कहने का तात्पर्य यही था। इसके अर्थ पर विचार के लिए इस पैरा का पहले वाक्य पर गौर करें। यह कहता है, "यदि विशेष जांचदल ने चन्द्रास्वामी और महन्त सेवादास से पूछताछ की होती तो इसमें आयोग को सहायता मिलती। "यदि ये कहानियां झूठी पायी जाती ये इधर उधर की बातें होती इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह

वे कह सकते थे, "यदि करूणानिधि से पूछताछ की जाती तो यह प्रासंगिक होती और इसलिए उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी।" क्या ऐसी कोई सिफारिश की गई? ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई। फिर सरकार उनका नाम क्यों शामिल कर रही है?

महोदय, मुझे बहुत खेद है कि उन्होंने रिपोर्ट में 'आशंकाओं' का उल्लेख किया है। की गई कार्यवाही रिपोर्ट में कहा गया है, "आशंकाओं के साथ", मैं उन्हें यह बताने की चुनौती देता हूं कि आशंकाएं कहां है। 'आशंका' का तात्पर्य है संदेह या शंका।

मैं जानना चाहता हूं कि दो हजार पुष्ठों के इन नौ खंडों में आशंकाओं का उल्लेख कहां है। संदेह कहां है? न्यायमूर्ति जैन ने हमारे नेता के विरुद्ध शंका कहां उठाई है? मुझे यह कहते खेद है कि सरकार दबाव के समक्ष झुकी है। यह अस्तित्व की राजनीति है। यह अस्तित्व की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं है।

आज सुबह कई मुद्दे उठाए गए है। जैन आयोग द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण बातों को छोड़ा गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सुबह उन पर विस्तृत प्रकाश डाला है। मैं आपके ध्यान में केवल एक बात लाना चाहता हूं। यदि बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी यासिर अराफात की चेतावनी पर, जिसके बारे में हमें पहले ही जानकारी हैं गौर करती है तो अच्छा है यदि यह उस आधार पर पूछताछ करती है तो अच्छा है। यदि यह विदेशी हाथ होने के पहलू पर जांच करती है तो अच्छा है यदि यह चन्द्रास्वामी से पूछताछ करती है तो अच्छा है। किंतु यदि वे इस प्रकार रास्ते से हटकर कार्य करते है तो वे दुरूपयोग करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : सभा को उनकी नीति समझनी चाहिए। यदि अन्य लोगों के विरुद्ध जांच की जाती है तो यह सही है। किंतु यदि उनके नेता के विरुद्ध जांच की जाए तो यह सही नहीं है।

श्री मुरासोली मारन : जी हां, महोदय यह एक तुच्छ और गुमराह करने वाला कार्य होगा। मैं पहले भी यह कह चुका हूं। अभी जो कुछ भी मैंने विस्तारपूर्वक कहा है उसे हम बहु आयामी निगरानी एजेंसी के समक्ष कहेंगे। यह आडवाणी जी को मालूम है, यह प्रधानमंत्री जी को मालूम है और यह सभी को मालूम है। हमने कुछ भी छुपाया नहीं हैं।

अंत में, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्पष्ट रूप से कहा है यह श्रृंखला की लुप्त कड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि इतने कम समय पहले सूचना देकर श्री पेरूम्बदूर बैठक का आयोजन कैसे किया गया था? श्री राजीव गांधी को आमंत्रण स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार कर लिया गया था जबकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्य इस बारे में उत्साहित नहीं थे? मानव बम्ब को किसने आतिथ्य प्रदान किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण हैं वह किसकी मेहमान थी? वह किसी अन्य की मेहमान हो सकती थी। वह सुरक्षा के घेरे को तोड़कर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंची?...*(व्यवधान)* इसे हम लक्ष्य पर पहुंचने का सिद्धांत कहते हैं। सुरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के श्री के. सुब्रह्मण्यम ने उल्लेख किया है कि इन मुद्दों की तह में जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि इस बात का डर है कि इस कार्य की कोई प्रतिक्रिया होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मारन, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करूंगा।

इस मुद्दे की तह में जाने की इच्छा नहीं थी। मैं चाहता हूं कि मे मित्र इस बात को नोट कर लें कि यदि वह सच्चाई जानना चाहते हैं तो लक्ष्य पर पहुंचने के पहलू की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हत्या के मामले में जांच के संबंध में यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि हत्यारा अपने शिकार तक कैसे पहुंचा। इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। हमें बहु आयामी निगरानी एजेंसी का डर नहीं है क्योंकि न तो हमें किसी बात का डर है और न ही हमें किसी बात को छिपा रहे हैं। हम भा.ज.पा. के नेताओं को अनेक वर्षों से जानते हैं...*(व्यवधान)*

हम तीन दशकों से भी अधिक समय तक इस सभा तथा दूसरी सभा की इनमें से अनेक बैंचों की शोभा बढ़ाते रहे हैं। हमने एक साथ बहुत सी राजनीति देखी है माननीय प्रधानमंत्री अटल जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री आडवाणी जैसे भा.ज.पा. नेताओं के बारे में मेरी धारणा हमेशा बहुत उदार रही है अब भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे यह देखकर धक्का लगा कि इतने महान नेता इतने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। मुझे दुख है। हम उनकी राजनीतिक कठिनाईयों को समझ सकते हैं।

सायं 7.00 बजे

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : श्री मारन ने मेरे नाम का उल्लेख किया है। अब तक हम जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। हम केवल पारिस्थितिक प्रमाणों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी जैन आयोग ने जांच की है लेकिन हम कुछ तथ्यों को भूल रहे हैं कि कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों और लिट्टे लोगों को समर्थन दिया गया था। पदमानाभा की हत्या के बाद हमारे आई.पी.के.एफ. ने श्रीलंका में प्रवेश किया था। उस समय सरकार ने किस तरह का व्यवहार किया था। यह सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हमें विचार करना है क्योंकि पदमानाभा की हत्या के बाद कुछ लोग बच गए थे। बिना किसी कठिनाई के वह बच गए थे। एक बार फिर वह वापस आए और तमिलनाडु पहुंचे। उन लोगों ने श्री राजीव गांधी की भी हत्या की योजना बनाई हुई थी। यदि ऐसी बात है तो सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम उन पारिस्थितिक प्रमाणों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप यह सब बातें भूल रहे हैं और अन्य बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने का क्या कारण है? इसलिए, इस मुद्दे को की गई कार्यवाही की रिपोर्ट में शामिल किया गया है न कि किसी अन्य विचार से। उन्हें अपनी निर्दोषता साबित करने दो, हम

[डा. एम. तम्बी दुरई]

उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे...*(व्यवधान)* पारिस्थितिक प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन पारिस्थितिक प्रमाणों के कारण श्री राजीव गांधी की हत्या हुई, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* पदमानाभा की हत्या के बाद कुछ लोग बच निकले...*(व्यवधान)* यदि आपने उस समय पर कार्यवाही कर ली होती तो श्री राजीव गांधी को बचाया जा सकता था। मेरा मुद्दा यह है...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : ठीक है...*(व्यवधान)* आप किसी भी राज्य में तिहाड़ जेल अथवा किसी अन्य सैन्ट्रल जेल में जाएं...*(व्यवधान)* आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अनेक हत्याएं की हैं किसी में बच गए और किसी में पकड़े गए। यह कोई नई बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डा. एम. तम्बी दुरई : मैं राजीव गांधी को जानता था। मैंने राजीव गांधी के साथ काम किया हुआ है। मैं जानता हूं कि श्री राजीव गांधी के साथ मेरा किस तरह का संबंध था। मुझे दुख है।...*(व्यवधान)* आप पूरे मुद्दे से ध्यान हटाकर पारिस्थितिक प्रमाणों को भूल रहे हैं और मामले से हटकर चर्चा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। उस हत्या के बाद उन्हें किसने बच कर जाने दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री तम्बी दुरई।

डा. एम.तम्बी दुरई : महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारन : श्री पायलट ने कहा कि दो संकेतों का पता नहीं चल सका था। पहले संदेश में कहा गया था "इस 30 तारीख को श्री राजीव गांधी मद्रास आ रहे है।" दूसरे संदेश में कहा गया है "मद्रास में अथवा राजधनी में कोशिश? यदि राजधानी में है, तो इसमें बहुत मेहनत और पर्याप्त समय लगेगा। यदि उस तारीख को कोशिश करनी है, तो जवाब दीजिए। इन संदेशों का हत्या के बाद पता चला था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण न दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको हर चीज की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : सिवारासन का हत्यारा दल, धनु, सुभा और अन्य 2.5.91 को मद्रास पहुंचे अर्थात् हत्या से 20 दिन पहले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री मारन।

...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : यह सूचना तीन महीने पहले आसूचना ब्यूरो को दी गई थी...*(व्यवधान)* कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन मुख्य विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने की बजाए आप इन छोटी छोटी बातों का उल्लेख कर रहे है। यह और कुछ नहीं बल्कि सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करने वालों को गुमराह करना है। ...*(व्यवधान)* मैं इस संबंध में भी जांच करवाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानी मनिक्कम (तंजावूर) : मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस तारीख को आपके नेता, सहयोगी नेताओं ने बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? हम जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि सभा में घोषित किया गया है, आज शुरू हुई जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कल 6 अगस्त, 1998 को अपराह्न 2.00 बजे समाप्त हो जाएगी। सभा ने पहले ही देर रात्रि 10.00 बजे तक बैठने का निर्णय ले लिया है। मुझे माननीय सदस्यों से सुझाव मिले है कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से सभा की बैठक पूर्वाह्न ग्यारह बजे की बजाय पूर्वाह्न दस बजे आरंभ की जाए। जैसा कि सभा जानती है हम पिछले दो दिनों से शून्य काल के बिना काम चला रहे हैं। आप तदनुसार पूर्वाह्न 10.00 बजे शून्य काल में चर्चा कर सकते हैं। यदि सभा सहमत होती है तो हम सभा की बैठक 6 अगस्त, 1998 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आरंभ कर सकते हैं। बैठक आरंभ होने से पहले जो पूर्व सूचनाएं दी जानी है, वह 6 अगस्त, 1998 को सामान्य समय पूर्वाह्न 10.00 बजे की बजाय पूर्वाह्न 9.00 बजे तक स्वीकार की जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : यदि हम समय बढ़ाना चाहते हैं तो आप रात्रि में इसे 10.00 बजे तक के बजाय 11.00 बजे तक के लिए बढ़ा दीजिए। सभा आरंभ होने का वास्तविक समय पूर्वाह्न 11.00 बजे है हमें उसे नहीं बदलना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कृपया नई परंपरा नहीं डालिए।

श्री राम विलास पासवान : यदि आज हम रात को 10.00 बजे की बजाए 11.00 बजे अथवा 12.00 बजे तक बैठना चाहते है तो हम बैठ सकते हैं। यदि आप सभा का समय पूर्वाह्न 10 बजे करते हैं तो यह एक गलत परंपरा होगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : यहां केवल एक बात है जिसके लिए बेहतर समझ की आवश्यकता है। यदि हम अब यह घोषणा कर देते हैं तो यहां अनेक सदस्य उपस्थित नहीं है और वह यह बात नहीं जान पायेंगे कि कल 'शून्य काल' के लिए पूर्वसूचनाएं 9 बजे तक दी जानी हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि एक घंटा पहले बैठक आरंभ करना तो ठीक है लेकिन 'शून्य काल' 11 बजे से 12 बजे तक ही होना चाहिए। जो लोग शून्य काल के लिए पूर्व सूचना देना चाहते हैं उन्हें 10 बजे तक पूर्व सूचना देने की अनुमति दी जानी चाहिए। वह अपने अवसर से

वंचित नहीं होंगे। इसलिए, चर्चा के बीच में हम 11 बजे से 12 बजे तक 'शून्य काल' में चर्चा कर सकते हैं और फिर चर्चा जारी रख सकते हैं। ऐसा करना उन माननीय सदस्यों के लिए अच्छा होगा जो कि 'शून्य काल' पूर्व सूचनाएं देना चाहते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : सभा किस समय समवेत होगी?

श्री राम नाईक : पूर्वाह्न 10.00 बजे!...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री राम नाईक : महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कल सत्र का अंतिम दिन है, यदि हम एक दिन समय में हेर फेर कर लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस तरह से अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल रात में भी हम लोग 10.30 बजे तक बिना खाये पिये बैठे, आज तो खाने की व्यवस्था है, आप 10 बजे के बजाय 11 बजे तक बैठ जाइये, 12 बजे तक बैठ जाइये, मोर्निंग में छह बजे तक बैठ जाइये, लेकिन आज तक हाउस कभी 11 बजे के पहले मीट नहीं हुआ है। इसलिए इस कन्वेंशन को तोड़ा नहीं जाये, नहीं तो फिर आप 10 बजे करेंगे, कभी नौ बजे करेंगे, कभी मोर्निंग में बुलाया जायेगा। यदि यह स्पेशल केस है तो यह तो और भी अच्छी बात है, यदि जरूरत पड़े तो आज रात में बैठिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, आप क्या कहते हैं?

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह सभा पर निर्भर करता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : कांग्रेस के फ्रेंड्स जो तय करें, हमें मंजूर है। आज रात के 11 बजे तक बैठना है तो 11 बजे तक बैठिये।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कृपया एक गलत परम्परा कायम नहीं करिए। सदस्यों को सुबह 10 बजे तक नोटिस देने होते हैं। यदि एक बार आपने सभा की बैठक 11 बजे से पहले आरंभ कर देते हैं तो यह एक परम्परा बन जाएगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : कल, जैसा कि मैं समझता हूं, ऐसे अनेक सदस्य होंगे जो कि 'शून्य काल' में बोलना चाहेंगे। यहां तक कि आज भी 'शून्य काल' के लिए 30 से अधिक नोटिस आ गए हैं। कल कुछ और नोटिस आ जायेंगे। यदि यह सभा शून्य काल को ठीक 12 बजे तक प्रतिबंधित कर सके...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। यदि जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा ठीक दोपहर के 12 बजे आरंभ होती है तो मैं सहमत...*(व्यवधान)* मुझे कहने दीजिए। अन्यथा इस चर्चा को समाप्त करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। जैन आयोग रिपोर्ट संबंधी चर्चा में भाग लेने वाले सभी इच्छुक सदस्यों को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि कई और सदस्य बोलना चाहते है। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार अपराह्न 2 बजे माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। कल कहां समय है?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम आज पूरी रात क्यों नहीं बैठ जाते?...*(व्यवधान)* यदि आवश्यकता है तो हमें पूरी रात बैठना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, हम पूरी रात बैठ जाते हैं लेकिन सदन की बैठक सुबह 11 बजे से पहले आरंभ नहीं होनी चाहिए ...*(व्यवधान)* जो सदस्य इच्छुक हों वे बैठेंगे...*(व्यवधान)*

प्रों. पी.जे. कुरियन : सदन जैसा निर्णय लेगा।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ सदन की राय जानना चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, हमेशा की तरह 11 बजे से।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, कल होम मिनिस्टर इस सारी बहस का जवाब किस समय देंगे, वह टाइम तय हो जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्योंकि 2 बजे तक माननीय अध्यक्ष महोदय इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : दो बजे रिप्लाई करवा दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : नहीं,-नहीं, दो बजे तो ये पूरा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो बजे का रिप्लाई है न? आज लेट बैठेंगे।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : जैसा कि नेताओं की बैठक मे निर्णय किया गया था माननीय गृह मंत्री को अपराह्न 2 बजे जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : स्पीकर साहब नहीं मान रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, 2 बजे का समय माननीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर देने के लिए है। आज हम देर तक बैठेंगे।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, पिछले दो दिनों से शून्य काल में मामला उठाने के लिए हम सूचना दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज प्राप्त सभी सूचनाओं को कल के लिए भी वैध माना जाए।

अध्यक्ष महोदय : सूचनाओं की संख्या काफी है। यह असंभव है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, इनके अनुरोध पर आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सूचनाएं बड़ी संख्या में है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है, जिससे भावना जुड़ी हुई है। लेकिन जिस प्रकार की भावनाओं का यहां प्रदर्शन हो रहा है, उससे कुछ कष्ट भी होता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं और मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि राजनैतिक नेताओं की हत्याओं की कहानी भारत में बहुत दिनों से प्रारंभ हुई है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या से यह कड़ी प्रारंभ हुई। श्री दीन दयाल उपाध्याय की जघन्य हत्या हुई।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महात्मा गांधी को पहले से नहीं वताया। जो आर.एस.एस. की ट्रेनिंग है उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं तो खुराना जी से कह रहा हूं।

श्री भगवान शंकर रावत : जिस प्रकार डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कश्मीर में जेल में हुई, दीन दयाल उपाध्याय की हत्या मुगलसराय के रेलवे स्टेशन पर हुई और उससे पहले महात्मा गांधी की हत्या जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, काश उस समय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र को अगर गंभीरता से लेकर आंकलन कर लिया होता और हिंसा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प इस देश ने लिया होता, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि नागरवाला की हत्या जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, लोंगोवाल की हत्या हुई, भिंडरावाला जैस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया गया, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसने सारे पंजाब की नदियों के पानी को खून से लाल कर दिया, उससे आतंकवाद और निरीह व्यक्तियों की हत्याओं का दौर चला और इंदिरा गांधी का अंत भी उसी हत्याओं के दौर में हुआ, वही हश्र राजीव गांधी का हुआ।

मैं कहना चाहूंगा कि हत्या किसी भी राजनेता की हो, वह निंदनीय है। भगवान कृष्ण, राम, महावीर और बुद्ध की धरती पर हत्याओं के खेल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हत्या होती है और हम राजनीतिक चश्मे से उसे देखते हैं। हम दोहरे मापदंड अपनाते हैं। आज हमारे सामने वाले मित्र कहते हैं कि हम ए.टी.आर. से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जैन आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, यह कितना बड़ा विरोधाभास है। राज्य सभा में श्री कपिल सिब्बल बता रहे थे कि हम इस बात से सहमत है कि पहले जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी उसकी संस्तुतियों से सहमत है। यहां मेरे मित्र कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। वे कहते है कि वह पूरा दस्तावेज था और यहां हमारे मित्र दोहरे मापदंड से बोल रहे हैं। यह दोहरा मापदंड ही सारी हत्याओं के घिनौने खेल के लिए उत्तरदाई है। राजतंत्र को चलाने के लिए सभी राजनैतिक दलों को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। राजीव गांधी की हत्या की परिणति ऐसे ही दोहरे मापदंड का परिणाम थी। आतंकवाद को संरक्षण दिया गया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पंजाब में जिस प्रकार से आतंकवादियों को प्रश्रय दिया गया, उसकी परिणति इंदिरा गांधी की हत्या से हुई। राजीव गांधी ने जिस प्रकार से लिट्टे को प्रोत्साहन दिया, फिर उनके साथ विश्वासघात किया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी से हमें हाथ धोना पड़ा।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैन आयोग की रिपोर्ट में उभर कर आए हैं, जिन पर जांच होनी बाकी है।

मेरे मित्र एक और जांच की बात करते हैं लेकिन जब मल्टी डाइमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी की बात की गई तो उससे वे कतराते हैं। कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लनरी एजेंसी नहीं चाहिए। अगर यह एजेंसी नहीं होगी तो फिर आखिर कौन सी एजेंसी होगी? क्या प्राइवेट डिटेक्टिव से जांच करानी है? एक कानूनी रूप से अधिकृत एजेंसी के सामने जब ये सारी चीजें आएगी तब जहां जहां भी केन्द्र के घेरे में समस्याएं बताई जा रही हैं, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र था, राष्ट्रीय षडयंत्र था, किसी इंडिविजुअल का षडयंत्र हो या किसी पार्टी का षडयंत्र हो, उन सारे षड्यंत्रों की बात उस आयोग को बता दो, उस डिस्पिलीनरी मोनीटरिंग एजेंसी को बता दो और उसे काम करने दो। वे कहते हैं कि हम जैन आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। क्या जैन आयोग ने कभी कहा कि इस मामले पर जांच की आवश्यकता है? जब आप संतुष्ट हैं तो फिर इस पर आपत्ति क्यों हैं?

मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि श्री सुब्रहमण्यम स्वामी यहां होते तो अच्छी बात होती। उन्होंने भी सफाई में अनेक कहानियां गढ़ दी लेकिन आयोग के समक्ष जब वह गवाही देने के लिए गए तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर वे या तो टाल गए या फिर उत्तर नहीं दिया। जैन कमीशन की रिपोर्ट उस बात की साक्षी है कि आयोग को सुझाव देने के लिए विवश होना पड़ा कि न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोवीजन्स हैं, उन्हें इस आयोग की कार्य प्रणाली में अधिकृत किया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूल्स से शक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए कि आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए अगर कोई गवाह शैतानी करता है या तथ्यों को छुपाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की जाए। श्री सुब्रहमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने तथ्यों को छुपाकर, साक्ष्य को दबाकर, न्यायालय की अवमानना की है। उन्होंने यहां जो सफाई दी है, वह वास्तव में निंदनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जांच होनी चाहिए।

आयोग के सामने तथ्य हैं। सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेसी नेता और दो व्यक्तियों के बारे में बताया था। उन्होंने चेन्नई के राज भवन में बताया है कि राजीव गांधी की हत्या के लिए लिट्टे को एक करोड़

रुपया दिया गया है। वे दो व्यक्ति कौन थे? आखिर उन साक्ष्यों के बारे में क्यों नहीं बताया? हिन्दुस्तान की जनता ही नहीं विश्व की जनता जानना चाहती है लेकिन मेरे सामने बैठे मित्रों के राजनैतिक मंसूबे पूरे होते दिखते है।, इसलिए श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के इन तथ्यों के बारे में रिपोर्ट के अंदर जो बात कही गई है, उनकी ओर आपका उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है।

अतः मैं कहता हूं कि दोहरे मानदंडों से मत चलिए। यह जांच का विषय है। मेरे मित्र श्री अजीत जोगी अभी कह रहे थे कि रूक जाइए, बाद में मैं मामले को समझूंगा। लेकिन वास्तविकता इस बात की है कि राजीव गांधी ने करूणानिधि को इस बात के लिए एप्रोच किया कि तमिलों और सिंघलियों में विवाद रहना चाहिए। लिट्टे का श्रीलंका के राष्ट्रपति से विवाद सुलझना नहीं चाहिए और जब करूणानिधि ने मना कर दिया तो उसके बाद यह कोशिश की गई कि सिंघलियों और तमिलों में बातचीत न होने दें। इसलिए यह बिंदु जांच का विषय है। आखिर भारत सरकार के वे कौन से अधिकारी थे, कौन सी मशीनरी थी जिसने श्रीलंका में सेना भेजने और हिन्दुस्तान के उन 1200 सैनिकों को मौत के घाट उतारने, बलिदान होने के लिए मजबूर कर दिया और हजारों जवान घायल हुए। आखिर इस बात की कीमत हमें क्यों चुकानी पड़ी? इसका उत्तरदायित्व राजीव गांधी और भारत सरकार के उन अधिकारियों पर है लेकिन इन तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव का कहना है कि पत्रावलियों नष्ट की गई, अभिलेख गायब हैं– आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राजीव गांधी की हत्या के बाद सरकार में कोन लोग आए थे? क्या कांग्रेस की वह सरकार नहीं थी? अगर कांग्रेस की सरकार थी तो आखिर वे अभिलेख क्यों गायब किए गए? इससे जाहिर होता है कि कोई भी षडयंत्र कांग्रेस के अंदर घिनौनी राजनीति थी। उस राजनीति का पर्दाफाश आखिर कौन करेगा? मेरे मित्र इस बात की मांग नहीं करते कि इसकी जांच किसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए कि आखिर यह सब क्यों हुआ फाइलें क्यों गायब हुई और पत्रावलियों में हेरफेर क्यों किया गया। इतना ही नहीं, भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री एस.बी. चव्हाण, जो दूसरे सदन में विपक्ष के आज भी नेता है, उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में कहा है –

[अनुवाद]

कुछ रिकार्ड रोक लिए गए क्योंकि इसमें किसी परिवार की बदमानी ही होती। हम नहीं चाहते कि श्री राजीव गांधी का नाम इसमें घसीटा जाए।

[हिन्दी]

राजीव गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद वे राजीव गांधी के नाम को आने नहीं देना चाहते हैं। वे कहते है कि फैमिली मैलाइन हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि राजीव गांधी की हत्या भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या थी। यह उनके निजी परिवार का मामला नहीं है, इसका इम्पैक्ट सारे देश और विश्व में पड़ रहा है। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था और इस तरह की हत्या करने वाले चाहे अंतरराष्ट्रीय षडयंत्रकारी हों या देश के अंदर के षडयंत्रकारी हों, चाहे पार्टी के अंदर छिपे हुए आस्तीन के सांप हों, चाहे कोई अन्य दुश्मन हों, विश्व और देश का जनमत यह जानना चाहता है कि वह क्यों हुआ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह बात थोड़ी अटपटी जरूर हैं और मेरा मन भी नहीं मान रहा है, मैं उस बात को कहना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। अल्जीरिया के इतिहास को मैंने पढ़ा है। अल्जीरिया में डैमोक्रेसी को नष्ट करने के लिए चुनाव में बाधायें डालकर, हत्या करके, बैलेट वाक्स की सील को तोड़ने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि यहां भी हमारे कुछ ऐसे नेता हैं, जिन्होंने यह कोशिश की कि श्री चन्द्रशेखर की लूली लंगड़ी सरकार, जो श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के साये में चल रही थी, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। वे जानते थे कि यह सरकार चुनाव के अंदर लौटकर दोबारा आने वाली नहीं है, इसलिए चुनाव को किसी प्रकार स्थगित कराया जाए। यह भी एक पक्ष है और सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे लोग, जिन संबंधों पर गर्व अनुभव कर रहे थे, उन्होंने यहां भी स्वीकार किया है और जिस तरह से गवाही देते समय अटपटा रहे थे और तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब शंकाओं की सुई दौड़ती है कि मुफ्त में सरकार में रहने का जो आनन्द उन्हें मिला, उस सरकार से सुख और आनन्द को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं अल्जीरिया के इतिहास की पुनरावृत्ति भारत के अंदर करने का कोई षडयंत्र तो नहीं था। राजीव गांधी कहीं इसके शिकार तो नहीं हुए। ये भी कुछ मुद्दे हैं, जो लोगों के मन को कौंध रहे हैं। इन सारी चीजों की जांच करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी मोनिटरिंग एजेंसी बनेगी, तो सारे बिंदुओं को देख पाएगी और सारे सत्य का अन्वेषण हो सकेगा।

अब मैं बिजनैस स्टैंडर्ड अखबार में छपे समाचार के बारे में बताना चाहता हूं। इस समाचार पत्र में 1991 में एक समाचार छपा कि अशोक होटल में प्रभाकरण को दिल्ली बुलाया गया है। राजीव गांधी से चुप रहने के लिए पांच करोड़ रूपए दिए थे। लेकिन इस बात का कन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ। मैं इस समाचार पत्र का जिक्र कर रहा हूं और चाहें तो मैं इसकी कापी भी दे सकता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, घटनाओं के स्किवैंस मिल रहे हैं, तो इस बारे में सोचना होगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसा पहली रिपोर्ट में कहा गया है –

[अनुवाद]

> श्री पैरूम्बदूर श्री राजीव गांधी की हत्या की ओर इंगित करने वाले घटनाक्रम और इससे संबंधित तथ्यों तथा परिस्थितियों को वर्मा आयोग के विचारार्थ विषय में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

इस बारे में प्रकाश डाला गया। पहली रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने उस सरकार को गिरा दिया, आज उसी कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया है। इसलिए जब इस रिपोर्ट से आप सहमति जाहिर करते हैं, तो उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। दूसरी बात, जो इस रिपोर्ट में है, वह यह है कि –

[श्री भगवान शंकर रावत]

[अनुवाद]

> क्या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर अथवा एजेंसियों पर हत्या का षडयंत्र रचने, इसकी तैयार करने और योजना बनाने की जिम्मेवारी थी और क्या उनकी ओर से कोई षडयंत्र किया गया था और यदि हां तो उसकी उपशाखाएं कहां तक फैली हुई है?

[हिन्दी]

इसके बारे में अगर कोई जांच पड़ताल करनी है, हालांकि इसमें कहानियां बहुत सी हैं। तमिलनाडु के होम सैक्रेट्री के बारे में भी कहा जाता है कि उनसे सम्पर्क कर लिया। के.बी. रामास्वामी, एडवोकेट का नाम भी आता है कि उनका किट्टू से संबंध है। इन्होंने इस बात को कहा है लेकिन यह डिटेल की बात है और मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। मेरे तमिलनाडु के मित्र उन डिटेल्स में जा रहे हैं और वे डिटेल में बताएंगे। एमडीएमए का जो स्कोप है, उसमें कहा गया है-

[अनुवाद]

राजीव गांधी हत्याकाण्ड में सभी अभियुक्तों जो अभी भी फरार हैं, की गतिविधियों पर निगरानी रखना और मुकदमा चलाने के लिए उन्हें लाना।

[हिन्दी]

इसके बाद कोई भी चीज नहीं बचती। 21 आदमियों के बारे में कहा जाता है कि उनके नाम आए, लेकिन उनमें से दो या तीन के बारे में जांच की बात कही गई है। मेरे मित्र इस बात को भूल जाते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद, चार्जशीट और एविडेंस जाने के बाद जब कोर्ट ने यह कन्क्लुड कर लिया कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं तो फिर उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए एटीआर में ठीक कानूनी प्रावधानों के अनुरूप काम किया गया है और जो संस्तुति की गई है, एक्शन लिया गया है वह उसके अनुरूप है। दूसरा एमडीएमए स्कोप में यह कहा गया है -

[अनुवाद]

> की गई कार्यवाही ज्ञापन के जिन व्यक्तियों की भूमिका और गतिविधियों के विरुद्ध आगे जांच करने के लिए कहा गया है उनकी आगे जांच करना।

इसमें तीसरी बात जो कही गई है वह यह है कि उपयुक्त स्थिति में संबंधित किसी ऐसे अन्य मामले की जांच करना भविष्य में उठ सकता है।

[हिन्दी]

इसके बाद एमडीएमए का विरोध, तथ्यों का छिपाना राजनैतिक महाइलेज लेने की कोशिश करना है। इसलिए मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा कि कल बड़े जोर से कहा जा रहा था कि राजीव गांधी की असेसिनेशन की जांच, जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या अनुसूचित जाति पर बहस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समय बड़े भावनात्मक ढंग से कुरियन जी बोल रहे थे। मैं आज उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में सिन्सियर और सीरियस हैं तो सारे हत्याकांड के बारे में जांच कराने के लिए जैन आयोग की रिपोर्ट का आखिरी आउटकम निकाल कर सामने आएं, उसकी अंतिम परिणति हो, उसके बाद जहां शक की सुईयां जा रही हों वहां सत्य का सही प्रकार से अन्वेषण हो सके, आप इसमें सहयोग करिए, इसका विरोध मत करिए। जो एविडेंस आप पर आता है, उस एविडेंस को दीजिए और जो लोग अभी तक छिपे पड़े हैं उनको भी बेनकाब करिए। सरकार फाइलों को दबा कर, साक्ष्यों को दबाकर कुचला जा रहा है और दबाया जा रहा है, इतिहास के पन्ने बदलने की कोशिश की जा रही है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए अन्यथा इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

महोदय, स्वतंत्र भारत के अंदर नेताओं की हत्याओं का दौर समाप्त होना चाहिए। राजनीति अहिंसा के माध्यम से चले, इसके लिए अशोक चक्र लगा हुआ है और इसका अर्थ शांति है, खून-खच्चर नहीं है। हर राजनैतिक नेता के जीवन की सुरक्षा हो और राजनैतिक दलों को भी यह समझ लेना चाहिए कि अत्याचार और आतंकवाद को प्रोत्साहन न दें, इन सबसे दूर रहें। भारतीय संविधान में हमारे जिस तरह के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके माध्यम से उनके अंतर्गत हम काम करें। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियों पर हम काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, अपने प्रिय दिवंगत नेता की नृशंस हत्या पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी दो पंक्तियों में श्रद्धांजलि देकर मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं-

> "खिल के गुल कुछ तो बहारें जा फिजां दिखला गए,
>
> हसरत उन गुन्चों पे है जो बिन खिले ही मुरझा गए।"

एक ऐसा प्यारा गुच्छा जो खिल रहा था, पुष्प जो प्रस्फुटित हो रहा था, जो 21वीं शताब्दी में हमारी रहनुमाई करने को, भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने को हमारे साथ तैयार था।

उनकी नृशंस हत्या की गयी। मैं यह नहीं मानता कि प्रकृति के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। मैं यह मानता हूं कि उसकी हत्या साधारण हत्या नहीं थी। महोदय, केवल प्रियंका और राहुल ने अपने पिता को नहीं खोया, केवल आदरणीय सोनिया जी ने अपने सुहाग को भारत माता के चरणों पर न्यौछावर नहीं किया, बल्कि राजीव गांधी की हत्या से करोड़ों नौजवानों की तरूणाई के ख्वाब ध्वस्त हो गये, करोड़ों दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, मेहनतकशों, किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। इसलिए भरे दिल से मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रश्न चार करोड़ कांग्रेस जनों के लिए और उनके चार करोड़ परिवारों के लिए भावनाओं का प्रश्न है, एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर हम पूरी गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं। एक बात आज की चर्चा में सामने आ गयी है और हम सब इस बात से इत्तफाक करते

हैं, इस बात से सहमत हैं कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे षडयंत्र था, साजिश थी, यह कोई एक साधारण हत्या नहीं थी। एक राष्ट्रीय साजिश थी, जिसमें हो सकता है कि हमारे बीच से मीर जाफर, जयचंद, हममें से कुछ जोग जो यह जान रहे थे, मई, 1991 में यह बात दीवार पर लिखी हुई दिख रही थी कि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जो लोग यह चाह रहे थे कि राजीव गांधी को फिर से प्रधान मंत्री बनने नहीं देना है उन लोगों ने देश के अंदर साजिश की और एक दूसरी साजिश इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई जिसकी चर्चा इस कमीशन ने जगह जगह पर की है। मैं उसके आयाम पर यहां प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं, पर यह कहना जरूर चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें यह मानती हैं कि इस देश को अगर कमजोर करना है तो दिल्ली की गद्दी पर कमजोर आदमी को बैठाया जाए, क्योंकि जब जब दिल्ली की गद्दी पर मजबूत आदमी बैठा है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब यहां अशोक महान बैठा, जब यहां अकबर बैठा, जब यहां अंग्रेज बैठे तो पूरा देश कभी विघटित नहीं हुआ। लेकिन जब जब यहां की गद्दी पर कमजोर आदमी बैठा है तब तब देश टूटा है, यह बात वह अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानती थी इसलिए उन्होंने यह साजिश की। राजीव गांधी जो इस देश को मजबूत नेतृत्व दे सकते थे हमसे छीन लिया। कंचन की उस काया को चंदन की चिता पर अग्नि देकर जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी आंखें डबडबा रही थी और दिल के अंदर एक क्रोध का दावानल जल रहा था। आज भी वह आंसू कम नहीं हुए हैं और दावानल शांत नहीं हुआ है। हम उन्हें आज भी बार बार याद करके कहते हैं "बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम्हीं सो गये दास्तां कहते कहते"। पूरा मुल्क बड़ी आशाएं लगाकर राजीव की तरफ देख रहा था। हम कांग्रेस के लोग केवल यह चाहते हैं कि दलों की दीवारों से ऊपर उठकर जिन ताकतों और शक्तियों ने षडयंत्र करके राजीव जी को हमसे छीना है उनका सच्चाई के साथ पता लगाया जाए। कौन लोग उस साजिश में शमिल थे उनका पता लगाया जाए, चाहे वे लोग हमारे बीच के हों, चाहे कोई दूसरे हों। हम आज की सरकार से केवल यही निवेदन कर रहे हैं। हमें आज की सरकार से इस बारे में शिकायत नहीं है। हम कोई शिकायत करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल एक गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न हमारे लिए जजबातों और भावनाओं का प्रश्न है। बहुत सी बातें जैन कमीशन में जिनकी चर्चा हुई है, उसके बारे में कही जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। रात हो रही है। इसलिए मैं एक आध बात पर ही बोलना चाहूंगा। हमारे मित्र दलों की तरफ से एक बात हम लोगों पर बार बार आरोप लगा कर कही गई। वह बात इन्द्रजीत गुप्त जी, आचार्य जी और दूसरे साथियों ने कही। उन्होंने कहा कि हमने श्री गुजराल जी के नेतृत्व वाली सरकार को अनवाश्यक गिराया। मैं इस आरोप का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूरी ताकत के साथ खंडन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने उस सरकार से खुद समर्थन वापस नहीं लिया। हमने उस सरकार को नहीं गिराया। हमारी एक छोटी सी मांग थी। मैंने पहले भी कहा कि यह जजबातों और भावनाओं की बात है। जब जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट हमारे सामने आई और उसमें साफ लिखा गया, वह हमने नहीं लिखा, एक जज ने लिखा था। जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट के वोल्यूम सात के पेज नम्बर 944 में जस्टिस जैन ने लिखा :

[अनुवाद]

> "सामग्री के मूल्यांकन में यह प्रबल निष्कर्ष निकलता है कि श्री करूणानिधि और उनकी सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा लिट्टे को गुप्त समर्थन प्राप्त था।"

[हिन्दी]

इसके बाद हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प या रास्ता नहीं था। वह हमारे जजबातों की बात थी। एक जज कमीशन की रिपोर्ट में यह कहता है कि इस हत्या के पीछे कारण एल.टी.टी.ई., और डी.एम.के. के बीच संबंध था। उसके अनुसार यह इर्रेसिसटेबल कनक्लूजन था। ऐसे एक जज के निष्कर्ष थे। हमने यह नहीं कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वयं उनको सहायता दी थी।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू वह इससे सहमत नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्री बालू जी, हमने आपके नेता का भाषण शांतिपूर्वक सुना था। अभी पहले श्री मारन बोले और हमने उन्हें शांतिपूर्वक सुना...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : अंतरिम रिपोर्ट के खण्ड VII, अध्याय III के पृष्ठ 786 में यह बताया गया है कि श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के भेजने के पश्चात् स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वयं धन, अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद, हल्की और भारी इन्फेन्ट हथियार और गोला बारूद लिट्टे केडर के लिए खाद्यापूर्ति; उन्नत विस्फोटक उपकरण और मिट्टी का तेल, सहित सैन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार का इलैक्ट्रिकल बैटरियों के आदेश दिये थे। यह भी बताया गया है कि दो ट्रकों में भेजे गए थे...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

मैं सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि यह मेरे और मेरे सभी साथियों की भावनाओं का प्रश्न है। इसलिए हम यह बात विभिन्न दलों के लोगों के दिलों की दीवारों से ऊपर उठ कर करना चाहते हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं हैं हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम केवल सत्य की खोज में निकले है। हम चाहते है कि सच ढूंढ लिया जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि इसमें

[श्री अजीत जोगी]

सच्चाई का पता लगाया जाए? राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, देश के प्रधान मंत्री की हत्या हो गई, कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या हो गई। इसके पीछे साजिश थी। कांग्रेस के नेता केवल यह मांग कर रहे हैं कि सच्चाई का पता लगाया जाए। उसमें अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो मुझे बहुत खेद हैं हम केवल सच्चाई का पता लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं। हमने उस समय भी नहीं कहा था कि हम आपसे समर्थन वापस लेते हैं। हमने आपसे एक छोटा सा निवेदन किया था कि आपके खिलाफ यह बात कही गई है। कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट में कमीशन अगर कोई बात कहता है तो वह सत्य और प्रमाणित नहीं मानी जाती। हम भी कानून को समझते हैं। इसके बाद उसकी जांच होती है। जांच के बाद न्यायालय में मुकदमा चलता है। उसके बाद वह बात सिद्ध होती है। इसलिए हमने एक छोटा सा निवेदन किया। हमने गुजराल जी की सरकार से कहा कि तीन बड़े न्यायविदों की एक कमेटी बना दीजिए। वे तीन न्यायविद खुद चुन लीजिए। वे डी.एम.के. के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करें। वे जांच 15 दिन, 30 दिन और तीन महीने में कर लें, लेकिन केवल एक महीने के लिए आप अपने तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर रखें, उसके बाद अगर आरोप प्रमाणित नहीं होते तो तीनों को इज्जत के साथ वापस ले आएं। हमने कौन सी नाजायज मांग की थी? हमने यह नहीं कहा था कि हम समर्थन वापस ले लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : हमारी पीठ पर यह कालिख है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या यह एक महीने के लिए है?

अध्यक्ष महोदय : प्रो. पी.जे. कुरियन आपके सदस्य आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, हम किसी पर कालिख नहीं लगाना चाहते। हम 113 साल पुरानी गौरवशाली पार्टी के सदस्य है। हम किसी पर बिना कारण कालिख नहीं लगाना चाहते हैं, हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे थे और आज भी नहीं कर रहे हैं। अगर यहां कोई सांसद दोस्त यह सोचकर खुश हो रहा हो कि मैं खड़ा होकर किसी पर दोषारोपण कर रहा हूं तो खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सच की खोज करने और उसकी मांग करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जोगी हूं और यही भीख मांगता हूं कि सच की खोज की जाये कि हमारा नेता कैसे मारा गया, इसका पता लगाकर हमें बताया जाये। मैंने पहले ही यह बात साफ कर दी थी कि हमने आपकी सरकार अनावश्यक रूप से नहीं गिराई थी, बिना कारण नहीं गिराई थी। आप हमारी छोटी सी बात को मानने के लिये तैयार नहीं थे। आप अपनी जिद्द पर अड़े हुये थे। मैं खुद आपके बड़े नेताओं से बात करने गया था। मैं उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता। मैंने सबसे निवेदन किया कि केवल एक महीने की बात है, आप जांच कराइये। यदि आरोप सिद्ध नहीं होगा तो आप लोगों को केबिनेट में वापस ले लेंगे परन्तु आप लोग नहीं माने, इसलिये वह सरकार गिर गई। हमारी आज भी वही स्थिति है। हम आज भी कह रहे हैं कि यदि कमीशन ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिये तो किसी को जांच कराने से कभी डरना नहीं चाहिये। यदि मुझ पर आरोप लगा है, मैं जांच कराने के लिये तैयार हूं, उस मामले की जांच कर ली जाये। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जांच कराने से क्यों डरूं? मैं निवेदन करता हूं कि जिसके खिलाफ इस रिपोर्ट में जांच की मांग की गई है, उसे जांच करानी चाहिये और उस जांच से डरना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जैसा अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है, उसे मैंने पढ़कर सुनाया कि मुझे इस मामले में जांच की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। चूंकि समय की कमी है इसलिये मैं एक-दो घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा। वैसे मैं 15-20 घटनायें लिखकर लाया था लेकिन एक दो घटनाओं की ताइद करना चाहता हूं। हम क्यों कह रहे है कि कि जांच होनी चाहिये, हमारे पास क्या सबूत हैं और हम क्यों चाह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिये? यहां सब लोगों ने कहा कि राजीव गांधी नृशंस हत्याकांड हुआ। उसके पहले 19.6.90 को पद्मानाभन और उसके 16 साथियों की हत्या की गई, इसे सब जानते हैं। उस समय तमिलनाडु में किसकी सरकार थी, यह भी सब जानते हैं। उस समय केन्द्र में किसकी सरकार थी, यह भी सब जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जांच क्यों चाहते हैं, हम क्यों सच्चाई जानना चाहते हैं? मैं इसके कारण बता रहा हूं। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया जिसमें ई.पी.आर.एल.एफ. के नेता पद्मानाभन और उसके 16 साथियों को मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, टाडा कोर्ट का एक बयान पढ़कर संक्षेप में बताना चाहता हूं। वैसे तो यह बयान अंग्रेजी में है लेकिन इसको हिन्दी में अनुवाद करके बता रहा हूं। श्री नागराजन, आई.एस.आई. अधिकारी है जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के प्राइवेट सैक्रेटरी हुआ करते थे।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : उस समय वह गृह सचिव थे।

श्री अजीत जोगी : मैं जानता हूं। कृपया मेरा मार्गनिर्देश मत कीजिए।

[हिन्दी]

किसी जमाने में उनके प्राइवेट सैक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय गृह सचिव थे। उनका टाडा कोर्ट के सामने बयान हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जब पदमनाभन की नृशंस हत्या हुई, उस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। मैं श्री नागराजन के बयान को हिन्दी में पढ़कर बता रहा हूं :

> "मुझे निर्देश था कि एल.टी.टी.ई. के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें। मैंने मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि से पूछा। वे दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि मेरे आने तक कोई कार्यवाही मत करना"

इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और निर्देश दिया जा रहा है कि मेरे आने तक कोई कार्यवाही मत करना। अंतरिम रिपोर्ट के वाल्युम-II में पेज 718-732 के बीच में इसका विस्तार से वर्णन है। मैं उसको यहां पढ़ना नहीं चाहता।

इसी हत्याकांड के बारे में श्री चिदम्बरम जो वर्तमान लोक सभा के सदस्य हैं, उनका भाषण 25.2.91 को हुआ था और उनका बयान भी आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इससे आगे बढ़कर बात कही थी। उन्होंने कहा था -

[अनुवाद]

"श्री पदमानाभन के आगमन और उसकी गतिविधि के बारे में लिट्टे को सूचना डी.एम.के. सरकार ने दी थी।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अजीत जोगी : मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अभी शुरू नहीं किया है बल्कि 15 मिनट से ज्यादा समय ले लिया हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : यह सदन को गुमराह करने के लिए अधिक समय लिया है...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं पुनः उद्धृत करता हूं :

"श्री पदमानाभन के आगमन और उसकी गतिविधि के बारे में लिट्टे को सूचना उन्होंने उन्हें तंजावूर जाने के लिए 550 कि.मी. की दूरी तय करने और समुद्र मार्ग से भाग निकलने की अनुमति दी थी"

[हिन्दी]

यह उस समय की राज्य सरकार के बारे में श्री चिदम्बरम ने कहा है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : श्री जोगी, आप श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा घेरे में श्री सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को षडयंत्र करने से रोक नहीं सके थे। वे श्रीमती इंदिरा गांधी की निकटस्थ सुरक्षा घेरे में थे...*(व्यवधान)* तत्कालीन सरकार उनको श्रीमती गांधी की हत्या करने से रोक नहीं सकी थी और इस प्रकार उन्हें बचा नहीं पायी थी। अब वे हमारे में गलतियां ढूंढ रहे है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये तथ्य थे और इनकी जांच होनी चाहिए। जब जज के सामने बयान में गृह सचिव कह रहा है कि मुझे निर्देश दिया गया कि इनको मत पकड़ो, जब यहां का एक वरिष्ठ मंत्री और आज का सांसद बयान दे रहा है कि उनको जान बूझकर 350 किलोमीटर जाने दिया गया, भागने दिया गया। जब ऐसे बयान आ रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गंभीर बात है। इनकी जांच होनी चाहिए। वन आइड जैक शिवरासन या शिवरासन काना, जिसने पद्मनाभन और 16 लोगों की हत्या की, वही अभियुक्त है जिसने राजीव गांधी की भी हत्या की। वहीं राजीव गांधी की हत्या का केन्द्र बिंदु था। दोनों प्रकरणों -पदमनाभन मर्डर केस और राजीव गांधी मर्डर केस में छः अभियुक्त कॉमन हैं। वही लोग, वही टीम, वही शस्त्र, वही बारूद, वही तरीका - सब कुछ वही। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पद्मनाभन हत्याकांड के इन अभियुक्तों को तत्काल पकड़ लिया गया होता, अगर उनको उसी समय पकड़ लिया गया होता, तो राजीव गांधी की हत्या नहीं होती। इसलिए हमारे दिल में दर्द है। हमें और किसी बात का दर्द नहीं हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी वही राज्य सरकार वहां चल रही थी। अभी किसी ने पढ़कर सुनाया। मैं इसलिए पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं कि यह शिवरासन जिसने राजीव गांधी की हत्या की, जो राजीव गांधी की हत्या के षडयंत्र का केन्द्र बिंदु था, जिसने टीम बनाई थी, जो तमिलनाडु में आकर मकान किराये पर ले रहा था, जो तमिलनाडु में आकर ट्रेनिंग दे रहा था, जो तमिलनाडु में आकर ड्रेस रिहर्स कर रहा था - जब राजीव गांधी हत्याकांड से 15 दिन, पहले 8 मई, 1991 को वी.पी. सिंह साहब ने मीटिंग ली तो बाकायदा मर्डर का ड्रेस रिहर्सल किया कि मैं कैसे धनु को हार पहुंचाऊंगा, कैसे धनु से वी.पी. सिंह साहब को हार पहनवाएंगे और जो वी.पी. सिंह साहब की मीटिंग हुई, उसकी प्रथम पंक्ति में शिवरासन काना बैठा हुआ था। कौन विश्वास करेगा कि उस सरकार को मालूम नहीं था कि ये लोग जो पदमनाभन हत्यांकाड के दोषी है।, वहां पर उपस्थित हैं। कोन विश्वास करेगा? मैं विश्वास नहीं करूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : उस समय यह मामला गृह मंत्रालय के प्रभार में था। वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा था। इससे पहले जब कभी भी श्री राजीव गांधी तमिलनाडु आए, उन्हें सुरक्षित दिल्ली वापस भेजा गया...*(व्यवधान)* डा. कालिगनार करूणानिधि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे ने, उन्हें सुरक्षित वापस दिल्ली भेजा गया। यह घटना तब घटित हुई जब वहां राष्ट्रपति शासन था। इस सरकार को आपका समर्थन प्राप्त था। न कि हमारा...*(व्यवधान)* उस समय केन्द्र में आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आप श्री राजीव गांधी को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं इसके बारे में जानता हूं। मैं उसका जवाब दूंगा। कृपया धैर्य रखिए। मैं आपके सम्मुख तथ्य रख रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो केवल कह रहा हूं कि तथ्य ये हैं। हम तथ्यों को सत्यापित करना चाहते है। हम चाहते है कि तथ्यों की जांच की जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पर दोष मढ़ा जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन तथ्य ये

[श्री अजीत जोगी]

हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि तथ्यों को सत्यापित किया जाए। हम चाहते हैं कि न्याय किया जाए। हमारी मांग यह है कि दोषी को सजा मिले। हमारी यही मांग है। मैं तो सरकार से यही करने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 'क' अथवा 'ख' दोषी है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहा हूं कि वह सच्चाई का केवल सच्चाई का पता लगाए।

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि केवल सच्चाई का पता लगाया जाए। हमें आप सच्चाई का पता लगाने में सहयोग करिये। कौन विश्वास करेगा कि राजीव गांधी को मारने से 15 दिन पहले ड्रैस रिहर्सल हो रही थी। वही धनु वी.पी. सिंह साहब को हार पहना रही है। वही शिवरासम पहली पंक्ति में बैठा हुआ उनकी मीटिंग सुन रहा है। मैं यह सब बातें रिपोर्ट से नहीं पढ़ रहा हूं। यूं ही बता रहा हूं। क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, नहीं तो मैं रिपोर्ट से पढ़कर सुनाता। यह दिल दहलाने वाली बातें हैं। वायरलैस मैसेजिज आ रहे थे, इंटरसेप्ट किये जा रहे थे, कहा जा रहा था कि राजीव गांधी को बुलेट का गारलैंड पहना देंगे, राजीव गांधी की हत्या के बारे में उनकी इंटेलीजेंस ब्यूरो का चीफ पोट्टूअनन मैसेज भेज रहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : यह 1988 की बात है। लिट्टे लोगों को मालूम था लेकिन रक्षा विभाग के लोगों को मालूम नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं सब कुछ कहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : रक्षा विभाग के लोगों को इसका पता नहीं चल सका। जब लिट्टे के लोगों को प्रधान मंत्री के दौरे के कार्यक्रम का पहले ही पता चल सकता है तो रक्षा विभाग के लोगों को इसका पता क्यों नहीं चल सका?...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मुझे प्रत्येक दिन व प्रत्येक तारीख याद है। मैं पृष्ठ दर पृष्ठ उद्धृत कर सकता हूं। मैंने इसे पढ़ा है क्योंकि यह हमारे नेता से संबंधित हैं आपको शायद महीना याद होगा। लेकिन मुझे तारीख याद है, महीना याद है, और वर्ष भी याद है। मुझे सब कुछ याद है। मैंने सारे खण्डों को पढ़ा है। इसीलिए मै दिल की गहराई से बोल रहा हूं मेरा दिल रो रहा है। मैं भारी मन से बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें सच्चाई का पता लगाने दीजिए। इस तरह की घटना हो रही थी। आपने कहा कि यह 1988 का मामला है, लेकिन इसके बाद 1991 का भी संदेश पकड़ा गया। उसमें वह क्या पूछता है। अगर आप कहें तो मैं उस वायरलैस मैसेज को पढ़कर सुना दूं, जो 21.3.1991 का दो लाइन का मैसेज है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी कृपया समाप्त कीजिए। आपके दल के अन्य सदस्य भी हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप उन्हें समय दीजिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे आपके दल से अंतिम वक्ता है? आप अपने दल के सदस्यों के नामों की सूची भी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : सर, मैं समय बचाने के लिए उस वायरलैस मैसेज को केवल पढ़ देता हूं। मैं सारी किताबें लाया हूं, लेकिन उनमें से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, चूंकि आप हुक्म कर रहे हैं। इसी तारीख 21/22.3.1991 का यह मैसेज है। यह केवल तीन दिल पहले का वायरलैस मैसेज है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

> "यह घटना मद्रास में की जाए अथवा राजधानी में। यदि राजधानी में की जाए तो इसके लिए कठोर प्रयासों और पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। यदि इसका प्रयास उसी तारीख को किया जाए तो जवाब दीजिए।"

[हिन्दी]

एल.टी.टी.ई. की इंटेलीजेन्स ब्यूरो का चीफ शिवरासन पूछ रहा है। दोनों के बीच वायरलैस मैसेजिज चल रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या चेन्नई में करूं या दिल्ली में करूं। अगर दिल्ली में करने का आदेश है, तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर भी जो आपका आदेश है, वह सूचित करिये। इस तरह से मैसेजिज का आदान-प्रदान हो रहा है और हमें यहां सिखाया जा रहा है। हम लोग प्रशासन में रहें हैं, हमें यह बताया जा रहा है कि 21 और 22. 3.1991 का जो मैसेज है वह राजीव गांधी की हत्या के बाद जून तक डीकोड नहीं हुआ, पता नहीं चल पाया, हम उल्था नहीं कर पाये। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब मैसेज इंटरसेप्ट होता है, उसको तत्काल डीकोड किया जाता है, इसे हम जानते हैं, हम प्रशासन में रहे हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मैसेज है जो यह पूछ रहा है कि राजीव गांधी की हत्या मद्रास में की जाए या दिल्ली में की जाए, आदेश दीजिए। अगर दिल्ली में करनी है तो हमें और अधिक तैयारी करनी पड़ेगी लेकिन यह कह रहे हैं कि मैसेज को डीकोड नहीं किया गया। हम कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए कि उसके लिए कौन जवाबदार था। आप कहते हैं कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जिस जांच की हम मांग कर रहे हैं, वह जांच होने दीजिए और बहुत सी बातें बहुत

जगह कही गई है जिनमें से मैं एक दो बातें पढ़ना चाहता हूं। अंतरिम रिपोर्ट के खण्ड VII के पृष्ठ 190 में कहा गया है : "डी.एम.के. ने लिट्टे को सुरक्षित अभयारण्य उपलब्ध कराया।" अर्थात डी.एम.के. ने एल.टी.टी.ई. को सुरक्षित अभयारण्य उपलब्ध करवाया। पृष्ठ 728 में कहा है: "लिट्टे के आतंकवादियों की डी.एम.के. के साथ मिलीभगत थी।" पेज 785 पर श्री जे.एन. दीक्षित जो श्रीलंका में हमारे हाई कमिश्नर थे, उनका बयान है। उन्होंने कहा है – "श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने के बावजूद डी.एम.के. लिट्टे को सहायता कर रही थी।" यह बात पहले की नहीं है, जो कही जा रही है कि हम आपकी सहमति से एल.टी.टी.ई. को समर्थन दे रहे थे। मैं इस बात का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : आप कृपया पृष्ठ 786 भी पढ़िए जिसमें बताया गया है कि श्री राजीव गांधी ने लिट्टे की सहायता की थी ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं उस पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : आपको पृष्ठ 786 भी पढ़ना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी.आर. बालू यह क्या है? कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि इस बात में फर्क करना पड़ेगा। हम इस बात से सहमत हैं कि राजीव गांधी की श्री करूणानिधि जी के साथ 1989 में बात हुई थी। मैं इस बात को जानता हूं इसलिए यह बात कह रहा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : आपको घटनाएं भूलनी नहीं चाहिए। भारतीय शांति सेना भेजने के पश्चात् आपने क्या किया था? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी.आर. बालू, बहुत हो गया। आप इस प्रकार कैसे बोल सकते है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी.आर. बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अजीत जोगी : मैं भी वही कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे कुरियन : आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। आप अंत में उत्तर दे सकते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर बालू : मैं आपके साथ हूं मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं बात केवल यह है कि आप को वही कहना चाहिए जो घटित हुआ।

श्री अजीत जोगी : आप सुन नहीं रहे हैं। मैं भी वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं।

[हिन्दी]

महोदय, मै यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। मुझे मालूम है कि राजीव गांधी जी ने मुरासोली मारन जी को बुलाकर अनुरोध किया था और कहा था कि हम समस्या के बीच में घिर गए हैं, आई.पी.के.एफ. भेजने के पहले कहा था कि आपके उनके साथ संबंध हैं इसलिए आप मध्यस्थता करो और आपके संबंधों का लाभ हमें दो। हम इस समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक हल निकालना चाहते हैं। आप उनसे बात करके इस समस्या का यदि शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकलता है, तो निकालने में हमारी मदद कीजिए। आई.पी.के.एफ. भेजने के बाद भी उन्होंने यही कहा था। मुझे मालूम है क्योंकि उन दिनों मैं उन लोगों में से था, जो उनसे बहुत नजदीक थे। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए कहा था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि आई.पी.के.एफ. की मदद करो, तमिलनाडु में अपने अड्डे बनाओ, तमिलनाडु में बारूद बिछा दो या वहां जाकर पदमनाभन की हत्या कर दो। राजीव गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। राजीव गांधी ने समस्या के शांतिपूर्वक समाधान का अनुरोध किया था। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आपने बहुत दिनों तक सहयोग भी किया था।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : अस्त्र शस्त्र और गोलाबारूद आपके द्वारा भेजे गए थे...*(व्यवधान)* लेकिन उन्होंने सोचा था उन्हें केवल श्री लंकाईयों को मारना है...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : मैं आंशिक रूप से उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि राजीव गांधी जी ने यह निवेदन किया था। लोग तो यहां इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं। मैं फाइनल रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी आपने पहले ही लगभग 30 मिनट का समय ले लिया है।

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं 10 मिनट और लूंगा। मेरे दल के पास काफी समय है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, 10 मिनट नहीं कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री अजीत जोगी : महोदय, यह कुछ ऐसी बात है जो मुख्यतः मेरे दल से संबंधित है। कृपया मुझे सहयोग दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं अंतिम रिपोर्ट के खंड VI में पृष्ठ 192 से केवल एक ही वाक्य पढ़ूंगा। इसमें यह लिखा गया है :

> "आपस में हुई बातचीत 29.5.1998 को हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि वे 18.6.1998 को श्री राजीव गांधी का स्वागत करने के लिए वे बम्ब वाली माला तैयार कर रहे थे।"

अब मैं पृष्ठ 6 पढ़ता हूं। यह पत्र वरिष्ठ अपर निदेशक (आसूचना ब्यूरो) ने गृह सचिव को लिखा था। मैं केवल तीन चार वाक्य पढ़ूंगा। इनमें वे कहते हैं :

> "इसी बीच लिट्टे तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के सहानुभूतिपूर्ण रवैये का पूरा लाभ उठा रही थी और ऐसा लगता है लिट्टे की गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा की गई पहल के अनुरूप हो रही है।"...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : लिट्टे को उस घटना से 20 दिन पहले सूचना मिल गई थी।...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, वे इससे सहमत नहीं हैं। आपके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो भी श्री बालू कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : मैं यह भी चाहता हूं कि इसकी जांच करनी चाहिए। आप कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू जी कृपया यह समझ लीजिए कि वे रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं और अपने आप कुछ नहीं कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : वह जैन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप समझने की कोशिश कीजिए।...*(व्यवधान)* यह जैन कमीशन की रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)* आपकी सफाई से यहां काम चलने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* आपकी सफाई से कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)* यह क्या तरीका है?...*(व्यवधान)* आप उनको सुनने की कोशिश कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कुछ भी मैंने कहा वह इस माननीय सभा में प्रस्तुत की गई तथा सभापटल पर रखी गई रिपोर्टों के आधार पर है। अब मैं अपर निदेशक आसूचना ब्यूरो के पत्र को पढ़ूंगा।

> "तंजावूर के तटीय क्षेत्रों के स्थानीय द्रमुक नेता भी पश्चक्षेत्र में इस प्रकार अवैध रूप से आवाजाही के लिए लिट्टे से सहयोग करते रहे हैं। लिट्टे की तरफ से अपने संरक्षक श्री वी. गोपालस्वामी, संसद सदस्य तथा मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से तमिलनाडु में पी.एल.एफ. टी. राजनैतिक विंग के लिए एक नियमित कार्यालय खोले जाने का भी प्रयास हुआ है। जबकि राज्य पुलिस लिट्टे की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के दवाब में है, वहीं राज्य में सीमा शुल्क अधिकारी गत दिसंबर में सीमा शुल्क की गश्त हटा लिए जाने के बाद से तथा तदन्तर द्रमुक लिट्टे के साथ तनाव के बाद से हतोत्साहित हो गए थे।"

[हिन्दी]

मैं एक दो तथ्य और बता दूं। उस समय मद्रास में नेवी के सबसे बड़े अधिकारी एडमिरल रामदास जी कमांडिंग आफिसर थे। उन्होंने अपना यह बयान दिया कि :

[अनुवाद]

> "राज्य पुलिस ने तटरक्षक दल द्वारा गिरफ्तार किए गए लिट्टे के लोगों को छोड़ दिया था।"

[हिन्दी]

जब कभी नौसेना के लोग एल.टी.टी.ई. के लोगों को गिरफ्तार करते थे, वे उनको स्थानीय पुलिस को सौंप देते थे लेकिन स्थानीय पुलिस उनको छोड़ देती थी। श्री चन्द्रशेखर जी अभी यहां बैठे हुए थे, उन्होंने डी.एम.के. की सरकार को बर्खास्त किया था। आप उनसे पूछिये कि बर्खास्त करने के पीछे क्या कारण थे? जब एल.टी.टी.ई. की गतिविधियां इतनी बढ़ गई और उनको लगा कि वह एल.टी.टी.ई. की गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन से रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली से कमांडो फोर्स भेजी

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाये, जो एल.टी.टी.ई. के तमिलनाडु में बने हुए अड्डों को ध्वस्त करें। यह फैसला करके उन्होंने सोचा कि मुझे राज्य शासन को इसकी खबर देनी चाहिए और उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को इसकी खबर दी। तब क्या हुआ? श्री नागराजन, जो उनके गृह सचिव थे, उन्होंने टाडा कोर्ट के बयान में कहा कि जैसे ही चन्द्रशेखर जी ने यह खबर वहां के मुख्यमंत्री को दी, वहां के मुख्यमंत्री ने यह खबर एल.टी.टी.ई. को बता दी। जब यहां से कमांडो वहां पहुंचे तो उनको वहां कोई नहीं मिला। इसी बात को लेकर वह राज्य सरकार बर्खास्त की गयी थी।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप समय नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी अजीत जोगी, अब आप अपनी बात पूरी करें। आप पहले ही आधे घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वही शिवरासन, वही टीम, वहीं शिवरासन वन आईड जैक, वही शिवरासन जिसने पदमनाभा का मर्डर किया था, वही उसकी टीम थी, उसके वही बारूद थे, उसको इतने समय तक किसने इजाजत दी कि वह वहां मकान लेता रहा कि मेरे लोग छिपकर कहां रहेंगे, इतनी बड़ी टीम को तैयार करता रहा, रोज उनको ट्रेनिंग देता रहा, रोज वायरलैस संदेश से बात हो रही थी, रोज उसे श्रीलंका से अस्त्र आ रहे थे, रोज वह तैयारी कर रहा था, यहां तक कि अंत में उसने वी.पी. सिंह साहब की मीटिंग में ड्रैस रिहर्सल करवा ली। यह सब क्यों संभव हुआ, हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, हम आप पर दोष नहीं लगाते, अपने पर दोष नहीं लगाते, हम कहते है कि जो भी दोषी है, उसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये सब गफलतें, ये सब लापरवाही क्या जान-बूझकर की गई, क्या जान-बूझकर राजीव गांधी की हत्या को होने दिया गया? यदि जान-बूझकर नहीं किया गया, मैं यह पूछता हूं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद 46 में से इतने लोगों को मौत की सजा हो गई लेकिन उसमें अधिकारियों ने भी गलती की, गुप्तचर एजेंसियों ने भी गलती की। यदि थोड़ा सा भी सतर्क होते, थोड़ी सी भी कार्यवाही करते, पदमानाभा के मर्डरर्स को, यदि शिवरासन और उसके साथियों को तत्काल पकड़ लिया जाता, यदि गुप्तचर एजेंसियां हमें पहले से खबर कर देती, जब ट्रॉयल रन हो रहा था, यदि उस दिन की खबर पहले से दे दी जाती, कोई न कोई गुप्तचर एजेंसी, कोई न कोई राजनैतिक व्यक्ति इसमें जवाबदार तो जरूर होगा, आज तक उनमें से किसी को क्यों सजा नहीं दी गई? एक अधिकारी बताएं जिसे आपने इस लापरवाही के कारण जेल भेजा है? एक इंटेलीजेंस एजेंसी का अधिकारी बताएं जिसने गफलत की, लापरवाही की। यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, कैसे संदेश आ रहे थे, खबर नहीं कर रहा था, ट्रॉयल रन हो रहा था, खबर नहीं कर रहा था, वहां पर शस्त्रागार बन रहे थे, खबर नहीं कर रहा था, बारूद बनाया जा रहा था, खबर नहीं कर रहा था, अस्त्र आ रहा थ, खबर नहीं कर रहा था। ऐसा प्रशासन तंत्र जो वहां चल रहा था, उसमें से एक भी दोषी नहीं है, आज तक किसी को दोष नहीं दिया गया। कांग्रेसी इसे कैसे सहेंगे। हमारे नेता की हत्या हुई है, हम चाहते हैं कि वे लोग दंडित किए जाएं, हम चाहते हैं कि सत्य का पता लगाया जाए।

एक अंतिम बात निवेदन करना चाहता हूं। जो बात पहले कही गई है, उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि अंतरिम रिपोर्ट में जो बात कही गई थी, अंतिम रिपोर्ट में उसकी उल्टी बात कह दी गई है। यह तथ्य की पराकाष्ठा है। अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट, शब्दों का चयन ठीक से नहीं हुआ है। यह असल में दो अलग अलग मुद्दों पर, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट एक अलग मुद्दे पर थी, यदि आप उसके टर्म्स ऑफ रैफरैंसेस देखेंगे तो वह सिक्युरिटी लैप्सेस पर थी और अंतरिम रिपोर्ट राजीव गांधी की हत्या से पहले की क्रमिक घटनाओं के बारे है।

वह घटनाक्रम जिसके चलते राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बारे में अंतरिम रिपोर्ट है और अंतिम रिपोर्ट राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और एजेंसियां, उसका षडयंत्र तथा इसके आयाम। इसके बारे में है। तीनों रिपोर्टों का अलग अलग मुद्दा है, तीनों रिपोर्टों के टर्म्स ऑफ रैफरैंस अलग अलग हैं, तीनों रिपोर्टें एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तीनों रिपोर्टों में अलग अलग मुद्दों पर निष्कर्ष निकाले गए है। यदि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ कहा गया है तो कांग्रेस यह मांग करती है कि जो सिफारिश वर्मा कमीशन ने की है, समय कम है नहीं तो मैं तीन चार मुख्य सिफारिशें लिखकर लाया हूं, उन सब सिफारिशों पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए। यदि इंटरिम रिपोर्ट पर कोई सिफारिश की गई है तो यह कहकर कोई नहीं बच सकता कि अंतिम रिपोर्ट में उसके विपरीत बात कह दी गई है। इंटरिम रिपोर्ट ऐक्चुअली पार्ट-I ऑफ जैन कमीशन रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट पार्ट-II ऑफ जैन कीशन रिपोर्ट है। वास्तव में यह जैन रिपोर्ट का हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये रिपोर्टें अलग अलग हैं, सिफारिशें अलग अलग हैं, अंतरिम रिपोर्ट में जो सिफारिश हुई है, अंतिम रिपोर्ट में जो सिफारिश हुई है, हमारी यह मांग है कि सब पर कार्यवाही होनी चाहिए। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई है। हमारी निगाह में देश का सबसे बड़ा नेता, देश के गरीबों की निगाह में जो देश का सबसे बड़ा रहनुमा था, देश से छीन लिया गया है। उसे श्रद्धांजलि देते हुए महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से आज की सरकार से, मैंने पहले कहा, आडवाणी जी, आपसे हमें शिकायत नहीं है, आपसे हम केवल एक गुजारिश कर रहे हैं, हमने आपसे निवेदन किया है कि सच्चाई का पता लगाया जाए। जितनी बातें मैंने कही हैं, ये बातें रिपोर्ट में उल्लिखित हैं। सच्चाई का पता लगाइए जो भी दोषी है, उसे सजा दिलाइए। एम.डी.एम.ए. के चक्कर में न पड़ें, एक ऐसी स्टैचूटरी एजेंसी बना दीजिए, उसे यदि जरूरत हो तो

[श्री अजीत जोगी]

यहां से हम एक स्पेशल एनैक्टमेंट करके, स्पैशल कानून बनाकर उसे वैसे अधिकार दे दें जैसे पुलिस को होते हैं।

उसको वैसे अधिकार दे दें, जैसे पुलिस को अधिकार होते हैं। वह सीधे तफतीश करें, सीधे इन्वैसटीगेशन करे और जो दोषी है, उसको सजा हो। अगर हम फिर से किसी एजेंसी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सात साल इसमें लग गये, न जाने कितने साल उसमें लग जाएंगे और कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा, इसलिए जल्दी करें। अगर कोई दोषी नहीं है, किसी के चेहरे पर कालिख नहीं है तो साफ हो जायेगा कि वह दोषी नहीं है, इसलिए उसकी जल्दी जांच करा दीजिए। एक स्टेचूटरी एजेंसी बना दीजिए।

मैं अंत में राजीव गांधी जी को याद करके आपसे यही कहूंगा कि:

> "ऐसे मरने वाले मरते तो हैं, पर फना होते नहीं, वे मरकर भी हमसे जुदा होते नहीं।"

राजीव गांधी आज भी हमसे जुदा नहीं हैं, उनकी भावना हमारे साथ है। महात्मा गांधी की हत्या इसलिए की गई थी कि एक विचारधारा का गला घोंटा जाये, इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए की गई थी कि देश को कमजोर किया जाये तो राजीव गांधी की भी हत्या इसलिए की गई, क्योंकि देश के अंदर की ताकतें नहीं चाहती थीं कि देश में मजबूत नेतृत्व रहे। यह देश के साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विश्वासघात के चलते आपको जो भी तफतीश करनी है, जो भी करनी है, वह तत्काल प्रारंभ करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, जैन आयोग के प्रतिवेदन पर आज सदन में चर्चा चल रही है और साथ में वर्षों के बाद फिर एक बार देश के लोगों के मन में एक नये ढंग से भावना, क्रोध और पीड़ा जगने का काम हुआ है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी मात्र एक व्यक्ति नहीं और कांग्रेस के एक नेता ही नहीं, बल्कि देश के एक महान नेता थे...*(व्यवधान)* मंत्री जी, जरा सुनिये न। मंत्री जी, आपसे ही हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जरा सुनिये। वे गरीबों के रहनुमा थे और इस देश में...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : ऐ मंत्री जी कहकर मंत्री को सम्बोधित करना संसदीय नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह भोजपुरी है, वह कहीं से अपमानजनक नहीं है। वह हमने भोजपुरी में कहा है।

रात्रि 8.11 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

वैसी परिस्थिति में सात सालों के बाद फिर देश की जनता के मन में राजीव गांधी जी की जो घटना हुई थी, जो 21.5.1991 का काला दिन था, फिर से एक बार याद आया है। वैसे तो हम यह कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। हम इसलिए यह बात कहते हैं कि वर्ष 1988 में भारतीय जासूसी संगठन ने एक प्रतिवेदन दिया था, उसमें लिखा था कि राजीव गांधी जी की जान को खतरा देश के आतंकवादियों से और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से है। आप जानते हैं कि 1986 से लेकर 1989 तक तीन वर्ष तक कांग्रेस में कैसा अन्तर्द्वन्द चला है, किस तरह राजीव गांधी जी के चरित्र पर हमला किया गया। मात्र सदन में नहीं, देश के गांव-गांव में घूमकर किया गया। उस हमले के बाद राजीव गांधी की सरकार चली गई और इस देश में एक नई सरकार आई। नई सरकार आने के बाद भी आई.बी. की रिपोर्ट 1990 में आई, उसमें भी आई.बी. द्वारा यह दिया गया कि राजीव गांधी की जान को खतरा है।

इतना ही नहीं, पी.एल.ओ. के नेता यासेर अराफात ने भी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संगठन से पता करके यह सूचना दी थी कि राजीव गांधी जी की जान को खतरा है। उस समय कैबिनेट सचिव शेषन साहब थे, उन्होंने भी लिखित रूप में राजीव गांधी जी को एस.पी.जी. की सुरक्षा बरकरार रखने का सुझाव दिया था। कुछ दिनों के बाद नई सरकार आई, हम यह मानकर चलते हैं कि जो उस समय के प्रधान मंत्री थे, अगर भीतर का अंतर्द्वन्द्व भुलाकर मानवीयता के दृष्टिकोण से पूर्व नेता पर होने वाले खतरे को दिल से देखते, तो इसी लोक सभा से बिल पास कराकर भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को एस.पी.जी. की सुरक्षा बरकरार कराते, तो उनसे यह सुरक्षा छीनी नहीं जाती। इतनी बड़ी घटना घटती है, आपकी खुफिया एजेंसी रिपोर्ट देती है, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको केबिनेट सेक्रेटरी लिखकर भेजते हैं। उसके बाद एक बिंदु पर जरूर खुफिया एजेंसी फेल हुई। जिस दिन घटना घटी, उसकी जानकारी सरकारी खुफिया एजेंसी ने नहीं दी, लेकिन खुफिया एजेंसी ने आपको सतर्क किया था, कानून की नजर में सूचना दी थी कि राजीव गांधी की जान को खतरा है। उसके बावजूद उनकी सुरक्षा की व्यवस्था माकूल नहीं हुई।

वर्मा आयोग 27.5.91 की अधिसूचना के आधार पर बना था। उक्त आयोग ने तीन बिंदुओं पर जांच की। उसमें राजीव गांधी की सुरक्षा के बारे लिखा था कि क्या कमियां थी, उसका पूरा जिक्र उसने किया था। वर्मा आयोग के प्रतिवेदन को गंभीरता से देखना चाहिए। गृह विभाग द्वारा एक वीडियों कैसेट भी दिखाई गई थी। हमने अखबारों में पढ़ा था, जहां तक मुझे स्मरण है, उस कैसेट में एक नेता की कमर का हिस्सा यानी पीठ वाला पोर्शन दिखाया जा रहा था और वह लिट्टे से कह रहा था कि अगर इस बार राजीव गांधी सत्ता में आ गया तो लिट्टे को खतरा होगा। वह व्यक्ति कौन था, क्या कोई कांग्रेसी था या तमिलनाडु का कोई नेता था या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे? इसलिए उस वीडियो कैसेट के माध्यम से उस नेता का नाम जानने की सारे देश की जनता उत्सुक है और मर्माहत है। वह जानना चाहती है कि राजीव गांधी की हत्या में कौन कौन से लोग हैं, उनकी पहचाने करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है।

अजीत जोगी जी बहुत भावना में बोल रहे थे। ऐसा लगता था कि तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। राजेश पयलट जी ने भी दल से ऊपर उठकर सही स्थिति को रखने का काम किया। लेकिन पायलट जी ने एक बात नहीं बताई। वे कह रहे थे कि जब चन्द्रास्वामी को गिरफ्तार करने को प्रक्रिया वे कर रहे थे, सफल नहीं हुए, जबकि वे मंत्री थे। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि आखिर उनको कहा से बाधा पहुंच रही थी कौन लोग बाधा पहुंचा रहे थे? उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? चन्द्रास्वामी के संबंध में एक पत्रिका में हमने पढ़ा था कि जिस समय देश के पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी के लिए वे ताप-जाप और जंत्र-मंत्र कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि चिंता की जरूरत नहीं है, हम इन्हें प्रधान मंत्री बनाकर ही दम लेंगे। क्या राजीव गांधी की हत्या की घटना की शंका की सुई उधर नहीं जाती है, क्या राजीव गांधी की हत्या की शंका का सुई राजीव गांधी के उत्तराधिकारी की सरकार बनी, उसकी तरफ नहीं जाती है? हम यह मानकर चलते हैं कि राजीव गांधी की हत्या में बड़े बडे लोग जो देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनकी साजिश के तहत की गई।

आज अजीत जोगी जी ने तथ्यों के आधार पर बताया है, वे बहुत मर्माहत थे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, में निवेदन करना चाहता हूं कि डिनर का प्रबंध रात के 8 बजे से किया गया है। सांसदों और पत्रकारों के लिए कमरा नम्बर 70 और स्टाफ के लिए कमरा नम्बर 73 में खाने की व्यवस्था है। जिन्होंने खाना खाना हो वे वहां जा सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लंका में तमिल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री दोनों का संबंध जैन आयोग की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। जोगी जी ने तथ्यों के बारे में चार घटनाओं का जिक्र करके प्रमाणित किया कि तमिल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का गहरा संबंध था, तमिल के उग्रवादी प्रभाकरण का ग्रुप और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का गहरा संबंध था, वैसे भी वॉयरलैस पर जो संवाद आते थे, उनमें राजीव गांधी जी की हत्या की चर्चा होती थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश की बात होती थी लेकिन उनकी जानकारी और उनका खुलासा तब किया जा रहा है जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। हम यह जानना चाहते हैं कि इससे पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? अजीत जोगी ने जिक्र किया था कि चन्द्रशेखर जी ने तमिलनाडु की सरकार को डिसमिस किया था।...*(व्यवधान)* उस जमाने में हम चन्द्रशेखर जी के साथ रहते थे और हमें याद है कि जिस दिन सरकार डिसमिस हुई थी तो इस सदन में बड़ा हंगामा हुआ था। हम भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। चन्द्रशेखर जी से पूछा गया था कि आपने सरकार को क्यों डिसमिस किया जबकि गवर्नर का भी प्रतिवेदन नहीं आया था? याद है, चन्द्रशेखर जी ने कहा था कि जिस राज्य सरकार के विषय में स्वयं हम कनविंस्ड हैं कि वह राज्य सरकार आतंकवादियों से सांठ-गांठ रखती है, वहां गवर्नर के प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने डिसमिस किया है। हम राजेश पायलट जी और जोगी जी से पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रमाण तमिलनाडु सरकार के विरोध में हैं क्योंकि उनके लिट्टे से संबंध है और पांच साल तक आपका इस देश में राज रहा। रोज हम अखबार में पढ़ते थे कि जैन आयोग को सरकार जांच से संबंधित कागजात नहीं दे रही है। हम जानना चाहते हैं कि कागजात क्यों नहीं दिए गए? सरकार तो आपकी ही थी? पायलट जी उस सरकार में मंत्री थे। जोगी जी उस सरकार में थे लेकिन वह कौन सी मजबूरी थी कि इसके बाद इस सदन में रोना रोते हैं कि हमने दो-दो सरकार को अपने कंधे पर चलाया। दो सरकारों के बीच में ही आपने कहीं भी सच्चाई का पता लगाने का प्रयास नहीं किया और आज आप सत्य ढूंढने का प्रयास कर रहे है। सत्य तो यह होना चाहिए कि अभी तक जो प्रमाणित हो चुका है कि*... तथा तमिलनाडु सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए, मांग यह करनी चाहिए। लेकिन जोगी जी ने और राजेश पायलट जी ने यह मांग नहीं की। प्रतिवेदन में हेराफेरी के लिए आप राज्य सरकार को हटा सकते हैं, देश का अरबों रुपए का खर्चा कराकर आप चुनाव करा सकते हैं लेकिन जिस मुख्य मंत्री के विरोध में प्रमाण इकट्ठा हुआ, उसकी सरकार को डिसमिस कराने की मांग भी आप नहीं कर सकते। अगर आप सत्य ढूंढना चाहते है तो तमिलनाडु सरकार को डिसमिस कराने की मांग कीजिए। समता पार्टी की तरफ से हम भी आपके साथ सरकार पर जवाब देंगे कि*... तथा उनकी सरकार डिसमिस होगी,*... लेकिन आप मांग नहीं कीजिएगा, हम जानते है।

एक बार राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था, उसके रोने की रोटी सेंककर कुछ दिनों तक आपने दुकान चलाई और फिर राजीव गांधी का रोना रोकर दुकान चलाना चाहते हैं। राजीव गांधी जैसे व्यक्ति की हत्या हुए आज सात वर्ष हो चुके हैं। आज सात वर्ष के बाद आप सदन में राजीव गांधी की हत्या का रोना रो रहे हैं जबकि इन सात वर्षों में दो-दो सरकारों को अपने कंधे पर चलाने का आपने काम किया है। जनता को कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे? देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाइए। देश की जनता यह हकीकत जानती है। देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे तो इधर आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सदन में सत्य बोलकर सत्य के आधार पर जो दोषी हैं, उनको सजा दिलवाइए, हमारा यही अनुरोध है।

कुछ हमारे मित्र हैं, जब सी.बी.आई. की चर्चा चलती है तो उनको सी.बी.आई. का बुखार हो। किसी व्यक्ति पर आपत्ति कर सकते हैं, यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन यह कहना कि सी.बी.आई. संस्था ही गलत है, उचित नहीं हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य, अभी वे, लालू प्रसाद जी, सदन में नहीं हैं, कह रहे थे कि उनको जेल भेज दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में बहुत राजनीतिक लोग हैं और बहुत सारे मुख्य मंत्री हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गवासी हो गए हैं और अभी भी पांच-छः मुख्य मंत्री बिहार में जिन्दा हैं, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं किसी ने उनको छुआ है? कहीं किसी ने उनको पकड़कर जेल में भेजा है। जिस समय आपको सी.बी.आई. ने जेल भेजा था, उस समय गठबन्धन की सरकार थी।...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (गंगारपुर) : स्वंय गृह मंत्री, श्री आडवाणी जी, भुक्तभोगी है।...*(व्यवधान)* खुराना जी बैठे हुए हैं, इनका क्या दोष था और इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। अब यह बात साबित हो गई है कि वे निर्दोष हैं, तो क्या इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी।...*(व्यवधान)* आप स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला सकते हैं, तो दिला दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : राजीव गांधी की हत्या पर सदन में चर्चा चल रही है और आप हंस कर इधर-उधर की बातें कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, सदन में राजीव गांधी की हत्या पर चर्चा हो रही है। जब रामविलास पासवान जी बेचैन थे कि हरिजनों की समस्या पर चर्चा को सदन में लिया जाए, तो जिस तरह के कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे, उससे लोगों को लग रहा था कि जैन आयोग के मामले को दबाया जा रहा है। आज जैन आयोग पर सदन में इतनी गम्भीर चर्चा शुरू हुई है और कांग्रेस के लोग खड़े हो कर बात में मजाक कर रहे हैं। इसलिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिहं जी, आप अपनी बात समाप्त करें...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : आप किसी पार्टी के बारे में ऐसे कह सकते हैं। आप ऐसे बात मत करिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : यही है मजाक, जो आप कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : आपकी मजाक करने की आदत है। ...*(व्यवधान)* आप विषय पर सीरियस नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप खत्म करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं तो अभी कई बिन्दुओं पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसी कोन सी बातें रह गई हैं, जो आप बोलना चाहते हैं। दूसरे वक्ताओं के पास तो बोलने के लिए वोल्युम्स थे, आपके पास क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय जैन आयोग के समक्ष जो गवाहियां हुई हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। मैं कुछ गवाहियों का जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने शपथ लेकर जैन आयोग के सामने अपना बयान दिया। महंत सेवादास ने बयान देते हुए कहा है कि जहां राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग हो रही थी, साजिश हो रही थी, मैं वहां पर बैठा था और सबसे पहले दिल्ली में आकर सूचना मैंने उस समय के प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी, और अन्य लोगों को दी। मुझे नहीं मालूम कि उनकी बयान में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब वे इतनी बात स्वयं आयोग के सामने कर रहे हैं कि हम उस साजिश में शामिल थे, तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उनको गिरफ्तार करके अन्य पहलुओं पर इनके बयान के आधार पर जांच करनी चाहिए ताकि हकीकत का पता चले। इसी तरह हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि रंजनी रंजन साहू, जो आप ही की पार्टी के हैं और जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल करके जैन आयोग के सामने बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रभाकरण को मारने का इरादा नहीं था लेकिन सौ करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए का उसको लोभ हो गया, जिसके कारण उसने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बात हमको डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट स्थान पर बताई। हम यह जानना चाहते हैं कि अगर यह सत्य है कि प्रभाकरण को सौ करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए राजीव गांधी जी की हत्या के लिए दिए गए तो वह सौ करोड़ रुपए देने वाला देश का कौन सा व्यक्ति था? जिसने सौ करोड़ रुपए देकर राजीव गांधी जी की हत्या करवाई। इस बिंदु पर गंभीरता से जांच करानी चाहिए। देश की सर्वोच्च संस्था, जो जांच एजेंसी है उससे ठीक से जांच करवाएं। सरकार की नीयत पर संदेह मत कीजिए। यह नरसिंह राव जी की सरकार नहीं है कि अपने ही लोगों को जाल में फंसा फंसा कर सीबीआई से जांच कराती रहेगी। यह सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और जो दोषी होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी।

आप सरकार की नीयत पर विश्वास कीजिए और साथ दीजिए ताकि निष्पक्ष ढंग से जांच हो सके। जोगी जी कल को आपको रोने की जरूरत न पढ़े, सत्य ढूंढने की जरूरत न पड़े, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। आप सीबीआई की जांच पर विश्वास कीजिए, सत्यता सामने आएगी और एक-एक दोषी को गंभीर सजा मिले, ऐसा हम चाहते हैं। राजीव गांधी जी की हत्या हुई है, हम तो यह मान कर चलते हैं कि देश के नौजवानों के आत्मा की हत्या हुई है। इसलिए इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेकर सीबीआई की जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत गंभीर विषय है, श्री राजीव गांधी जी की शक्ल में देश में एक बहुत बड़े नेता को, पूर्व प्रधानमंत्री को, देश के सबसे बड़े राजनैतिक दल के मुखिया को खोया। उस व्यक्ति को खोया जिसके प्रति देश के लोगों की बड़ी आशाएं थी। जितने भी दुख भरे शब्दों का इस्तेमाल हो, जो वेदना व्यक्त की जाए, मैं समझता हूं कि उतनी ही कम है। इसलिए जब अजित जोगी जी बोल रहे थे या राजेश जी ने कहा तो वह वेदना समझ में आती है। मुझे ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर भावनाओं का मामला है, लेकिन इस घटना के सात साल गुजर जाने के बाद भी भावनाओं से ऊपर उठ कर थोड़ा यह भी विचार करने की जरूरत है, जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि सात साल के बाद भी झोली फैलानी पड़ रही है और यह कहना पड़ रहा है कि हमें सच्चाई चाहिए। सात साल तक हम उस सच्चाई को तलाश नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि आज का यह मौका इस विस्तार में जाने का था बल्कि आज तो यह देखना था कि जैन कमीशन की रिपोर्ट, फाईडिंग्स आई हैं और उन फाईडिंग्स पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया

है। एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है। लेकिन मैं अजित जोगी जी की वेदना समझता हूं। पांच साल तक वह सरकार इस देश में रही, जिस सरकार के लिए इस वक्त मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली की मीटिंग में कहा कि यह सरकार मेरे पति के खून से बनी है। लेकिन पति की शहादत और खून से बनने वाली सरकार कमीशन को वह कागज देने से भी इंकार कर रही थी, जिन कागजों की जरूरत सत्यता तक पहुंचने के लिए थी। अगर भावुक होने का कोई दिन था तो वह था जिस दिन सोनिया जी ने रायबरेली में भाषण दिया था। लेकिन मुझे अफसोस है कि उस दिन कोई भी कांग्रेस जन उस दिन भावुक नहीं हुआ था। वे लोग भी भावुक नहीं हुए थे जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, लेकिन आज यहां हाउस में कल से ऐसा लग रहा है कि अकेले चर्चा करने से राजीव जी की निर्मम हत्या का पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश तो उस दिन होना था जिस दिन सरकार का सोनिया जी ने इस्तेमाल किया। अगर वह दिन आपके दिल और आपकी भावनाओं को नहीं जगा सका क्योंकि उस खून से बनने वाली सरकार में जो गृह मंत्री था वह सदन में कह रहा था कि अगर इस सिलसिले में सही तथ्य बता दिये जाएंगे तो एक परिवार के ऊपर आंच आ जाएगी। वह परिवार कौन सा था? उस दिन किस परिवार की तरफ इशारा किया जा रहा था? उस दिन किसी की भावनाएं नहीं जगी? कितना बड़ा चरित्र हनन था वह? निश्चित तौर पर वह देश का नुकसान था लेकिन देश के अलावा उस परिवार के लिए तो भावनाएं होनी चाहिए थीं। सोनिया जी ने अपना सुहाग खोया, बच्चों ने अपना बाप खोया और कांग्रेस की सरकार का गृह मंत्री कह रहा था कि अगर इस सिलसिले में सच्चाई बता दी गयी तो एक परिवार के ऊपर आंच आयेगी। कहां गयी थी उस दिन भावनाएं, क्यों उस दिन भावनाएं नहीं जाग रही थी? क्यों नहीं उस गृह मंत्री को रोका और पूछा कि तुम किसके ऊपर लांछन लगा रहे हो। आज अगर आडवाणी जी यहां सदन में होते तो मैं उन्हें बधाई देता लेकिन अब तो मदन लाल खुराना जी भी नहीं हैं, वे भी चले गये। मैं आडवाणी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से अपील उनसे की गयी हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जनों का विश्वास आपके अंदर ज्यादा है, अपने अंदर नहीं है। आपकी तरफ हाथ फैला रहे हैं कि हमें सच्चाई बता दीजिए। हमारे अपने जो थे वे दो कह रहे थे कि अगर सच्चाई बता दी गयी तो एक परिवार के ऊपर आंच आ जाएगी। हमारे अपने जो थे वे तो संबंधित कागजों को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। हम सरकार में भी थे लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं समझता हूं कि इतनी भी हिम्मत नहीं जितनी आज है और यह हिम्मत भी इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस सरकार में नहीं है। खुदा के लिए इस विचित्र राजनैतिक संस्कृति को बदलिये। कांग्रेस देश का सबसे बड़ा दल है और यह वह दल है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। ऐसा क्या है कि अपनी सरकार आते हमारे मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। सख्त से सख्त बात पर भी हम आवाज उठाना नहीं जानते। दूसरे की सरकार आई तो हम खड़े होकर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, अपनी भावनाएं बता रहे हैं। पूरे सात साल के बाद भावनाएं जग रही हैं। अगर भावनाएं जगनी थी तो जिस दिन उन यतीम बच्चों की मा रायबरेली में अपना दिल खोलकर कह रही थी कि यह सरकार मेरे पति के खून से बनी है लेकिन यह सरकार उस पर से पर्दा उठाना नहीं चाहती। उस दिन कोई भावनाएं नहीं जगी। जो कुछ मैंने यहां सुना, उसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह संस्कृति पिछले बहुत सालों से यहां चल रही है। मैं कोई भावना से नही कह रहा हूं क्योंकि अगर भावना से कहूंगा तो मुझे अकेले जो नुकसान हुआ है वही नजर आयेगा। इसलिए मैं पूरे होशोहवास में कह रहा हूं कि राजीव गांधी की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसकी निश्चित तौर पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर राजीव गांधी की हत्या तक, पंजाब में आतंकवादियों की गोलियों से भूने जाने वाले लोगों, कश्मीर की गलियों में, जम्मू में इलाके में आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले लोगों या देश के किसी भाग में मरने वाले लोगों का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी चार दिन पहले की बात है। मुजफ्फरनगर जिले में पांच लोगों को जो मेरठ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, उन्हें अपराधी कह कर जंगल में ले जाकर गोली से मार दिया गया। मैंने काफी अपवाद कहा है। मैं भावनाओं की बात पर आ रहा हूं। यह क्या प्रवृत्ति है? यह हिंसा की प्रवृत्ति, कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति, वह हमें बर्दाश्त नहीं करनी है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हिंसा करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानोगे तो हम जोर जबर्दस्ती से अपनी बात मनवाएंगे। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों से सर्वथा विपरीत है। यह प्रवृत्ति बदकिस्मती पे इस मुल्क में पिछले कई सालों से चल रही है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह प्रवृत्ति बड़े लैवल पर शुरू हुई।

श्रीमन, 1992 में अयोध्या में जो कुछ हुआ, वह कुछ और नहीं था। जब तक आप उसे मंदिर मस्जिद का मामला बना कर देखेंगे तो लगेगा कि यह एक साम्प्रदायिक मामला है। चन्द लोगों ने अपनी मर्जी कानून से ऊपर थोपने की कोशिश की। यह कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति है। जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा कि कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति है। यह कानून नियम के विरुद्ध है। यह संवैधानिक अस्तित्व के खिलाफ है।

हमारा संवैधानिक अस्तित्व है। कानून के मुताबिक शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। इसका जो सिद्धांत है, वह इसके विरोध में जाता है। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि राजीव गांधी बहुत बड़े नेता थे। उनके प्रति देश को बहुत आशाएं थी। अगर किसी मामूली निर्दोष आदमी ने कोई अपराध न किया हो तो देश का कानून यह है कहता है कि कानून द्वारा स्थापित पद्धति के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

विधि द्वारा बनाए तरीके के अनुसार हम किसी व्यक्ति की जान या उसकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते। हमारे यहां रोजाना ऐसे किस्से हो रहे हैं। आज लोगों की जिंदगी तंग है और वे परेशान हैं। जिस वक्त घटना घटती है, जिस समय कानून को तोड़ा जाता है, जिस वक्त कानन को हाथ मे लेने की प्रवृत्ति जोर दिखाती है, हम उस वक्त

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

अपनी जबान को बंद रखते हैं, जुल्म होने देते हैं। जब जुल्म हो जाता है तो रोने के लिए खड़े हो जाते हैं। जुल्म को रोकने के लिए जिस निश्चय की जरूरत होती है, वह हमें दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता।

निजी तौर पर मेरी भावनाएं इस मामले में अलग हैं। 1986 में इस्तीफा देने के बाद मैं पहली बार 1990 में सरकार बनने के 10-15 दिन बाद राजीव जी से मिला था। जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें कोई अच्छी बात कहना चाहता हूं तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें पता चला था कि मैंने उनकी सुरक्षा की कोई बात कैबिनेट में कही है। उनसे मिलने पर उन्होंने मुझे बहुत सी अच्छी बातें कहीं। मैंने राजीव जी से एक बार नहीं दो तीन बार पूछा।

उनकी सिक्यूरिटी के ताल्लुक से है। मैं यह नहीं कह रहा कि बहुत इन्तज़ामात थे लेकिन अगर एक बार भी उनके मुंह से सुनने को मिल जाता कि सिक्यूरिटी के इंतजामात कम हैं...*(व्यवधान)* मैं खुद कह रहा हूं कि यह उनकी महानता थी कि उनकी सिक्यूरिटी कम होने और मेरे पूछने के बावजूद उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी इस मामले में भावनायें क्यों थी? इसक कारण यह है कि जब 1986 में मैंने उनकी सरकार से इस्तीफा दिया था तो क्या मामला था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि उस समय हमारी कितनी भावनायें उभरी थी? मुझ पर तीन बार जानलेवा हमला किया गया। एक हमले में दो पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गये जिनका चेहरा आज तक नहीं पहचाना जा सका। कालीकट में मुझ पर बम फैंका गया। इस प्रकार दिल्ली समेत तीन बार मुझपर हमला किया गया। मेरी सारी सिक्यूरिटी विदड्रा कर ली गई। यह मेरा निजी तौर पर तजुर्बा है कि जब आप खतरा महसूस कर रहे हैं और उस वक्त आपकी सिक्यूरिटी वापस ले ली जाये। उस साल सरकारी मकानों की व्हाईट वाश नहीं हुई थी। मेरे घर की बाउंड्री वाल को 4 फीट से ऊपर उठाकर 9 फीट यह कहकर किया गया कि आपकी सिक्यूरिटी को खतरा है। जैसे ही दीवार पूरी हुई, मेरी सिक्यूरिटी हटा दी गई। इसलियें मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूं क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। मैंने उस समय इस मामले को उठाया था कि सिक्यूरिटी में कमी नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में जो साजिश थी, वह खुलकर सामने आनी चाहिये। अगर आज सच्चाई तक पहुंच जाते हैं तो आगे की साजिश को रोका जा सकता है। मैं यह भी चाहता हूं कि कम से कम आज ऐसी परिस्थितियां पैदा न होने दी जायें जिसमें ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो।

श्री अटल बिहारी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद 3 जून, 1995 में इस सद में विपक्ष के नेता थे या नहीं, मुझे याद नहीं। जब लखनऊ में सुश्री मायावती पर गैस्ट हाउस में हमला हुआ था तो इन्होंने इस मामले को सदन में उठाया था। मैं आज यह बात क्यों कर रहा हूं? इसलिये कि मुझे रोजाना धमकियां मिल रही हैं कि इस सैशन के खत्म होने के बाद आपकी सिक्यूरिटी वापस लेकर आपको खत्म कर दिया जायेगा। जिस आदमी को इंक्वायरी रिपोर्ट में एक्यूज्ड नेम दिया गया हो, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्यूज्ड लिस्ट में निकालकर लखनऊ का एस.एस.पी. बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह साजिश नहीं है या मात्र संयोग है कि आपने ऐसे आदमी को बनाया है। मैं यह बात अकेले सुश्री मायावती के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं उनके लिये कहता हूं जिन्हें जान का खतरा है और यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों के जान माल और इज्जत की हिफाजत करें। यदि किसी को पालिटिकल क्रीड या ऑपीनियन के तहत खत्म करने की कोशिश की जाये तो यह केवल नागरिकों की स्वतंत्रता पर आघात नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आघात है। मैंने इससे पहले 15-20 दिन पूर्व माननीय गृहमंत्री जी को एक खत लिखा है जिसमें मैंने एक पुराने कांग्रेसी एम. पी. की सुरक्षा के बारे में इंतजाम करने के लिये कहा है। इससे आगे बढ़ कर यह लिखा कि पिछले 10 साल से सुरक्षा के साथ बड़ा विचित्र व्यवहार किया जा रहा है। इस आधार पर किसी की सुरक्षा नहीं कि किसी की जान को खतरा है बल्कि इस आधार पर किया गयाहै कि काफिलें के साथ सुरक्षा के फैसले किये गये हैं। मेरा यह कहना है कि आप खुद भी इस बारे में चिंता व्यक्त करते रहे हैं। अब आप गृह मंत्री है, कम से कम यह देख लीजिए कि अब जो सिक्यूरिटी से संबंधित फैसले हों, वे थ्रैट परसेप्शन के आधार पर हों। किसी व्यक्ति विशेष को जो खतरा है, उसके आधार पर फैसला लिया जाए। इस आधार पर नहीं लिया जाए कि आप किसका आपसे राजनीतिक मतभेद है या कौन राजनीतिक तौर पर आपके पक्ष में हैं। मुझे उम्मीद है और मैंने आपके आने से पहले भी कहा कि जब आपके ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि सत्यता का पता लगाइये और ऐसा न करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। आज जो सुबह आपका भाषण हुआ है उसमें आपने कहा है कि आपके जो भी सुझाव होंगे कि कैसे इस मामले में सच्चाइ तक पहुंचा जा सके और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं। तमिल बोलने वाले भारतीयों को इस बात से शर्म आ रही है कि भारत माता का एक महान बेटा हमारी धरती पर मारा गया। कई ऐसे मुद्दे है जिन्हें राजनीति से हटकर सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सोचता हूं कि राजीव गांधी की हत्या ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों में से है। इस मुद्दे को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहिए। अन्यथा, असली अपराधी बच जाएगा। इस मुद्दे को राजनैतिक रूप नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर यह हल्का पड़ जाएगा।

इस हत्या के पीछे दो महत्वपूर्ण ताकतें है। एक वह जिसने वास्तव में हत्या की थी अर्थात् लिट्टे। वह पहली ताकत है। दूसरी ताकत जो इस हत्या के पीछे है, जिसने पूरा काम किया, जिसने

लिट्टे को अंदर और बाहर से मदद की, जो राजीव गांधी को उस दिन समाप्त कर देना चाहते थे, जो भली भांति यह जानते थे कि राजीव गांधी को उस दिन मारा जाने वाला है, वह डी.एम.के. है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : आप एक उदाहरण दे रहे हैं। आप इस बारे में उपयुक्त रिकार्ड प्रस्तुत कीजिए। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें उचित रिकार्ड प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : वे उन्हें बेकार ही क्यों तंग कर रहे हैं? महोदय, आपको उन्हें इस तरह तंग नहीं करने देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शांति। मैं देखता हूं। आप कृपा कर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं देखता हूं...*(व्यवधान)* आप कृपा करके बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया : वे उन्हें बेकार ही क्यों तंग कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : क्या द्रमुक ने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है यदि ऐसा है तो आप उस शब्द की कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए। उन्होंने केवल वही कहा था। क्या यह असंसदीय शब्द है?...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : यह मगरमच्छ के आंसू बहाने की तरह है।

मैं नहीं जानता कि ए.आई.ए.डी.एम.के. कांग्रेस से अधिक चिंतित क्यों है?...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप कृपा कर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके लिए अपील करेगी। अगर कांग्रेस का भा.ज.पा. या समता पार्टी या अन्य किसी पार्टी का नेता राष्ट्र के लिए अपना खून बहाता है तो उसे उस विशेष दल का नेता नहीं कहा जाएगा। हम उसे एक राष्ट्रीय नेता समझते है। इस प्रकार, इस देश के प्रभुत्व को लिट्टे ने चुनौती दी है; लिट्टे को कुछ ताकतों ने इस देश के प्रभुत्व को चुनौती देने में मदद की है। इसीलिए, हम चिंतित है। किसी भी स्थिति में असली अपराधी को सजा देनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। इसीलिए मैं इस सम्माननीय सभा में अपनी आवाज उठा रहा हूं। लिट्टे की वास्तविक रुचि केवल तमिल ईलम में नहीं है।

इस रिपोर्ट के खंड VI के पृष्ठ सं. 14 में यह बहुत स्पष्ट कहा गया है कि :

> "लिट्टे की तात्कालिक लड़ाई तमिल ईलम की स्थापना के लिए श्रीलंका सरकार के विरुद्ध थी। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी राज्य में इसका बड़ा और अंतिम उद्देश्य एक बड़ा तमिल देश बनाना है जिसमें भारत के कुछ वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहां तमिल रहते हैं।"

वे एक बड़ा तमिलनाडु बनाना चाहते हैं जहां तमिलनाडु अर्थात् भारत के तमिल भाषी लोग होंगे। मैं उसी राज्य से हूं। मैं इस बात से सहमत हूं। जब तक एक भी स्वयंसेवक तमिलनाडु में रहता है तब तक कोई भी उस राज्य को मातृभूमि, पवित्र भारत से अलग नहीं कर सकता। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। उन्हें चुनौती देने दीजिए। हम अपना पूरा जीवन अखंड देश के लिए लगा देंगे और कोई भी हमें इस पवित्र भूमि से अलग नहीं कर सकता।

श्री टी.आर. बालू : वे आर.एस.एस. की बात कर रहे हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : जी हां, मुझे गर्व है कि मैं आर.एस.एस. का एक कार्यकर्ता हूं। अगर आपको डी.एम.के. का होने का गर्व है तो मुझे आर.एस.एस. का होने का गर्व क्यों नहीं होना चाहिए?

थिम्पु सम्मेलन के दौरान लिट्टे श्री राजीव गांधी से नाराज हो गया था। राजीव गांधी ने किया यह था कि उन्होंने श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था जो किसी भी केन्द्र सरकार के लिए सबसे अच्छा काम था। वे श्रीलंका के अंदर ही एक अलग राज्य चाहते थे। भारत ने देश को बांटने की अनुमति नहीं दी थी। वास्तव में भारत की दिलचस्पी इसी में है और भारत सरकार की भी इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा था, वे इससे सहमत नहीं हुए। श्री राजीव गांधी जी ने उन्हें इसके लिए सहमत होने के लिए दबाव भी डाला था। उन्होंने केवल यही पाप किया था। इसी कारण लिट्टे ने उनकी हत्या की।

कई घटनाएं हैं। पूरा राष्ट्र लिट्टे का समर्थन कर रहा था। उसी प्रकार जैसे हमने बंगलादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मुक्ति

[श्री सी.पी. राधाकृष्णन]

वाहिनी का समर्थन किया था। साथ ही अधिकांश तमिल श्रीलंकाई अधिकारी वर्ग द्वारा दबाए जा रहे थे। इसी कारण हमने लिट्टे को बिना उनकी मंशा जाने हुए समर्थन दिया था। इसलिए क्योंकि पहले भी किसी ने बिना कोई वास्तविक कारण जाने हुए उन्हें समर्थन दिया था। इसका गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वे कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि श्री राजीव गांधी को मार तक सकते थे। इसे उस दृष्टि से नहीं समझा जाना चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूं कि डी.एम.के. के काम काफी स्पष्ट हैं।

अगर श्री राजीव गांधी जी का आखिरी चित्र देखें तो हम देखते हैं कि श्री राजीव गांधी के निकट एक महिला और एक लड़की खड़ी है वे लता टंडन और कोइला है। वे उससे केवल दो महीने पहले ही डी.एम.के. से कांग्रेस में आई थी। श्रीमती मारगतम चंद्रशेखर और प्रिया लताकुमार ने उन लोगों की वास्तविक मंशा जाने बिना हमारे साथ गलत काम किया। उन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। यह केवल एक राजनैतिक परिवर्तन हैं वे उस तरह सोच रहे थे और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी थी।

श्री टी.आर. बालू : *क्या आप इसे स्वीकार करेंगे?*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : यह पूर्णतः पूर्वनियोजित है। मेरे प्रिय माननीय सदस्य पुनः इस बात को इस सभा के ध्यान में लाए हैं कि किस प्रकार पदमनाभा के हत्यारे तमिलनाडु से बच निकले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि पद्मनाभा के हत्यारे बच निकले थे, वही लोग तमिलनाडु वापस आए थे और उन्होंने राजीव गांधी की हत्या की।

रात्रि 9.00 बजे

शिवरासन दोनों मामलों में शामिल है। जब राजीव गांधी की हत्या की गई तो मानव बम धनु को एक महिला उपनिरीक्षक द्वारा रोका गया था। कुछ चर्चा चल रही थी कि राजीव गांधी ने उस उपनिरीक्षक को उसे आने की अनुमति देने के लिए कहा था। यदि आप केवल उस बात को ध्यान में रखते हो तो द्रमुक के लोग कहेंगे कि केवल राजीव गांधी ने स्वयं अपनी हत्या करवाई थी। हमें उस नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहिए। द्रमुक के वही लोग कहेंगे कि श्रीमती सोनिया गांधी क्यों नहीं आई थी और इसलिए उनकी हत्या और श्रीमती सोनिया गांधी के बीच संबंध है। फिर वे कह सकते हैं कि सुश्री जयललिता क्यों नहीं आई थी अतः इसके और उनके बीच सीधा संबंध है। इस प्रकार वे इस मामले को हल्का कर देंगे।

वे किसी भी छोटी से बात को लेकर बचना चाहते है। द्रमुक की असली मंशा यही है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : श्री वाझापडी के. राममूर्ति कहां थे? ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : श्री राममूर्ति मंच पर थे।...*(व्यवधान)* मैं हमारे नेता के साथ जा रहा था।...*(व्यवधान)* मैं उस दिन श्री आडवाणी के साथ भी था...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर बालू : श्री राममूर्ति वहां नहीं थे,...*(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन : श्री चिदम्बरम कहां थे? श्री मूपनार कहां थे?...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : केवल श्रीमती जयंती नटराजन और श्री मूपनार ही घटनास्थल पर थे...*(व्यवधान)* किंतु श्री राममूर्ति घटनास्थल पर नहीं थे...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : मैं द्रमुक की वास्तविकता का पर्दाफाश करूंगा। श्री आडवाणी कोयम्बटूर आए थे।...*(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन : उस दिन श्री चिदम्बरम वहां नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : भाजपा सरकार में श्री वाझापडी के. राममूर्ति का होना उसके लिए शर्म की बात है...*(व्यवधान)* क्या वे शर्म महसूस नहीं करते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : वे चाहते है हर कोई मारा जाए। ...*(व्यवधान)*? वे ऐसा कैसे कह सकते है?...*(व्यवधान)* मैं इस सभा में उनका पर्दाफाश करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उसमें बाधा नहीं करनी चाहिए। यह उचित नहीं है। बार बार सीट से उठना ठीक नहीं है। दोनों पक्ष के सदस्य उठ जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : जब वे सभा को गुमराह कर रहे हैं तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शांति। कोई ऐसी बातें जो आपत्तिजनक और संसदीय प्रणाली के नियमों के अनुसार नहीं हैं, आप हमसे आग्रह कर सकते हैं, लेकिन कई माननीय सदस्य उठकर एक साथ बोलने लगते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे सदन के कार्य में बाधा होती है और समय अनावश्यक नष्ट होता है। इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनको सुनना चाहिए और जब आपको मौका मिले तब आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन बीच में उठना संसदीय परिपाटी नहीं है। बीच में बार-बार उठकर दोनों पक्षों से सदस्य खड़े होते हैं। यह उचित नहीं है। और इसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। पुरानी सभाध्यक्षों ने इसके विपरीत निर्णय दिया है, इसको बुरा माना है।

इसलिए बार-बार उठकर सदन के कार्य में बाधा करना और माननीय सदस्यों को बोलने से रोकना, उनके भाषण के बीच में अवरोध उत्पन्न करना उचित नहीं है। कोई आपत्तिजनक बात हो तो आप आसन का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : बात यह है कि हम यहां सभा का समय बर्बाद करने नहीं आए है। साथ ही जो भी वक्ता हो चाहे इस पक्ष से हो या उस पक्ष से उसे सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए तथा सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य श्री बालू की दिक्कत यह है कि जब मैं सभा के समक्ष तथ्य रखता हूं तो इससे उन्हें परेशानी होती है। अब मैं एक और तथ्य को सभा के समक्ष रख रहा हूं और उससे भी उन्हें परेशानी होने वाली है। हमारे नेता श्री आडवाणी चुनाव प्रचार के लिए कोयम्बटूर आए थे।

श्री टी.आर. बालू : द्रमुक सरकार ने ही उनकी जान बचाई है। ...*(व्यवधान)* हमने श्री आडवाणी की जान बचाई है...*(व्यवधान)* क्या इस बात का इस वाद-विवाद से कोई ताल्लुक है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इजाजत के बिना बोलने वाले माननीय सदस्यों की बातें प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अभी बालू जी ने कहा कि डी.एम.के. गवर्नमैंट ने आडवाणी जी को सेफ किया...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि उनकी फ्लाइट लेट हो गयी थी। डी.एम.के. गवर्नमैंट ने तो यह कहा था कि वहां कोई ह्यूमन बम नहीं है, यह ऐसे ही बोल रहे हैं। यह इनकी गवर्नमैंट का स्टेटमैंट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)* मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि अन्य सदस्यों ने मेरा जो समय नष्ट किया है वह मुझे दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति : सभापति महोदय, यदि वे सभा में रहे तो वे कभी भी चर्चा को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, उस दिन श्री आडवाणी को वहां 4 बजे मंच पर उपस्थित होना था। जैसा आप जानते हैं भाजपा की सभाएं समय पर आरंभ होती है। और समय से समाप्त होती हैं। सभा को 4 बजे शुरू होकर 6 बजे समाप्त होना था। मूल कार्यक्रम यह था।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : फिर वे देरी से कैसे आए थे?

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : ....*

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय, इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* वे हमारी पार्टी पर आक्षेप कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दे सकता हूं...*(व्यवधान)* कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखें और इन टिप्पणियों को उससे निकाल दीजिए...*(व्यवधान)* मैं इन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति करता हूं। जो कुछ भी अभी श्री राधाकृष्णन ने हमारी पार्टी के विरुद्ध अपवादों की उपेक्षा करने वाली टिप्पणियां की है उन आक्षेपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* क्या आप इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में जाने देंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जैन कमीशन की रिपोर्ट के घेरे में आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : यहां तक की आपकी पार्टी के नेता श्री लालू प्रसाद जी ने भी श्री एल.एन. मिश्रा के बारे में बहुत कुछ कहा है और अध्यक्षपीठ ने इसकी अनुमति दी है। इसलिए कृपया मुझे भी अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप आपत्ति उठा सकते हैं। प्वाइंट आफ आर्डर उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन से इजाजत लेकर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : मैं हिन्दी नहीं जानता हूं। अन्यथा मैं भी आपकी शैली में बोल सकता हूं। कृपया मुझे अनुमति दें और मुझे अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वे अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : में देख रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सुन रहा हूं। आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास : सभापति महोदय, वे अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, वे अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, यह बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है...*(व्यवधान)* महोदय मुझे स्पष्ट करने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद आसन की इजाजत से घेरे से बाहर बोल सकते हैं लेकिन मैं अभी जैन कमीशन से बाहर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। जैन कमीशन के प्रतिवेदन पर बहस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, वास्तविकता को सभा के समक्ष लाने के लिए हमें कुछ तथ्यों को रखना पड़ता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन को चलाने में सहयोग करना चाहिए। आप बीच में क्यों खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं किंतु मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब किसी माननीय सदस्य ने श्री आडवाणी का उल्लेख किया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका उत्तर दूं। इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं।

महोदय, मंच में और उसके आस पास सर्वत्र बम थे। वे मंच से दस मीतर की दूरी पर और जल निकासी के लिए लाइनों में थे। हर चीज की जांच की गई। लेकिन केवल एक खोजी कुत्ता ही पहला बम ढूंढ पाया। सभी बम 4.40 और 5.00 बजे के बीच फटे। उस दिन केवल भगवान ने ही श्री आडवाणी को बचाया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं उनको भी मना करता हूं। आसन से डंडा नहीं चलाया जा सकता। माननीय सदस्यों को नियम कानून की बात कही जाएगी, मानना आपका काम है। माननीय सदस्यों के सहयोग से ही काम चलेगा। सब खड़े हो जाएंगे और इस तरह से व्यवहार करेंगे तो सदन की कार्यवाही को कोई अच्छा नहीं कहेगा। कठोर बातें कही जा सकती हैं, उनका उत्तर भी दिया जा सकता है लेकिन यदि बीच में सब माननीय सदस्य खड़े हो जाएंगे तो क्या इस विवाद को कोई अच्छा कहेगा?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप जैन कमीशन की रिपोर्ट पर बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, सौभाग्य से श्री आडवाणी का विमान देर से आया। द्रमुक की यह मंशा है। इस सभा के माननीय सदस्यों को इसे समझना चाहिए। वे कुछ भी छुपा सकते है। उनमें कुछ भी छुपाने की क्षमता है। यह नहीं होने देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय उन्होंने इस माननीय सभा के सदस्यों पर आक्षेप लगाया है...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि वे कुछ भी छुपा सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : महोदय, मैं किसी सदस्य विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : प्वाइंट ऑफ आर्डर पर आपकी रूलिंग नहीं चलेगी। उस पर हम रूलिंग देंगे। आप इधर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : जब माननीय सदस्य श्री मारन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वे भाजपा नेताओं को कई वर्षों से जानते हैं निश्चित तौर पर वे उन्हें कई वर्षों से जानते हैं। उनके अच्छे मित्र हैं, वे उसका फायदा उठाना चाहते हैं और उनकी हत्या करवाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं।

यह नहीं होना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है और आपके माध्यम से मेरा गृहमंत्री से भी यह अनुरोध है। लिट्टे और द्रमुक के बीच सांठ गांठ है और तमिलनाडु में दो और संगठन तेजी से उभर रहे हैं। वे हैं – पुथिया तमिझागम और तमिलनाडु मुस्लिम मुन्नेत्र काझागम। ये तमिलनाडु में अति सक्रिय हैं।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह सही समय में सही कार्यवाही करें। तमिलनाडु को बचाने का केवल यही एक रास्ता है। अंत में मेरा निवेदन यह है कि जिस ग्रुप ने राष्ट्रीय नेता श्री राजीव गांधी की हत्या की है, उसे कानून के सामने लाकर खड़ा करना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभाकरण को श्रीलंका से वापस लाया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए और तमिलनाडु के अंदर जिसने भी तमिल की जमीन पर श्री राजीव गांधी को अंत करने के लिए लिट्टे की मदद की है, उसे बिना किसी दया के सजा मिलनी चाहिए। इस अनुरोध के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जैन आयोग की रिपोर्ट पर तथा की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं, अपनी पार्टी आर.एम.पी. की ओर से श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। यह हमारे देश में घटित तीसरी राष्ट्रीय त्रासदी है। पहले, वर्ष 1948 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की भी निर्मम हत्या की गई थी और अंत में पूर्व प्रधानमंत्री भारत की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे देश के राष्ट्रीय नेता की भी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या सात वर्ष पहले की गई थी। सात वर्ष के अंतराल के बाद आज हम यह चर्चा कर रहे हैं कि इस षडयंत्र के पीछे और इस पाशविक हत्या के पीछे असली अपराधी कौन है। मैं सुविख्यात वक्ता, श्री पी. शिवशंकर के आरम्भिक भाषण से यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं जिन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण आरंभ किया कि यह चर्चा सभी राजनीतिक बंधनों से परे होनी चाहिए। उनके भाषण पर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हुए श्री राम जेठमलानी ने भी स्पष्ट शब्दों में यही कहा कि यह चर्चा राजनैतिक बंधनों से हटकर होनी चाहिए। अधिकतर वक्ता राजनीतिक बंधनों से हट कर ही बोल रहे हैं। मेरा यह आरोप है और यह कोई किसी पर आरोप नहीं है कि यह भी सच है कि यहां राजनीति हो रही है। अभी भी राजनीति चल रही है और श्री राजीव गांधी की हत्या को अनेक बार एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया गया है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। वर्ष 1991 के चुनावों में श्री राजीव गांधी की हत्या चुनाव का मुख्य आधार स्तम्भ माना गया। और तत्पश्चात् वर्ष 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार को उसी हथियार का इस्तेमाल कर गिरा दिया गया था, वह हथियार था जैन आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट। वह जैन आयोग की प्रथम रिपोर्ट थी। मैं इसे अंतरिम रिपोर्ट नहीं कहता। यह रिपोर्ट का पहला भाग है। इसे भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभा में बहुत शोरगुल था कि सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से महीनों पहले रिपोर्ट लीक हो गई है। यहां तक कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो तीन डी.एम.के. मंत्रियों के त्यागपत्र की मांग उठ चुकी थी।

अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या कार्यवाही की और पूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा सी.बी.आई. से क्या जांच करवाई गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट लीक होने के पीछे क्या बात है? वह कैसे लीक हुई? इन सब बातों से यही पता चलता है कि यह सब राजनीतिक जोड़ तोड़ है। राजनीतिक जोड़ तोड़ के रूप में इसे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें कोई ईमानदारी नहीं बरत रहा है। कोई वचनबद्धता नजर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।

यदि हम सच्चाई जानने के लिए अथवा सच्चाई का पता लगाने के प्रति ईमानदार हैं तो हमें एकजुट होना चाहिए; हमें आतंकवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ना चाहिए; हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध लड़ना चाहिए और हमें उन्हें अलग थलग कर देना चाहिए चाहे वह जो भी हों और कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। चर्चा के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सामने आए हैं। यह कहना ठीक होगा कि अपराधी घर के अंदर ही है। यह केवल घर के अंदर ही नहीं है। यह सारा षडयंत्र हमारे देश के अंदर के व्यक्तियों तथा विख्यात विशिष्ट व्यक्तियों की मदद से विदेशी एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा था। इसलिए यदि हम इतने ईमानदार हैं तो इस बात की जांच करनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे अपराध न हो। तो इस उद्देश्य के लिए, विशेषकर कि राष्ट्रीय नेताओं की हत्या जैसे अपराधों को न होने देने के उद्देश्य के लिए हमें एक जुट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले में भी, हम अभी भी अपना राजनीतिक रवैया ही अख्तियार कर रहे हैं।

भा.ज.पा. की सरकार क्या रही है? भा.ज.पा.की सरकार भी इसी हथियार को अपनाने के लिए इसी आधार स्तंभ का उपयोग कर रही है। भा.ज.पा. की सरकार भी विपक्ष को बांटना चाहती है। यह यहां पहले ही बताया जा चुका है कि श्री करूणानिधि का नाम भी जिन लोगों की पूछताछ की जानी है उनमें शामिल किया गया है। इस पहलू पर भी यहां विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अतः इस पर राजनीतिक बंधनों से हटकर विचार करना होगा। इसका अर्थ है कि हमें इस मामले में ईमानदारी बरतनी चाहिए और इस पर चर्चा राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर उठकर करनी चाहिए।

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

इसके इतिहास के संबंध में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले जे.एस.वर्मा आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग को केवल सुरक्षा की दृष्टि से जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके विचारार्थ विषय निम्न थे :

> "क्या सुरक्षा बलों अथवा सुरक्षा प्रणाली द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में कोई लापरवाही बरती गई है?"

इस पहलू की जांच की जानी थी। उस समय भी यह मांग थी कि षडयंत्र की दृष्टि से भी जांच की जानी चाहिए। लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने इससे स्पष्ट इंकार कर दिया था। उन्होंने प्रबलतापूर्वक यह कहा कि यह न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है और इसलिए इस संबंध में जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने यह महसूस किया चूंकि यह एक अपराध है इसलिए इसकी जांच आपराधिक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। अतः यह न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की परिसीमा के अंतर्गत नहीं आता। इसके साथ-साथ विशेष जांच दल हत्या के तथ्यों की तह तक गई। मेरे विचार में विशेष जांच दल ने अच्छा कार्य किया हैं कम से कम 26 व्यक्तियों को सजा दी गई थी अथवा न्यायालय द्वारा मुजरिम ठहराया गया था। उन्हें दण्डित किया गया उन्हें या तो सजा दी गई अथवा दोषी सिद्ध किया गया। कम से कम इतना तो किया जा चुका है।

इसके तत्काल बाद, न्यायमूर्ति जैन आयोग नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति किस कारण से की गई थी? इसके दो विचारार्थ विषय थे। पहला श्री राजीव गांधी को मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों तथा घटनाओं के क्रम के बारे में था और दूसरा बहुत विशिष्ट था। यह षडयंत्र के संबंध में था। यहां मैं एक-एक शब्द पढ़कर बताना चाहूंगा। यह था :

> "क्या हत्या का षडयंत्र रचने, उसकी तैयारी करने और योजना बनाने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों या एजेंसियों की थी। और क्या इस संबंध में कोई षडयंत्र रचा गया था और यदि हां, तो इसकी सभी शाखाएं कहां कहां व्याप्त थी"

यह दूसरा विचारार्थ विषय था। इसका परिणाम क्या निकला? जांच के सात वर्ष के दौरान न्यायमूर्ति जैन ने 4400 दस्तावेजों का अवलोकन किया। अनेक अभिसाक्ष्य सामने आए और अनेक गवाहियों की जांच की गई थी। सात वर्ष की जांच के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें आगे जांच की जानी चाहिए। यह परिणाम है। सात वर्ष की जांच का परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र के संबंध में आगे जांच करना। तो फिर वह आयोग किस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति वर्मा ने षडयंत्र की दृष्टि से जांच की मांग को शामिल करने से साफ इंकार कर दिया था। अतः इस प्रयोजन के लिए न्यायमूर्ति जैन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जैन आयोग के बारे में भी पहले ही संबद्ध बातें पढ़ ली गई है। न्यायमूर्ति जैन ने पहले ही खुली सुनवाई में कह दिया था कि उस आयोग द्वारा कुछ अस्वीकार्य साक्ष्यों पर भी विचार किया जा सकता था, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और तकनीकी औपचारिकताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह वक्तव्य न्यायमूर्ति जैन द्वारा दिया गया था। यदि यही मामला है कि आयोग सात वर्ष की जांच के बाद और नौ खंडों की रिपोर्ट देने के बाद यह कहता है कि सरकार को कोई आपराधिक जांच एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए और अपना मामला लड़ना चाहिए तो यह मामला वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए, हमने पांच करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर दी है। इस आयोग ने एक भारी भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने काफी सामग्री की छानबीन की है और अनेक पत्रकारों से पूछताछ की। कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई आयोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। परिणाम कुछ नहीं निकला। इसने और आगे जांच की सिफारिश की। यहां तक कि विशेष जांच दल भी एक बात के बारे में अच्छी तरह जानता था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का विशेष जांच दल इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि कोई षडयंत्र रचा गया है। इस मामले में तो कोई भी जांच एजेंसी यह कह सकती है कि इसमें कोई षडयंत्र रचा गया है।

विचारार्थ विषय क्या है? हमने किस उद्देश्य से आयोग नियुक्त किया था जबकि इस मामले में आयोग की कुछ भी उपलब्धि नहीं रही? अतः मेरी समझ में यह नहीं आता कि आयोग की रिपोर्ट को किस तरह स्वीकार कर लिया गया। विद्वान श्री शिव शंकर द्वारा जो रुख अपनाया गया है वह यह है कि कांग्रेस जैन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर रही है। मैं नहीं समझ सकता कि उन्होंने इसे किस आधार पर स्वीकार कर लिया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जो वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। उन्होंने भी यही कहा है कि न्यायमूर्ति जैन द्वारा जांच किए जाने के बाद सच्चाई उजागर नहीं हो पाई है। यदि सच्चाई ही उजागर नहीं हो पाई? तो आयोग की रिपोर्ट कैसे स्वीकार की गई? अतः इस पर आगे जांच की जानी है, और जांच की आवश्यकता है। सात वर्ष के बाद यह स्थिति है। इस राष्ट्र की यह नियति है। जहां तक आयोग का संबंध है यह स्थिति केवल इसी की नहीं है। बल्कि सभी आयोगों की स्थिति यही है। अतः मैं जांच अधिनियम आयोग में संशोधनों द्वारा आमूलभूत परिवर्तन लाना चाहता हूं।

हम केवल नाममात्र के लिए आयोगों का गठन कर रहे हैं। उसके पश्चात् इनको भुला दिया जाता है। इसके बाद कई खंडों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, जिनका निष्कर्ष कुछ भी नहीं होता है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट के संबंध में मैं 'प्रतिवाद' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए हमने पाया कि जहां तक तमिलों का संबंध है इसमें उनका उल्लेख है जहां तक श्री वी.पी. सिंह और श्री चन्द्रशेखर का संबंध है उनके खिलाफ कठोर टिप्पणियां की गई हैं। अब अंतिम रिपोर्ट में उन्हें निर्दोष बताया गया है। कई चीजें हैं जिनपर मैं प्रकाश डाल सकता हूं। लेकिन समयाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

अनेक प्रश्न हैं हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र माना हैं इसकी बहु आयामी निगरानी एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए जिसका गठन सभा की सहमति से किया जा रहा है। कई प्रश्न है जिनका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है।

पहला प्रश्न मानव बम्ब धनु के बारे में है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। आयोग रिपोर्ट में इसका सबूत अथवा उत्तर नहीं दिया गया है। कि इस मानव बम्ब को पंडाल में जाने और श्री राजीव गांधी को माला पहनाने की अनुमति किसने दी थी। इस देश में प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह प्रश्न पूछ रहा है। एक साधारण आदमी भी जानना चाहता है कि राजीव गांधी की हत्या किसने की? श्री राजीव गांधी को माला पहनाने की अनुमति धनु को किसने दी? उसकी जांच की जानी चाहिए। धनु और अन्य अपराधियों को एक महीने तक आश्रय किसने दिया? इन सब प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए। इसका पता साक्ष्यों में ही बहुत अच्छी तरह से लगाया जा सकता है।

एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और वस्तुपरक बात जिसे मैं कहना चाहता हूं, श्री शिव शंकर ने भी उसकी सिफारिश की थी मैं भी विशेष दस्तावेज प्रस्तुत करने में इंकार करने के उनके कथन का जोरदार समर्थन करता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही साधारण बात के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वह भी इससे सहमत हैं। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सरकार एक रिकार्ड के रूप में केवल जैन आयोग संबंधी जांच को बंद करने के लिए 1994 के प्रस्ताव से संबंधित फाइल को ही आयोग को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हुई है। बाद में इस संबंध में एक शपथ पत्र के साथ विस्तृत सारांश आयोग को प्रस्तुत किया गया था और आयोग इससे संतुष्ट है। आयोग ने स्वयं ऐसा कहा है इसीलिए दो धारी तलवार का प्रयोग किया गया था। प्रस्ताव से संबंधित फाइल को प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है? इसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? बाद में गृह सचिव ने इसका अध्ययन किया और इसकी ओर से शपथ पत्र दिया गया। इस फाइल की विषय सूची क्या है? यह सारांश विवरण में भी दिया गया है। यह वह फाइल है जिसमें 1994 में कैबिनेट ने जैन आयोग को समाप्त करने के बारे में निर्णय लिया था। कैबिनेट ने जैन आयोग को समाप्त करने का निर्णय क्यों लिया था? यह अत्यंत वस्तुपरक प्रश्न है इस प्रश्न पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री राम जेठमलानी ने कहा था "यदि आप इस बात की तह तक जाना चाहते है तो कई कठिनाईयां हैं जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री से पूछताछ की जाएगी, गृह सचिव से प्रश्न किए जाएंगें।" हर कोई कह रहा है हम दल भावना से ऊपर उठकर सत्य को जानना चाहते है। हम सच्चाई जानना चाहते है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही माननीय मंत्री जी का भी कहना है "यदि हम इस सबकी पुनः जांच करे तो कुछ समस्याएं है जैसे पूर्व प्रधान मंत्री, गृह सचिव और भूतपूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में इसके बारे में स्पष्ट और युक्तियुक्त टिप्पणी की गई है। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि इस देश के लोगों को सच्चाई का पता चल सके।

श्री शिव शंकर ने भी अनेक बार स्वीकार किया है कि वर्मा आयोग के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में भी सुरक्षा और सभी अन्य चीजों के बारे में अत्यंत गंभीर निष्कर्ष दिये गए हैं।

लेकिन सभा जानना चाहती है कि कार्यवाही क्या की गई है। हम की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहते है कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सच्चाई का पता चले। यहां यह आरोप लगाया गया है।

अतः यह अत्यंत गंभीर मामला है। न्यायमूर्ति जैन द्वारा की गई जांच सम्पूर्ण अथवा संतोषजनक नहीं है। आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है। यदि आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है तो यह स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए और यह समयबद्ध होनी चाहिए तथा सभी तथ्य उजागर किये जाने चाहिए।

जहां तक मुख्य मंत्री, श्री करूणानिधि का संबंध है इस सरकार का राजनैतिक प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट है जो कि पहले ही सामने आ गया है। 21 संदिग्ध व्यक्तियों में से 9 वहां नहीं थे। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट के पृष्ठ 43 में कहा गया था "श्री करूणानिधि से भी पूछताछ नहीं की गई। कई मामलों पर उनसे पूछताछ किया जाना काफी उचित था।" महोदय मैंने श्री करूणानिधि के वक्तव्य का अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा दिया गया तर्क सही है। इसमें सरकार अथवा गृह मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है? यह "आशंका" है। "अंतरिम रिपोर्ट में ऐसी टिप्पणियों को आयोग द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के साथ विचार करना......"

महोदय विधि मंत्री अथवा सम्बद्ध प्राधिकारी इसे स्पष्ट करें कि 'आशंका' शब्द का अर्थ यहां क्या है? इसका क्या अर्थ है "उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।" क्या यह "आशंका" है अथवा "गलतफहमी" अथवा "संदेह" अथवा "शंका" हैं?

यह कहा गया है कि पूछताछ काफी अर्थसंगत थी। 5 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई थी। उनके वक्तव्य के अनुसार 'पूछताछ' का अर्थ "आयोग के समक्ष उनका बयान" हैं। इसलिए आयोग की टिप्पणियों के अनुसार, उनके अनुसार और मैं समझता हूं कि यह सही है "पूछताछ संगत थी" का अर्थ है आयोग के समक्ष उनके द्वारा दिया गया बयान उचित था।

यदि आयोग का यह दृष्टिकोण है या रवैया है तो उनसे आगे पूछताछ क्यों की जानी चाहिए? तो उनके खिलाफ जांच क्यों की जानी चाहिए? इसकी भी छानबीन की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जहां तक इस देश का संबंध है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। श्री राजीव गांधी न केवल कांग्रेस के अध्यक्ष थे बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वह युवा उद्यमी व्यक्ति थे जिनमें दूरदर्शिता और राजनीतिक दूरदृष्टि थी। ऐसे कर्मठ व्यक्ति की हत्या कर दी गई और यह राष्ट्र सात वर्ष बीत जाने के पश्चात भी असली मुजरिम हो पकड़ नहीं पाया है। यह राष्ट्र के लिए शर्मनाक है और यह राष्ट्रीय अपमान है।

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

अतः राजनीतिक दायरे के ऊपर उठकर इस मामले की अत्यंत गंभीर, कठोर, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, धन्यवाद। श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे किस का हाथ था, क्या यह राजनीतिक हत्या थी, सब कुछ जानने के लिए जैन कमीशन बिठाया गया। उसकी रिपोर्ट सदन में सरकार ने रखी, मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए बधाई और प्रशंसा की पात्र है। यह कहना किसी तरह से ठीक नहीं है जैसा अभी मेरे मित्र जोगी जी कह रहे थे कि कांग्रेसियों की भावनाएं राजीव जी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर अकेले कांग्रेस के लोगों की भावनाएं राजीव जी के साथ जुड़ी होती तो यह सच्चाई उस समय लोगों के सामने आ सकती थी। कांग्रेस की सरकार पांच साल तक उनकी हत्या के बाद चली और ऐसी सरकारें भी आई जो कांग्रेस के सहारे पर चलती रही, उस समय यह सच्चाई सामने आ सकती थी। राजीव जी देश के नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे। हमारे भी उनके साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया था और अपने खुशामदियों को दूर रखा था। उस समय उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ राजीव लोंगोवाल अकार्ड के रूप में पंजाब का समझौता किया था और ऐसी बातें मानी थी, जिन बातों को पिछले 50 वर्षों में किसी ने नहीं माना था और शिरोमणि अकाली दल की बहुत सी मांगों को सही ठहराया था।

यह अलग बात है कि बाद में जब कुछ खुशामदी लोगों के घेरे में आ गये तो वे बातें नहीं मानी गयी। लेकिन यह सच्चाई है कि उन्होंने देश की अगुवाई की और आज की सरकार ने अपना यह कर्तव्य समझा कि देश के लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। उग्रवाद के कारण केवल सोनिया जी ही विधवा नहीं हुई बल्कि देश की हजारों बहनें भी विधवाएं हुई हैं और देश मिलिटेंसी के कारण बर्बाद हुआ है। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस वालों ने आप ही मान लिया कि हम इस जैन रिपोर्ट को सच मानते हैं। जब वे इसे सच मानते हैं तो वे आडवाणी जी से और सरकार से क्या सच्चाई जानना चाहते है, यह मेरी समझ में नहीं आया। सच्चाई जाननी ही थी तो इन्हें समय मिला था। मेरे मित्र राजेश पायलट ने माना कि वे सच्चाई ढूंढ सकते थे अगर उन्हें अगर मजबूर न किया जाता और चंद्रास्वामी के अरैस्ट आर्डर वापस न लिये जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने चंद्रास्वामी के अरैस्ट को रोका। वह सच्चाई देश के लोगों के सामने भी आनी चाहिए। जब इन्हें समय मिला था उस समय सच्चाई का पता लगा सकते थे। यह बात सही नहीं हुई। जैन रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद उन्होंने सब को दे दिया है। आडवाणी जी किसको गिरफ्तार करेंगे, किसको नहीं करेंगे। उन्होंने ए.टी.आर. भी सदन के सामने रख दी है। जो बातें जानने की रह गयी हैं अगर उसके लिए सी.बी.आई. को देते हैं तो ये कहते हैं कि यह राजनैतिक एक्टिविटी है।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, राजनैतिक हत्याएं खत्म करनी है, तो हम सभी मिलकर इस बात पर सोचना होगा कि आखिर यह उग्रवाद पैदा क्यों हुआ, देश में उग्रवाद किसने पैदा किया? अगर यह सच्चाई सामने आ जाए तो देश बच सकता है। थोड़ी देर पहले राजेश पायलट जी अकालियों को ब्लैम कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे। हम तैयार हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सांसदों से या देश के बुद्धिजीवियों से इस बात की इंक्वारी करा ली जाएं कि पंजाब में जो मिलिटेंसी आई वे कौन लोग लाए। सभापति जी, अगर सही रूप से देश को आगे बढ़ाना है और इन हत्याओं को रोकना है तो सच्चाई को सामने लाना होगा।

देश में तीन कारणों से मिलिटेंसी पैदा होती है। पहला, जब लोगों की भावनाओं को सही रूप में समझा नहीं जाता है। दूसरा, जब जम्हूरी सिस्टम को नाकाम कर दिया जाता है। तीसरा, जब राजनैतिक लाभ उठाने के लिए ब्लैकमेलिंग होती हैं ये तीन कारण है जिनसे मिलिटेंसी पैदा होती है। मुझे इस बारे में दो प्रदेशों का अनुभव है। पहला पंजाब और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब जल रहा था तो शेख जी को जेल से बाहर लाकर सत्ता सौंप दी तो जम्मू शांत हो गया। शेख अब्दुल्ला जी के जाने के बाद चुनाव हुए। हम भी शिरोमणि दल के साथ पंजाब से वहां गये। उनके पुत्र को लोगों ने भारी मात्रा में वोट डाले और वे मैजोरिटी में आए। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि कांग्रेस को कॉलिशन में लाया जाए।

वह जब नहीं मानें तो उनके बहनोई गुल मोहम्मद को गद्दी पर बैठा दिया। वह सरकार चल नहीं पाई। उस समय से जम्मू कश्मीर जल रहा है। ऐसे ही पंजाब में हुआ। इसी हाउस में बरनाला जी की सरकार की बहुत तारीफ की गई। अकाल तख्त साहब पर फौज भेजी गई। इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था। उसके बाद सरकार बनी और एकॉर्ड हुआ। पंजाब में शांति आई। मैं उस समय मंत्री था। एक दिन सुबह हमें पता लगा कि हमारी सरकार नहीं रही और हम मंत्री नहीं रहे। इसके बाद फिर पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ने लगी। जब जम्हूरी सिस्टम फेल हो जाता है, लोगों की भावना को कुचल दिया जाता है तो मिलिटेंसी आगे बढ़ती है। तीसरी बात ब्लैकमेलिंग की है। मैं निश्चित और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठक्कर कमीशन के जो निर्णय आए थे, वे अगर सही रूप में लोगों के सामने आते और उससे कांग्रेस वाले कुछ सीखते तो राजीव जी की हत्या नहीं होती। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाती तो शायद कांग्रेस के लोगों में यह हौंसला नहीं आता कि हम ऐसा ही एक तंदूर और मंगा लें जिससे उनमें भी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। अगर ऐसा नहीं होता राजीव जी की हत्या नहीं होती। एमरजैंसी का सबक सीखाने के लिए हमारे यहां फौज भेजी मगर ऐसा भी सोचा गया कि अकालियों को जेलों में रख कर ठीक नहीं किया जा सकता। उनको ठीक करने के लिए उनके बराबर लम्बी लाइन खींच दी जाए। जब लम्बी लाइन खींची गई तो मीटिंग्स हुई। इस बारे में बहुत लम्बी कहानी है। समय नहीं है क्योंकि आपने बोलने से रोक देना है। अगर संसद सदस्यों की कमेटी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बन जाए तो हम दुनिया के लोगों को यह दिखा सकते हैं कि पंजाब,

जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम में मिलिटैंसी कैसे पैदा हुई? इन्होंने श्रीलंका में ट्रेनिंग देने के लिए फौज भेजी। पैसा भी दिया और 1200-1300 जवान भी मरवाए। इससे क्या मिला? 11वीं लोक सभा में डी.एम.के. वालों ने उस समय डाकुमैंट दिए जब उनकी सरकार जाने वाली थी हम समझते थे कि यह सच्चाई नहीं है कि राजीव जी जैसे लोग लिट्टे के साथ बातचीत करने के लिए करूणानिधि जी को बिचौलिए के रूप में लाए थे। हम समझते थे कि वह शायद गलत डाकुमैंट थे। हमें उस समय सच्चाई का पता लगा कि जब हमारे मित्र जोगी जी ने भी मान लिया कि वे सब काम शांति के लिए किए गए थे। जब आप किसी काम के लिए बिचौलिये लाते हैं तो वह कुछ न कुछ काम ऐसा वैसा करते है। हमारी माताएं, बहनें अपना दर्द बता रही हैं।...(*व्यवधान*) जब ऐसी बात होती है तो कुदरती तौर पर इसमें कुछ न कुछ बात रह जाती हैं। दिल खोल कर सच्चाई आगे आएगी तो देश बच सकता हैं इसमें अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहेंगे कि राजीव जी के साथ हमारे जजबात जुड़े हैं तो मैं यही कहूंगा "कहां ढूंढते हैं, लाल गवाचे, मिट्टी न फ्लोर जोगया" अब मिट्टी में ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। जो राजनीतिक कारण बन रहे हैं, जो स्थिति पैदा हो रही है, उस स्थिति को रोकना होगा और अपनी सोच बदलनी होगी तथा यह देश आगे बढ़ सकता है। यह बड़े दुख की बात है कि न हमारे मित्रों और न हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने यहां सच्चाई कही है। हमारे सांसद मित्र श्री सत्यपाल जैन ने जैन कमीशन की प्रशंसा तो कर दी जिसमें कमीशन ने लिखा था कि सारे तमिलियन्स तमिल मिलिटैंट्स नहीं है। इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। मगर पेज-7 पर सिक्ख मिलिटैंट्स के बारे में नहीं लिखा। क्या सारे सिक्ख मिलिटैंट्स हैं? यह मसला क्यों नहीं उठाया गया? यह आब्जैक्शनेबल बात है। माननीय गृहमंत्री जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि ....

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : माननीय गृह मंत्री राज्य सभा में क्लैरिफाई कर चुके है। अच्छा होता यदि पंजाब के सिक्खों के लिये भी उसी प्रकार एक्सप्लेन कर देते। जो आपने कहा, उससे हम सहमत हैं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : जब माननीय गृह मंत्री जी राज्य सभा में कह चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर लोक सभा में कर दें तो और अच्छा होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी कौम को एक लाईन में खड़ा कर दिया जाता है तो उससे देश को नुकसान होता है। ऐसी बातों को हमें सुधारना चाहिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : आपने स्व. राजीव गांधी से संबंधित जैन आयोग रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

सभापति जी, मैं इलाहाबाद से आता हूं। हम लोगों को उस समय बहुत ठेस पहुंची जब मालूम हुआ कि राजीव जी नहीं रहे। आज इस बात को सात वर्ष हो गये हैं फिर भी सत्यता तक नहीं पहुंचे हैं। यह हत्या कैसे हुई है किस साजिश के तहत की गई हे, आज हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। जब हम इलाहाबाद में आनन्द भवन और स्वराज भवन को देखते हैं तो हमारा दिल दहल उठता है। यह भवन पं. मोती लाल नेहरू, पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। वह 21 जून, 1991 की काली रात को भूल नहीं सकते जब हमें यह खबर मिली थी कि राजीव जी नहीं रहे। यह खबर एक दैवी आपदा की तरह तूफान था। इस खबर से सारा इलाहाबाद उजड़ गया था। इस दिन से पूर्व राजीव जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र भवारी कौशाम्बी में आये थे जहां से मैं एम.एल.ए. का इलैक्शन लड़ रहा था। वे उस समय हैलीकाप्टर से उतरे थे। पुलिस का घेरा तोड़कर सारी पब्लिक से मिलने के लिये आ गये। मेरे मन में आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इनको खतरा न हो। वे बड़े प्यार से एक एक व्यक्ति से मिले थे। वे ग्राम प्रधान, जिला प्रमुख और ब्लाक प्रमुख से बातचीत करने के बाद बोले कि यदि हमारी सरकार आई तो वहां के लिये बहुत कुछ करेंगे। हम लोगों ने उन्हें सकुशल विदा किया। वे इलाहाबाद से बांदा और वहां से दिल्ली तथा बाद में पैरम्बदूर चले गये। यहां सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि उनकी सुरक्षा में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी।

यह बात सही है कि अपनी मृत्यु से दो दिन पूर्व जिस वक्त वह इलाहाबाद में भरवारी में हमारे बीच भाषण देकर गए, वहां पर भी सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। हम लोग वहीं डर गए थे कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अटैक हो।

आज जैन आयोग की रिपोर्ट पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। कई सदस्यों ने कहा कि बड़ा ही तोड़ मरोड़कर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। आज देश की जनता यह जानना चाहती है कि वाकयी इस रिपोर्ट में सत्यता क्या है। एक 200 पृष्ठों की रिपोर्ट में 105 पृष्ठ 'चंद्रास्वामी ऐंड हिज इनवॉल्वमेंट' शीर्षक पर हैं। दूसरे 40 पृष्ठों पर महंत सेवादार जी के लिए लिखा गया है और तमाम लोगों के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। आज इस बात की भी जानकारी देश की जनता जानना चाहती है कि हत्या के संदेह की भूमिका में जो 21 लोग हैं, उन लोगों को तो सजा दी गई है, लेकिन बहुत से ऐसे पहलू हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं कि किस साजिश के तहत किन लोगों ने उनकी हत्या की। आज एक संदेह के घेरे में बात कहने के लिए रह गई है। जो भी हो पूरा सदन और हर पार्टी तथा पूरा देश चाहता है कि इस पर सही जानकारी होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करना होगा कि अपने देश के नेताओं की इस तरह की कुर्बानी हम कब तक देते रहेंगे। देश की जनता यह जानना चाहती है कि किसी साजिश से यह हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है चाहे वह बेगुनाह लोग जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हों या पंजाब के उग्रवाद की बात रही हो, हिमाचल में अभी तक सुना नहीं गया था कि उग्रवाद हुआ मगर अभी परसों ही 43 लोग वहां पर मारे गए। मैं अपने दल की ओर से कहना चाहूंगा कि तमाम तथ्य, चाहे ए.टी.आर. हो या इंटरिम रिपोर्ट हो, गहराई से उस पर पुनः अध्ययन करके उसकी तह तक हमें जाना होगा कि कौन सी साजिश थी और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे महान नेता की हत्या की। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर तक जाकर जो भी करना पड़े, इसकी जांच करके जितने भी कातिल है, उनको सजा

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मिले ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो और हमारे देश में सभी पार्टियों के नेता महफूज रहें और देश की सेवा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. सी.पी. ठाकुर (पटना) : सभापति महोदय, जैन आयोग रिपोर्ट पर कुछ शब्द कहने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैंने वर्मा आयोग रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। मैंने जैन आयोग रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। मैंने की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है। आप जानते है मैंने इन्हें क्यों नहीं पढ़ा है? एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है कि यदि आप किसी मामले को ढील देना चाहते हैं तो आयोग का गठन कर दीजिए। सभी आयोगों की यही स्थिति है। बिहार में, हिन्दी में एक कहानी हैं एक भलामानस अंग्रेजी आदमी की नौकरी करता था। आप जानते हैं कि सोनपुर मेला वहां प्रसिद्ध हैं, वह कर्मचारी उस मेले को देखने के लिए अवकाश चाहता था। उसके मालिक ने छुट्टी का कारण पूछा तो उसने कारण बता दिया। मालिक ने पूछा क्या उसने पिछले वर्ष वह मेला देखा था उसने जवाब दिया, जी हां पिछले साल उसने मेला देखा था। मालिक ने पुनः पूछा क्या उससे पिछले साल भी मेला देखा था तो उसने उत्तर दिया जी हां उस वर्ष भी उसने मेला देखा था। तत्पश्चात् मालिक ने उसे कहा कि यदि वह अपनी आंखे बंद कर ले तो उसे घोडों, गायों आदि के चेहरे दिखाई देंगे। यही बात आयोगों की अधिकतर रिपोर्टों पर लागू होती है।

इस देश में जब भी किसी बड़े नेताओं की हत्या की गई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसमें महात्मा गांधी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री दीन दयाल उपाध्याय, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी की हत्याएं आती हैं। लेकिन उसके पश्चात् विशेषकर बिहार राज्य में, हम हत्याओं के आदि हो गए हैं। प्रतिदिन पटना शहर में हत्या होती है पूरे बिहार के बारे में क्या कहे। ये हत्यारे बड़े पैमाने पर हत्याएं करते हैं। अब यदि कोई हत्याओं के बारे में बात करता है तो इसमें हमें कोई विशेष चौकाने वाली बात नहीं लगती है। वास्तव में इससे हमें अधिक पीड़ा नहीं होती। हम वहां जाते है और उस व्यक्ति के साथ बैठते है हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम उसे कुछ दे नहीं सकते। इस प्रकार आज वहां स्थिति यह है।

महोदय, इस रिपोर्ट के बारे में, मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ कहना चाहिए क्योंकि मुझे चिंता होने लगी है मैंने समाचार पत्र में दो लेख पढ़े हैं। मुझे अपने नेताओं के बारे में चिंता होने लगी है। एक हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु मामले पर अत्यंत स्पष्ट रूप से दिया गया वक्तव्य था। दूसरी बात आज हमारे माननीय गृह मंत्री ने उग्रवाद के बारे में कही। उन्होंने कहा, "अगर मैं उग्रवाद को समाप्त नहीं कर सका तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा।" जब भी भारत ने बलपूर्वक यह कहना शुरू किया, जब भी भारत ने स्वतंत्र होना चाहा, या तो इसके नेता मारे गए या इसकी प्रगति धीमी रही। यह एक बड़े षडयंत्र के अंतर्गत होता है। श्री राजीव गांधी भी वही काम कर रहे थे। उनकी लीला समाप्त कर दी गई।

मुझे याद है कि मैंने श्री राजीव गांधी से तीन बार कहा था कि उन्हें मार दिया जाएगा। एक बार अकेले में, दूसरी बार संसद सदस्यों के सामने और तीसरी बार उनकी मृत्यु के तीन दिन पहले जब वे चुनाव प्रचार के लिए पटना गए थे। मैं न तो कोई ज्योतिषी हूं न ही कोई भविष्यवक्ता। परंतु यह कहानी एक राजनयिक ने कही थी। मैंने आज तक उनके जैसा राजनयिक नहीं देखा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऐसा होने वाला है। और यही हुआ।

वास्तव में, हम इस सभा में फैयरफैक्स पर चर्चा कर रहे थे। यहां उपस्थित सभी पुराने सदस्यों को वह याद होगा। एक संध्या पार्टी हुई थी मुझे छोड़कर सभी शराब पी रहे थे क्योंकि मैं मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता। मैं शराब नहीं पीता। कुछ समय बाद एक राजदूत भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, "डाक्टर, आपकी सभा में किस बात पर चर्चा हो रही है? मैंने कहा, "हम फेयरफैक्स पर चर्चा कर रहे हैं।" क्या आप इस एजेंसी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा, "ज्यादा नहीं।" यह सी.आई.ए. की एक एजेंसी है। उन्होंने कहा "अब सी.आई. ए. आपके देश के खिलाफ है।" मैंने कहा "क्यों?" उन्होंने उत्तर दिया, "ऐसा इसलिए, क्योंकि जब श्री राजीव प्रधान मंत्री बने तो उन्हें उम्मीद थी कि यह अत्यंत सुसंस्कृत युवक दक्षिणपंथी स्वभाव का है इसका झुकाव अमेरिका की ओर होगा।" क्या आपने देखा था कि जब वे अमेरिका गए थे तो उनका कैसे करतल ध्वनि से स्वागत हुआ था? मैंने कहा, "जी हां, मैंने वह दूरदर्शन पर देखा था।" श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे। वहां करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ था। परन्तु उन्होंने एक गलती कर दी थी। अमेरिका जाने के बाद वे रूस चले गए। मेरे कुछ पुराने साथियों को यह याद होगा।

फिर उन्होंने कहा, "उन्होंने वह गलती की थी।" अब उन्होंने यह गणना की कि यह व्यक्ति झुकने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद बढ़ा दिया। फिर उन्होंने महसूस किया कि आतंकवाद भी उन्हें नहीं बदल सकता। अतः उन्होंने यह कहकर अपने हथकंडे बदल दिए, ठीक है; यह जारी रहेगा।" उन्होंने कहा, 'वे कम्यूनिस्ट ब्लाक के खिलाफ एक ब्लाक बनाना चाहते हैं। एक ब्लाक में उस क्षेत्र से रूस और चीन थे।

रात्रि 10.00 बजे

एक ब्लाक में टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, पाकिस्तान और बंगलादेश थे। केवल एक देश जो अपने आप स्वतंत्र चल रहा था वह था भारत। इसलिए वे भारत में एक कमजोर सरकार या एक गठबंधन सरकार या अपने पसंद की सरकार चाहते थे। उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया? उन्होंने भारतीय मनोविज्ञान का अध्ययन किया और यह मत बनाया कि भारत में कोई भी दल एक विशेष नेता के इर्द गिर्द घूमता है, उदाहरण के लिए कांग्रेस के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी; या टी.डी.पी. के लिए श्री एन.टी. रामाराव इत्यादि इत्यादि।

अब उनकी सोच यह है कि अगर स्वर्गीय राजीव गांधी के विरुद्ध एक या दो या कुछ भ्रष्टाचार के मामले हो जाते हैं तो क्या होगा? मुझे बताया गया कि उन्होंने इसका इस तरह मूल्यांकन किया कि अगर वे किसी व्यक्ति को राजनैतिक रूप से बरबाद करना चाहते हैं तो वे इस देश में उसके खिलाफ कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के मामले शुरू कर दें। किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार के मामले शुरू करने में सफल होने के बाद वे यह मूल्यांकन करते कि क्या वह व्यक्ति राजनैतिक रूप से कमजोर हुआ है अथवा नहीं। अब, अगर वह व्यक्ति अपना नेतृत्व खो दे या वह इस कारण वह राजनैतिक रूप से कमजोर पड़ जाता तो वे उसे छोड़ देते। परंतु अगर उन्हें लगता है कि हर प्रयास के बावजूद, वह व्यक्ति वापिस सत्ता में आ सकता है तो वे लोग उस व्यक्ति की लीला ही समाप्त कर देते हैं।

क्या हुआ है? यहां कई माननीय सदस्यों को याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच विवाद हुआ था। उसका महत्व क्या था? यह विवाद उस राजनैतिक दल को केरल और पश्चिम बंगाल के चुनावों में कमजोर बनाने के लिए किया गया था। परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर वे हिन्दी क्षेत्र में उन्हें कमजोर बनाने की एक बड़ा षडयंत्र रचने की योजना बना रहे थे। इसलिए, उस व्यक्ति ने तीन व्यक्तियों का नाम लिया था – उनमें से दो मर चुके हैं और एक अधमरा हो चुका है, इसलिए मैं यहां उसका नाम लेना चाहूंगा। परंतु उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से उन लोगों का नाम लिया था। उन लोगो में से एक इस देश के उच्चतम पद पर आसीन था, दूसरा व्यक्ति भी लगभग उसी तरह उच्च पद पर आसीन था और तीसरा व्यक्ति एक पत्रकार था। मुझे बताया गया था कि वे इस विशेष पत्रकार के माध्यम से अन्य दो व्यक्तियों के पत्रकारों तथा अन्य दो व्यक्तियों के माध्यम से राजनीतिज्ञों को प्रभावित कर रहे थे।

उस घटना के बारे श्री राजीव गांधी को बताते हुए मैंने उनसे कहा कि वे सावधान रहें क्योंकि उनके खिलाफ एक षडयंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि सभी प्रकार की सावधानियां बरतेंगे। पुनः, उनके तमिलनाडु जाने से पहले मैंने उन्हें पटना में इस कहानी का स्मरण कराया। अखबारों ने विशेषकर 'द वीक' और कुछ विदेशी अखबारों ने भी यह लिखना शुरू कर दिया था कि वे भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और भारत को भ्रष्टाचार और विकास के बीच चुनाव करना है। उस समय अखबारों में ऐसे लेख छप रहे थे। अंत में उन्हें परिदृश्य से हमेशा के लिए हटा दिया गया। बड़े षडयंत्र के परिणामस्वरूप मार दिया गया।

सुबह मैं काफी चिंतित था जब हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विषय को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था और यह कहा था कि वे खुले दिल से किसी भी सुझाव को मानेंगे। श्री शिव शंकर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जब उन्होंने इस विषय को दूसरी ओर से प्रस्तुत किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला था परंतु उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई जानना चाहते है। भगवान बुद्ध ने अपना सारा जीवन सच्चाई की खोज में लगा दिया था। इन सात सालों में यह मैं समझता हूं कि आगे 15 से 20 साल बाद कुछ सदस्य यहां नहीं होंगे और सच्चाई भी सामने नहीं आएगी।

उस कहानी में एक और बात कही गई थी। वे वास्तव में एक कड़ी वाले षडयंत्र का अनुसरण करते हैं। अगर कोई किसी बात के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वह एक विशेष कड़ी से आगे नहीं जा सकता। इस प्रकार यह ऐसा ही होता है। उस विशेष स्थिति में हमारे डी.एम.के. तथा ए.आई.ए.डी.एम.के. के मित्रों ने कुछ बातें कहीं थी। वे चूंकि एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसलिए हम उनके तर्क नहीं सुन सके।

भारतीय शांति सेना भेजे जाने के बाद श्री राजीव गांधी ने लिट्टे का पक्ष नहीं लिया क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। वे जानते थे कि लिट्टे ने भारत को धोखा दिया है। निश्चित रूप से भारत ने पहले लिट्टे की मदद की थी परंतु बाद में नहीं। श्री जोगी हिन्दी में बहुत अच्छे बोले परन्तु उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की। वे भी सच्चाई जानना चाहते थे। सच्चाई का पता लगाने में काफी समय लगेगा। जैन आयोग या अन्य आयोग सच्चाई का पता नहीं लगा सके। इसलिए इसमें काफी समय लगेगा।

सभा को यह निर्णय करना है कि क्या किया जाना चाहिए सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या हमें एकजुट हो जाना चाहिए। अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। यह न केवल संसद सदस्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। यह राष्ट्र एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। हमें बहुत ही निर्णायक फैसला करना होगा। यहां उपस्थित सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि कुछ सकारात्मक काम किया जाना चाहिए ताकि देश की छवि सुधर सके और लोगों का दुख कम हो सके। इस दिशा में हमें कतिपय सकारात्मक निर्णय लेने होंगे। मैं समझता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे रचे षडयंत्र का पता लगाने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई समिति का गठन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, हाउस का टाइम तो दस बजे तक था। अब दस बजे गये हैं इसलिए आप टाइम और बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति महोदय ने घोषणा की थी कि सभा की बैठक रात्रि 11.00 बजे तक होगी।

श्री के.एस. राव (मछली पत्तनम) : सभापति महोदय, श्री राजीव गांधी की मृत्यु के इतने वर्षों के बाद आज हम जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं।

[श्री के.एस. राव]

श्री राजीव गांधी जी केवल कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं थे। वे राजनीति में काफी बेमन से शामिल हुए थे। उन्हें खुले रूप से कहा था कि उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं है। वे एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब राष्ट्र को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हुई और इसके लिए उनसे आग्रह किया तब वे राजनीति में आए। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी लहर विगत की तरह न होकर स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी की सी लहर थी। उन दिनों में श्री राजीव गांधी का नाम और विचार ही देश भर के सभी युवाओं को रोमांचित कर देता था। वे उनके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व थे। नवम्बर, 1984 में देश भर के सभी दलों के युवाओं ने स्वतंत्रयोत्तर भारत की युवा पीढ़ी ने, जिसमें भाजपा या तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल है, बिना किसी दलगत संबद्धता या आस्था के श्री राजीव गांधी को वोट दिया था। इसके परिणामस्वरूप, 500 सीटों में से कांग्रेस 401 सीटों पर जीती। स्वतंत्रयोत्तर भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।

वे कैसे व्यक्ति थे? वे ऐसे व्यक्ति थे जिनमें साहस था। इस बात का पूरा आभास होते हुए भी कि उनके जीवन को खतरा है उन्होंने निर्णय लिए थे। कई कांग्रेसियों द्वारा सलाह देने के बावजूद कि उनके निर्णयों का यह हश्र होगा, उक्त हश्र की परवाह किए बिना उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसे निर्णय लिए।

उन्होंने कहा, राष्ट का हित ही मेरा हित है। मैं इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह हकीकत बन जाएगी।

मुझे याद है कि 1985 में विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी प्रशंसा की थी मुझे याद नहीं है कि श्री आडवाणी जी की ऐसी अभिव्यक्ति थी या नहीं लेकिन अन्य नेताओं ने देश के प्रधान मंत्री के रूप में काम में उनकी तेज पकड़, उनकी क्षमता और उनके कार्य निष्पादन के लिए उनकी प्रशंसा की थी। न केवल भारतीय नेताओं ने बल्कि विश्व के नेताओं ने भी उनकी प्रशंसा की तथा उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया। अन्य दलों के नेताओं ने भी अपनी दलीय सीमाओं से बाहर आकर खुलकर कहा कि वे उनकी प्रशंसा करते हैं। वह ऐसे नेता थे जिन्हें हमने खो दिया।

इससे यह आशंका उत्पन्न होती है। कि यदि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे उन सभी नेताओं का जिनके पीछे अपार जनसमूह था और जो जनता में जागृति पैदा कर सकते थे, यहीं हश्र होना है तो क्या कल कोई नेता, चाहे वह किसी दल का क्यों न हो, राष्ट्र के हित में कोई ठोस निर्णय ले सकता है? जब हम स्वयं को एक दल तक सीमित कर लेते हैं और इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो हम उन लोगों का पता लगाने में, जिन्होंने इस हत्या का षडयंत्र रचा, मामले को वर्षों तक खींच ले जाते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से केवल यही अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम यह बातें इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे दिल में राजीव गांधी के लिए प्यार था अथवा क्योंकि हम कांग्रेस दल से संबंध रखते हैं अथवा क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री होते अथवा क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। एक व्यक्ति के रूप में और एक नेता के रूप में राजीव गांधी ने क्या अपराध किया था? क्या उन्होंने जनता अथवा राष्ट्र के हित के विरूद्ध कोई गलत कार्य किया था? जिस समय उन्होंने इस देश की सत्ता संभाली, उस समय पंजाब में काफी अशांति थी, उन्होंने बातचीत में अपनी कुशलता द्वारा लोगोंवाल समझौता लागू किया जिससे पंजाब में आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सका था। उन्हीं के द्वारा ही असम समझौता और मिजोरम समझौता सम्पन्न हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए। अनेक लोगों का विचार था कि राजनीति में अनुभव की कमी के कारण उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन उनकी सफलता ने न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी उनके विरुद्ध ताकतों में डर उत्पन्न कर दिया था।

यहां मैं तत्कालीन गृह मंत्री श्री चव्हाण द्वारा इस संबंध में दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा जो कि उन्होंने राज्य सभा में बोलते हुए कहा था। इस अंश को अंतरिम रिपोर्ट के खंड-I के पृष्ठ 20 पर देखा जा सकता है। यह निम्न प्रकार है :

> "चूंकि हम यह जानने के बहुत इच्छुक हैं कि इस पूरे मामले के पीछे षडयंत्रकारी कौन हैं। मुख्य बात यह है कि क्या इस षडयंत्र के पीछे कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। हमें इस बात की जांच करनी होगी। कम से कम मैं इस बात के प्रति विश्वस्त हूं कि कुछ एजेंसियों के बारे में मालूम है। लेकिन हमें किसी तरह का ऐसा कोई संकेत, किसी तरह का ऐसा कोई सबूत मिलना चाहिए कि उक्त एजेंसियां वे हैं जो परस्पर जुड़ी हुई है यह शंका मेरे दिमाग में इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि यह हत्या तब हुई थी जब दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्य से राजीव जी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और वह प्रधान मंत्री बनने वाले है। यदि वह तीसरे विश्व के नेता के रूप में उभरने वाले थे तो क्या उन्हें रहने दिया जाए अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाए। ताकि भारत को उनकी हैसियत का ऐसा कोई नेता न मिल सके जो संभवतया महाशक्तियों के समक्ष संबंधित मुद्दे उठा सके और उनसे लड़ सके...."

मैं जो कहना चाहूंगा वह यह है कि यदि कोई नेता कल उभर कर सामने आता है और विश्व के राष्ट्रों में अपना ऐसा ही प्रभाव जमा देता है तो यह बहुत संभव है कि उसका भी वहीं हश्र होगा। अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दुबारा न हों?

राजीव गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरंभिक दिनों में जब वह सत्ता में थे, बहुत ठोस निर्णय लिए। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया।

उन्होंने महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया और यहां तक कि वह विधान सभाओं और संसद में उनको आरक्षण प्रदान करने के बारे में

विचार कर रहे थे। उनकी दूरदृष्टि से सभी वाकिफ थे। सभी जानते हैं कि वह ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मस्तिष्क में यह चित्र खींचा था कि यदि हम लोगों को कार्य के प्रति प्रेरित करें तो भारत अपनी विशाल तकनीकी जन शक्ति और प्रतिभा से थोड़े से समय में ही संयुक्त राष्ट्र अमरीका सहित दुनिया के सभी राष्ट्रों से आगे निकल सकता है।

यह वहीं थे जो इस देश में इन सभी नए विचारों को लाए थे जिसके कारण उन्होंने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संबंध में भी निर्णय लिए...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : हम विकेन्द्रीकरण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं अथवा हत्या के संबंध में?...*(व्यवधान)*

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनके अपने विचार है...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : मैं अपने विचारों को सूत्रबद्ध कर रहा हूं। चिंता नहीं करिए, मैं अभी मुद्दे पर आऊंगा...*(व्यवधान)* क्या इस मंच, जो कि इस देश का सर्वोच्च मंच है, आडंबर छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए अथवा क्या हम भी इस सभा में अपना यह आडंबर जारी रखेंगे? क्या केवल चुनाव जीतना ही यहां हम सब का एक मात्र लक्ष्य है? क्या लोक सभा अथवा विधान सभा में बने रहना अथवा सत्ता को जीतना ही एक मात्र लक्ष्य है? क्या हम सभी मूल्यों का तिरष्कार कर देंगे? क्या हम राष्ट्र तथा जनता के प्रति त्याग तथा सेवा जैसे शब्दों को भूल जाये? क्या हम इन मूल्यों को हमेशा के लिए भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखे? महोदय, जब तक कि हम इन अर्थों में नहीं सोचेंगे अथवा दलगत नीति से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, तब तक मुझे डर है कि वही घटनाएं बार-बार होंगी। अतः सभा से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम ऐसे अवसरों पर हमें दल की सीमा में रहकर नहीं बोलना चाहिए अथवा ऐसे मामलों में राजनीतिक लाभ नहीं उठाने चाहिए।

मेरे मित्र श्री प्रेमचन्द्रन पहले बता रहे थे कि वर्ष 1991 के चुनाव कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी की मृत्यु की भावनाओं के आधार पर लड़े गए थे। हो सकता है वह भूल गए हों कि उनकी मृत्यु से पहले आधे चुनाव सम्पन्न हो चुके थे। हमने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि राजीव गांधी की इस तरह से हत्या कर दी जाएगी। महोदय, सभी दलों के नेताओं को इस संबंध में कुछ दृढ़ निर्णय लेने चाहिए कि कुछ पहलुओं पर हमें दलगत नीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। कम से कम इस सभा में हमें कुछ सच बोलना चाहिए और कुछ उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

अंतरिम रिपोर्ट के खंड-I के पृष्ठ 31 में कहा गया है :

> "भार्गव आयोग ने पूछा कि श्री भार्गव ने 27 मई, 1991 की अधिसूचना में विचारार्थ विषयों के केवल एक भाग को ही शामिल क्यों किया जो कि उनके पूर्ववर्ती श्री प्रेम कुमार ने 28 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना में सूचीबद्ध किया था जबकि दोनों अधिसूचनाएं एक ही विषय अर्थात् भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित थे और एक ही मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे?"

दुर्भाग्यवश सरकार कभी भी सही जवाब नहीं दे सकी और उन्होंने कहा कि फाइल गायब है। यदि उच्च पदासीन जिम्मेदार व्यक्ति इसी तरह जवाब दे तो यह सरकार अथवा यह राष्ट्र कैसे मार्गदर्शन करेगा? मैं भा.ज.पा. अथवा किसी अन्य दल अथवा कांग्रेस की कमियां निकालने में इच्छुक नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि सरकार को यह कहना है कि उनसे एक ऐसे गंभीर मामले की फाइल गायब हो गई है, तो इस पर बारीकी से चर्चा की जाए। किसी पार्टी को मद्देनजर रखे बिना चर्चा की जाए।...*(व्यवधान)* मैं इसका लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। अब, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि डी.एम.के. अथवा अन्नाद्रमुक जिम्मेदार है अथवा कोई अन्य दल जिम्मेदार है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि आप रिपोर्ट पढ़ सकते है, यह उसमें लिखा है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन जो कुछ भी रिपोर्ट में कहा गया है...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : किस मंत्री के कार्यकाल के दौरान वह फाइल गायब हुई थी?...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक : क्या वह माननीय मंत्री महोदय की ओर से बोल रहे हैं।

श्री के.एस. राव : उन्होंने कहा, आयोग ने पूछा था कि कैबिनेट सचिव अथवा गृह मंत्री अथवा प्रधानमंत्री सहित किस उच्चाधिकारी के आदेश पर यह किया गया था? अभी भी कोई जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा कि इन व्यक्त की गई शंकाओं के कारण "कि सरकार ने सीमित तथा संशोधित किए गए विचारार्थ विषयों के साथ जांच के लिए वर्मा आयोग गठित करने का निर्णय जानबूझकर लिया था और आप जानते हैं कि उस समय किसकी सरकार थी, इस सच्चाई का पता लगाने के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं थी और न उसका ऐसा कोई इरादा था कि राजीव गांधी की हत्या संबंधी समूचे तथ्य एवं उसके इर्द गिर्द परिस्थितियां क्या थी और विशेषकर देश में वे व्यक्ति कौन थे अथवा वे कौन सी अंदरूनी अथवा बाहरी ताकतें थी जिनका राजीव गांधी की हत्या में हाथ था अथवा जिनका उक्त तथ्यों को छुपाने, हत्या की योजना बनाने व इसका षडयंत्र रचने में हाथ था।

हममें से प्रत्येक को यह नोट करना चाहिए कि ऐसे मामलों में सरकार कह रही थी कि फाइल खो गई थी और संबंधित प्राधिकरण अथवा जैन आयोग द्वारा अनेक अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री के सचिवालय से इसका जवाब नहीं आ रहा था।

उन्होंने कहा, फाइल का पता नहीं लग पाया। इसी अंतरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 33 पर उन्होंने स्पष्ट किया कि फाइल नहीं मिली और आयोग से और समय मांगा और कहा कि वह अभी तक उस फाइल को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या यह अंतरिम रिपोर्ट के अंश है?

श्री के.एस. राव : वही अंतरिम रिपोर्ट

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कौन सा खंड?

श्री के.एस. राव : खंड I।

उन्होंने कहा, तद्नुपरांत उन्होंने फाइल दुबारा बनाई। फाइल बिल्कुल वैसी नही बनाई गई थी जैसे कि आरंभ में बनाई गई थी। बाद में यह भी महसूस किया गया कि उसमें वह सब बातें शामिल नहीं हैं जो कि होनी चाहिए थी। इससे सच्चाई का पता लगाने में उस समय विद्यमान सरकार द्वारा ली गई रुचि का पता चलता है, जिस सच्चाई के बारे में जानने के लिए सरकार सहित हम सभी इच्छुक हैं।

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, जो व्यक्ति फाइल के गायब हो जाने के लिए जिम्मेवार है वह आज चर्चा से भी गायब हैं। वह है पूर्व मंत्री, श्री चिदम्बरम्...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री वी. सत्यमूर्ति : उस खोई हुई फाइल के लिए कौन जिम्मेवार है? संबंधित मंत्री, श्री चिदम्बरम् आज सभा में स्वयं उपस्थित नहीं हैं। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* श्री चिदम्बरम की अनुपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : पृष्ठ 39 पर यह कहा गया है कि जब कुछ समय तक फाइल वापस नहीं आई तब गृह मंत्रालय ने उपर्युक्त फाइल वापस भेजने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय को विभिन्न स्तरों पर अनेक अनुस्मारक जारी किए। प्रधानमंत्री के कार्यालय को पुनः अनुस्मारक भेजा गया था लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला और इस संबंध में समय बढ़ाने की मांग की गई थी। जैन आयोग की पहली बैठक 27.8.1992 को हुई थी। कारण स्पष्ट थे कि महान्यायवादी श्री रामास्वामी ने तकनीकी आधारों पर पहली ही बैठक में आपत्ति उठाई थी कि यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसी प्रकार, जब श्री मुश्ताक अहमद यह पृष्ठ 57 में बताया गया है- ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में 2.7.93 के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए अपना निर्णय दिया था।

भारत सरकार जिसने इस आयोग का गठन किया था स्वयं उच्चतम न्यायालय में चली गई। यह स्पष्ट है कि जिसने इस आयोग का गठन किया था उसी ने यह कहा कि उसी पहलू की जांच करना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव : मैं अभी शीघ्र समाप्त कर दूंगा। मैं माननीय सभा के ध्यान में आयोग को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव के संबंध में की गई कुछ टिप्पणियों को लाना चाहता हूं। अंतिम रिपोर्ट के खण्ड VI के पृष्ठ 21 पर कहा गया है :-

> "विशेष जांच दल को निर्देश दिया गया था कि वह जांच से संबंधित केस डायरी, दस्तावेज, रिकार्ड और अन्य सामग्री आयोग को उपलब्ध कराए।"

पृष्ठ 22 से हमें पता चलता है कि केन्द्र सरकार के वकील ने कहा था कि आयोग को विशेष जांच दल द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र, उसक द्वारा एकत्र की गई सामग्री की जांच नहीं करनी चाहिए और न ही उसे साक्षियों, अभियुक्तों अथवा संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार केन्द्र सरकार के वकील ने आयोग को सलाह दी कि उसके सामने निम्नलिखित विकल्प हैः-

> "जैन जांच आयोग को या तो सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाए अथवा आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया जाए ताकि जैन आयोग की परिधि सें विशेष जांच दल की जांच को बाहर किया जा सके।"

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपने 25 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री के.एस. राव : मैं बस अभी समाप्त करता हूं। मैं बस एक अथवा दो बातें ही कहूंगा। आश्चर्य है कि जांच कर रही वर्मा आयोग ने सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पहले ही जांच कर ली थी। यह कैबिनेट टिप्पण में दिया गया है। यह पृष्ठ 24 में उपलब्ध है:-

> "वर्मा जांच आयोग ने राजीव गांधी की हत्या के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पहले ही जांच कर ली थी और अपनी रिपोर्ट दे दी थी। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1992 में संसद के दोनों सदनों में रखी गई थी और आगे अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी। अतः जिन परिस्थितियों में राजीव गांधी की हत्या हुई वे अब रहस्यमय नहीं रह गई है।"

उनका कहना है कि इसीलिए आयोग की आवश्यकता नहीं है। आयोग को समाप्त करने के लिए यह बड़ा आश्चर्यजनक तर्क है। वह कह रहे हैं कि वर्मा आयोग ने यह कार्य पहले ही कर लिया है। लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा है कि वर्मा आयोग षडयंत्र की जांच नहीं कर रहा था और जैन आयोग का कार्य षडयंत्रकारियों का पता लगाना है। वहीं सरकार स्वयं यह कह रही है कि चूंकि वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी है इसलिए जैन आयोग की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत आश्चर्यपूर्णजनक और अचम्भित करने वाला वक्तव्य है। महोदय यह तो बड़े हैरानी की बात है।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : वहां किसकी सरकार थी।

श्री के.एस राव : वही तो मैं बता रहा हूं कि यदि मेरा आशय यह होता तो मैं आप पर कीचड़ उछालता।

सभापति महोदय : श्री सत्य पाल जैन, कृपया तंग मत कीजिए।

श्री के.एस. राव : यदि आप हमारा आदर करते हैं तो उसी तरह हम भी आपका आदर करेंगे। मेरा माननीय सभा और माननीय सदस्यों में अनुरोध है कि कृपया कतिपय बातों का फायदा न उठाये। मैं विशेष परिस्थितियों का फायदा नहीं उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए अभी एक दो व्यक्तियों को भी बोलना है।

श्री के.एस. राव : साधारणतया यह कहा जाता है कि कार्य सूची का अनुमोदन प्रधान मंत्री करते है। पृष्ठ 31 पर केबिनेट का टिप्पण जिसमें आयोग को समाप्त करने के लिए कहा गया है। मैं एक अथवा दो बातें बताऊंगा। पृष्ठ 32 पर उन्होंने कहा है :-

> "यह रिकार्ड का मामला है जो आयोग की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है और इसकी पुष्टि रिकार्ड से की जा सकती है।"

मैं इसे इंकार करता हूं। सरकार श्री चन्द्रास्वामी और अन्य की सहायता करना चाहती थी और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने आयोग की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। मैं पृष्ठ 36 और 44 में लिखी बात को पुन: उद्धृत करता हूं :

> "श्री पी.वी. नरसिम्हराव का वक्तव्य रिकार्ड के विपरीत है। इसका निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के स्तर पर होने के बजाए यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय में पेश किया गया था।"

महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले लोगों को सतर्क होना चाहिए। यह एक साधारण सांसद अथवा आम नागरिक का प्रश्न नहीं है। प्रधान मंत्री किसी भी राजनीतिक दल का हो उसका कुछ महत्व होना चाहिए हमें कतिपय मान्यताओं को कायम रखना होगा जब तक हम सच नहीं बोलते मैं नहीं समझता कि हम उन पदों पर आसीन होने के हकदार हैं। हम यहां कुछ कहते है और सदन के बाहर कुछ और करते है।

मेरा यहां यह कहना है कि यह इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जब हम इस हैसियत पर पहुंचते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना, लोगों की सेवा करना होना चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए निर्वाचित होकर नहीं आए है। यदि व्यक्तिगत हितों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो क्या हम उन लोगों को धोखा देना चाहते है जिनका वे अपने निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार क्या वे अपने राष्ट्र को धोखा देना चाहते हैं?

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव : अन्य आश्चर्यजनक बात यह है कि चर्चा करते हुए किसी न किसी कारण से वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आयोग को इस मामले की जांच करने का अवसर नहीं दिया गया है। उन्होंने तीन श्रेणियों के बारे में चर्चा की।

सभापति महोदय : अब मैं अगला वक्ता बुलाऊंगा।

श्री के.एस. राव : पहली श्रेणी वह है जहां विशेषाधिकार का दावा किया जाएगा लेकिन उसके लिए आपत्ति भी नहीं होगी। दूसरी श्रेणी में वे मामले आएंगे जिसमें आयोग में भी पूर्ण विशेषाधिकार का दावा किया जाएगा।

आश्चर्यजनक रूप से तीसरी श्रेणी 35 मामलों की होगी जो इतने संवेदनशील थे कि उनके दस्तावेजों के अस्तित्व का जोरदार बहिष्कार किया जाएगा।

इसका तात्पर्य है यहां भी लोग कुछ झूठ कहेंगे अथवा वे कहेंगे कि इस बात को दोहराने के लिए मजबूर है अथवा वे जानबूझकर उन्हें स्वयं अपने द्वारा विधिवत गठित आयोग या न्यायमूर्ति जैन को सौंपने से इंकार कर देंगे।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमसे से हर एक जानता है कि वे किस दल से सम्बद्ध है लेकिन हमें जीवन में पाप से कुछ भय होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ नैतिकताएं होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए यदि मैं जो कुछ कांग्रेस ने किया है उसका लाभ उठाता हूं यदि वे जो कुछ भा.ज.पा. ने किया है उसका लाभ उठाते हैं तो इससे देश में स्वयं को पूरी तरह उलझा कर स्थिति को और जटिल बनाना ही होगा।

सभापति महोदय : अगला वक्ता श्री अमर राय प्रधान। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपको समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। आपने आधे घंटे से अधिक समय ले लिया है। कई अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते है।

श्री के.एस. राव : की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है—यह पाया गया है कि सरकार ने आयोग को पूरा सहयोग दिया था। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट के पृष्ठ 3 में भी, अपने कार्यकरण के अंतिम दिन तक उन्होंने भी यह कहा है सभी सम्बद्ध दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए गए थे।

सभापति महोदय : श्री राव कृपया बोलना बंद कीजिए। मैं आपको बोलना बंद करने के लिए कह रहा हूं। मैं अन्य वक्ता को बुला रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : मेरा अनुरोध बस इतना है कि यह जैन आयोग ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उसके विपरीत है। न्यायमूर्ति जैन ने बार बार कहा है कि उन्हें सरकार से सहयोग नहीं मिला था। उनका कहना कि उन्हें पूरा सहयोग दिया गया, जैन आयोग द्वारा दिए गए तथ्यों के यह बिल्कुल विपरीत है। मेरी कामना है कि उनकी नीयत साफ होवे। उनके प्रयासों की झलक इस तरह प्रतिबिम्बित होवे कि वे सत्य का पता लगा रहे है और यह पता लगा रहे हैं कि षडयंत्र-कर्ता कौन थे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे उन बातों को न दोहराए जिसका वर्णन की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में किया गया है। हम न्याय

[श्री के.एस. राव]

चाहते है हम चाहते है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठे और सत्य का पता लगाने में आपसी सूझ बूझ का माहौल बनाएं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, केवल एक मिनट के लिए, मैं श्री के.एस. राव से सहमत हूं। कृपया सहयोग कीजिए।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, श्री पी. शिवशंकर ने कहा था कि 5 वर्षों तक जैन आयोग को रिकार्ड नहीं दिये गए थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार ने आयोग को पूरा सहयोग दिया।

सभापति महोदय : श्री अमर राय प्रधान—अनुपस्थित। श्री एन.एन. कृष्णदास—अनुपस्थित। श्री शकुनी चौधरी—अनुपस्थित। डा. एस. वेणुगोपालाचारी—अनुपस्थित। श्री आनन्द मोहन—अनुपस्थित। प्रो. सैफद्दीन सोज—अनुपस्थित।

श्री राम दास अठावले

[हिन्दी]

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, राजीव गांधी जी की हत्या को सात साल दो महीने और 15 दिन हो गये हैं। राजीव गांधी अपने देश में परिवर्तन लाने वाले बड़े नेता थे। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी का एलाइंस हुआ था तब 10 मई 1991 को राजीव गांधी चुनाव प्रचार हेतु मुम्बई आये थे और वहां उनकी सभाएं हुई थी। वे डरकर बैठने वालों में नहीं थे। उनमें लोगों के साथ मिक्स अप होने की प्रवृत्ति थी क्योंकि वे करोड़ों गरीब लोगों के नेता थे। इसलिए वे जहां जहां भी जाते थे लोगों में मिक्स अप हो जाते थे। जो रिपोर्ट आई है उसे जल्दी आना चाहिए था। वर्मा कमीशन की रिपोर्ट दो साल बाद आई। उसके बाद जैन कमीशन बैठा और आज इतने सालों के बाद देश के प्रधान मंत्री और युवापीढ़ी के पॉपुलर नेता की हत्या के बाद हम हाउस में चर्चा कर रहे हैं। जैन कमीशन की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसमें उनका कहना यह है कि

[अनुवाद]

लिट्टे के पीछे विदेशी हाथ होने की संभावना है। आयोग के समक्ष रखे गए साक्ष्यों से भी पता चलता है कि भारत में आतंकवाद को भड़काने के पीछे कुछ बाह्य शक्तियां भी थी और ये शक्तियां श्री राजीव गांधी के जीवन को खतरा पहुंचाने के लिए उग्र आतंकवादी तत्वों को भड़का रहे थे।

फाइल रिपोर्ट में बताया गया है कि "अब: श्री राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे के पीछे विदेशी हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बल्कि यह संभावना प्रबल रूप में सामने आती है।"

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि अगर बाहर की शक्तियों का एल.टी.टी.ई. द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कराने में स्पोर्ट था, इसकी कमीशन स्टडी करता रहा और कौनसी बाहरी शक्तियों का यह षडयंत्र था इसे जानने की कोशिश जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की है। लेकिन षडयंत्र देश के लोगों का था देश के बाहर के लोगों का था इस बारे में रिपोर्ट में कुछ न कुछ आना चाहिए था। जब हम एक बड़े नेता की हत्या की सच्चाई जानने के संबंध में यहां बहस कर रहे हैं तो हत्या की प्लॉनिंग के संबंध में सच्चाई कमीशन की रिपोर्ट में आने की आवश्यकता थी। लेकिन वह क्यों नहीं आई यह बात मेरी समझ में नहीं आया। पांच साल कांग्रेस की सरकार थी और जैन कमीशन को स्टडी करने में, कंक्लूजन तक पहुंचने में एक फाइल की आवश्यकता थी जो प्रधान मंत्री के कार्यालय से गायब हो गयी। यह प्रशासन के लिए बहुत गंभीर बात है। राजीव जी की हत्या के बाद राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े नेता की हत्या हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।...*(व्यवधान)* जिस समय राजीव जी की हत्या हुई, उस समय वह प्रधान मंत्री नहीं थे। चाहे कोई नेता हो, या कार्यकर्ता हो, अगर उनकी हत्या के बारे में पुलिस को कोई सूचना मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और सरकार दोनों की है। चाहे कोई कितना भी सिम्पल आदमी क्यों न हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई प्रधान मंत्री हो, मंत्री हो या एम.पी. हो, सब की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। राजीव गांधी एक अच्छे लीडर थे। वे जहां जाते थे, वहां हजारों लाखों लोग जमा होते थे। उनके आने की जानकारी चाहे सैंटर की पुलिस हो या स्टेट की पुलिस हो, उसे होनी चाहिए। राजीव जी को यह खबर देने की आवश्यकता थी कि वह जिस सभा में जा रहे हैं, वहां धोखा होने की संभावना है। ऐसी सूचना राजीव जी को नहीं दी गई। पुलिस डिपार्टमैंट और इंटैलिजैंस डिपार्टमैंट ने इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी। फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। 26 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई। अन्य 15 लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक गंभीर बात है। हम अपनी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि दोषी लोग के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस बारे में सरकार क्या करने वाली है, हमें नही मालूम? सरकार इस बारे में एक्शन लें। राजीव जी की हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ था, इसे देखने की आवश्यकता है। इतनी मांग करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : माननीय सभापति जी, जैन कमीशन की रिपोर्ट पर आज जो चर्चा शुरू हुई है, वह चर्चा, जब पहले रिपोर्ट आई थी और संयुक्त मोर्चा की सरकार गिरी थी, उस समय होनी चाहिए थी। जिस भावना के साथ आज जोगी जी ने अपनी बात कही, शायद दो साल पहले उसी भावना से वे बात करते, दो दिन तक उस रिपोर्ट को लेकर इस सदन में चर्चा कराते तो कुछ बातें पहले मिल जाती। हम यहां जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते बैठे हैं। केवल भावनाएं रखने से काम नहीं होगा। हमें अपने कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। हमें दिल को कठोर बना कर निर्णय लेने होंगे और काम करने होंगे।

मैंने आज सदन में कई लोगों की बात सुनने की कोशिश की। यहां सी.बी.आई. पर कीचड़ उछाला गया। उनके विचार में

सी.बी.आई. कोई अच्छा काम नहीं करने वाला है। एक सज्जन ने कहा कि हम ही दुनिया में महान नेता हैं। उस सज्जन का नाम एक्शन टेकन रिपोर्ट में आया। उन्होंने सफाई देते हुए बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने कांग्रेस से हाथ जोड़ कर कहा कि असली दोषी लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाए। यहां किसी ने डी.एम.के. पर अटैक किया।

आज की चर्चा से कुछ नतीजे भी निकले हैं। यह बात निश्चित है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और कुछ पकड़े जाने हैं। यहां माननीय शिवशंकर जी ने प्रारंभ में ऐक्शन टेकन रिपोर्ट का आखिरी भाग पढ़ते हुए कहा :

[अनुवाद]

"श्री राजीव गांधी हत्याकाण्ड मामले में सभी अभियुक्तों की गतिविधियों पर निगरानी..."

[हिन्दी]

इतना ही पढ़कर उन्होंने छोड़ दिया। अगर वे पूरा पढ़ते और सामान्य सत्य की बात कहते तो मैं मान लेता। श्री पी. शिव शंकर जी ने कहा : "जो अभी फरार है उन्होंने नही पढ़ा उन पर मुकदमा चलाया जाए।" आप रिकार्ड का अध्ययन कीजिए। मैंने उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इन शब्दों को उन्होंने नहीं पढ़ा। इसके अलावा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ए.टी.आर. के अंदर के तीन भागों में कहा है -

[अनुवाद]

"उपर्युक्त से संबंधित किसी अन्य मामले जो भविष्य में उत्पन्न हो सकता है पर भी गौर कीजिए।"

[हिन्दी]

यदि कोई नयी चीज आयेगी तो उसे क्रम से लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इस बात को कहते समय हमें ध्यान रखना चाहिये। यहां जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में संतोष की बात है। हम सभी को देश हित में सोचने का रास्ता अपनाना चाहिये। मेरा कांग्रेस नेताओं से अनुरोध है कि उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिये। हमने अपने देश में पं. दीन दयाल उपाध्याय और श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को खोया है। श्री उपाध्याय की हत्या 11 फरवरी, 1968 को की गई थी जब कि शास्त्री जी ने अपने प्राण टेबिल पर गंवा दिये। पं. दीन दयाल का स्वागत तीन लाख लोगों ने कालीकट में किया था। वे जनमानस के नेता थे। ऐसे ही श्री राजीव गांधी ने नई पीढ़ी को विश्वास दिया था। जब वे प्रधानमंत्री बने और 23 जनवरी देश के नवयुवकों का दिवस मनाने की सूचना कालेज में दी, स्वामी विवेकानन्द जन्म दिवस को अपने देश की संस्कृति से जोड़ते हुये आह्वान किया तो मेरे हृदय ने उन्हें कोटिशः धन्यवाद दिये। आज की इस दीर्घ चर्चा के दौरान यह कहा गया कि कहीं विदेशियों का हाथ है तो कहीं किसी राज्य सरकार का हाथ है, ऐसी बातों से निश्चित रूप से सोचने के लिये कुछ रास्ता मिला है। मेरा विश्वास है कि इस सदन में जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस संदर्भ में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर कुछ न कुछ सच्चाई निकलेगी और देश को एक नया रास्ता मिलेगा। भविष्य में देश हित में ऐसी चीजे छिपाई नहीं जायेंगी। यहां कांग्रेसी सांसदों ने कहा है कि कहीं न कहीं सत्य को छिपाने की कोशिश की गई है। हम लोगों ने इस बात को जानते हुये भी 5-7 साल तक सहा है लेकिन इस सहने में आपका बलिदान होता तो हम मानते। आप लोगों ने देश की गरिमा का बलिदान किया है। मेरा अनुरोध है कि भविष्य में किसी भी पार्टी द्वारा अंदरूनी झगड़ों के कारण देश का बलिदान करना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि इस ए.टी.आर. पर तीव्रता से डिसीजन लेकर इस देश को एक नई दिशा देने का काम करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सबसे पहले मैं वर्तमान सरकार को यह रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यद्यपि यह उन्होंने इस पक्ष के दबाव में आकर किया है फिर भी यह एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जा सकी थी क्योंकि उसे इस सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया था। परंतु यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और हमने इस पर काफी अच्छी चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। अब, इसके साथ-साथ रिपोर्ट के संबंध में सामान्य तौर पर मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगा।

महोदय जांच आयोग अधिनियम का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है। परंतु इसकी शक्तियां सीमित है।

मेरा कई आयोगों के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुभव है। आयोग एक तथ्य खोजी एजेंसी होती है इसलिए इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। यह गवाहों की जांच कर सकता है। परंतु स्वयं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं यह महसूस करता हूं कि स्वयं आयोग ने इसकी सिफारिश की है कि जांच आयोग अधिनियम में संशोधन किया जाए। मैं सुझाव का स्वागत करता हूं, ऐसा इस दृष्टि से नहीं कि इसकी सिफारिश आयोग ने की है। आयोग ने इसकी इस दृष्टि से सिफारिश की है कि कमोवेश आयोग की स्पष्ट सीमा तय की जानी है।

आयोग की कार्यवाही प्रेस में छपी है। जिससे आयोग की हैसियत और उसकी प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन मैं एक दूसरे आधार पर संशोधनों का प्रस्ताव कर रहा हूं। अगर बाद में समय हुआ तो मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा।

इस आयोग ने सात वर्षों का समय लिया। इसका कुल परिणाम क्या निकला? दलगत विचारधारा से हटकर अब हमें इसके स्पष्ट परिणाम की जांच करनी चाहिए। आयोग को कतिपय उन मामलों की जांच करने के लिए कहा गया था जो उसे भेजे गए थे। हम जानते हैं कि सात वर्ष का समय लेने के बाद साधारणतया कोई जांच आयोग अंतरिम रिपोर्ट नहीं देगा। वे केवल एक ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

वह है अंतिम रिपोर्ट। परंतु इस मामले में यह असामान्य बात है। मैं यह नहीं कहता कि यह गैर कानूनी है। सामान्यतया आयोग हमेशा एक ही रिपोर्ट देता है कोई अंतरिम रिपोर्ट नहीं। इस आयोग द्वारा एक विशेष प्रकार की एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का क्या कारण था? यहां तक कि यह अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने से पहले अखबारों में छप गई थी और यह रिपोर्ट भी जो अंतिम रिपोर्ट कहलाती है। अखबारों में छप गई। इसलिए, सभी आयोगों के बारे में यह आम धारणा बन गई है कि यह आयोग विश्वास योग्य नहीं है। परंतु जहां तक जैन आयोग की रिपोर्ट का संबंध है इसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है। क्यों, इसने अपनी विश्वसनीयता क्यों खो दी है? इसका यह कारण है कि अधिकांश लोगों को इस बात की आशंका थी कि यह राजनीति रूप से प्रभावित है।

सबसे पहला सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि इस आयोग के संचालन की जांच करने के लिए एक और आयोग का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में सी.बी. आई. की जांच पहले ही चल रही है जो लंबित पड़ी है। यहां एक अन्य मामला भी है कि हाल ही कि रिपोर्ट भी प्रेस में छपी है। इस आयोग की रिपोर्ट प्रेस में कैसे लीक हुई और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय क्या है? आप और मैं जानते हैं कि जब अंतरिम रिपोर्ट छपी थी तो इसी के कारण देश के आम चुनाव हुए थे। इस गलत निर्णय के कारण मुझे केरल से यहां आना पड़ा।

सभापति महोदय : आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मुझे यह बात पूरी करनी है।

सभापति महोदय : आप इसे पूरा कीजिए। श्री वारकला राधाकृष्णन जी इस सभा को स्थगित करने से पहले अभी और एक वक्ता ने बोलना है। हमें उसे भी समय देना है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : दूसरा पहलू यह है कि श्री चंद्रास्वामी के नाम के अलावा आयोग की रिपोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। आपको एक मामला या एफ.आई. आर. दर्ज करानी होगी। अगर आप एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं तो आपको उक्त अपराध को उजागर करना होगा। वह कौन सा अपराध था जिसे आयोग ने श्री एम. करूणानिधि के संबंध में उजागर कर दिया। सिवाए इसके कि उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये थे या उनका अभिसाक्ष्य संतोषजनक नहीं था? क्या उनका यह अपराध माना जाएगा? यदि कभी भी गवाह किसी आयोग के सामने साक्ष्य देने से इंकार कर देता हैं। तो आयोग स्वयं कार्रवाई कर सकता है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के संबंध में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्होंने कुछ मामलों में कुछ कहने से इंकार किया है मैं स्थिति समझ सकता हूं। राष्ट्रीय महत्व के मामलों में, अगर इस तरह की कोई जांच होती है तो प्रत्येक गवाह वह सूचना देने के लिए बाध्य होता है जो उसे मालूम हो और उसकी सीमाओं के भीतर हो। उसका खुलासा आयोग के सामने करना होता है। अगर कोई जानकारी देने से इंकार करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस आयोग को डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से किसने रोका था? आयोग स्वयं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक राजनीतिक से प्रेरित दस्तावेज है। जांच आयोग अधिनियम में एक कानूनी उपबंध है कि अगर कोई गवाह सूचना देने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इस तर्क से सहमत होगी।

मंत्री महोदय आपने भी की गई कार्यवाही रिपोर्ट में यह कहा है कि डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के मामले में स्वयं आयोग मुकदमा शुरू कर सकता था। उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती थी। परंतु यह नहीं की गई। यह काम आप पर छोड़ दिया गया है। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट एक राजनीति से प्रेरित दस्तावेज है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के संबंध में आयोग ने अधिकार होते हुए भी जानबूझकर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। यह काम सरकार पर छोड़ दिया था। यदि सरकार कोई कार्रवाई करती है तो यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई मानी जाएगी। यह स्थिति है इसीलिए मैं कहता हूं कि डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी के मामले के संबंध में आयोग के विशेष संचालन की जांच की जानी चाहिए।

श्री चंद्रास्वामी के संबंध में कुछ अन्य मामले भी हैं। उन्होंने कुछ विदेशी मुद्रा विनियमन नियमों का उल्लंघन किया था। उन्हें धन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा डा. स्वामी की लंदन यात्रा की भी जांच करनी होगी। इन मामलो को प्रकाश में नही लाया गया। उन मामलों में आयोग स्वयं कार्रवाई कर सकता था। परंतु उन मामलों में आयोग कोई भी कार्रवाई करने से दूर रहा। आयोग ने इस बात का कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इसने इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी। श्री चंद्रास्वामी के विरुद्ध आयोग बहुत कुछ कर सकता था।

एक बात है। मेरे विद्वान मित्रों मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आपकी सरकार पांच वर्ष तक सत्ता में थी। आपको कार्यवाही करने से किसने रोका? श्री राजीव गांधी बहुत बड़े नेता थे। मैं आपको एक बात बता दूं। जब उनकी हत्या हुई उन दिनों मैं चुनाव लड़ रहा था। चुनाव की पूर्व संध्या पर मेरे सभी चुनाव कार्यालयों में आग लगा दी गई थी। मेरी ऐसी स्थिति थी। निःसंदेह मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। पूरे केरल में चुनाव की पूर्व संध्या पर चुनाव कार्यालय पर आग लगा दी गई। मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। आप इससे इंकार करेंगे। लेकिन यह सत्य है। जनता के बीच एक भावना जाग्रत हुई थी। यह स्थिति थी। जैसा कि मैंने कहा है, श्री राजीव गांधी बहुत महान व्यक्ति थे और यह कृत्य अत्यधिक त्रासदीपूर्ण था। यह एक नृशंस कृत्य था।

मित्रों, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं दूसरी ओर बैठे अपने मित्रों को यह बताना चाहूंगा कि उस मामले में भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपको कार्यवाही करने से किसने रोका? इसके साथ ही, आपके प्रधानमंत्री ने लिखा था कि जांच समाप्त की जानी

चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों लिखा था? मेरे मित्रों को इसका उत्तर देना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि जैन आयोग की जांच बंद होनी चाहिए। यदि श्री चंद्रास्वामी के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के ऊपर जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्री चंद्रास्वामी का ऐसा क्या प्रभाव था। तत्कालीन सरकार ने आगे जांच न करने का निर्णय लिया था। इस कार्यवाही के पीछे क्या उद्देश्य था? अब, आप उन लोगों को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। यदि बहु आयामी निगरानी एजेंसी (एम.डी.एम.ए.) की कार्यवाही पर्याप्त नहीं है तो आप कानून पारित करेंगे। मुद्दा यह है कि यह सभा एक विधान पारित करेगी और आप उस विधान के अंतर्गत आप कार्यवाही करना चाहते हैं। इसी तरह यह निरंतर चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। इसे घसीटते नहीं रहना चाहिए। सात वर्ष बीत गए हैं।

रात्रि 11.00 बजे

अतः मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैन आयोग के आचरण की जांच की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

अगले वक्ता श्री सी. गोपाल हैं। वह अंतिम वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदग क्या आप दूसरे दौर की अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : अध्यक्षपीठ ने मुझे अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : यहां कुछ अन्य दल के नेता भी है जो कि बोलना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, क्या आप अध्यक्षपीठ को आदेश दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने दूसरा दौर आरंभ कर दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया उन्हें भाषण समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, अध्यक्षपीउ को आदेश देने वाले श्री बालू कौन होते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सरकार को एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं और बीच में टोक देते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि इस सभा में किसी और को नहीं बोलना चाहिए? मुझे बहुत खेद है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप उन्हें भाषण समाप्त करने दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।*

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यहां अध्यक्षपीठ को आदेश देने के लिए नहीं हैं। मुझे सभा का संचालन करना हैं। यह बहुत बुरी बात है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपने 11 बजे के बाद सभा का समय बढ़ाने के लिए सभा से राय ले ली हैं?

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : क्या आप सभा का समय बढ़ाने जा रहे हैं? मुझे अध्यक्षपीठ का स्पष्ट विनिर्णय चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मैंने कहा था कि सूची के अनुसार केवल श्री गोपाल का नाम रह गया है और मैंने सूची के अनुसार अन्य सभी नाम पूरे कर दिए हैं। मैंने सोचा

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री टी.आर. बालू]

था कि उन्हें पांच मिनट का समय दूं ताकि वह भी बोल सके। इसलिए मैंने श्री राधाकृष्णन के भाषण को कम कर दिया था। इस बीच आप खड़े हो गए और यह कहना आरंभ कर दिया कि यहां अन्य सदस्य भी हैं। यह अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अभी बोल रहा हूं। इसलिए मुझे आदेश न दें। मैंने सभी का ध्यान रखा है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप 11 बजे के बाद सभा का समय बढ़ाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सभा 11 बजे समाप्त हो जाएगी। आपने सभा की राय नहीं ली है। मेरा तर्क यही है।

सभापति महोदय : आपका तर्क यह नहीं था। और इसका प्रश्न दी नहीं उठता है।

श्री राधाकृष्णन, कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं केन्द्र सरकर से अनुरोध करूंगा कि जैन आयोग के आचरण की जांच की जाए। दूसरा, सच्चाई का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए। उसके लिए बहु अनुशासनिक निगरानी एर्जेसी पर्याप्त नही है। यह निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच किसी स्वतंत्र एर्जेसी द्वारा की जा सकती है न कि सरकार द्वारा जैसाकि सुझाव दिया गया है। सच्चाई का अवश्य पता चलना चाहिए। राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। और इस घटना के षडयंत्रकर्ताओं, को जो इस षडयंत्र में वास्तविक अपराधी हैं, पता चलना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच की जानी चाहिए और वैसी जांच नहीं की जानी चाहिए जैसाकि सरकार ने सुझाव दिया है।

सभापति महोदय : मुझे सभा की राय लेनी है। माननीय सदस्यों आज की कार्यसूची से, श्री सी.गोपाल के सिवाय सभी अन्य वक्ता बोल चुके हैं। वह यहां उपस्थित हैं यदि सभा की सहमति हो तो हम सभा का समय 5 मिनट बढ़ा देंगे ताकि श्री सी.गोपाल भी आज बोल सकें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सी.गोपाल, कृपया आप अपना भाषण 5 मिनट के भीतर समाप्त कीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे मित्र श्री बालू भी मुझे सहयोग देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय मैं जानता हूं कि अध्यक्षपीठ का सम्मान किस प्रकार किया जाता है। मैं अध्यक्षपीठ को समुचित सम्मान देता हूं। लेकिन जब वे कुछ मामला उठाते हैं तो मुझे स्पष्टीकरण लेना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया सहयोग कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 5 मिनट सुनिए। तत्पश्चात् हम सभा की बैठक स्थगित कर देंगे।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं आपका ओर सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि आपने जैन आयोग रिपोर्ट संबंधी चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आप सब का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने रात 11 बजे के बाद सभा का समय बढ़ाकर मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदय, भारत के श्रेष्ठ, अनुभवी व्यक्तित्व वाले और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्र में नवयुवकों के प्यारे श्री राजीव गांधी की 21.5.91 को श्री पेरम्बदूर में हत्या की गई थी। फलस्वरूप 27.5.91 को तत्कालीन सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायधीश, न्यायमूर्ति वर्मा के अधीन सुरक्षा संबंधी खामियों की जांच करने हेतु जांच आयोग का गठन किया। इसके पश्चात् 23.8.91 को जैन आयोग नियुक्त किया गया। जैन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 28.8.97 को गृह मंत्री को प्रस्तुत की। तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस रिपोर्ट को की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन के साथ 20.11.1997 को संसद में रखा।

हम सभी जानते हैं कि उसके पश्चात् क्या हुआ। इस रिपोर्ट के कारण कांग्रेस ने जो संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन दे रही थी, अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके परिणामस्वरूप मध्यावधि चुनाव आए और हमने पुनः चुनाव लड़ा और आज हम यहां है।

महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैन आयोग संबंधी चर्चा श्री शिवशंकर द्वारा आरंभ की गई थी। 7 वर्षों के पश्चात् यह अंतिम रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत की गई। जब श्री शिवशंकर जी इस रिपोर्ट से उद्धरण दे रहे थे। तो मैंने उनसे कुछ भिन्न अपेक्षा की थी। महोदय मैं इस सभा के समक्ष कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी की आत्मा श्री शिव शंकर की बजाय श्री अजीत जोगी के भाषण को सुनने के पश्चात् बहुत खुश हुई होगी।

न्यायमूर्ति जैन द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट में खण्ड VII, पृष्ठ 314 में यह कहा गया है :

> "यदि लिट्टे की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया होता और उनका अस्तित्व यहां समाप्त कर दिया होता तो यह घटना नहीं घटती।"

यह सर्वविदित तथ्य है चाहे यह अंतरिम रिपोर्ट से हो अथवा अंतिम रिपोर्ट से कि श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए लिट्टे के लोग ही उत्तरदायी है। इस बात में कोई इंकार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति जैन का यही संकेत है, उनकी यही रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट का जो यह निष्कर्ष निकाला गया है श्री शिव शंकर ने अपने भाषण में इसका

उल्लेख क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह अंतिम रिपोर्ट राजीनति से प्रेरित है।

मैं विशिष्ट और अनुभवी कांग्रेसियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 20.11.97 को न्यायमूर्ति जैन ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट की जांच तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी और उसे की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन के साथ संसद में रखा गया था। अब वे कह रहे हैं कि यह अंतिम रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। अंतरिम रिपोर्ट के खण्ड VIII अध्याय III, पैरा 50, पृष्ठ 937-38 में यह कहा गया है।

> "तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार के सता संभालते ही लिट्टे ने धीरे धीरे अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया था। लिट्टे की सभी गुप्त हालांकि प्रसुप्त अवस्था में गतिविधियां और अधिक सुस्पष्ट होती गई।" ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्षपीठ कुछ भी बोलने की अनुमति दे सकते हैं। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता...*(व्यवधान)* लेकिन यह केवल अंतर्रात्मा का मामला ही हैं यदि कुछ गलत बात कही जाती है तो आपको उसे कार्यवाही सारांश में निकालना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मैं सब कुछ आप पर ही छोड़ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : महोदय, मैं उद्धरण को जारी रखता हूं :-

> "इस समय संसाधन जुटाने, प्रचार और अपने घायल काडरों के उपचार की दिशा में लिट्टे की सभी गतिविधियों ने राष्ट्र विरोधी रूप ले लिया था,"

संयुक्त मोर्चा सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस सरकार की टिप्पणी क्या थी? उसकी टिप्पणी थी 'किसी कार्यवाही आवश्यकता नहीं है।' क्यों? क्या उन्होंने इस बारे में पूछा? क्या उन्होंने इसका यहां उल्लेख किया है? कांग्रेसी नेताओं ने आज इस चर्चा में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।

उन्होंने इस तथ्य को क्यों नहीं छिपाया? इसके पीछे क्या राजनीति है?...*(व्यवधान)**... आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बहुत हो गया। इन दो गुटों के साथ यहां व्यवस्था बनाए रखना असंभव है।

...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है...*(व्यवधान)*

उन्हें अभी कुछ कहते सुना गया है। उन्होंने एक खास शब्द का प्रयोग किया है उन्हें उसे वापस लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू मैंने आपको बताया है कि यहां किसी के विरुद्ध कोई अभिव्यक्ति...

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : उन्हें उस शब्द को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कुछ अनादर सूचक टिप्पणियां की हैं...*(व्यवधान)* उन्होंने मुझ पर आक्षेप किया है...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : मैं किसी भी शब्द को वापस नहीं लूंगा। यह असंसदीय शब्द नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय, कृपया उन्हें उस शब्द को वापस लेने के लिए कहें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मुझे बोलने दो। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे आपको कोई अन्य सीट दें। कुछ क्षण पहले आपने तमिल में कोई शब्द कहा जिसे मैं नहीं सुन सका था। मैं चाहता हूं कि आप उसकी पुनरावृत्ति करें और उसे वापस लें। इसी तरह यदि वे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं तत्काल उस बारे में कैसे जान सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय,....* का आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में रखने की अनुमति दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, कृपया बैठ जाइए

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सत्यमूर्ति, कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों क्या आप अपने स्थानों पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सी. गोपाल : महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि लिट्टे श्री राजीव गांधी से खफा थी। विभिन्न सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां तत्कालीन सरकार को खबर दे रही थी कि श्री राजीव गांधी के जीवन को खतरा है। मैं अंतरिम रिपोर्ट तथा अंतिम रिपोर्ट से कुछ बातों का का उल्लेख करना चाहता हूं जो आगे जांच के लिए काफी सहायक होंगे...*(व्यवधान)*

मैं कुछ भी ऐसी सामग्री का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे सभा को पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जनवरी, 1989 में श्री करूणानिधि ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। 22 मई, 1989 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री के.सी. पंत ने तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि को एक पत्र लिखा था...*(व्यवधान)* उसमें उन्होंने लिखा :-

> "हमें खबर मिली है कि विगत कुछ महीनों में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लिट्टे काडरों की आवाजाही में काफी वृद्धि हुई है।"

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सी. गोपाल : महोदय, 6 नवम्बर, 1989 को 12 सशस्त्र आतंकवादी दो जिप्सियों में रामनाथपुरम तट की ओर जा रहे थे। जब त्रिची के बाहर एक चौकी पर दो पुलिस वालों में उनसे पूछताछ की तो उन्होंने उन पर गोली चला दी जिसमें एक पुलिस वाले की घटनास्थल पर मौत हो गई। तमिलनाडु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

फिर 11 फरवरी, 1989 को चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलगाड़ी में लिट्टे के दो आदमियों ने रेल सुरक्षा बल के जवान श्री वी. रवि की गोली मारकर हत्या की।

सभापति महोदय : श्री गोपाल, कृपया अपना भाषण समाप्त करे।

श्री सी. गोपाल : इन घटनाओं में से सबसे भयंकर घटना 12 जून, 1990 को घटित हुई। शिवरासन और उसके सहयोगी संस्था, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, के नेतृत्व में 14 अन्य लोगों के साथ आतंकवादियों का एक गुट ई.पी.आर.एल.एफ. नेता के. पद्मनाभा की हत्या के बाद मद्रास से चले। ये टिप्पणियां अंतरिम रिपोर्ट में हैं...*(व्यवधान)*

जून, 1990 में तमिलनाडु पुलिस ने डी.के. एक अलग हुए गुट द्वारा चलाई जा रही एक छोटी सी फैक्टरी पर यह सूचना मिलने पर छापा मारा। इस फैक्टरी में हथियार बनाए जाते हैं। लिट्टे के दो आदमियों सहित फैक्टरी चलाने वाले छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस को आगे जांच करने की अनुमति नहीं दी गई।

किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस को आगे जांच की अनुमति नहीं दी गई। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां आप अंतिम वाक्य पर गौर करें।

सभापति महोदय : हां, यह आपका अंतिम वाक्य है।

श्री सी. गोपाल : यह कहा गया था कि राजनीतिक दबाव था। क्या राजनीतिक दबाव था? वह द्रमुक सरकार का राजनीतिक दबाव था।

सभापति महोदय : ठीक है आप अपना भाषण समाप्त करें। यह आपका अंतिम वाक्य है।

श्री सी. गोपाल : महोदय, मैं कल अपना भाषण जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, आपको अभी समाप्त करना होगा।

श्री सी. गोपाल : महोदय, मुझे दो मिनट चाहिए।

सभापति महोदय : आपको अभी समाप्त करना होगा। आप अपना अंतिम वाक्य कह सकते है।

श्री सी. गोपाल : महोदय, मैं कांग्रेस के सदस्यों और सभा से भी अपील करूंगा। इन घटनाओं और इन रिपोर्टों के कारण इस सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि का नाम अंतिम रिपोर्ट में बहु आयामी निगरानी एजेंसी द्वारा आगे जांच के लिए शामिल किया है।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री सी. गोपाल : इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विरुद्ध आगे जांच अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही लिट्टे को प्रोत्साहन दिया था और लिट्टे की गतिविधियों के कारण ही यह हत्या हुई।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री सी. गोपाल : इसलिए उनके विरुद्ध तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

अब सभा कल 6 अगस्त, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 6 अगस्त, 1998/15 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।